# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–2 दसवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का चवालीसवां दिवस संख्या–27

गुरुवार,

7 अप्रेल, 1994

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

**(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)**

**तारांकित प्रश्नोत्तर**

**श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आंधी और ओलावृष्टि से सवाई माधोपुर, भरतपुर, जयपुर बल्कि सारे राजस्थान में भारी नुकसान हुआ है (व्यवधान) फसल बरबाद हो गयी, आदमी मर गये।

**एक माननीय सदस्य** : सब कुछ हो गया है। इस बारे में सदन में चर्चा की जाय, क्योंकि भारी वर्षा से असंख्य पशुधन और जनधन की हानि हो गयी है। पूरे राजस्थान में और जयपुर के बारे में भी बताया है (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि से हानि हुई है। इसके बारे में सरकार कहे (व्यवधान) राहत पहुंचाये, यह हमारी लालसा है (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : प्रश्न काल स्थगित किया जाए। (व्यवधान)

**श्री अरुण सिंह** (डीग) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल स्थगित किया जाए। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : यह राज्य सरकार किसानों की विरोधी है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कोई अंकित नहीं होगा।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : × × ×

**श्री अरुण सिंह** : × × ×

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : हां, अब आप बैठिये।

**श्री अरुण सिंह** : × × ×

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : × × ×

**श्री अरुण सिंह** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : अगर माननीय मंत्रीजी कुछ बोलें, आप बैठिये।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं, सुनिये आप।

माननीय मुख्य सचेतक से मेरा निवेदन है कि कृपया पार्टी को शांत करें। मंत्रीजी

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

कुछ बोल रहे हैं, सरकार की तरफ से कुछ बोल रहे हैं, आप उनको शांत करें। (व्यवधान) आप बैठिये, हो गया आपका, बैठिये। हां, मंत्रीजी, हां बिराजिये।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कल ओलावृष्टि हुई उससे वास्तव में बहुत क्षति हुई है और जो माननीय सदस्यों की चिन्ता है कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाकर कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनको कैसे बचाया जा सकता है। यह जो आपका सुझाव है कि आज क्वश्चन आवर स्थगित कर दिया जाए, सरकार सहमत है। आप इसको स्थगित करके इस प्रश्न को ले लीजिए बहुत बेहतर होगा।

**श्री अध्यक्ष** : देखिये, मेरा निवेदन यह है कि रोज-रोज प्रश्न काल स्थगित करना, यह सदन (व्यवधान) बैठिये आप। प्लीज सिट डाउन।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये आप। मैं समझता हूं कि यह परम्परा ठीक नहीं है और इस सम्बन्ध में मैं माननीय श्री विश्नोई जी के विचार जानना चाहूंगा, यदि वह विचार करें, यदि आप लोगों को प्रश्न काल स्थगित करना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह परम्परा सही नहीं है। इस विषय पर चर्चा हो सकती है, पूरा दिन आपके सामने है। चूंकि प्रश्न काल दो दिन है, आज और कल (व्यवधान) सुनिये आप। इसलिए इस बारे में फिर गम्भीरता से विचार कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माननीय श्री विश्नोई जी की क्या राय है इस सम्बन्ध में, वह जानना चाहूंगा। (व्यवधान) वह कह रहे हैं, बाद के लिए ही कह रहा हूं।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : माननीय सदस्यों के प्रश्न काल बहुत अर्से से....

**श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : प्रश्नों पर इतना खर्चा होता है और प्रश्न काल बहुत महत्व का है। उसके बाद ही इस पर विचार कीजिये, प्रश्नकाल चलाइये।

**श्री अध्यक्ष** : श्री टीकमचन्द कान्त।

**सहायक अभियन्ताओं के पदों पर पदोन्नति**

811. **श्री टीकमचन्द कान्त** (सिवाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में सहायक अभियन्ता पद की रिक्तियों का सही आंकलन किया जाता है? यदि हां, तो 1990-91 से 1993-94 तक वर्षवार रिक्तियों का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग में वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक सहायक अभियन्ता के लिए डी.पी.सी. की बैठकों का आयोजन

×× × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

से

# Page No.3



(श्री टीकमचन्द कान्त)

किया गया ? यदि हां, तो कितने-कितने पदों के लिये ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या विभाग में सहायक अभियन्ता पद पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आरक्षित पदों पर पदोन्नत किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1990 से 1993-94 तक कितने लोगों को पदोन्नतियां दी गयीं ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या विभाग में सहायक अभियन्ता पद का अनुसूचित जाति-जनजाति का आरक्षित बैकलॉग रिक्त चल रहा है ? यदि हां, तो वर्ष 1990 से 1993-94 तक चल रहे रिक्त बैकलाग का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

**राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी** (श्री जसवन्तसिंह विश्नोई): (1) जी हां । वर्ष 1990-91 में 66 पद, 1991-92 में 40 पद, वर्ष 1992-93 में 10 पद एवं वर्ष 1993-94 में 20 रिक्त पदों का आकलन किया गया है ।

(2) सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पदों को वर्ष 1991-92 तक ही भरे जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की गयी हैं । वर्ष 1990-91 में 63 पद एवं 1991-92 में 20 पदों, को पदोन्नति समिति द्वारा भरा गया है । शेष वर्षों हेतु पदोन्नति समिति की बैठकें की जानी हैं ।

(3) जी हां । वर्ष 1990-91 में एक अनुसूचित जाति के कनिष्ठ अभियन्ता को पदोन्नति दी गयी है । वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 के शेष आरक्षित पदों के जोन में कोई व्यक्ति उपलब्ध न होने के कारण आगामी वर्षों हेतु आरक्षित रखे गये ।

(4) जी हां । वांछित विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

**श्री टीकमचन्द कान्त** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि रिक्त पदों का आकलन किस आधार पर किया जाता है और क्या जो बैकलॉग है उतने ही स्थान जिस वर्ष में आकलन किया गया था, उस वर्ष में रिक्त थे ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आकलन के लिये जो फार्मूला है वह यह है कि या तो कोई रिटायर हो जाता है तो जगह खाली हो जाती है या कोई इस्तीफा दे देता है तो उससे जगह खाली हो जाती है या प्रमोशन हो जाने से खाली हो जाती है या मान लो किसी की मृत्यु हो जाए, उससे जगह खाली हो जाए, उसके आधार पर ही यह आकलन किया जाता है ।

**श्री टीकमचन्द कान्त** : जैसे कोई रिटायर हो रहा है, रिटायर अगर कोई वर्ष के अन्त में हो रहा है तो आप जो आकलन कर रहे हैं पूरे वर्ष का, तो उस वर्ष के अन्त में रिटायर होने वाले व्यक्ति का भी उसके अन्दर आकलन होता है ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : वह रिटायरमेंट के बाद ही होता है ।

**श्री टीकमचन्द कान्त** : रिटायरमेंट के बाद में नहीं, आकलन पहले होता है या नहीं ? और जब डी.पी.सी. होती है तो क्या इन्हीं सब तथ्यों को समक्ष रख कर या गिनती रख कर की जाती है ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : हां, इन सब तथ्यों को सामने रख कर डी.पी.सी. की जाती है।

**श्री टीकमचन्द कान्त** : और अगर पूर्व में कहीं डी.पी.सी. में ऐसा हुआ हो कि पहले तो जितने भी पद वास्तविक रिक्त हैं आपके उसके अनुसार आपने डी.पी.सी. कर ली हो या एडहाक प्रमोशन या नियुक्ति दे दी हो और उसके बाद में आपने एक साथ डी.पी.सी. न करके अगर पूर्व वर्ष में ऐसा कुछ किया गया है, तो क्या आप वापस उसको देखने का कष्ट करेंगे ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : नहीं, यह आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ। आपका कहना यह है कि कोई स्थान रिक्त था और वह इस आकलन में नहीं आया तो वह रह गया उसकी जांच दुबारा कराना चाहते हैं यही मतलब है ?

**श्री टीकमचन्द कान्त** : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : मैं सहमत हूं। यदि आप ऐसी जानकारी देंगे तो इसके लिये मैं डी.पी.सी. करा दूंगा।

**श्री टीकमचन्द कान्त** : बस, ठीक है।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट। श्री रामनारायण।

## ग्राम कनकपुरा (नैनवां) में बांध निर्माण

**812. श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या तहसील नैनवां के ग्राम कनकपुरा के पास निर्माणाधीन एनीकट के स्थान पर लघु सिंचाई योजना के तहत बांध निर्माण करवाये जाने पर ग्राम कनकपुरा बूढ़ करवर एवं कल्याणी खेड़ा की कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होना सम्भव होने के साथ ही भूमिगत जल स्त[illegible] में सुधार हो सकेगा ? यदि हां, तो उक्त बांध का सर्वे कब तक करवा लिया जाएगा ? यदि सर्वे करवा लिया गया है तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्थान पर लघु सिंचा[illegible] योजना हेतु बांध का निर्माण किया जा[illegible] पर लाभान्वित होने वाले कृषकों में ल[illegible] सीमान्त श्रेणी के तथा अनुसूचित जाति जनजाति के गरीबी की रेखा के नीचे जीव[illegible] यापन करने वाले कृषक होंगे ? यदि हां तो उक्त बांध निर्माण बाबत कब तक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी ?

**सिंचाई मन्त्री** (श्री देवीसिंह भाटी) (1) जी नहीं। सर्वेक्षण से पूर्व प्रारम्भि[illegible] जांच की जाने पर इस स्थान पर ब[illegible] बनाया जाना उपयुक्त नहीं पाया गया है

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री रामनारायण** (नैनवां) : मान[illegible] अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ज[illegible] चाहूंगा कि आपने जो बताया सर्वेक्षण[illegible]

(श्री रामनारायण)

पूर्व प्रारम्भिक जांच की, सही स्थिति यह है, माननीय मंत्रीजी, आपके किसी अधिकारी ने उस जगह को देखा नहीं। यदि देखा है, तो वास्तविक स्थिति में उस जगह की चतुर्सीमा क्या है, आपका कोई अधिकारी बता नहीं सकता। किस तारीख को जगह देखी है? मैंने खुद ने वह जगह तीन दफा देखी है। माननीय मंत्रीजी, वहां कम से कम 10 किलोमीटर का कम से कम पानी आता है और ढाई हजार बीघा जमीन पर ऐसे लोग हैं, जिनमें एक के पास दस बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है। ऐसी स्थिति में चूंकि आप पचास एकड़ से ज्यादा का बांध लेते हैं, यह सही है कि आपका आइडेन्टिफाइड एरिया नहीं है, इसलिये आपके अधिकारी नहीं गये हैं। मैंने अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा, साहब, क्षमा चाहते हैं, आइन्दा कभी मौका मिलेगा तो हम जाएंगे। मेरी परसों बात हुई है। वह मौके पर नहीं गये।

माननीय मंत्रीजी, वास्तव में उस पूरे क्षेत्र में, नैनवां तहसील में सबसे गरीब इलाका है, उनके हित को मद्देनजर रखते हुए क्या आप विस्तृत सर्वे का आर्डर देंगे? यदि उनको कोई दिक्कत हो तो मैं उनको सहयोग करने को तैयार हूं, जगह बताने को तैयार हूं। नक्शे में देखने से कुछ भी नहीं होता है। चूंकि गरीबों के हित की बात है इसलिये आप इसको बीकानेर और गंगानगर का इलाका नहीं मानें, मन्त्रीजी, आप तो जानते हैं कि गरीबी कैसी होती है, आप मेहरबानी करके निर्णय करें। मैं, माननीय अध्यक्षजी से यह चाहूंगा कि आप भी कृपया इस बारे में कुछ करने की कोशिश करें, ताकि गरीबों को जो आशा है, वह उनकी पूरी हो सके। बहुत बैकवर्ड और सूखा इलाका है। आज भी वह गांव छोड़-छोड़ कर दूर चले गये हैं, दिल्ली, जयपुर तक चले गये हैं, मजदूरी कर रहे हैं। इसलिये कृपया आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट करें।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अपने क्षेत्र की चिन्ता है, चिन्तित होना ही चाहिए। पर यह माननीय सदस्य का कहना कतई सही नहीं है कि अधिकारी मौके के ऊपर नहीं गये। हालांकि यह सही है कि प्रारम्भिक जांच जी.टी. सीट के द्वारा की जाती है और उस के अन्दर पानी का जो जलग्रहण क्षेत्र है, पानी की आवक कितनी है, जैसे इसमें बताया कि जलग्रहण क्षेत्र 0.438 वर्ग मील है और पानी की आवक लगभग अनुमानित आठ मिलियन घन फीट है। इससे सिंचाई सुविधा जो उपलब्ध होने की सम्भावना है वह मात्र चौसठ एकड़ जमीन के लिये ही उपलब्ध हो पाएगी।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इसमें वहां मौके के ऊपर देखा गया तो इसमें बोल्डर्स हैं। वह छोटे-छोटे पत्थर होने की वजह से इसमें पानी की रिसाव की भी पूरी सम्भावना है। इसलिये यहां बांध बनाया जाना उपयुक्त नहीं माना गया है।

**श्री रामनारायण** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जहां तक ख्याल है अब भी आप उस बात पर रिजिड हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके अधिकारी नहीं गये। यदि गये हैं तो किस तारीख को गये हैं? नम्बर वन। नम्बर दो, वहां आस-

(श्री रामनारायण)

पास पठार है, ऐसा पठार है जिसको आप एक फुट भी तोड़ नहीं सकते, इसलिये वहां बीच में मिट्टी का बांध बनाया जा सकता है।

दूसरी बात, वहां कोई पेड़-पौधे नही हैं, यह भी आपके अधिकारियों ने मुझ से पहले कहा था, मैंने याचिका दी थी उस टाइम पर, बिना देखे। और मैंने आपसे स्पष्ट कहा है कि परसों के रोज मेरी इंजीनियर से बात हुई है। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मुझसे यह कहा है कि, साहब, हम माफी चाहते हैं, हम मौके पर नहीं गये हैं। जी.टी. सीट को देख कर हमने बनाया है और आप 485 कह रहे हैं कि यह उन्होंने कहा है और वह दुबारा से खुद फील कर रहे हैं इस बात को। ऐसी-ऐसी स्थिति है, जैसा मैं सदन में कह रहा हूं। यदि ऐसी स्थिति है, तो क्या सरकार उस बारे में दुबारा सर्वे करेगी? मैं सहयोग देने को तैयार हूं। आप चाहते हैं हमारा रकबा बढ़े, सिंचित हो। सारा इलाका बैकवर्ड है, वहां शिड्यूल्ड कास्ट्स के ही नहीं, बल्कि सभी जाति के लोग रहते हैं। एक-दो घर राजपूतों के भी हैं, गुर्जरों के भी हैं, मीणों के भी हैं, भीलों के भी हैं, तो क्या सरकार अपनी रिजेडिटी को तोड़कर इस बारे में दुबारा सर्वे कराने पर विचार करेगी? वहां कम से कम डेढ़ हजार एकड़ जमीन सिंचित हो सकेगी।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, वैसे मैंने जो विभाग ने सूचना दी है; वह तो सदन में बता दी है। इसके उपरान्त भी यदि माननीय सदस्य को कोई विशेष सूचना है, कोई जानकारी है और जिन बिन्दुओं पर वह पुनः सर्वेक्षण के लिए यदि चाहते हैं कि वहां पर प्रारम्भिक जांच हो, तो उन बिन्दुओं के ऊपर प्रारम्भिक जांच करवा देंगे। आपको पूरी तसल्ली देंगे और जिन अधिकारियों ने मुझे यह बताया कि हम मौके पर गये हैं और आपको यह सूचना दे रहे हैं कि वह मौके के ऊपर नहीं गये, तो निश्चित तौर पर यदि उन्होंने मुझे गलत सूचना दी है तो मैं कार्यवाही करूंगा। आपके पास जो सूचना है, उन-उन बिन्दुओं पर मुझे बता दें, मैं उनकी जांच करवाऊंगा।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट। श्री शिवनाथ सिंह जी।

**जिला झुन्झुनूं के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद**

813. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनूं जिले में किन-किन माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं? क्या इन रिक्त पदों पर सैकण्ड हैडमास्टर या अन्य कोई अध्यापक आफिशियेट कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी।

**शिक्षा मंत्री** (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) झुन्झुनूं जिले में कुल 38 प्रधानाध्यापक (31 छात्र विद्यालय तथा 7 छात्रा) के पद माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त हैं। इन विद्यालयों में से सात विद्यालयों में वरिष्ठतम अध्यापकों को तथा शेष 31 विद्यालयों

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

में अन्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आहरण-वितरण के अधिकार दिये गये हैं। यह व्यवस्था विद्यालय के सुसंचालन हेतु की जाती है।

(2) रिक्त पदों की पूर्ति विभागीय चयनित समिति एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित प्रत्याशी उपलब्ध करवाये जाने पर की जा सकेगी।

**श्री शिवनाथ सिंह :** अध्यक्ष जी, कई बार यह मामला उठ चुका है, और हमेशा यही जवाब कि जब उनका चयन हो जाएगा। मैं आपसे डेफिनेट डेट चाहता हूं कि कब तक या अगले साल जो जुलाई में सैशन खुले उस वक्त तक, सब अध्यापक और हैड मास्टर वगैरह वहां लग जाएंगे? कोई तो निश्चित डेट आप हमको बताइये।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** मैंने पूर्व में ही आपसे निवेदन किया था कई प्रश्नों के जवाब में कि आर. पी. एस. सी. से जो सलैक्शन, जो हमारा पुराना बैकलॉग है, वह तो हम एक जुलाई के दिन कम्पलीट कर लेंगे। उनसे बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि वह अपने सलैक्शन करके हमको दे दें और पचास प्रतिशत जो हमको करना है, वह तो मई के अन्त तक अपनी तरफ से पूर्ति कर देंगे। लेकिन जो नये खुलेंगे, उनमें फिर वापस यह प्रक्रिया चलेगी और उसमें थोड़ा समय लगने से विलम्ब होता है। बाकी जो पुराने खाली हैं, वह तो एक जुलाई के दिन सेंट-पर्सेन्ट भर दिये जाएंगे।

**श्री अध्यक्ष :** नैक्स्ट। श्री जोगेश्वर गर्ग।

**प्रश्न संख्या 814**

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री दलीचन्द। 815

**जिला ग्रामीण विकास अभिकरणकर्मियों के सेवा नियम**

**815. श्री दलीचन्द** (दानपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की स्थापना कब की गयी है तथा इनमें नियोजित कर्मचारियों के सीधी भर्ती सेवा नियम किसके द्वारा बनाये गये हैं?

(2) उक्त अभिकरण में नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

(3) क्या यह सही है कि जिला परिषद, नगर परिषद, पंचायत समिति, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारियों की सेवाएं पेंशनेबल हैं? जबकि अभिकरण भी एक स्वायत्तशासी संस्था है, उनकी सेवाएं पेंशनेबल क्यों नहीं की गयी हैं?

(4) इस सम्बन्ध में सरकार की अभिकरण में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों के प्रति क्या नीति रहेगी?

**राज्य मन्त्री, विशिष्ट योजना संगठन** (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की स्थापना वर्ष 1981 में भारत सरकार के निर्देशा-

(श्री अनंगकुमार जैन)

नुसार की गयी है । इसमें नियोजित सीधी भर्ती कर्मचारियों के सेवा नियमों के सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा माडल रूल्स तैयार करके सम्बन्धित अभिकरणों को शासकीय बैठक द्वारा अनुमोदित किये गये हैं ।

(2) इन कर्मचारियों को उक्त मॉडल रूल्स के अन्तर्गत प्रावधानों तक सेवा सुरक्षा उपलब्ध है ।

(3) जी, हां । अभिकरण एक स्वायत्त-शासी संस्था होने के बावजूद इनमें नियुक्त कर्मचारियों की सेवाएं अभी पेंशनेबल नहीं है । इसका कारण यह था कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सम्पूर्ण भारत में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की स्थापना सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत की गयी है । सेवाएं पेंशनेबल करने का मामला भारत सरकार को भेजा गया था ।

(4) इस सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त उत्तर को ध्यान में रखकर राज्य सरकार इनके पेंशन प्रकरण पर विचार कर रही है ।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट । श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी । वह सन्तुष्ट हो गये । नैक्स्ट । श्री बद्रीप्रसाद । प्रश्नकर्ता सन्तुष्ट है ।

**विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा सड़क निर्माण**

**816. श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी** (माण्डलगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया ?

(2) क्या अभी भी सड़कें अपूर्ण हैं ? यदि हां, तो उन्हें पूर्ण कराने के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है एवं कब तक पूर्ण हो जाएंगी ?

(3) क्या कृषि उपज मण्डी समिति, भीलवाड़ा व माण्डलगढ़ द्वारा माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नयी सड़कें बनाने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो सरकार इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर वित्तीय सहायता उपलब्ध करा देगी ?

**राज्य मंत्री, कृषि** (श्री ज्ञानसिंह चौधरी) : (1) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में मण्डी समिति, भीलवाड़ा व माण्डलगढ़ द्वारा निम्न सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया :–

**कृषि उपज मण्डी समिति, भीलवाड़ा**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कोटड़ी सवाई माधोपुर रोड से रेड़वास | 3.00 किलोमीटर |
| 2. | बन का खेड़ा से बडलां | 3.00 किलोमीटर |
| 3. | बड़लियास से हनुमानजी मन्दिर | 2.50 किलोमीटर |
| 4. | सम्पर्क सड़क रेड़वास | 2.00 किलोमीटर |
| 5. | सम्पर्क सड़क जावल | 2.00 किलोमीटर |

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

6. सम्पर्क सड़क उदलियास 4.00 किलोमीटर

**कृषि उपज मण्डी समिति, माण्डलगढ़**

1. खंगारजी का खेड़ा से गोविन्दपुरा फूलजी की खेड़ी चित्तौड़िया 3.75 किलोमीटर

(2) जी हां। उपरोक्त सड़कों में सम्पर्क सड़क बड़लियास से हनुमान जी मन्दिर (कृषि उपज मण्डी समिति, भीलवाड़ा) एवं सम्पर्क सड़क खंगारजी का खेड़ा से गोविन्दपुरा-फूलजी खेड़ा-चित्तोड़िया सड़कें (कृषि उपज मण्डी समिति, माण्डलगढ़) अपूर्ण हैं। कृषि उपज मण्डी समिति, भीलवाड़ा से अपूर्ण सड़क को पूर्ण करने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। कृषि उपज मण्डी समिति, माण्डलगढ़ की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने से अपूर्ण सड़क को पूर्ण नहीं किया जा सकता है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति, भीलवाड़ा से दो सम्पर्क सड़कों-सवाई माधोपुर से सोपुरा तथा ओकोला से गेगा का खेड़ा निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव अपूर्ण होने से अतिरिक्त सूचना मण्डी समिति से मंगवायी गयी है। पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर इन सड़कों की स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाएगा। कृषि उपज मण्डी समिति, माण्डलगढ़ से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

**श्री बद्री प्रसाद गुरुजी** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि कृषि उपज मण्डी समिति, भीलवाड़ा बड़लियास से हनुमानजी का मदिर अपूर्ण सड़क है, परन्तु बन का खेड़ा से बडलां भी अपूर्ण सड़क है। यह दो सड़कें अपूर्ण हैं और माण्डलगढ़ वाली गोविन्दपुरा-फूलजी का खेड़ा कृषि उपज मण्डी समिति, माण्डलगढ़ वाली सड़क भी अपूर्ण हैं, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं...

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री बद्री प्रसाद गुरुजी** : कि इन अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराने के लिए भीलवाड़ा कृषि उपज मण्डी समिति, जैसे आपने बताया माण्डलगढ़ कृषि उपज मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। परन्तु भीलवाड़ा कृषि उपज मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति ठीक है तो अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराने के आदेश प्रदान करेंगे ?

दूसरी बात कृषि उपज मण्डी समिति, माण्डलगढ़ की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, यह बात सही है। परन्तु जब हमने सड़क बनायी हैं, जंगल में वह सारे गांव हैं, उनके आने-जाने का रास्ता नहीं है, बरसात में वह लोग शेष संसार से कट जाते हैं, जिस भी अपना नहीं ला सकते हैं, पैदावार भी अच्छी होती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप अपने विभाग से उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर इन्हें पूर्ण करवाने का विचार रखते हैं ?

**श्री ज्ञानसिंह चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भीलवाड़ा कृषि उपज मण्डी समिति, की सड़क का प्रश्न है यह ढाई किलोमीटर सड़क है। एक किलोमीटर पर तो डामर रोड का काम हो चुका है और डेढ किलोमीटर की जो बकाया सड़क

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

है, उसके अभी तक पूर्ण प्रस्ताव नहीं आये हैं। प्रस्ताव आने के बाद इसी साल इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी, इसको पूरा करवा दिया जाएगा।

जहां तक मांडलगढ़ कृषि उपज मंडी समिति, की सड़क का प्रश्न है, यह करीबन आठ किलोमीटर लम्बी सड़क है। जिसमें पर किलोमीटर तक बिलकुल काम नहीं हुआ है। मांडलगढ़ की वित्तीय स्थिति, जैसा खुद सदस्य महोदय महसूस करते हैं कि खराब है। अभी अधिकारियों से बातचीत की है और वह जिस प्रकार की महत्वपूर्ण सड़क है, हम खुद महसूस करते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में चाहे हमें मार्केटिंग बोर्ड से ऋण की व्यवस्था करनी पड़े, वह व्यवस्था करके इस सड़क की हम स्वीकृति प्रदान कर देंगे और इसका जल्दी से जल्दी काम प्रारम्भ करवा देंगे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री विष्णु मोदी।.... (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी कृषि उपज मंडी सड़क के....

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकर्ता सन्तुष्ट हैं, आपका इसमें क्या लेना-देना है।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जब मेरा....

**श्री अध्यक्ष** : हैं ?

**श्री जोगेश्वर गर्ग** : आपने जब मेरा नाम पुकारा तो मैं सदन में प्रवेश कर ही रहा था।

**श्री अध्यक्ष** : आप एब्सेंट थे।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** : नहीं, मैं अन्दर ही प्रवेश कर रहा था जब आपने नाम पुकारा था।

**श्री अध्यक्ष** : प्रवेश करने का मतलब 11 बजे से पहले है बाद में नहीं। श्री विष्णु मोदी।

**तीर्थराज पुष्कर को अपवित्र करने वाली गतिविधियों का निराकरण**

817. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या तीर्थराज पुष्कर की पवित्रता बनाये रखने के लिए विभिन्न संगठनों एवं राजनीतिक दलों द्वारा समय-समय पर आन्दोलन किये गये ? यदि हां, तो ऐसे आन्दोलनों के माध्यम से कौन-कौन सी मांगें उठायी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही करके तीर्थराज पुष्कर को अपवित्र करने वाली गतिविधियों तथा अन्य समस्याओं का निराकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**स्वायत्त शासन मन्त्री** (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जी, हां। आन्दोलन के माध्यम से प्रमुख मांग सरोवर के किनारे बने होटलों का पानी सरोवर में जाने से रोकने एवं होटलों को बन्द करवाना, मांस, मछली मदिरा का निषेध करवाना। शिव सेना व पुष्कर बचाओ समिति की मांगों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

**Page No.11**



(श्री भंवरलाल शर्मा)

(2) जी, हां । तीर्थराज पुष्कर के एकीकृत विकास करने के लिए वर्ष 1991-92 में राज्य सरकार द्वारा नये सिरे से योजना तैयार की गयी है । जो तीन चरणों में पूरी की जाएगी । योजना के प्रथम चरण का कार्य 1992-93 से प्रारम्भ किया जा चुका है ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा सचिवालय में रखी गयी)

**श्री विष्णु मोदी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुष्कर की समस्याओं के सम्बन्ध 1985 में आपने स्वयं ने भी इसी सदन में बहुत जोर-शोर से सरकार का ध्यान आकर्षित किया था । 1985 में जो बातें आपने उस वक्त कहीं थी, जो होटल बने हुए हैं घाटों पर Ban be imposed on sale of narcotics, fishing in Sarovar, discharge of wastes in Sarovar, the entire hippies indulging in anti-social activities in the vicinity of Sarovar and mud lying at bottom of Sarovar be removed and Sarovar be deepened to ensure availability of plenty water.

माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि जिस हिन्दू धर्म के नाम पर यह सरकार शासन में आयी है उस हिन्दू धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ पुष्करराज है । कहते हैं कि सारे तीर्थ कर लो और अगर पुष्कर राज में स्नान नहीं हो, तो सारे तीर्थ बेकार हैं । हिन्दू धर्म का नाम लेकर जो सरकार शासन में आयी जो पहले तीन साल शासन करके चली गयी और जो अब शासनरत है उसने उसकी जितनी समस्याएं हैं, जितने पुष्कर के लोग आंदोलित हैं, उनके ऊपर एक पर भी कोई कार्यवाही नहीं की । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, वह स्पेसिफिक जवाब दें, जिस तरह से वह केजुअल जवाब देते हैं, उस तरह से जवाब नहीं दें । Hotels built around Sarovar in Pushkar be got closed and removed, ban be imposed on sale of narcotics, meat, liquor etc, fishing in Sarovar be prohibited forthwith, discharge of wastes in Sarovar from the city, hotels, etc. be diverted to ensure purity of the water entry of hippies indulging in anti-social activities in the vicinity of the Sarovar be prohibited and a lodge for them be arranged far from Sarovar, mud lying at bottom of Sarovar be removed and Sarovar be deepened to ensure availability plenty water. इन सबके बारे में आपकी क्या कार्य योजना है और आप स्पेसिफिक रूप से कब-कब इन कामों को करेंगे ? इसका आप जवाब दें ।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुष्कर सरोवर के बारे में जो भावना आपने व्यक्त की है, यह हमारी भावना बतायी हैं आपकी शायद गलत है ।

**श्री विष्णु मोदी** : हमारी तो है ही आप तो खाली वोट के लिए भावना रखते हैं ।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : आप जवाब

# Page No.12



(श्री भंवरलाल शर्मा)

सुनिये। इसमें दिक्कत क्या है। आपने प्रेम से अपनी बात कह दी। अब मेरी सुन लीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुष्कर की समस्या के बारे में यह सरकार अभी भी चिन्तित है, पहले भी चिन्तित थी और पहली बार....

**श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम) : चिन्तित होने से कुछ नहीं होगा। कुछ करो।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : आप सुनो, जरा सुनिये तो। You are Such senior Member. चिन्तन मैं बता रहा हूं, क्या किया है। सरोवर की सफाई के लिए, सरोवर की पवित्रता को बनाये रखने के लिए सबसे पहला कोई काम किया है, तो वर्तमान सरकार ने किया है।....

**एक माननीय सदस्य** : क्या काम किया है ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : वही बताता हूं। ऐसे में तो बहुत मुश्किल होगा। सुनिये आप, जब एक गम्भीर विषय है, एक ऐसा आपने विषय उठाया है, सब लोग चिन्तित है, तो मेरी बात को सुन लीजिये सबसे पहले सवाल यह आया पहले कि इसमें जो मिट्टी आ गयी है उसको बाहर निकाला जाए। यह मिट्टी निकालने का काम पहले जब सरकार हमारी थी उस समय किया गया और माननीय सदस्य भी उससे परिचित होंगे। जहां तक हमने क्या किया और आपने क्या किया। उसका सवाल आप उठा रहे हैं, तो मैं जवाब देना चाहता हूं कि पुष्कर बचाओ समिति....

**श्रीमती कमला** (बैरांठ) : यह तो पूछा ही नहीं है। इन मुद्दों पर क्या करेंगे यह पूछा है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : अब बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं कि समस्या क्या-क्या है। पुष्कर बचाओ समिति ने पुष्कर सरोवर के लिए क्या आवश्यकता महसूस की है कि ये-ये काम होने चाहिए और क्या हुए वह आपको बता रहा हूं। यह चिट्ठी यह शिकायत 11 अप्रेल, 1988 को स्वर्गीय राजीव गांधीजी के सामने जनरल सैक्रेटरी, पुष्कर बचाओ समिति ने रखी थी और उसमें उन्होंने कहा कि हमने इस समस्या के बारे में उस समय, तत्कालीन गवर्नर श्री बसन्त दादा पाटिल, तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी चीफ इन्जीनियर श्री माथुर और जो भी अधिकारी थे उन सबको हमने कई बार एप्रोच कियाहै। इसमें लिखा है being disappointed, यह लिखा है उसमें being disappointed and frustrated. (व्यवधान) मैं यह शिकायत पढ़ रहा हूं जो उन्होंने दी है, राजीव गांधी जी को जो शिकायत दी है, वह पढ़ रहा हूं। जो प्रश्न आपने किया कि किन-किन समितियों ने शिकायत की। यह प्रश्न का भाग है....

**श्री लक्ष्मण सिंह** : आपने क्या किया है ? लोगों ने जो ज्ञापन दिया था उसके बाद आपने क्या किया ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : आपने कहा कि हमने कुछ नहीं किया माननीय प्रश्नकर्ता ने यह कहा है कि हमने कुछ नहीं किया। ....(व्यवधान) आप धैर्य रखिये थोड़ा, क्या जल्दी हो रही है। इन्होंने इसमें कहा है–

(श्री भंवरलाल शर्मा)

Being disappointed and frustrated to get justice from the authorities at the helm of the affairs in the State, we request your honour to issue necessary instructions to the concerned Officer.

अब यह फ्रस्ट्रेट होकर फिर राजीव गांधीजी को यह बात कही, क्योंकि पीड़ा सब की है। यह बहुत ठीक किया इन्होंने। उसके बाद जब हमारी सरकार आयी तो सबसे पहले पुष्कर सरोवर की सफाई प्रारम्भ की गयी। लेकिन जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि यदि आपने इसकी मिट्टी हटा भी दी, तो जो बरसात के साथ मिट्टी आती रहती है, उसको नहीं रोका गया तो सारी मेहनत बेकार जाएगी, एक तो यह। दूसरा, इन्होंने सुझाव दिया कि जो मिट्टी वर्षों से जमी हुई है इसको यदि आपने हटा दिया, तो फिर सीपेज की प्राब्लम खड़ी हो सकती है इसलिए इसके पानी की कमी का कारण है। रास्ते में जगह-जगह मिट्टी आने के जो रास्ते बन गये हैं या मिट्टी फिर से इकट्ठी होती है उसको रोका जाए और उसके लिए चैक डेम, पेड़ लगाये जाएं। यह एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दी। उसके आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विभिन्न विभागों ने यह काम शुरू किया, इसमें भू-जल संरक्षण विभाग ने काम शुरू किया। विभाग को वर्ष 1992-93 में और 1993–94 में कुल 68 लाख 60 रुपये का काम करवाना था, जिसमें सरोवर में आने वाले फीडरों के माध्यम से मिट्टी रोकने हेतु चैक डेम का निर्माण करवाना एवं मूंज आदि वृक्षों का रोपण करना है। विभाग द्वारा वर्ष 1992–93 में, हमने क्या किया वह बता रहा हूं, 16.50 लाख रुपये की लागत के वन विभाग ने काम करवाये, वर्ष 1993–94 में कोई 31.40 लाख का 515 हैक्टेयर भूमि में कार्य करवाना था। विभाग द्वारा जनवरी 1994 तक 22.80लाख रुपये के कार्य करवाये, जा चुके हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो काम करवाये, वह इस प्रकार से हैं, सावित्री मंदिर की सीढ़ियों की रिपेयर, नव-निर्माण, इस पर 4 लाख रुपये का खर्चा होना था, यह कार्य पूर्ण कर दिया गया है। पुष्कर में लिंक रोड के निर्माण पर 8 लाख रुपये का खर्चा था, यह कार्य भी पूर्ण कर दिया गया है। नालियों का निर्माण, इस पर भी 8 लाख का खर्च आने वाला था, यह कार्य अब प्रगति पर है। सुलभ शौचालय के निर्माण कार्य पर 10 लाख रुपये खर्च होने थे, काम शुरू हो चुका है। पुष्कर शहर की आंतरिक सड़कों का निर्माण कार्य पर 20 लाख रुपया खर्च होना था, यह काम भी प्रगति पर है। सार्वजनिक पार्कों का निर्माण, इसमें भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। ग्रीन रोड का निर्माण, कार्य पूरा हो चुका है। कार पार्किंग-स्थलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और बड़ी परिक्रमा मार्ग का निर्माण, यह कार्य भी प्रगति पर है। इसके अलावा पुष्कर में जब पानी सूख गया, पानी रहा नहीं तो जलदाय विभाग ने ट्यूबवैल लगाकर उसमें तीन ट्यूबवैल्स से पानी आज भी जा रहा है। मैं समझता हूं आप यह कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया, यह तो मेरी समझ में नहीं आता और कुछ करना चाहिए इसके लिए तो मैं तैयार हूं।

एक और बताता हूं कि इस झील के

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आस-पास जो होटल बने हुए हैं, सबसे बड़ी समस्या वही है। वह सारा गन्दा पानी इसमें डालते थे कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं। 26 अक्टूबर, 1991 को इसके बाइलाज बनाये। उस वक्त सरकार हमारे वाली थी। वह वहां लागू है। मैं ही मंत्री था। यह कोई मन्त्री होने का अहसास नहीं था। इट इज माई ड्यूटी। यह पार्ट आफ ड्यूटी हैं। आपके सामने अपना निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं कि यह नियम भी बन गये। अब नियम बन गये, इतना खर्चा हो गया, काम अभी चालू है, काम पूरा नहीं हुआ अभी तक, यह बात सही है, पर इट इज अंडर प्रोग्रेस। और भी कमी अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से कार्य कराया जाएगा लेकिन आप यह बात मान लीजिये कि यह समस्या कोई इतनी नयी नहीं है और जैसी है, वह बड़ी जटिल भी है। पुष्कर सरोवर को सुरक्षित, पवित्र, स्वच्छ रखना यह सरकार और हम सब का दायित्व है। सरकार इसमें....

**श्री रामनारायण चौधरी** : जटिलता क्या है ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : जटिलता यह है कि जैसे बाहर से पानी आता है तो मिट्टी साथ में आती है, अन्दर भर जाती है और फिर बरसात भी होती है तो भरता नहीं है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : मिट्टी को रोकिये।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : हां वही कर रहा हूं। मैंने निवेदन किया ना। उसी की प्राब्लम मैंने आपको बतायी है। चैक डेम बना दिये, पेड़ लगा रहे हैं...

**श्री रामनारायण चौधरी** : भारतवर्ष में एक भी ऐसा तीर्थ स्थान नहीं है, पुष्कर एक मात्र तीर्थ स्थान है और आपके पापों से इसमें पानी सूख गया।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : हां यह सही है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : कांग्रेस राज में पानी भरा रहता था।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : हां यह ठीक है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : और जब से आप आये हैं, 1977 के बाद से आपके पापों से उसका पानी सूख गया। अब आप कह रहे हैं मिट्टी आ जाती है, वह आ जाती है। इसमें न कोई मिट्टी आती है, आप मिट्टी को रोकिये। सरोवर भरा रहना चाहिए, मिट्टी नहीं आनी चाहिए और यदि आप इस एक तीर्थ स्थान को नहीं बचा सकते, व्यवस्था नहीं कर सकते और जटिलता के नाम पर उसको टालते हैं, तो फिर आप राज किस नाम से कर रहे हैं ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि जो आपने समस्या बतायी है, उसी का हल बता रहा हूं आपको। अब एक दिन में तो पेड़ लगेगा नहीं, उगेगा नहीं और फिर भी जो वर्णन मैंने किया है, उसमें आपको लगता है कि इन प्रयासों में कुछ और भी करना चाहिए, इसमें कोई विरोध नहीं है, इसमें कोई प्रक्ष-प्रतिपक्ष नहीं है। आप और

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सुझाव दें कि इसमें यह किया जा सकता है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आपको लग रहा है कोई कमी है, तो आप बताइये, उसको करने में कोई आपत्ति की बात नहीं है।

**श्री विष्णु मोदी** : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना सवाल पूछने से पहले ही निवेदन किया था कि आदरणीय मंत्रीजी, कैजुएल नहीं हों, जैसे उनकी लाइफ में एप्रोच है। मैंने स्पेसिफिक सवाल किया है और स्पेसिफिक जवाब मांगा है, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। जो सात पाइंट मैंने पढ़कर दो बार बोले हैं, उन सातों पाइंट्स में खाली एक सब्जेक्ट को टच किया है, वह है पुष्कर सरोवर की मिट्टी हटाने का। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले माननीय श्री हरिदेव जी जोशी, जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने वहां जाकर बीकानेर से आई. जी. एन. पी. की मशीनें मंगाकर, डम्पर मंगवाकर उसकी खुदाई का काम शुरू करवाया था। माननीय मंत्री महोदय का कहना बिल्कुल असत्य है कि इनकी सरकार ने वह काम शुरू करवाया है।

**श्री अध्यक्ष** : अब आप जो यह सवाल है उसको आरोप-प्रत्यारोप पर ही समाप्त करेंगे।

**श्री विष्णु मोदी** : आप खुद इस बारे में....

**श्री अध्यक्ष** : आप विशेष प्रश्न करिये ना।

**श्री विष्णु मोदी** : हां मैं बता रहा हूं। आप खुद चिन्तित रहे हैं इस बारे में।

**श्री अध्यक्ष** : मैं चिन्तित रहा हूं तो उसकी चिन्ता तो आप कर नहीं रहे हैं, आप दूसरी-दूसरी बात कर रहे हैं।

**श्री विष्णु मोदी** : एक जो बात कही कि कुछ एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि मिट्टी हटाने से उसकी प्राब्लम सोल्व नहीं होगी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जीओलोजिकल सर्वे आफ इंडिया, बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टैक्नोलोजी और उदयपुर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने गवर्नमैण्ट को लिखकर दिया है कि यह चैक डेम तो जरूरी हैं ही हैं लेकिन इसके साथ में जब तक सरोवर की खुदाई नहीं होगी, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ सौ साल पहले भी जब पुष्कर सरोवर मिट्टी से भर गया था। उस वक्त भी जोधपुर के राजा ने, वहां शिलालेख लगा हुआ है, जो कि एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जोधपुर के राजा ने उस वक्त भी सरोवर की खुदाई करायी थी और उसके बाद में सरोवर में पानी आया। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आपने 16 लाख, 22 लाख रुपये सड़कें, नाली, और यह सब आपने उठकर पढ़ दिया, वह मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल यह है कि आप होटल्स को बन्द कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वहां पर नारकोटिक्स, शराब और मांस आदि की बिक्री हो रही है उसको बन्द कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जो सरोवर में फिशिग होती है उसको बन्द कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो वहां हिप्पी....

**श्री अध्यक्ष** : पानी है क्या इतना ? फिशिंग जितना पानी है वहां ?

**श्री विष्णु मोदी** : दो-ढाई फीट पानी है। उसका आप क्या कर रहे हैं ? सरोवर की मिट्टी खुदाई के बारे में यह सरकार क्या करने जा रही है ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, वह रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है। मिट्टी खोदने से सीपेज नहीं होगा तो मिट्टी खोदने में भी कोई आपत्ति नहीं है और आपको ध्यान होगा कि पिछले वर्षों में मिट्टी की खुदाई सरकार ने भी करायी थी। बहुत बड़ी मात्रा में हुई थी। उसके बाद यह बात हुई कि मिट्टी तो आप खोद रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मिट्टी आती रही और मिट्टी फिर बढ़ गयी तो क्या उपयोग होगा ? नम्बर एक। दूसरा, सीपेज का भी यह रिपोर्ट आने के बाद यह खुदाई बन्द की है। जैसा आप फरमा रहे हैं कि कोई एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है और खोदने से पानी को अगर कोई नुकसान नहीं होता तो खोद भी देंगे।

**श्री विष्णु मोदी** : क्या आप विचार करेंगे। इस पर ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : कर लूंगा। मैं कह रहा हूं खोद देंगे।

**श्री विष्णु मोदी** : क्या कर लेंगे ? यह तो आपके पास आलरेडी है। जीओलोजीकल सर्वे आफ इंडिया, उदयपुर यूनिवर्सिटी के और इनकी सबकी रिपोर्ट है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : देख लेंगे।

**श्री विष्णु मोदी** : क्या देख लेंगे ? आप मुझे यह बता दीजिये कि पुष्कर सरोवर की मिट्टी खोद का काम कब से शुरू करवा रहे हैं?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : माननीय सदस्य, जब तक रिपोर्ट देखकर यह मत नहीं बनेगा कि इसको खुदवाना लाभकारी है कि नहीं है, तब तक काम करने की गारंटी यहां नहीं दी जा सकती है। आप देखने का मौका भी नहीं देंगे ?

**श्री विष्णु मोदी** : यह सवाल मेरा एक महीने पहले से दिया हुआ था, तो देखने की बात क्या कर रहे हैं। यह सवाल तो मैंने एक महीने पहले दिया था और आपको अभी तक जानकारी नहीं है। आप यह बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि कब तक शुरू करेंगे इसकी मिट्टी खुदाई का काम ? आपने जो मिट्टी खुदाई उसको इतना दूर नहीं डाला जिससे वह वापस सरोवर में आ गयी, तो आप सरोवर की मिट्टी खुदाई का काम कब से शुरू करा देंगे ? यह रिपोर्ट अगर आप जानना चाहते हैं, हैं, तो कब तक आप उस पर अध्ययन करके निर्णय ले लेंगे ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : आप बता दो कब तक कर दें। जब मैं निवेदन कर रहा हूं रिपोर्ट देखने दीजिये, रिपोर्ट पर विचार करने दीजिये। अगर रिपोर्ट इस बात से सहमत होगी कि खोदने से लाभ है तो खोद देंगे। अब आप अभी पूछ रहे हैं, अभी तो तय नहीं किया खोदना है कि नहीं खोदना है और आप उसकी तिथि मांग रहे हैं।

**श्री विष्णु मोदी** : और बाकी जो मैंने पूछा उनके बारे में ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : सब बता दिया ना और क्या चाहिये आपको। बताइये कौनसा रह गया बाकी। वह जो वर्णन मैंने किया उसको तो आप मानते ही नहीं हैं, उसको तो आप मानने को तैयार नहीं हैं और क्या बताऊं आपको।

**श्री विष्णु मोदी** : होटल बन्द कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : उसके नियम बन गये।

**श्री विष्णु मोदी** : या उसके बारे में भी अभी जानकारी करेंगे ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : उसके नियम बने हुए हैं। होटल बन्द होंगे, नियम बना रखे हैं इन नियमों का पालन....

**श्री विष्णु मोदी** : नहीं, यह तो आपने बाइलाज बनाये हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : बाइलाज ही बनेंगे और क्या।

**श्री विष्णु मोदी** : लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने भी पुष्कर में घोषणा की थी कि पहला फावड़ा इन होटल्स पर मेरा चलेगा, मेरी सरकार आ जाने दो। मैं आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा हूं....

**श्री अध्यक्ष** : अब आपको एक इसी प्रश्न पर प्रश्नकाल समाप्त करना है क्या ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : यह बाइलाज बने हुए हैं।

**श्री अध्यक्ष** : और लोग भी पूछने वाले हैं। आपने दो बार पूछ लिया, तीन बार पूछ लिया, चार बार पूछ लिया, पांच बार पूछ लिया। There is no end to it. जवाब तीन आ चुके हैं। आप सुनिये पहले। जवाब यह आ चुका है कि जहां तक मिट्टी खोदने का मामला है, डिफरेंस आफ ओपीनियन है एक्सपर्ट्स की। एक ओपीनियन आपने बतायी, अब जो ओपीनियन सुपरसीड होगी कि वहां खोदना आवश्यक है तो खोद दिया जाएगा। यदि यह होगा कि सम्भव नहीं है, तो सम्भव नहीं है। यह एक्सपर्ट्स करेंगे, आप यह हाउस में तय नहीं कर सकते। दूसरा जवाब आ गया कि नारकोटिक्स और होटल्स के लिए, बाइलाज बना दिये गये हैं। उनके पहले बाइ-लाज थे, न ही ऐसा कोई कानून था कि जिसके आधार पर उनको रोका जा सके। अब बाइ-लाज बना दिए गये हैं, दोनों के लिए, शराबबंदी और नारकोटिक्स के लिए और होटल्स को बंद करने के लिए, उनको एन्फोर्स करेंगे और क्या है ? यह तो हो गया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : बस हो गया।

**श्री विष्णु मोदी** : एण्ट्रीज आफ हिप्पीज, फिशिंग।

**श्री अध्यक्ष** : हां, पानी आ जाए तो फिशिंग बन्द कर देंगे।

**श्री विष्णु मोदी** : डिस्चार्ज आफ वेस्ट वाटर।

**श्री अध्यक्ष** : अब रेत में तो फिशिंग हो नहीं सकती। जब पानी आयेगा तब

(श्री अध्यक्ष)

फिशिंग बन्द कर देंगे। चलिए, नैक्स्ट। श्री दलीचन्द।

**श्री विष्णु मोदी** : मैंने सात स्पेसिफिक प्रश्न पूछे थे....(व्यवधान)

**श्री लक्ष्मण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : श्री दलीचन्द। हो गया। यह ज्यादा हो गया अभी मेरे पास दो अल्प सूचना प्रश्न हैं। बहुत इम्पोर्टेंट हैं....(व्यवधान) नहीं, अब यह हो गया।

**श्री लक्ष्मण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री....

**श्री अध्यक्ष** : श्री दलीचन्द।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : इनसे बढ़िया तो श्री रमजान खां पैरवी करते थे।

**श्री लक्ष्मण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण सप्लीमेंट्री है; सिर्फ एक महत्वपूर्ण सप्लीमेंट्री।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, महत्वपूर्ण नहीं अब, श्री दलीचन्द जी।....(व्यवधान) आगे के प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करनी पड़ती है।

**श्री लक्ष्मण सिंह** : एक प्रश्न 30 सैकिंड में, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मुझे सभी सदस्यों के अधिकार की रक्षा करनी पड़ती है। इसलिए मैं माननीय श्री दलीचन्दजी के अधिकार की रक्षा कर रहा हूं। हां साहब, पूछिए।

**बांसवाड़ा जिले में भूमि सुधार (मेड़बंदी) कार्य**

**818. श्री दलीचन्द** (दानपुर) एव **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1990 से 1994 तक भू-संरक्षण विभाग द्वारा भूमि सुधार (मेड़बंदी) के कार्य चलाये जा रहे हैं अथवा चलाये गये ? यदि हां, तो प्रोजेक्ट वाइज व ग्रामवार मय हैक्टेयर के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भू-संरक्षण द्वारा किये गये कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया है ? क्या सरकार उक्त कार्य की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या भू-संरक्षण द्वारा ग्राम ढेरी व आडीभीत के नाम से तीन साल से मेड़बंदी का कार्य चलाया जा रहा है ?

**श्री लक्ष्मण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं रिपीट नहीं करूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : कृषि मंत्रीजी जवाब दीजिए।

**श्री लक्ष्मण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू से हाथ खड़ा करके इन्तजार

(श्री लक्ष्मण सिंह)

कर रहा था। बहुत साइलेंटली वेट कर रहा था।

**श्री अध्यक्ष** : आप बोलिए।

**राज्य मंत्री, कृषि** (श्री ज्ञानसिंह चौधरी) : (1) जी हां। बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक विभाग द्वारा सम्पादित किये गये एवं सम्पादित किये जा रहे कार्यों की प्रोजेक्ट-वार एवं उपचारित क्षेत्र का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विभाग में वर्तमान में केवल एक प्रकरण विचाराधीन है जिसमें दोषी अधिकारी को आरोप-पत्र दिये जाने की कार्यवाही चल रही है।

(3) ग्राम डेरी एवं आडीभीत राजस्व ग्राम क्षेत्रों में राष्ट्रीय जलग्रहण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जलग्रहण क्षेत्र बिलड़ीया कार्य सम्पादित किया जा रहा है। जिसमें परम्परागत मेड़बंदी का कार्य न होकर, वानस्पतिक अवरोधक लगाने का कार्य किया जा रहा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

**श्री दलीचन्द** : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें उसने यही लिखा है कि जलग्रहण क्षेत्र बिलड़ीया का कार्य सम्पादित किया जा रहा है जिसमें परम्परागत मेड़बंदी का कार्य न होकर, वानस्पतिक अवरोधक लगाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन में मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इसमें जो आंकड़े दिये हैं उसके अनुसार बहुत सारे कार्य हाथ में लिये गये हैं। जिसमें एक नर्सरी लगाने का कार्य भी हाथ में लिया गया है लेकिन वह नर्सरी नहीं लगा कर असत्य एंट्रीज, अध्यक्ष और वहां के कर्मचारियों की मिलीभगत से वहां नर्सरी नहीं लगायी हैं और रिपोर्ट में दर्शा दी गयी है। तीसरा, वहां पर वृक्षारोपण का कार्य भी हाथ में लिया गया है लेकिन वहां कोई वृक्ष नहीं लगाया है असत्य बिल पेश करके वह पैसा उठा लिया है। इसी हिसाब से वहां कुछ घास उत्पादन का कार्य भी हाथ में लिया गया था लेकिन उसका पैसा भी अध्यक्ष और वहां के कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी एंट्रीज भर कर उठा लिया। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या वह उक्त सारे प्रकरण की जांच करवायेंगे? इसके साथ ही शिमलापाड़ा, नाथपुरा की भी ऐसी की ऐसी स्थिति बनी हुई हैं। क्या वह दोनों जगहों के प्रकरणों की जांच करवायेंगे? यह मंत्री महोदय जवाब दें।

**श्री ज्ञानसिंह चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदस्य महोदय ने बताया कि जलग्रहण का जो प्रोग्राम चल रहा था, इस सेट प्रोग्राम में इसमें नर्सरी का लगाना, पौधों का लगाना, कृषि उत्पादन का है, मेड़बंदी का है, यह सारे कार्यक्रम सम्मिलित हैं। जैसा कि इन्होंने सूचित किया है कि वहां नर्सरी का, पेड़-पौधों का काम नहीं हुआ है, तो मैं निश्चित रूप से इस प्रकरण की जांच करवाऊंगा और उसमें अधिकारी को दोषी पाया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री फतेहसिंह, नहीं। नैक्स्ट। श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

**विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के तालाबों का जीर्णोद्धार**

819. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने निजी तालाब हैं जिनकी सिंचाई क्षमता 100 एकड़ या उससे अधिक है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि समस्त निजी तालाब टूटे पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या विभाग उनकी भी मरम्मत कराने का विचार रखता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम शेखपुर के तालाब को ग्रामवासी विभाग को देने को तैयार हैं ? यदि हां, तो क्या विभाग उक्त तालाब को अधिग्रहण कर मरम्मत का विचार रखता है ?

**सिचाई मंत्री** (श्री देवीसिंह भाटी) :
(1) निजी तालाबों की सूचना सिंचाई विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) जी, हां। इस तालाब को सिंचाई विभाग के अधीनस्थ लिये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : अध्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि सिंचाई विभाग निजी तालाबों की सूचना नहीं रखता है, जैसा कि मंत्रीजी ने भी कहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह जानकारी देना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर जिले में, मैं आपको जिले की बात बता रहा हूं, सवाई माधोपुर जिले के अन्दर ढाई सौ, पचास एकड़ से लेकर के सौ एकड़ से अधिक की सिंचाई क्षमता वाले तालाब हैं। अब जहां तक गंगापुर विधान सभा क्षेत्र का सवाल है, अकेले गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में सौ एकड़ से अधिक की सिंचाई क्षमता वाले सैंतालीस तालाब हैं। अब पचास एकड़ से सौ एकड़ तक की सिंचाई वाले तालाब ढाई सौ के करीब हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से यह निवेदन करना है कि ऐसे तालाब जिनकी क्षमता सौ एकड़ से अधिक है, उनको सिंचाई विभाग में लेने में क्या आपत्ति है ? पहला प्रश्न। आप यह तो जानते ही हैं कि आज स्थिति यह हो गयी है कि कुओं का जल स्तर प्रतिदिन नीचे जा रहा है और उस का....

**श्री अध्यक्ष** : आप जल्दी समाप्त कीजिए, क्वेश्चन और भी हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी है....

**श्री अध्यक्ष** : हां, जरूरी है, इसमें पूछ लीजिए।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : अकेले गंगापुर विधान सभा क्षेत्र का नहीं है....

**श्री अध्यक्ष** : हो गया न आपका सवाल।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : मैं मंत्रीजी से यही जानना चाह रहा हूं....

**श्री अध्यक्ष** : अब भाषण तो हो गया फिर....

# Page No.21



**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : भाषण नहीं दे रहा हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : हां, तो जवाब चाहिए। आप दूसरा और पूछ लीजिए।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : दूसरा, मेरा प्रश्न है कि....

**श्री अध्यक्ष** : आप यही तो पूछ रहे हैं कि उस तालाब को लेना चाहते हैं कि नहीं ?

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : लेना नहीं चाहते। जो टूटे हुए तालाब हैं, जो जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं, क्या उनकी मरम्मत करवाने का विचार रखते हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : करते हैं। बोलिए मंत्री जी।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : और तीसरा हाथ के हाथ आप जवाब भी दे दोगे....

**श्री अध्यक्ष** : अब दूसरा नहीं, सप्लीमेंट्री नहीं पूछोगे दूसरी। आप दूसरी पूछोगे कि नहीं ?

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : जी।

**श्री अध्यक्ष** : सैकण्ड सप्लीमेंट्री पूछेंगे? हां, तो फिर।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में निजी तालाब कितने हैं सौ एकड़ से, या उससे अधिक एकड़ की सिंचाई क्षमता वाले, यह सूचना सही है कि 47 कुल तालाब हैं, जिनकी हमें बी.डी.ओ. और तहसीलदार गंगापुर ने सूचना दी है और उनमें से 42 तालाब टूटे हुए हैं, क्षतिग्रस्त हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारी स्थिति साफ है कि 50 एकड़ से ऊपर की सिंचाई क्षमता वाला जो भी तालाब हमें दिया जाता है, चाहे पंचायत समिति के द्वारा या कोई व्यक्ति द्वारा, यदि उसमें पी.सी. रेशो बैठता है, जो भी हम उसके ऊपर लागत लगाएंगे उससे डेढ़ा इनडायरेक्ट लाभ हमें होगा, तभी हम वह तालाब और बांध ले पाते हैं। इसके अलावा हम ले नहीं सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा विशेष हो, हालांकि इस सूची में मेरे पास अलग-अलग यह आंकड़े नहीं हैं कि कौनसे तालाब की कितनी पी.सी. हमें उपलब्ध होगी उसके अनुसार हम लेने के लिए तैयार हों, कहीं मना नहीं है। लेकिन उसकी लाभ लागत अनुमान हमें निश्चित तौर से देखनी पड़ेगी। यदि वह सही होगी तो हम लेने के लिए बिलकुल तैयार हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी भी आ गये हैं, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं....

**श्री अध्यक्ष** : आप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन नहीं, मंत्रीजी से पूछिए....

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : हां, तो मंत्रीजी से और उनके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं....

**श्री अध्यक्ष** : मुख्य मंत्रीजी की मर्जी होगी तो मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : सरकार से प्रश्न पूछ रहा हूं....

**श्री अध्यक्ष** : आप पूछिए, सवाल पूछिए न ।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आप विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से या अकाल राहत के माध्यम से, क्योंकि गंगापुर के अन्दर अकाल पडा हुआ है, टूटे हुए तालाबों की मरम्मत कराने का सरकार विचार रखती है या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये ठीक है ।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : दूसरा इसमें मेरा प्रश्न है शेखपुर....(व्यवधान)....

**श्री अध्यक्ष** : फिर दूसरा आप There is no end to it. दूसरा ही पूछ रहे हैं आप ।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : अध्यक्ष महोदय, शेखपुर का जो प्रकरण आपने बताया....

**श्री अध्यक्ष** : हां मंत्री जी बताइए.... (व्यवधान)....आप बताइए, जवाब दीजिए ना । अभी दो अल्प सूचना प्रश्न.... (व्यवधान)....

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : वह कब तक विभाग अपने अंडर में ले लेगा ?

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में निवेदन किया, इन्होंने निजी तालाबों के बारे में सूचना चाही है, निजी तालाब का न तो हम रिकार्ड रखते हैं और न हमारे पास कोई रिकार्ड मालूम करने का माध्यम है....

**श्री अध्यक्ष** : वह पूछ रहे हैं अकाल राहत में उनकी मरम्मत कराने का विचार है क्या ?....

**श्री देवीसिंह भाटी** : नहीं, अकाल राहत के तहत हमारा निजी तालाब से लेना-देना नहीं है....

**श्री अध्यक्ष** : वह अकाल राहत जाने ।

**श्री देवीसिंह भाटी** : वह पंचायत समिति के माध्यम से हो सकता है ।.... (व्यवधान)....

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : अकाल राहत में, विशिष्ट योजना के माध्यम से किसी में तो करवा दें आप....

**श्री अध्यक्ष** : आप अकाल राहत मंत्री जी को बता दीजिए ।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : यह जानना चाह रहा हूं कि हम उसके माध्यम से करवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करवा सकते । 1976 के अन्दर इन्हीं तालाबों की गंगापुर और शेखपुर की....(व्यवधान) मरम्मत करवायी थी ।

**श्री अध्यक्ष** : ये अकाल राहत मंत्री नहीं हैं । ये आपकी भावना अकाल राहत मंत्री को बता देंगे ।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : अध्यक्ष महोदय, योजना मंत्री जी एवं अकाल राहत मंत्री जी के पास ....(व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : निजी तालाबों के बारे में पूछा है, यह प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है, इसके ऊपर विचार करके सारी जानकारी करके, सर्वेक्षण करके यह देखेंगे । यदि लाभ-लागत अनुमान के उपयुक्त पाया

(श्री देवीसिंह भाटी)

गया तो निश्चित रूप से उसको सिंचाई विभाग लेगा।

**श्री अध्यक्ष :** नैक्स्ट श्री शिव किशोर सनाढ्य, जल्दी से पूछिए आप।

**गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993**

820. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 (जिन्हें 1 अप्रेल, 1993 से लागू कर दिया गया है) पर पुनर्विचार किया जा रहा है? यदि हां तो क्या इसकी क्रियान्विति रोकी गयी है?

**शिक्षा मंत्री** (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : जी, हां। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, अनुदान सहायता और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के पुनरीक्षण हेतु राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्च राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दिनांक 11–3–94 को प्रस्तुत की है। समिति की अन्तरिम रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के आधार पर, इस समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने तथा इस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय किये जाने तक मान्यता सम्बन्धी नियमों को राज्य सरकार के आदेश संख्या प०3 (1) शिक्षा–5194, दिनांक 19–3–94 के द्वारा संशोधित किया गया है।

**श्री शिवकिशोर सनाढ्य** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मूल एक्ट है और मूल एक्ट की भावना है उसके विपरीत यह जो नियम बने हुए हैं, क्या इसके ऊपर भी यह समिति विचार करेगी? और प्रवर समिति के विरुद्ध जो कुछ एक्ट में आ गया है क्या उस पर भी विचार करेगी?

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बातें इसमें हैं। एक तो प्रवर समिति ने जिस प्रकार के सुझाव दिये थे उसमें और जो मूल एक्ट बना है उसमें दो-एक जगह भावना में अन्तर है संस्था के बारे में। दूसरा, यह है कि जो भटनागर कमेटी ने नियम बनाये हैं उन नियमों के कारण से कुछ अड़चनें पैदा हुई उनके ऊपर फिर से विचार करके और इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, फिर इस पर विचार करने के बाद, जो भी इसमें तरमीम की जा सकती है या बदल दिया जा सकता है वह निश्चित रूप से करेंगे। इसी भावना से ही इस समिति का गठन हमने किया था।

**श्री अध्यक्ष** : अल्पसूचना प्रश्न–श्री पूनमचन्द विश्नोई।

**अल्प सूचना प्रश्न**

**जिला शिक्षा अधिकारी (जोधपुर) द्वारा की गयी प्रतिनियुक्तियां**

25. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलोदी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) जोधपुर द्वारा अपने कार्यकाल में कितने

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को अनुचित लाभ देने हेतु अपने कार्य स्थान से अन्य स्थलों पर प्रतिनियुक्ति की गयी ? नाम मय उपनाम कार्य स्थल एवं प्रतिनियुक्ति स्थलों को दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रतिनियुक्ति काल में इन व्यक्तियों ने कुल कितना वेतन उठाया ?

(3) क्या उक्त अधिकारी ने मापदण्ड के अनुसार विद्यालयों का निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त अधिकारी ने अपने कार्यकाल में कितने गैर सरकारी विद्यालयों को मान्यता दी ? सूची सदन के पटल पर रखें ।

**शिक्षा मंत्री** (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर द्वारा अपने कार्यकाल में 37 प्रतिनियुक्तियां की गयी। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । छात्रों के हित में वर्ष 1994 की बोर्ड परीक्षाओं से पूर्व व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर अल्पावधि के लिए आसपास के माध्यमिक सीनियर माध्यमिक स्कूलों से व अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति पर लगाने हेतु विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के फलस्वरूप अन्य जिलों की भांति जोधपुर में भी उपरोक्तानुसार प्रतिनियुक्तियां की गयी।

(2) सम्पूर्ण प्रतिनियुक्ति काल के वेतन की माहवार सूचना संकलित की जा रही है ।

(3) जी, नहीं । फिर भी 75 विद्यालयों का अपने कार्यकाल में निरीक्षण किया है ।

(4) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), जोधपुर ने अपने कार्यकाल में 1992–93 एवं 1993–94 में एक भी विद्यालय को मान्यता नहीं दी ।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** मंत्री महोदय, आप देखेंगे कि 37 अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा है लेकिन उस जगह भेजा है, बड़े-बड़े शहरों के अन्दर या शहर के नजदीक । दूरदराज के इलाके हैं जहां पर अध्यापकों के रिक्त पद हैं, जहां से अध्यापकों को हटाया गया है वहां पर पहले ही अध्यापक कम थे, यह इस तरह से क्यों किया गया ? करीब-करीब सब के सब शहरों में ही किये हैं ।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** अध्यक्ष महोदय, सूची से यह बात बहुत स्पष्ट है कि 37 में से 12 अध्यापक तो जोधपुर शहर में ही लगाये और इससे यह लगता है कि निश्चित रूप से शहर में तो यह स्थिति नहीं थी कि वहां पर पद नहीं थे लेकिन जान बूझकर गांवों से टीचर्स को एडजस्ट करने के लिए लगाये, सूची से ऐसा लगता है । फिर भी यह जांच का विषय है कि जहां अध्यापक हटा वहां कोई और क्या अध्यापक दूसरा था और उसके अतिरिक्त होने के कारण से लगाया । फिर तो बात समझ में आती है लेकिन अगर वहां से पद रिक्त करके शहर में लगाया तो निश्चित रूप से जिस अधिकारी ने भी यह कार्यवाही की है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी ।

Page No.25



**अल्प सूचना प्रश्न संख्या 6**

**श्री अध्यक्ष :** श्री रतनलाल ताम्बी। (अनुपस्थित)।

(कृपया आगे देखिये)

श्री ओमप्रकाश।

**जिला बून्दी की नहरों की सफाई व्यवस्था**

**821. श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बून्दी) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि बूंदी जिले में अधिकांश नहरें एवं सम्पूर्ण ड्रेंस मिट्टी व पौधों से भरी हुई हैं ? यदि हां, तो कितने वर्ष पूर्व ठेकों एवं मशीनों द्वारा सफाई कराई गयी थी ? क्या इस वर्ष बूंदी तहसील एवं सम्पूर्ण जिले की नहरों एवं ड्रेंस की सफाई की योजना है ? यदि हां, तो सफाई व्यवस्था कब तक करवा दी जावेगी ?

**राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्रीय विकास** (श्री ज्ञानसिंह चौधरी) : बूंदी जिले की अधिकांश नहरें मिट्टी से भरी हुई नहीं हैं लेकिन नहरें कच्ची होने के कारण उनमें मिट्टी जरूर आती रहती है। इस मिट्टी को निकालने के लिए समय-समय पर प्रयास किये जाते हैं।

यह सही है कि अधिकांश मुख्य ड्रेनों में मिट्टी एवं आंकड़े इत्यादि की समस्या है। बजट की उपलब्धता एवं कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर मशीनों एवं ठेकों से ड्रेनों एवं नहरों की क्रमवार (रोटेशन) सफाई करायी जाती है। बजट की उपलब्धता के अनुरुप प्रति वर्ष हर नहर एवं ड्रेनों की सफाई करना सम्भव नहीं है। इस वर्ष बूंदी तहसील एवं सम्पूर्ण जिले की नहरों एवं ड्रेनों की सफाई की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। समस्याग्रस्त क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर एवं कार्य की आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु पानी की निरन्तर उपलब्धि हेतु समय-समय पर सफाई करायी जाती है।

**श्री ओमप्रकाश शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस तरह की मिट्टी एवं पौधों की सफाई मशीनों एवं ठेकों के द्वारा कराई गयी थी, तो कब करायी थी ? क्या यह सही है कि इस वर्ष बूंदी जिले और तहसील में नहरों एवं ड्रेनों की सफाई के लिए धन का उपलब्ध नहीं होना आपने बताया है। आपने माना है कि धन उपलब्ध नहीं है, तो धन की कमी के कारण चावल जो विदेशों में जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा सरकार को प्राप्त होती है, गन्ना जिसके लिए मिल लगी हुई है और वह भी बन्द हो जाएगी। तीसरा क्या यह सही है कि बूंदी तहसील व जिले में नहरें व ड्रेन्स बनी हुई हैं तो सफाई किस-किस नहर व ड्रेन की हुई ? वर्तमान में विभाग द्वारा कितनी मशीनें बूंदी जिले में प्रत्येक सहायक अभियन्ता के लिए दी जा रही है, यह मंत्री महोदय बतायें।

**श्री ज्ञानसिंह चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जैसा कि सदस्य महोदय ने बताया और पूर्व में मैंने भी इसकी काफी विस्तृत जानकारी की थी, मुख्यमंत्री जी ने भी की थी। जहां तक बूंदी जिले में नहरों की सफाई का प्रश्न है करीब 47 किलो-

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

मीटर पिछले वर्ष में ड्रेनेज की सफाई की गयी है जिसमें अधिकतर बूंदी जिले का भाग है और उसमें करीब 40 लाख रुपया ड्रेनेज की सफाई और नहरों की सफाई पर खर्च किया गया है। मैं एक बार दौरे पर भी गया था और मैं खुद भी महसूस करता हूं कि वहां पर जिस प्रकार से आंकड़े, पेड़ और पौधे लगे हुए हैं उसकी सफाई निश्चित रूप से हो एक साल में तो सारी सफाई सम्भव नहीं है लेकिन हमने इस बार 6 नयी मशीनें भी खरीदी हैं और हमारा प्रयास होगा कि जहां पर आंकड़े हैं और मिट्टी भरी हुई है, अगली साल में योजना के जरिए नहरें हम साफ करवायेंगे। इसमें निश्चित रूप से यह प्रयास रहेगा, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं।

**श्री ओमप्रकाश शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सहायक अभियन्ता जो वहां लगे हुए हैं उनको मशीनें दी जायेंगी या नहीं दी जायेंगी? और सफाई की जाएगी तो कौन-कौन से ड्रेन की की जाएगी?

**श्री ज्ञानसिंह चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, महोदय ने कहा कि क्या किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इसके लिए मैंने कमिश्नर साहब से बातचीत की है और हम एक पायलट प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि कौन सा हिस्सा ज्यादा खराब है और कौन सी मशीनें किस प्रकार से दी जाएगी। हमारी दस मशीनें पहले से ही काम कर रही हैं, तो जैसी माननीय सदस्य की भावना है उसी हिसाब से एरियावाइज हम अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर इसकी सफाई की व्यवस्था करेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मांगीलाल।

**श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशोरायपाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि मशीनें अभी भी काम में ली जा रही हैं। कोटा में मशीनों का कंट्रोलिंग है इसलिए हमारी मांग है कि मशीनों का कंट्रोलिंग पावर ए. ई. एन. को दिया जाये ताकि वह अपने क्षेत्र में प्रायोरिटी के हिसाब से मशीनों से ड्रेनों की सफाई करा सके।

**श्री रामनारायण** (नैनवा) : माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीयमंत्रीजी से कुछ पाइंटेड क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं। क्या यह सही है कि आपकी मशीनें टेल एरिया में, जहां पानी पहुंचता है, उस टेल एरिया में जहां नहरों की सफाई नहीं होने से पानी नहीं पहुंचता है? यह मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम आप को कहते हैं और सदन में भी कहते हैं कि पानी नहीं पहुंचता है उसकी कोई मानीटरिंग नहीं है। टेल एरिया में पानी नहीं जाता। वहां के कृषकों की दस पर्सेन्ट भी फसल पैदा नहीं होती है। यह हालत रहती है। तो क्या आप हमें आश्वस्त करेंगे कि टेल एरिया में जैसे-खड़खड़ सर्किल है वहां कोई मशीन नहीं जाती है वहां पहुंचायेंगे? दूसरे मशीनों की कंट्रोलिंग इसलिए नहीं होती है कि आपका ए. ईएन. हैड क्वार्टर पर नहीं मिलता है।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री जी।

**श्री ज्ञानसिंह चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, जैसा सदस्य महोदय ने कहा कि टेल पर पानी नहीं पहुंचता तो इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि टेल पर पानी नहीं पहुंचने का कारण निश्चित रूप से सफाई नहीं होना है। लेकिन उसके अलावा और भी समस्याएं हैं। बाराबन्दी की, और की, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था। जहां तक मशीनों के एलोकेशन का प्रश्न है, मैंने बताया कि अब अगली बार एक हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के तहत डिविजन स्तर पर हम सफाई का एरिया अलाट करके, उनको मशीन अलाट करेंगे, यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं। जैसी कि इनकी भावना थी कि उन मशीनों का अलाटमेंट कर दिया जाएगा।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

### अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

### रविन्द्र रंगमंच हेतु खरीदे गये कम्प्यूटर एवं फर्नीचर का उपयोग

**814. श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि लगभग दो वर्ष पूर्व रविन्द्र रंगमंच के उपयोग के लिए कम्प्यूटर एवं फर्नीचर खरीदा गया था? यदि हां, तो कितनी कीमत का तथा क्या-क्या सामान खरीदा गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सामान रविन्द्र रंगमंच की बजाय कला एवं संस्कृति विभाग के तत्कालीन सचिव के सचिवालय स्थित कक्ष में काम में लिया जा रहा था?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त वरिष्ठ अधिकारी का कला एवं संस्कृति सचिव के पद से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर स्थानान्तरण हो जाने के बाद भी वह सामान उन्हीं के कक्ष में प्रयोग होता रहा?

(4) क्या यह भी सही है कि वह सामान अब भी वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में काम में आ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सामान रविन्द्र रंगमंच में हस्तान्तरित करने का विचार रखती है?

(5) क्या सरकार सरकारी सामान के इस प्रकार से दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

### उत्तर

(1) जी हां। एक कम्प्यूटर मय फर्नीचर के क्रय किया गया था जिसकी लागत 48,512/– की थी। कम्प्यूटर के साथ सामान व फर्नीचर क्रय किया गया उसकी सूची निम्न प्रकार है:–

**कम्प्यूटर के साथ क्रय की गयी सामग्री**

1. कम्प्यूटर मय की बोर्ड 12" मोनोकोम मोनीटर एस मैन्युअल पी. सी.
2. सोफ्ट वेमा पी. सी. के लिए एस. सी./एस. डब्ल्यू.।
3. एप्सन एल. एक्स. 800 डी. एम. टी.

(राज्य मंत्री, कला एवं संस्कृति)

**कम्प्यूटर हेतु क्रय किया गया फर्नीचर :**

1. सी. वी. टी. 1-0 के. वी. ए.
2. कम्प्यूटर टेबिल
3. प्रिंटर टेबिल
4. कम्प्यूटर चेयर

(2) जी, हां। चूंकि तत्कालीन शासन सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, रविन्द्र मंच सोसायटी के अध्यक्ष भी थे।

(3) जी, हां।

(4) जी, नहीं। यह सामान पंजीयक, शासन सचिवालय द्वारा रविन्द्र रंगमंच को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

(5) कम्प्यूटर के एक कार्यालय के बजाय अन्य कार्यालय पर उपयोग करने मात्र से किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की सरकार आवश्यकता नहीं समझती।

**अल्प सूचना प्रश्न**

**आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक क्षेत्रों का निर्माण**

6. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार आवासीय क्षेत्र/आवासीय परिसर में वाणिज्यिक मार्केट/कटला निर्माण कराने की स्वीकृति देती हैं? यदि हां, तो स्वीकृति की प्रक्रिया किस प्रकार निर्धारित की गयी है?. प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर नगर परिषद सीमा के भीतर रानी बाजार में आवासीय स्थल पर वाणिज्यिक मार्केट/कटला का निर्माण फुटपाथ की भूमि पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से बिना नगर परिषद, बीकानेर की स्वीकृति के प्रशासन की मिली भगत से किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? नगर परिषद बीकानेर ने अनधिकृत निर्माण व फुटपाथ के अतिक्रमण को रोकने व हटाने हेतु क्या कार्यवाही की ? कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अनाधिकृत निर्माण कार्य मौके पर आज भी तीव्रगति से नगर परिषद, बीकानेर के सम्बन्धित अधिकारियों की मिलीभगत एवं अप्रत्यक्ष साजिश से निरन्तर करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय स्थल पर वाणिज्यिक मार्केट/कटला बनाने की अनुमति वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 17-11-1987 एवं दिनांक 28-1-1989 द्वारा नहीं दी गयी थी ?

(5) क्या सरकार फुटपाथ पर किया गया अतिक्रमण व अनाधिकृत निर्माण कार्य हटाने व चालू अनधिकृत निर्माण कार्य को रोकने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी, हां। नियमानुसार स्वीकृति

# Page No.29



(स्वायत्त शासन मंत्री)

की प्रक्रिया सम्बन्धी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखी जा रही है।

(2) जी, नहीं। नगर परिषद, बीकानेर द्वारा अनाधिकृत निर्माण व फुटपाथ के अतिक्रमण को रोकने व हटाने की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी, नहीं। वर्तमान में उक्त निर्माण कार्य बन्द है।

(4) जी, हां। वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा उक्त आवासीय स्थल पर वाणिज्यिक मार्केट/कटला बनाने की अनुमति नहीं दी गयी थी। दिनांक 17-11-87 एवं 28-1-89 के पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(5) जी, हां। उक्त फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण व अवैध निर्माण को हटा दिया गया है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### जोधपुर शहर में बहुमंजिली इमारतें

**1243. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिग बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत?

(2) क्या यह सही है कि बने मल्टी स्टोरी भवनों के आर. सी. सी. वर्क की विधिवत् जांच करवायी जाती है।

(3) क्या नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा गत चार वर्षों में मल्टी स्टोरी बिल्डिग बनाने की स्वीकृति दी गयी है? यदि हां, तो कितनी? क्या स्वीकृत प्लान के अनुरूप बिल्डिग्स बनी है? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि निर्मल टावर मल्टी स्टोरी बिल्डिग में सरकार ने कोई स्थगन आदेश दिया है? यदि हां, तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश खारिज कर दिया गया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

#### उत्तर

(1) जी, हां। यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा निर्मित बिल्डिग बाइलाज के एवं न्यास के निर्णयों के अनुसार दी जाती है।

(2) जी, नहीं।

(3) नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा गत चार वर्षों में 9 प्रकरण में मल्टी स्टोरी बिल्डिग की स्वीकृति दी गयी है। प्लान के अनुरूप 3 प्रकरणों में व 6 प्रकरणों में स्वीकृत प्लान के अनुसार नहीं होने के कारण मुकदमा दर्ज किया गया है।

(4) यह प्रकरण दो विभागों से सम्बन्धित है। तथा पुराना है एवं राज्य सरकार द्वारा क्या आदेश जारी किये हैं इसकी

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

जानकारी की जा रही है। इस मामले में दो रिट याचिकाएं प्रस्तुत की गयी हैं। जिसमें एक रिट याचिका संख्या 115/92 को प्रार्थी द्वारा वापस विड्रा कर लिया है व अन्य रिट याचिका संख्या 586/92 अभी तक विचाराधीन है। उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है।

**निलम्बित अध्यक्ष, नगरपालिका नैनवां के विरुद्ध जांच प्रकरण**

**1244. श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका नैनवा के निलम्बित अध्यक्ष के खिलाफ चल रही जांच में पैरवी हेतु वकील फीस के नाम पर 5,000/– रुपये (पांच हजार रुपये) का भुगतान नगरपालिका कोष से किया गया है? यदि हां, तो किस व्यक्ति को एवं किस प्रस्ताव के अन्तर्गत? प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त राशि का व्यय नियमों के विपरीत है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

**उत्तर**

(1) जी, हां। श्री गोपीलाल कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा बिना किसी प्रस्ताव के अगाऊ राशि उठाई गयी है।

(2) जी, हां। इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

**जोधपुर शहर की सैक्शन 7 विस्तार मसूरिया योजना**

**1245. श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सैक्शन 7 विस्तार मसूरिया योजना (पत्रकार कॉलोनी) जोधपुर के प्लाट नं. 45, 46 व 47 के सामने उद्यान की जमीन जो नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा नगर नियोजन से अप्रूव्ड प्लान के अनुसार छोड़ी गई थी का प्लान बदल कर दुकानों के प्लाट बेचे गये हैं? यदि हां, तो नगर नियोजन से इसको स्वीकृत कराया गया अथवा नहीं, यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सैक्शन 7 विस्तार मसूरिया योजना पत्रकार कॉलोनी, जोधपुर में सार्वजनिक उपयोग की जमीन (उद्यान) पर अनाधिकृत कब्जा कर मन्दिर निर्माण कर रखा है? यदि हां तो नगर सुधार न्यास ने इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या इस कॉलोनी में रहने वाले इन्जीनियर (यू. आई. टी. इन्जीनियर) की शह एवं देखरेख में यह सारा काम हो रहा है? क्या उन्होंने इसकी जानकारी नगर सुधार न्यास को दी? यदि नहीं, तो सरकार इस अधिकारी तथा समूचे प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

(4) क्या यह सही है कि इस अनाधिकृत निर्माण को मान्यता देने हेतु नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा मन्दिर के चारों

(श्री रामगोपाल बैरवा)

तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस प्रावधान के तहत ?

उत्तर

(1) सैक्शन–7 विस्तार मसूरिया योजना पत्रकार कॉलोनी, जोधपुर में प्लाट नं. 45, 46 व 47 के सामने खुली भूमि छोड़ी है। मानचित्र न्यास स्तर पर ही बनाया गया है। इस भू-भाग पर सन् 1984–85 में विस्तृत प्लानिंग भी न्यास स्तर पर भी की गयी जो कि नगर सुधार न्यास अधिनियम की धारा–41 में न्यास को निहित शक्ति द्वारा की गयी तथा इसकी नगर नियोजन विभाग से स्वीकृति आवश्यक नहीं है। इसमें पांच दुकान रखी गई है वे नीलाम कर दी गयी शेष छोटा सा पार्क रखा गया। इस प्लानिंग के खिलाफ विकास समिति ने वाद दायर किया जो दिनांक 4–5–93 को खारिज हो गया।

(2) उपरोक्त अंकित स्थान के उक्त भाग में छोटा सा मंदिर बना हुआ है जो वर्षों पुराना है तथा जन-सहयोग से बना हुआ है। वर्षों पुराना मंदिर था जिसमें कार्यवाही आवश्यक नहीं थी।

(3) जी, नहीं। इन्जिनियर का कोई हाथ नहीं था, अतः कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं था।

(4) यह सही नहीं है कि अनाधिकृत निर्माण को मान्यता देने वास्ते नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने मंदिर के चारों तरफ चारदीवारी बनाई बल्कि इस भू-भाग पर आगे कोई अतिक्रमण नहीं हो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से चारदीवारी बनायी जिसके लिए इस मोहल्ले के रहवासियों ने इस निर्माण के लिए ज्ञापन देकर मांग भी की थी।

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1246**

(स्थगित)

**राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर द्वारा उच्च आय वर्ग के आवासीय मकानों का आवंटन**

**1247. श्री रामनारायण** (नैनवा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जोधपुर में उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को मकान आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जोधपुर में उच्च आय वर्ग के अब तक 686 व्यक्तियों को मकान आवंटित किये गये हैं। वर्षवार आवंटित किये गये मकानों की संख्या एवं वर्गवार नामजद सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

**भूतपूर्व अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा निष्पादित राजीनामा प्रकरण**

**1248. श्री अमरचन्द मिढ्ढा** (सूरतगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

# Page No.32



(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के भूतपूर्व गैर सरकारी अध्यक्ष ने जोधपुर ग्राम के खसरा नं. 513/1, 513/3 व 513/10 की कृषि भूमि के सम्बन्ध में जुलाई, 1982 में राजीनामा निष्पादित किया था ? यदि हां, तो इस राजीनामे की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर ग्राम के रेवेन्यू मैप में लगभग 600 बीघे का मात्र एक ही खसरा संख्या 513 दर्शाया गया है परन्तु इस खसरे के टुकडों का, जो अंतिम जमाबन्दी के अनुसार अनुमानित पच्चीस है, का कहीं भी तरमीम नहीं हुआ है, जिसके अभाव में यह बताया नहीं जा सकता कि खसरा संख्या 513/1, 513/3 व 513/10 मूल खसरा 513 में स्थित है ? यदि हां, तो उक्त रेवन्यू मैप एवं अन्तिम जमाबन्दी की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि के एक भाग पर भूतपूर्व जोधपुर राज्य द्वारा दिनांक 18-5-1910 को श्री छगनराज पुत्र श्री शिवराज के नाम प्रदान किये पट्टे के विवाद विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या इस पट्टे के आधार पर न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर कई व्यक्तियों ने इस भूमि पर कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो इन विवादों व कब्जाधारियों का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

### उत्तर

(1) जी, हां । राजीनामे की प्रति परिशिष्ट "क" पर सदन के पटल पर रख दी गयी हैं ।

(2) जोधपुर ग्राम के राजस्व नक्शे में ख. न. 513 व उसके भाग को एक ही चक में दर्शाया गया है । लेकिन राजस्व अभिलेख जमाबन्दी 2047 से 2050 के खाता संख्या एक किस्म बारानी चार्म भूमि ख. न. 513, 513/1, 513/2, 513/2 मिन, 513/4, 513/7, 513/8, 513/19/1, 513/11, 513/14, 513/16, 513/18, 513/20, व 513/22 का अलग-अलग क्षेत्र दर्शाया गया है । इसी खाता संख्या एक में किस्म गैर मुमकीन बाला की भूमि 513/5, 513/6, 513/15, 513/21, 513/21/2, इसी खसरे में रावनका चबूतरा खसरा नं. 513/12, 513/13 व गैर मुमकीन रास्ता खसरा नं. 513/17, 513/19 व सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क, खाता संख्या 331 में 513/21/1, 513/23, 513/24 अंकित हैं एवं 513/10 रकबा 30 बीघा व 513/9 रकबा 29.8 बीघा बारानी चार्म, खाता संख्या 85 व 89 पर तथाकथित खातेदारों के नाम दर्ज है । ख. नं. 513/1 रकबा 25.5 बीघा किस्म बारानी चार्ज सरकारी भूमि खाता संख्या 1 में अंकित है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 513/3 मिन रकबा 42.12 बीघा बारानी चार्म सरकारी खाते में अंकित है । जबकि ख. नं. 513/10 रकबा 30 बीघा तथाकथित चुन्नीलाल पुत्र श्री गणेश कौम घाची के नाम वर्तमान अभिलेख में अंकित है । ख. नं. 513 के मौके की तरमीन नहीं हुई है । ख. नं. 513/9 छेला/उदा के नाम दर्ज है । नक्शे की प्रति परिशिष्ट "ख"

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

पर एवं जमा बन्दी की प्रति परिशिष्ट "ग" पर सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) उपरोक्त भूमि के एक भाग पर भूतपूर्व जोधपुर राज्य द्वारा दिनांक 18.3.1910 को श्री छगनराज पुत्र श्री शिवराज के नाम प्रदान किये गये पट्टे बाबत दिनांक 18.11.72 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्देश दिये गये थे कि पट्टे की सत्यता के लिए सम्बन्धित न्यायालय में निर्णय कराये। इस पट्टे के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा बाबत मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का यथा स्थिति का आदेश पारित किया हुआ है। कब्जेधारियों की सूची परिशिष्ट "घ" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूची एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1249**

( स्थगित )

**ग्राम मदरामपुरा (हटवाड़ा) की भूमि प्रकरण**

**1250. श्रीमती इन्दिरा मायाराम** (सांगानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि भूमि मदरामपुरा (हटवाड़ा रोड, सोडाला) खसरा नं. 164, 166, 167, 180, 185, 186, 421 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, 170/2, 170/4, 11/2, 170/4, 12/2 रकबा 3 बीघा, कुल 8 बीघा 2 बिसवा कृषि भूमि जो नगर भूमि (अधिकतम सीमा विनियम) अधिनियम, 1976 व 1976 का केन्द्रीय अधिनियम 33 की उपधारा 10 (1) तथा उक्त अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अनुसार अधिकतम सीमा से अधिक भूमि होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा अर्जित एवं अवाप्त करनी थी जिसमें खातेदार तथा भूमि एवं भवन कर विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से मिल कर करोड़ों रुपयों की कृषि भूमि तथा सवाई चक भूमि को वर्ष 1974 से भूखण्डों में विभाजित कर आज भी बेचा जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि खातेदार द्वारा धोखाधड़ी कर सक्षम अधिकारी भूमि एवं भवन कर विभाग नगर संकुलन को गलत तथ्य प्रस्तुत किये और इस बाबत से दिनांक 9.1.1984 को अपने पक्ष में निर्णय कराया गया तथा जो भूमि सरकार को अर्जित एवं अवाप्त करनी थी, नहीं की जा सकी ? क्या इस बाबत सरकार को जनता से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या खातेदार तथा इसमें लिप्त लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज किये गये ?

**उत्तर**

(1) ग्राम मदरामपुरा के खाता नं. 77 ख. नं. 164, 166, 167, 168, 170/2, 170/4 11/2, 170/4 12/2, 171/417, 186/421 किताने रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि श्री सतेन्द्र नाथ शर्मा पुत्र गौरी दयाल के नाम थी। उपरोक्त भूमि में से नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम, 1976 के लागू

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

होने की तिथि दिनांक 9.3.76 से पूर्व जरिये पंजीकृत विक्रय पत्रों के द्वारा 18 भूखण्डों का विक्रय किया जा चुका था। पंजीकृत दस्तावेजों की फोटो प्रतियां श्री सत्येन्द्र नाथ द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश की गयी। तथा ख. नं. 170/2, 170/411/2, 170/412/2 रकबा 3 बीघा भूमि जरिये इकरारनामे दिनांक 16.9.75 को गुलाब बाड़ी सहकारी समिति को विक्रय करना बताया गया। श्री सत्येन्द्र नाथ द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत विवरणी के संलग्नक 'क' में मदरामपुरा में प्लाट सं. 17, 19, 20 व भवन धारित होना दर्शाया एवं खसरा नं. 170/2, 170/411/2, 170/412/2 रकबा 3 बीघा का खातेदार होना दर्शाया व शेष भूमि को विक्रय व उपहार में देना दर्शाया है।

दिनांक 9.1.84 को तत्कालीन सक्षम अधिकारी ने ख.नं 170/2, 170/411/2, 170/412/2 रकबा 3 बीघा की राज्यादेश दिनांक 19.10.82 के तहत जरिये इकरारनामे में सहकारी समिति के विक्रय करने के कारण अधिनियिम की धारा 20 से मुक्त माना है। व शेषधारित भूमि को अधिकतम सीमा से कम मानते हुये प्रकरण समाप्त कर दिया गया। अतः अधिनियम की धारा 10(1) में अवाप्ति का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

खसरा नं. 180 बिस्वा में गैर मुमकिन चाह श्री नाथा पुत्र सेवा माली की खातेदारी में है। ख.नं. 185 मेन क्षेत्रफल 1 बीघा 15 बिस्वा बंजर एवं मौके पर आबादी ख.नं. 185 मिन क्षेत्रफल 1 बीघा मौके पर रास्ता एवं ख.नं. 186 क्षेत्रफल 1 बीघा 9 बिस्वा बंजर। मौके पर आबादी जे.डी.ए. की खातेदारी में है। मौके पर लक्ष्मी नगर कच्ची बस्ती है जिसमें यू.आई.टी. के पट्टे दिये गये हैं। मौके पर समस्त भूमि आबादी है।

अल्सर अधिनियम प्रभावी होने से पूर्व मौके की कृषि भूमि के बेचान पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। जो भूमि विक्रय की गई है वह खातेदारों की कृषि भूमि थी। सवाई चक नहीं।

(2) श्री सत्येन्द्र नाथ के विरुद्ध कैलाश आचार्य द्वारा राज्य सरकार को शिकायत की गई है कि सत्येन्द्र नाथ द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष गलत तथ्य रख कर दिनांक 9.1.84 को निर्णय करवाया है। शिकायत पर जांच एवं सुनवाई जारी है। आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.4.94 नियत है। शिकायतकर्ता से यह जानकारी की जा रही है कि सत्येन्द्र नाथ ने कौनसे गलत तथ्य पेश किये हैं। तथ्यों की जानकारी आने पर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

**बीकानेर शहर में अवैध कब्जों का नियमन**

**1251. श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर नगर विकास न्यास व नगर परिषद् क्षेत्रांतर्गत 1980 के पूर्व एवं पश्चात् के कितने अवैध कब्जे हैं ?

(श्री भीमसेन चौधरी)

(2) कितने कब्जों का नियमन किया जा चुका है, एवं कितने कब्जों का नियमन शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें !

**उत्तर**

(1) नगर विकास न्यास क्षेत्र में सर्वे के अनुसार 1980 के पूर्व के कुल 7231 अवैध कब्जे थे एवं 1980 के पश्चात् 2549 अवैध कब्जे थे । नगर परिषद् क्षेत्र में सर्वे के अनुसार 1.1.81 से पूर्व गंगाशहर में 1157 अवैध कब्जे एवं भीनासर क्षेत्र में 535 कब्जे थे इसके अतिरिक्त नगर परिषद क्षेत्र में 245 अवैध कब्जे ऐसे हैं जिनका सर्वे में इन्द्राज नहीं है । 1980 के बाद के अवैध कब्जों का सर्वे नहीं होने के कारण, नगर परिषद में इनकी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(2) नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा 1980 के पूर्व के 7220 एवं नगर परिषद द्वारा 254 कुल 7474 अवैध कब्जों का नियमन किया जा चुका है । न्यास क्षेत्र में 1980 के पूर्व के 11 एवं नगर परिषद क्षेत्र के 1683 कुल 1694 तथा 1980 के पश्चात् के न्यास क्षेत्र में 2549 इस प्रकार कुल 4243 अवैध कब्जों का नियमन करना शेष है । सूची अत्यधिक है, अतः सूची प्रस्तुत करने से मुक्त किया जावे । अगर आवश्यकता होगी तो निर्देशानुसार सूची प्रस्तुत की जा सकेगी ।

**ब्यावर शहर में स्टेडियम का निर्माण**

**1252. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर):** क्या खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि सरकार ब्यावर शहर में खेलों के स्तर में सुधार लाने के लिए स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और कहां ?

**उत्तर**

जी, हां । किसी भी प्रायोजक संस्था से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही स्टेडियम निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत करने की आवश्यक कार्यवाही की जाती है । ब्यावर में स्टेडियम निर्माण हेतु किसी भी प्रायोजक संस्था से अनुदान के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं ।

सरकार इस हेतु क्षेत्र की सम्बन्धित प्रायोजक संस्था जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर विकास न्यास, जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला खेल प्रशिक्षण केन्द्र, जिला शिक्षा अधिकारी, स्वयं सेवी संस्था आदि से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर अनुदान नियमों के अनुसार अनुमानों का 25 पर्सेण्ट अधिकतम 2.00 लाख तक अनुदान स्वीकृत करती है ।

इस कार्य हेतु भारत सरकार भी अनुमानों का 50 पर्सेण्ट (जनजाति क्षेत्र के लिए 75 पर्सेण्ट) अनुदान स्वीकृत करती है ।

**विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की पेयजल योजनाएं**

**1253. श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हीरालाल सहरिया)

(1) क्या यह सही है कि किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में बडोरा से धतूरिया पेयजल योजना स्वीकृत हैं? यदि हां, तो कब से तथा इस योजना पर कितना बजट स्वीकृत हुआ तथा उक्त योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि हलावनी से मुहाल पेयजल योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब से तथा इस योजना पर कितना बजट स्वीकृत हुआ ?

(3) इस (हलावनी से मुहाल योजना) को पूरा करने में कितना समय तथा कितना बजट और लगने की सम्भावना है ?

**उत्तर**

(1) जी, हां। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बडारा धतूरिया दिनांक 27.3.91 से स्वीकृत हैं तथा इस पर अभी तक 25 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। उक्त योजना को वर्ष 1994-95 में आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर पूर्ण किया जाना लक्षित है।

(2) जी, हां। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना हलावनी मुहाल की 50.70 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी दिनांक 27.3.91 को जारी की गयी थी तथा इस पर अभी तक 25 लाख रुपये की राशि आवंटित की गयी है।

(3) योजना हेतु संशोधित एव आवश्यक शेष धनराशि उपलब्ध होने पर इस वर्ष 1994-95 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

**ग्राम पालोता (चूरू) की पेयजल योजना**

**1254. श्री सुन्दर लाल** (सूरजगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि ग्राम पालोता में (सूरजगढ़) चूरू में जनता के पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो पेयजल हेतु सरकार की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा करवा दिया जायेगा ?

**उत्तर**

ग्राम पालोता को विभाग द्वारा पनघट योजना से लाभान्वित किया गया था परन्तु स्रोत के सूख जाने के कारण योजना बन्द हो गई है एवं ग्रामवासी कृषि के कुओं से पानी प्राप्त कर रहे हैं। समस्या के निदान हेतु वैकल्पिक प्रस्ताव स्वीकृत किये जाकर कार्य आरम्भ कर दिया गया है जिनके पूर्ण होने पर योजना से पेयजल उपलब्ध होने लगेगा।

**ग्राम निहालपुरा (चूरू) की पेयजल योजना**

**1255. श्री सुन्दर लाल** (सूरजगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या ग्राम निहालपुरा तहसील सूरजगढ़ को ग्राम पंचायत सोहली से पीने के पानी की स्कीम सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो अब इसे निरस्त करने के क्या कारण हैं ? अब इस गांव के पीने के पानी की क्या कोई योजना सरकार

(श्री सुन्दर लाल)

द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसे कब तक क्रियान्वित करने का सरकार विचार रखती है ?

**उत्तर**

क्षेत्रीय योजना सोहली कलोठरा के अन्तर्गत स्रोत ग्राम सोहली में भू-जल स्तर में गिरावट के कारण पेयजल उत्पादन में कमी से अन्तिम छोर पर स्थित ग्राम निहालपुरा को पेयजल आपूर्ति सम्भव नहीं हो पा रही है। कंटिन्जेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत एक कुएं को गहरा करवाये जाने का कार्य प्रगति पर है एवं एक नलकूप व एक कुएं में बोरिंग बनाये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। इन कार्यों के पूर्ण होने पर समस्या का निदान हो सकेगा।

**विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सूरजगढ़ के गांवों में पानी की टंकियों का निर्माण**

**1256. श्री सुन्दर लाल** (सूरजगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों में पूर्व में ओवर हैड टैंक (पीने के पानी की टंकी) बनाये गये हैं ? लेकिन इन्हें जल आपूर्ति हेतु काम में नहीं लिया जा रहा है ? इन टैंकों में पानी डलवाने की व्यवस्था के साथ-साथ गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार क्या कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या तथा कब तक इन्हें पूरा कर लिया जायेगा ?

**उत्तर**

जी, हां। सन्दर्भित विधान सभा क्षेत्र में निर्मित पांच उच्च जलाशयों को अभी तक पाइप लाइन से नहीं जोड़ा जा सका है व इन्हें जोड़ने की कार्यवाही चल रही है जिससे पेयजल समस्या का निदान हो सकेगा।

**कनिष्ठ व सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पद**

**1257. श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विभाग में कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंताओं के पद खाली हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर कब-कब से कितने पद खाली हैं ?

(2) क्या अधिकतर पद ग्रामीण क्षेत्रों के खाली हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त पदों को कब तक किस प्रक्रिया से भरे जायेंगे और अब तक नहीं भरने के क्या कारण है ?

**उत्तर**

(1) विभाग में सहायक अभियंताओं के 118 पद एवं कनिष्ठ अभियंताओं के 7 पद वर्तमान में रिक्त हैं, जिनका वांछित विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार सहायक अभियंताओं के अधिकांश पद वृत एवं खण्डीय कार्यालयों में तकनीकी सहायक एवं सतर्कता के रिक्त

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

हैं। कनिष्ठ अभियंताओं के केवल सात पद ही रिक्त है जो भूतपूर्व सैनिकों के कोटा से सम्बन्धित राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका को ध्यान में रखते हुए रिक्त रखे गये हैं।

(3) सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। वर्ष 1990-91 तक के रिक्त पदों को विभाग के सेवा नियमों में दिनांक 28.8.93 को जारी संशोधन के अन्तर्गत भरा जा रहा है। वर्ष 1990-91 के बाद के रिक्त पदों को भी दिनांक 9.10-91 को जारी संशोधन के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

**ग्राम सिहान्दा (शेरगढ़) की जल प्रदाय योजना**

**1258. श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या शेरगढ़ क्षेत्र के ग्राम सिहान्दा की जल प्रदाय योजना पंचायत के अधीन कार्य कर रही है ?

(2) क्या हनुमान सागर नं. 1 की योजना पर विश्व बैंक के द्वारा बिजली की मोटर लगाई गई थी और उसे पंचायत को सुपुर्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या इस योजना के खराब होने की स्थिति में वहां महीनों पीने के पानी की समस्या रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना को तुरन्त सरकार के अधीन लेकर दुरुस्त कराने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम हिन्कुडी बेरी (चावा) में डीजल पम्प गांव वालों ने लगा रखा था लेकिन अकाल की हालत में उसका खर्च चलाने में गांव वाले असमर्थ है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह कार्य अपने हाथ में लेकर गांव की समस्या का समाधान करने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) जी हां, उल्लेखित ग्राम की परम्परागत स्रोत जल योजना पंचायत के अधीन संधारण में है।

(2) जी, हां। विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम के अन्तर्गत परम्परागत स्रोत जल प्रदाय योजना उल्लेखित स्रोत से चालू की जाकर ग्राम पंचायत को संधारण हेतु सुपुर्द कर दी गयी थी। मोटर पम्प खराब होने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा सूचना दिये जाने पर विभाग द्वारा अविलम्ब ठीक करवाये जाने की व्यवस्था है। वर्तमान में उक्त योजना का संधारण सरकार द्वारा अपने अधीन लिये जाने की नीति नहीं है।

(3) ग्रामवासियों द्वारा डीजल पम्प लगाने तथा वित्तीय समस्या के कारण संधारण में असमर्थता की इस विभाग को जानकारी नहीं है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान नीति के अनुरूप इस प्रकार की योजनाओं का संधारण अपने अधीन लिये जाने का विचार नहीं है।

## ग्राम पिचियाक (बिलाड़ा) की क्षेत्रीय नल परियोजना

**1259. श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कोई नलकूप अथवा जल स्रोत नहीं है, अथवा जो दूरस्थ स्थित नलकूपों से जुड़े हैं तथा एक ही लाइन से 8-10 गांवों के एक ही पाइप लाइन द्वारा जल सप्लाई की जाती है व अन्तिम छोर के गांव गर्मी में जल से वंचित रह जाते हैं, उन गांवों के लिये जल वितरण के लिये ग्रीष्मकाल की प्रस्तावित योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बिलाड़ा तहसील के पिचियाक ग्राम स्थित नलकूप से क्षेत्रीय जल परियोजना के माध्यम से पाइप लाइनों द्वारा जल वितरण व्यवस्था की जा रही है और एल.पी.सी.डी. योजना के तहत अनेक गांव पेयजल प्राप्त करते हैं ? क्या उक्त योजना के तहत सरकार किसी औद्योगिक संस्थान/व्यावसायिक संस्थान को मुख्य सप्लाई लाइन (राइजिंग मैन) से जल सम्बन्ध दे सकती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में स्वीकृति देने की क्षमता किस स्तर पर है? यदि नहीं तो बिलाड़ा सीमेंट वर्क्स पिचियाक को किस आधार पर जल सम्बन्ध दिया गया जबकि पाइप लाइन 6 मैन राइजिंग लाइन थी ?

### उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या से ग्रस्त ग्रामों में पेयजल व्यवस्था करने की दृष्टि से जनवरी से मार्च, 1994 की अवधि हेतु "कंटिन्जेंसी योजना बना" 8 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है जिसके अन्तर्गत 59 नलकूपों एवं 11 खुले कुओं का निर्माण, 36 खुले कुओं में बोरिंग, 608 हैण्ड पम्पों की स्थापना के साथ-साथ नई पाइप लाइन डाले जाने, खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत, परम्परागत स्रोत योजनाओं के जीर्णोद्धार एवं पूर्व में निर्मित भूतल जलाशयों को जोड़ने हेतु उपलब्धतानुसार राशि का आवंटन किया गया था। इसके अतिरिक्त संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार अप्रेल से जुलाई, 1994 तक की अवधि हेतु भी कंटिन्जेंसी योजना हेतु 20.89 करोड़ रुपये की राशि भी जिलेवार आवंटित की गयी है तथा वृत अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे प्रस्तावों एवं भौतिक लक्ष्यों को जिला प्रशासन एवं जन प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही कर कार्य अविलम्ब चालू करावें।

(2) तहसील बिलाड़ा के ग्राम पिचियाक में स्थित नलकूपों से क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना लाम्बावाला-मालकोसनी के अन्तर्गत 20 ग्रामों को पेयजल वितरण की व्यवस्था है। सामान्यतः क्षेत्रीय योजनाओं के अन्तर्गत योजना से जुड़े ग्रामों में भूतल जलाशय बनाकर सार्वजनिक नलों के माध्यम से ही जल वितरण किये जाने की वर्तमान में नीति है। ऐसी योजनाओं से मुख्य राइजिंग मैन से जल सम्बन्ध दिये जाने की नीति नहीं है। बिलाड़ा सीमेन्ट वर्क्स, पिचियाक को सीधा जल सम्बन्ध दिये जाने के सन्दर्भ में जांच प्रारम्भ कर दी गयी है तथा उसमें नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

### अतारांकित प्रश्न संख्या 1260

( स्थगित )

### तहसील छतरगढ़, खाजूवाला व पूगल की पेयजल योजनाएं

**1261. श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

उपनिवेशन तहसील छतरगढ़, खाजूवाला एवं पूगल की नियमित एवं अनियमित आबादियों के लिए पेयजल की क्या व्यवस्था है, तथा जहां-जहां व्यवस्था नहीं है वहां पर कब तक पेयजल उपलब्ध करवाने का सरकार विचार रखती है ?

**उत्तर**

सन्दर्भित क्षेत्रों में नियमित आबादियों हेतु सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा स्वीकृति के अनुरूप नहरी पानी द्वारा सैनेटरी डिग्गियों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था की जाती है। जहां पर वर्तमान में पेयजल व्यवस्था नहीं है उन क्षेत्रों हेतु सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात इस विभाग की कार्यवाही सम्भव होगी।

### सहायक अभियन्ता कार्यालय, गंगापुर सिटी के गांवों व कस्बों की नल योजनाएं

**1262. श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को नल योजना के तहत पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ? यदि हां, तो सहायक अभियन्ता कार्यालय, गंगापुर सिटी, (सवाई माधोपुर) द्वारा किन-किन गांवों व कस्बों को नल योजना से लाभान्वित किया जा रहा है ? लाभान्वित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि क्षेत्र के कई गांव अभी भी इस योजना से लाभान्वित नहीं हुये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार ग्राम तलावड़ा को उक्त सुविधा से जोड़ने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि क्षेत्र के गांव मीनापाड़ा में सरकार द्वारा नल योजना चालू की जा रही है ? यदि हां, तो कब से व किस-किस व्यक्ति के यहां नल लगे हुए हैं ? व्यक्ति का नाम व मय तिथि के सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य सरकार की नीति के अनुसार 5000 या अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों हेतु नल (पाइप्ड) योजनाएं स्वीकृत की जाती है। उपखण्ड गंगापुर सिटी के अधीन नल (पाइप्ड) योजनाओं से पूर्व में लाभान्वित शहरी एवं ग्रामीण नल योजनाओं की वांछित सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। वर्तमान में कोई प्रगतिरत नल योजना नहीं है।

(2) जी हां। गंगापुर तहसील के शेष ग्राम जिनको कि नल योजना से लाभान्वित नहीं किया गया है उनकी जनसंख्या 5000 से कम है अतः वर्तमान विभागीय नीति के

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अन्तर्गत स्वीकृति योग्य नहीं है। ग्राम तलावडा में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 12 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं अतः ग्राम को नल योजना से लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। सन्दर्भित ग्राम हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित है, तथा पाइप्ड नहीं होने के कारण विभाग द्वारा कहीं भी घरेलू जल सम्बन्ध नहीं किये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

**विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की पेयजल योजनाएं**

1263. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से गांव एवं ढाणियों में पेयजल की क्या व्यवस्था है ? वर्तमान में सार्वजनिक कूप, नल योजना कहां-कहां है, और इसके विस्तार की क्या योजना है, व कहां-कहां ?

(2) इस क्षेत्र के किन-किन गांवों व ढाणियों में खारा पानी है ? क्या वहां पर पेयजल की समस्या निवारण के लिये कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) इस क्षेत्र में कहां-कहां नल योजना व सार्वजनिक कूप प्रस्तावित हैं ? उक्त योजनाएं कब से विचाराधीन हैं ? तथा कब तक उक्त योजनायें पूरी करने का सरकार विचार रखती है ?

(4) इस क्षेत्र के रूपनगढ़, सिनोदिया, हरमाड़ा, सलेमाबाद, कटसुरा, सुरसुरा, नलू कामनियावास, सिणारा व कुचील में पेयजल समस्या के निराकरण की क्या योजना सरकार के विचाराधीन हैं ? इन इलाकों में पेयजल योजना के विस्तार व कार्य संचालन सही न होने की शिकायतों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) इस क्षेत्र में कहां-कहां सार्वजनिक नलकूप खराब हैं या उनका निर्माण अधूरा हैं ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें ? उनमें सुधार या पूरा कार्य कब तक हो जायेगा ?

(6) क्षेत्र के किन-किन गांवों में पाइप लाइन से जल दिया जा रहा है ? उनके विस्तार की मांग कहां-कहां से आई हैं और उस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ? किन-किन गांवों में पाइप लाइन प्रस्तावित है, और यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जावेगा ?

(7) क्षेत्र के कौन-कौन से गांव व ढाणी हैं जहां सार्वजनिक नलकूप या हैंण्ड पम्प से पेयजल के लिये कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो उक्त गांव व ढाणियों में कब तक व्यवस्था हो जावेगी ?

**उत्तर**

(1) उल्लेखित विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित 141 ग्रामों व इनकी ढाणियों की वांछित सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। सार्वजनिक कुओं की सूची इस विभाग में नहीं रखी जाती हैं। 4 नल (पाइप्ड) योजनाओं

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

की सूची परिशिष्ट 'क' में उपलब्ध है। नल योजनाओं का विस्तार, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं पेयजल मांग को दृष्टिगत रखते हुए धन संसाधनों की उपलब्धतानुसार किये जाने की, नीति है।

(2) उल्लेखित क्षेत्र के 31 खारे पानी वाले ग्रामों की सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है। ढाणियों में भू-जल की गुणवत्ता सम्बन्धी सर्वेक्षण किया जाकर सूचना का संकलन किया जा रहा है। उपरोक्त ग्रामों को सम्मिलित करते हुये बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एक योजना का प्रारम्भिक प्रारूप बनाकर भारत सरकार को द्विपक्षीय विदेशी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से, भेजा गया है। योजना के अनुमान की वांछित प्रति परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(3) उल्लेखित क्षेत्र की कोई नल (पाइप्ड) योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं है।

(4) ग्राम रूपनगढ़ में पेयजल मात्रा वृद्धि हेतु एक नलकूप का निर्माण कराया गया है। सिनोदिया ग्राम हेतु एक क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। हरमाड़ा, सुरसुरा, नलू, कुचील व सलेमाबाद में वर्तमान में पेयजल की समस्या न होने के कारण कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। ग्राम कटसुरा एवं काकनियाबास उत्तर संख्या 2 में उल्लेखित बीसलपुर परियोजना में सम्मिलित है। इस क्षेत्र में पेयजल योजना के विस्तार नहीं किये जाने अथवा योजनाओं के संकलन सही नहीं होने की कोई लिखित शिकायत विभाग को प्राप्त नही हुई है।

(5) प्रश्न (1) के उत्तर के अनुसार सार्वजनिक नलकूपों की सूची विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है।

(6) वांछित सूची परिशिष्ट 'क' में उपलब्ध है। विस्तार हेतु अंराई, रूपनगढ़, एवं बरना में ग्रामवासियों द्वारा पाइप लाइन बढ़ाने हेतु आवेदन प्राप्त हुये हैं वर्तमान में उक्त ग्रामों में पाइप लाइन विस्तार के प्रस्ताव नहीं है। ग्राम तित्यारी रारीबीती में पम्प एवं टैंक योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन के कार्य भी स्वीकृत है। कार्य धन उपलब्धतानुसार पूर्ण किया जाना सम्भव होगा।

(7) पेयजल योजना से अभी तक लाभांवित नहीं हुई ढाणियों की सूची परिशिष्ट 'क' में उपलब्ध है। व्यवस्था धन उपलब्धतानुसार की जानी सम्भव होगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

**ग्राम मण्डावरा (झुन्झुनू) में पानी की टंकी का निर्माण**

**1264. श्री शिवनाथ सिंह** (गुढा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले के मण्डावरा ग्राम में पीने के पानी की टंकी (ओवर हैड) के लिए धन राशि स्वीकृत होकर कार्य प्रारम्भ किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि इस टंकी का

# Page No.43



(श्री शिवनाथ सिंह)

निर्माण एक ऐसी भूमि पर शुरू करवाया गया जो मन्दिर की धर्मार्थ भूमि है ? जिसके कारण अदालती विवाद खड़ा होकर टंकी के निर्माण पर स्थगन आदेश दे दिया गया और निर्माण कार्य रुक गया ?

(3) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिला सतर्कता एवं अभाव अभियोग समिति की बैठक में इस समस्या पर विचार कर यह निर्णय किया गया कि इस माफी की जमीन को छोड़कर अन्य सरकारी भूमि पर जो कि वहां काफी उपलब्ध है, टंकी का निर्माण करवाया जावे ?

(4) यदि हां, तो कब तक इस टंकी का निर्माण कार्य नए स्थान पर शुरू करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) टंकी का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर उपलब्ध करायी गयी भूमि पर आरम्भ किया गया । टंकी निर्माण पर वर्तमान में अदालत द्वारा स्थगत आदेश दिये जाने के कारण निर्माण कार्य रूका हुआ है ।

(3) उल्लेखित समिति की दिनांक 15.2.94 की बैठक में उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ को मौके पर जाकर भूमि सम्बन्धी वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निर्णय हुआ है, जिस पर आगामी बैठक में निर्णय किया जाना है । यह बैठक अभी होनी है ।

(4) उपरोक्तानुसार ।

**विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी**

**1265. श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1986 से कार्यरत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में दैनिक वेतन भोगी, रेवेन्यू मुन्शी को 8 वर्ष के लगातार कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् नियमित करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो अब तक कितने रेवेन्यू मुन्शी को नियमित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मार्च, 1990 तक विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया ? क्या इन कर्मचारियों के साथ ही रेवेन्यू मुन्शी को भी नियमित किया गया ? यदि हां, तो कुल कितने रेवेन्यू मुन्शी को नियमित कर वेतन श्रृंखला दी गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सिरोही खण्ड में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी रेवेन्यू मुंशी वर्ष 1986 से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इन में से कितने कर्मचारियों को वेतन श्रृंखला दी गई? क्या शेष बचे कर्मचारियों को वेतन श्रृखला देने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक इन्हें वेतन श्रृंखला दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1), जी, नहीं । विभाग में जो व्यक्ति स्टोर मुंशी तथा रेवेन्यू मुंशी के पद पर

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

दिनांक 31.3.85 को कार्य कर रहे थे तथा वेतन शृंखला में वेतन ले रहे थे के लिये राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.8.89 से कनिष्ठ लिपिक के 750 पद स्वीकृत किये गये थे। इन पदों के विरूद्ध 750 स्टोर मुंशियों और रेवेन्यू मुंशियों को कनिष्ठ लिपिक बनाया गया है।

(2) जी, नहीं। मार्च 1990 तक कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है, केवल 31.3.90 तक 2 वर्ष का संतोषप्रद सेवा काल पूर्ण करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सहायकों/बेलदारों के पद पर कार्य प्रभारित वर्ग में अर्द्धस्थायी घोषित कर वेतन शृंखला दी गयी है।

(3) जी, हां। रेवेन्यू मुंशी के नए पद सृजित नहीं हुये। अतः किसी को रेवेन्यू मुंशी की शृंखला नहीं दी गयी। परन्तु इस अवधि में सहायकों के नये पद सृजित हुये और दो व्यक्तियों ने सहायक बनना चाहा अतः उन्हें सहायक की वेतन शृंखला दे दी गयी। आवश्यकतानुसार जब रेवेन्यू मुंशी के पद सृजित होंगे तब ही वेतन शृंखला दी जा सकेगी।

**विधान सभा क्षेत्र माण्डल की पेयजल योजनाएं**

**1266. श्री कालूलाल गूजर** (मांडल): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या माण्डल विधान सभा क्षेत्र जिला भीलवाड़ा में निम्न स्थानों पर पेयजल की समस्या को ध्यान में रखकर सरकार पेयजल योजना बनाने का विचार रखती है 1. गोररूया योजना 2. उदरामजी का गुड्डा, ढोडकाखेड़ा 3. ममाणा 4. सहणुन्दा 5. गोरधनपुरा, सुखीया, गरवाय 6. रूपपुरा, गोरणा, गोरधनपुरा 7. दहीमथा, केमैरी, रेह 8. माल्लस, जालमपुरा, गराडिया 9. कबराड़िया, हाथीपुरा, सोडास 10. सीरडियाल, गणेशपुरा, भीमडियास 11. कालूखेड़ा, कोचरिया, गाडरीखेड़ा 12. मोमी, ढाणी जगदरी 13. दुड़िया, दौलपुरा, कानपुरा, तगाडिया 14. आबाखेड़ी, लक्ष्मीपुरा, भगतपुरीया एवं 15. करणवास, माणकिया ?

(2) उपरोक्त स्थानों पर जलदाय योजनायें कब तक विभाग द्वारा तैयार करने की योजना है ? अब तक किस-किस योजना की क्या तैयारियां हो चुकी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सन्दर्भित विधान सभा क्षेत्र के उल्लेखित ग्रामों में से ग्राम गोररूया के अतिरिक्त, शेष की 1991 की जनगणनानुसार जनसंख्या 2000 से कम है तथा इन ग्रामों में सामान्यतः निर्धारित संख्या में हैण्ड पम्प स्थापित होने के कारण अन्य कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। जिन ग्रामों में निर्धारित मापदण्ड से कम हैण्ड पम्प कार्यरत है वहां और हैण्ड पम्प धन उपलब्धानुसार लगाये जाने प्रस्तावित हैं। ग्राम गोररूया की परम्परागत स्रोत पेयजल योजना, पंचायत के अधीन संधारण में है।

(2) उपरोक्तानुसार।

**खारड़ा (बीकानेर) से ट्यूबवैल की स्वीकृति**

**1267. श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खारड़ा तहसील बीकानेर में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं है ?

(2) क्या सरकार पेयजल की समस्या के समाधन हेतु उक्त ग्राम में ग्रामवासियों के लिए ट्यूबवैल लगाने की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

(1) तहसील बीकानेर के ग्राम खारड़ा में पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त पेयजल उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में ग्राम को दो किलोमीटर दूर स्थित राजपुरा ग्राम से पानी दिया जाता है।

(2) उक्त ग्राम हेतु पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त पेयजल की उपलब्धता का पता लगाने के लिए भू-जल का सर्वेक्षण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जल उपलब्धता एवं तकनीकी बिन्दुओं के परीक्षण के उपरांत ही योजना बनायी जाकर क्रियान्विति सम्भव हो पायेगी।

**विधान सभा क्षेत्र परबतसर के हैण्डपम्प्स**

**1268. श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) परबतसर विधान सभा क्षेत्र में कितने हैण्ड पम्प अब तक लगाये गये हैं ? वर्षवार ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन हैण्ड पम्पों में कितने चालू हालत में हैं व कितने खराब हैं ? कितनों में पानी उपलब्ध नहीं है ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) परबतसर विधान सभा क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष 1994-95 में ऐसे कितने गांव हैं जहां स्वच्छ जल परियोजना के अन्तर्गत सरकार हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार परबतसर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक कुओं तथा निजी कुओं को गहरे करवाकर तथा अधूरे पड़े कुओं को पूरा करवाकर पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) सन्दर्भित विधान सभा क्षेत्र में मार्च, 94 तक स्थापित कुल 284 हैण्ड पम्पों की वांछित सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट 'क' में उपलब्ध है।

(3) सन्दर्भित विधान सभा क्षेत्र में 'स्वच्छ परियोजना' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 94-95 में धन राशि का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि यह योजना इस क्षेत्र में लागू नहीं है।

(4) निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध होने व तकनीकी रूप से

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उचित होने पर सार्वजनिक एवं अन्य उपलब्ध होने वाले कुओं को उपयोग में लिए जाने की सरकार की नीति है। इन कार्यों एवं अधूरे पड़े कुओं को भी पूर्ण करने का कार्य, धन उपलब्धता के अनुसार किया जाना सम्भव होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

**विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह की पेयजल समस्या**

**1269. श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशवरायपाटन) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार गांवों में पेयजल समस्या के निवारण हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां का पानी खारा है, में बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) ग्राम रामनिवासपुरा पंचायत समिति टोडारायसिंह की पेयजल समस्या हेतु सरकार बीसलपुर योजना से नल योजना शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) वर्ष 1991 की जनगणना पर आधारित राज्य के कुल 37889 आबाद ग्रामों में से 36394 ग्रामों को दिसम्बर 1993 तक विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है। शेष ग्रामों में से मार्च 1994 के अन्त तक 2195 ग्रामों (1230 आंशिक से पूर्ण सहित) 2000 अनु. जाति जनजाति की बस्तियों व 500 ढाणी मजरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। मार्च 1994 के अन्त तक प्राप्त उपलब्धियों का संकलन अभी प्रगति में है। आगामी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की सुचारु व्यवस्था बनाये रखने हेतु आपात-कालीन योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 608 हैण्ड पम्प तथा 59 नलकूप बनाने का कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामों की संवर्धन पेयजल योजनाओं के कार्य भी प्रगति पर हैं। आगामी ग्रीष्म काल हेतु आपातकालीन प्रस्तावों के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों को 2089 लाख रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और आवंटित किये गये हैं।

(2) बीसलपुर से जयपुर को पेयजल आपूर्ति हेतु परियोजना का एक प्रारम्भिक प्रारूप बनाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पाइप लाइन के रास्ते में पड़ने वाले टोडारायसिंह तहसील के 11 ग्राम सम्मिलित हैं। टोडारायसिंह विधान सभा के कुल 41 ग्रामों का पानी खारा है, जिसमें से 5 ग्रामो हेतु भू-जल के उचित स्रोतों से योजनाएं बनायी जा रही हैं। उपरोक्त योजनाओं की क्रियान्विति एवं स्वीकृति धन संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जा सकेगी।

(3) जी नहीं। ग्रामों में विभाग के वर्तमान निर्धारित मापदण्डों के अनुसार

(जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री)

3 हैण्डपम्प कार्यरत हैं, अतः बीसलपुर बांध से योजना बनाये जाना आवश्यक नहीं है।

**इन्दिरा गांधी नहर परियोजना कार्यालय, जैसलमेर में कार्यरत कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी**

**1270. श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना कार्यालय जैसलमेर में कार्यरत कर्मचारियों के लिये आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो वहां पर कितने आवासों की व्यवस्था है तथा वहां पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं?

(2) उक्त आवास गृह कौन-कौन से कर्मचारियों को आवंटित कर रखे हैं? जो कर्मचारी उक्त आवास गृहों में रह रहे हैं उनका पदस्थापन कहां-कहां है?

(3) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर मुख्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों के अलावा बाहर के कर्मचारियों को भी यहां आवास आवण्टित कर रखे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त मुख्यालय जैसलमेर में कार्य करने वाले कर्मचारियों को आवास उपलब्ध नहीं होने के कारण वे किराये के मकानों में रह रहे हैं व बाहर कार्यरत कर्मचारी यहां पर सरकारी आवासों में रह रहे हैं?

(5) क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है कि जैसलमेर कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को वहां पर बने आवासों का आवंटन प्राथमिकता से हो और बाहर वाले कर्मचारियों को वहां से आवास गृह खाली कराया जाये? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी, हां। वर्तमान में जैसलमेर में आवासीय व्यवस्था का विवरण संलग्न प्रपत्र–1 में दर्शाया गया है। कार्यरत कर्मचारियों का संवर्गवार विवरण संलग्न–2 में अंकित किया गया है।

(2) कर्मचारियों को आवंटित आवास गृहों का श्रेणीवार विवरण प्रपत्र–3 में दर्शाया गया है। सूची में यह भी अंकित है कि कर्मचारी कहां पर नियुक्त है।

(3) जी, हां। परियोजना पर कार्यरत कर्मचारी जिनका मुख्यालय दूरस्थ स्थानों पर है उनको भी जैसलमेर में निर्धारित से एक स्तर नीचे की आवास सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

(4) जी, हां।

(5) जी, नहीं। क्योंकि परियोजना क्षेत्र की दुर्गम और जनाकीर्ण परिस्थितियों में जैसलमेर से बाहर के मुख्यालयों पर नियुक्त कर्मचारियों को भी उनके परिवार के लिए जैसलमेर कॉलोनी में निर्धारित से एक स्तर नीचे की आवासीय सुविधा दी जा रही है। जैसलमेर कॉलोनी में निर्माणाधीन आवासगृहों के पूर्ण हो जाने पर समस्या का काफी हद तक निराकरण हो जायेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## जिला डूंगरपुर में नहरों का निर्माण

**1271. श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले के अधिकांश जलाशयों के नहरों की हालत मरम्मत के अभाव में बद से बदतर हो रही है ?

(2) यदि हां, तो क्या यह सही है कि मारगिया–महुवा जलाशय की नहरों से पानी का रिसाव इतना अधिक हो रहा है कि सीपेज के पानी से ग्राम विलिया बड़-गामा और आस-पास के गांवों की हजारों बीघा भूमि में पानी भर जाने से भूमि कृषि अयोग्य हो गयी है ?

(3) क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिए त्वरित कदम उठाने का प्रयास करेगी ? यदि हां, तो कब तक उक्त नहर पर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

### उत्तर

(1) जी, नहीं। रखरखाव हेतु नोन प्लान मद में सीमित धनराशि उपलब्ध होने के कारण मरम्मत के अत्यावश्यक कार्य करवाये जाते हैं।

(2) मारगिया–महुवा जलाशय की नहर के कुछ हिस्सों में लाइनिंग क्षतिग्रस्त होने के कारण सीपेज होता है। जिससे नहर के समीप खेतों में पानी भर जाता है। भूमि कृषि योग्य है लेकिन कुछ अवधि तक सीपेज का पानी खेतों में भरा रह जाता है।

(3) सीपेज के पानी के निकास के लिए ड्रेन्स के निर्माण के कार्य जवाहर रोजगार योजना (प्रवाह) द्वितीय के अन्तर्गत करवाये जा रहे हैं।

## बस्सी डेम (चित्तौड़गढ़) की नहरों का निर्माण

**1272. श्री अर्जुनलाल जीनगर** (गंगरार) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या गंगरार विधान सभा क्षेत्र के बस्सी ग्राम में स्थित बस्सी डेम पर (बांध) व नहर की मरम्मत के लिये 40 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं ?

(2) यदि हां तो कार्य को कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

(3) क्या सरकार बस्सी डेम को 3 फीट ऊंचा करने का विचार रखती है ?

(4) यदि हां, तो नहरों द्वारा आंवल हेड़ा, घोसुण्डा बस्सी, सोनगर, नगरी, तुम्बड़िया, कुंवालिया साड़ास ग्राम पंचायतों को सिंचाई हेतु पानी कब तक उपलब्ध करवा दिया जायेगा ?

### उत्तर

(1) बस्सी बांध व नहर के रखरखाव के लिए वर्ष 92-93 में 13.79 लाख एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत के लिए 25.80 लाख रुपये कुल 38.59 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(2) कार्य प्रगति पर है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

## तहसील सहाड़ा–रायपुर (भीलवाड़ा) में स्वीकृत कार्य

**1273. श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विगत अकाल राहत कार्यों के तहत सहाड़ा–रायपुर (भीलवाड़ा) तहसीलों में लाखों रुपयों की लागत से अनेकं एनीकट, तालाब, लिफ्ट सिंचाई योजनाएं निर्मित की गई हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त कार्यों में से कतिपय कार्य अधूरे हैं ? यदि हां, तो क्या उन महत्वपूर्ण कार्यों को इस वर्ष के राहत कार्यों के अन्तर्गत विभाग द्वारा सम्पादित करवाकर पूरा करवाया जावेगा ?

### उत्तर

(1) विगत सम्वत् 2039 से 2044 तक विभिन्न अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत तहसील रायपुर एवं सहाड़ा में सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कराये गये एनीकट, तालाब व अन्य कार्य एवं उन पर किये गये व्यय एवं कार्यों की स्थिति के बारे में सूचना संलग्न है। विभाग द्वारा इन दोनों तहसीलों में लिफ्ट सिंचाई योजना का कोई कार्य नहीं कराया गया है ।

(2) जी हां । अधूरे रहे कार्यों को राहत मद के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध होने पर पूर्ण करवाया जा सकेगा ।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

## मूगेर बांध (चित्तौड़गढ़) का निर्माण

**1274. श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं की पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ के मूगेर बांध हेतु कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? माडा क्षेत्र की इस बांध की अनुमानित लागत कितनी है ?

(2) क्या वर्ष 1994-95 में इस बांध परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ?

(3) इस बांध के बन जाने पर किस-किस गांव की कितनी-कितनी भूमि की सिचाई की जा सकेगी ?

### उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में मूगेर नाम का कोई बांध प्रस्तावित नहीं है भूंजरकला एनीकट का कार्य वर्ष 86-87 में एन.आर.ई.पी.-II (अकाल राहत) मद से स्वीकृत हुआ था एवं उस पर 2249/– रुपये की राशि व्यय हुई है । उक्त एनीकट की अनुमानित लागत लगभग 1.50 लाख रुपये होगी ।

(2) जी, नहीं ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिवाड़ी के डिग्रीधारी छात्र

**1275. श्री एमादुद्दीन अहमद खां** (तिजारा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री एमादुद्दीन अहमद खां)

(1) क्या यह सही है कि भिवाड़ी में आई.टी.आई. संस्थान में एन. सी. वी. टी. कोर्स है ? यदि हां, तो क्या सरकार एन. सी.वी.टी. कोर्स भी चालू करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि एन.सी. वी.टी. के कोर्स धारियों को सरकारी नौकरी न मिलने के कारण बेरोजगार रहना पड़ता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि भिवाड़ी में आई.टी.आई. के छात्रों के बैठने का भवन अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त भवन को कब तक पूरा करवाना चाहती है ?

(3) क्या सरकार भिवाड़ी आई. टी. आई. संस्थान में एन.सी.वी.टी. कोर्स को एन. सी. वी. टी. में बदलना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। एन. सी. वी. टी. के सम्बन्धन हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन, साजो-सामान होना आवश्यक है। संसाधन उपलब्ध होने पर एन.सी.वी.टी से सम्बन्ध हेतु कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी, हां वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य चालू किया जा सकेगा।

(3) संसाधन उपलब्ध होते ही संस्थान को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुसज्जित कर एन.सी.वी.टी. से सम्बन्ध हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

**विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालय**

**1276. श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** (माण्डलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से उच्च प्राथमिक विद्यालय छात्र/छात्रा हैं, जिनके ग्रामों की वर्ष 1991 की आबादी 2000 या अधिक व 4000 या अधिक है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से उच्च प्राथमिक विद्यालय छात्र व छात्रा हैं, जिनकी कक्षा 8 में छात्र संख्या 30 व छात्रा संख्या 20 है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रश्न के भाग 2 में वर्णित प्रकार के विद्यालयों के आस-पास 10 किलोमीटर की दूरी में कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के उ. प्रा. विद्यालय छात्र/छात्रा जिनके ग्रामों की 1991 की आबादी 2000 या अधिक एवं 4000 या अधिक है, का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के उ.प्रा. विद्यालय (छात्र/छात्रा) जिनकी कक्षा

# Page No.51



(शिक्षा मंत्री)

8 में छात्र संख्या 30 एवं छात्रा संख्या 20 है, का विवरण सदन के पटल पर रखा दिदा गया है।

(3) प्रश्न के बिन्दु संख्या-2 में वर्णित विद्यालयों के आस-पास 10 कि मी. की दूरी में कार्यरत उ.प्रा. विद्यालयों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखें।)

**संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर में स्वीकृत पद**

1277. **श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम): क्या शिक्षा (संस्कृत) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निदेशालय संस्कृत, शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के अधीन राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 1994 तक कितने-कितने कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक/कार्यालय सहायक/कार्यालय अधीक्षक के पद किस-किस संस्था व कार्यालय के लिए स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जहां जहां पर पद स्वीकृत हैं, उन पर वर्तमान में किस-किस कर्मचारी का पद स्थापन किया हुआ है? सूची सदन पर मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जो पद जहां के लिए स्वीकृत थे वह पद वहां से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिये गए हैं? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से पद हैं, और उन पर किस-किस कर्मचारी का पद स्थापन/पदोन्नति की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जहां से पद स्थानान्तरित किये गए हैं, उन्हें पुनः वहां स्थानान्तरित कर्मचारियों का पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, करने तो कब तक, और यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं/कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक/कार्यालय सहायक/कार्यालय अधीक्षक के फरवरी, 1994 तक स्वीकृत पदों की सूची परिशिष्ट–1 संलग्न है।

(2) जहां-जहां पद स्वीकृत हैं उन पर पद स्थापित कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। स्वीकृत स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित किये गये पद व उन पर पद स्थापित कर्मचारी के नाम आदि का विवरण परिशिष्ट--3 संलग्न है।

(4) स्वीकृत स्थान से अन्यत्र कुछ पदों का स्थानान्तरण कार्य एवं व्यवस्था की दृष्टि से किया गया है। अतः उनको वापस स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

**प्राचार्य, उपनिदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) के पदों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति**

1278. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे :–

# Page No.52



(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(1) प्राचार्य शारीरिक शिक्षा, जोधपुर उपनिदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) के पदों की डी.पी.सी. कितने वर्षों से नहीं हुई है ? सरकार कब तक इनकी डी.पी.सी. कराने का विचार रखती है ?

(2) उक्त पदों के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित हैं ?

**उत्तर**

(1) प्रधानाचार्य शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर का पद 100% सीधी भर्ती से भरा जाता है । उप निदेशक (शा. शि.) एवं जिला शिक्षा अधिकारी (शा.शि.) का पद नियमों में सम्मिलित नहीं है नियमों में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है । साथ ही प्रधानाचार्य, उप निदेशक एवं जि.शि.अ. (शा.शि) के पद शत प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान नियमों में किया जाना विचाराधीन है । निर्णय होने पर डी.पी.सी. की बैठक बुलाया जाना सम्भव हो सकेगा ।

(2) नियमों में योग्यता निर्धारण किया जाना भी विचाराधीन है ।

**विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की अनुदानित संस्थाएं**

**1279. श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सागर जैन उच्च प्राथमिक विद्यालय, धानमण्डी, किशनगढ़ का कोई ज्ञापन सरकार के समक्ष बकाया राशि का भुगतान सम्बन्धी आया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों को वर्तमान में दिये जाने वाले अनुदान का विवरण स्कूलवार सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या अनुदान के लिये स्कूलों के आवेदन पत्र लम्बित हैं ? यदि हां, तो लम्बित आवेदन पत्रों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) अनुदान के मापदण्ड वर्तमान में क्या हैं ? क्या सरकार इनमें परिवर्तन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

(1) जी हां । प्रकरण अभी विचाराधीन है ।

(2) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में निम्नांकित विद्यालयों को निम्नानुसार अनुदान दिया जाता है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सागर जैन उ.प्रा.वि. किशनगढ़ | 70 प्रतिशत |
| 2. | गंगा विद्या मन्दिर, उ.प्रा.वि., किशनगढ़ | 60 ,, |
| 3. | के.डी. जैन प्रा.वि., किशनगढ़ | 80 ,, |
| 4. | गंगा विद्या मन्दिर प्रा.वि., किशनगढ़ | 90 ,, |
| 5. | अग्रवाल बालिका उ.प्रा.वि., किशनगढ़ | 80 ,, |

(शिक्षा मंत्री)

| | | |
|---|---|---|
| 6. | के.डी.जैन, उ.मा.वि. किशनगढ़ | 80 प्रतिशत |
| 7. | अग्रवाल बालिका मा.वि. किशनगढ़ | 70 ,, |

(3) नियमित अनुदान का कोई प्रकरण बकाया नहीं है।

(4) अनुदान के मानदण्ड राजस्थान गैर सरकार शैक्षिक संस्था (मान्यता, अनुदान सहायता और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के अनुसार है। नियमों के पुनरीक्षण हेतु एक उच्च राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेगी।

**बापू उच्च प्राथमिक विद्यालय, बारोजी के अध्यापकों को वेतन का भुगतान**

**1280. श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बापू उच्च प्राथमिक विद्यालय, बारोजी को सरकार 70% अनुदान देती है ? यदि हां, तो गत 10 वर्षों का आय-व्ययक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालय सरकारी भवन में चल रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि अध्यापकों के द्वारा पूरा वेतन मांगने पर ट्रस्टी मण्डल द्वारा आर्थिक स्थिति खराब बताते हुये अध्यापकों को वेतन देना बन्द कर दिया गया है ?

**उत्तर**

(1) जी, हां। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में अंकित है।

(2) जी, हां। अभिलेखानुसार विद्यालय नजूल भवन में चल रहा है।

(3) जी, हां। संस्था प्रबन्धकों ने आर्थिक स्थिति खराब बनाकर विद्यालय बन्द करने का निर्णय लिया था। वर्तमान में माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उसी स्थान में विद्यालय चल रहा है। कार्यरत स्टाफ को समय पर वेतन मिले इस दृष्टि से 26.3.93 को जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), करौली को उक्त विद्यालय के लिए आहरण वितरण अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रबन्ध समिति द्वारा 30 प्रतिशत का भुगतान नहीं दिये जाने के कारण 70 प्रतिशत की दर से राजकीय हिस्से की राशि का भुगतान कर्मचारियों को कर दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

**संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापकों की नियुक्ति**

**1281. श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम) : क्या शिक्षा (संस्कृत) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या संस्कृत शिक्षा विभाग में वर्ष 1990–91 में अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो कितने पदों पर ? सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No.54



(श्री लक्ष्मणसिंह)

(2) क्या वर्ष 1990–91 में नियुक्ति देने से पूर्व सम्बन्धितों के प्रमाण-पत्रों की बोर्ड/विश्वविद्यालय से जांच कराई गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार अब कब तक प्रमाण-पत्रों की जांच बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराकर फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर की गई नियुक्तियों को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में वर्ष 1990–91 में तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के 574 पदों पर नियुक्तियां की गई थी । सूची अनुलग्नक (1) व (2) पर संलग्न है ।

(2) संस्कृत शिक्षा विभाग में वर्ष 1990–91 में नियुक्ति देने से पूर्व सम्बन्धितों के प्रमाण-पत्रों की बोर्ड/विश्व विद्यालय से जांच नहीं करायी गयी । उस समय विभाग द्वारा गठित साक्षात्कार-बोर्ड के स्तर पर ही जांच की गयी थी । तदनुसार की गयी नियुक्तियों में किसी के फर्जी प्रमाण-पत्र होने का कोई मामला इस विभाग में प्राप्त नहीं हुआ, अतः नियुक्ति निरस्त करने का प्रश्न भी नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

**न्यायिक न्यायालयों को विधिक सहायतार्थ राशि**

1282. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के विभिन्न न्यायिक न्यायालयों को विधिक सहायतार्थ कुल कितनी राशि आवंटित की गयी ?

(2) जिला सीकर को विधिक सहायतार्थ कितनी राशि दी गयी, जिसमें से नीमकाथाना में अवस्थित न्यायालयों को कितनी राशि दी गयी ? उक्त दोनों स्थानों पर वर्तमान में विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन लम्बित हैं ?

**उत्तर**

(1) राजस्थान में विभिन्न न्यायिक न्यायालयों को विधिक सहायतार्थ वित्तीय वर्ष 1993–94 में कुल 7,40,550/–रुपये की राशि आवंटित की गयी ।

(2) जिला सीकर को वित्तीय वर्ष 1993–94 में विधिक सहायतार्थ 30,000/– की राशि आवंटित की गयी । जिसमें से 16,350/– रुपये की राशि नीमकाथाना पर स्थित न्यायालयों के लिए आवंटित की गयी ।

सीकर मुख्यालय पर 9 व नीमकाथाना मुख्यालय पर 28 प्रार्थना पत्र विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए दिनांक 31.3.94 को विचाराधीन थे ।

**प्रदेश के कृषि डिप्लोमा होल्डर्स इन्जीनियर**

1283. **श्री बनवारीलाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

# Page No.55



(श्री बनवारीलाल शर्मा)

(1) राज्य में एग्रीकल्चर इन्जीनियर डिप्लोमा होल्डर्स बेरोजगारों की संख्या कितनी है ?

(2) क्या सरकार इनको रोजगार दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब व किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) 31 दिसम्बर, 1993 को राजस्थान के रोजगार कार्यालय की जीवित पंजिका पर एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स की संख्या 6 है ।

(2) वर्तमान में इन्हें रोजगार दिलाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

**ग्राम मोरड़ी (किशनगढ़) में सम्पर्क सड़क का निर्माण**

**1284. श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के मण्डी क्षेत्र में स्थित ग्राम मोरड़ी को सम्पर्क सड़क द्वारा मुख्य सड़क (रूपनगढ़ से किशनगढ़) से जोड़ने की कोई योजना कृषि उपज मण्डी समिति की है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इसकी क्रियान्विति का विचार रखती है ?

(2) कृषि उपज मण्डी समिति की सड़क विकास की क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । कृषि उपज मण्डी समिति, मदनगंज किशनगढ़ ने दिनांक 5.3.94 को प्रस्ताव संख्या 16 द्वारा सम्पर्क सड़क मोरड़ी से मुख्य सड़क (रूपनगढ़-किशनगढ़) के निर्माण करवाने बाबत प्रस्ताव पारित कर उक्त सड़क का अनुमानित तकमीना बनाने बाबत अपने कार्यालय के पत्रांक 2042–45 दिनांक 5.3.94 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, अजमेर को लिखा है । अधिशाषी अभियन्ता से अनुमानित तकमीना प्राप्त होने के पश्चात मण्डी समिति इस सम्पर्क सड़क हेतु राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर से ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही करेगी । बोर्ड से ऋण प्राप्त होने पर ही इस सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया जा सकेगा । क्योंकि मण्डी समिति की आर्थिक स्थिति कमजोर है एवं मण्डी परियोजना का द्वितीय चरण स्वीकृत हो चुका है ।

(2) (अ) मण्डी समिति क्षेत्र किशनगढ़ में सम्पर्क सड़कों के निर्माण की योजना निम्नलिखित है :–

(i) सम्पर्क सड़क नेशनल हाइवे नम्बर 8 से रामनेर ढाणी :– इस सम्पर्क सड़क की लम्बाई 4 किलोमीटर है । इस सड़क की 10.40 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी । वर्ष 92–93 में इस सड़क पर 2,68,993.00 रुपये व्यय हुए थे । वर्ष 93–94 में इस सम्पर्क सड़क हेतु 4.00 लाख रुपये का बजट स्वी-

(कृषि राज्य मन्त्री)

कृत किया गया था । वर्ष 93–94 के माह फरवरी तक इस सड़क पर 6,44,851.00 रुपये व्यय हो चुके हैं । मण्डी समिति द्वारा फरवरी, 94 तक कुल 9,13,844.00 रुपये की राशि व्यय की गयी है । आगे कार्य चालू है ।

(ii) सम्पर्क सड़क रूपनगढ़ रोड़ से नटूटी :- इस सम्पर्क सड़क की लम्बाई 3 कि. मी. है । इस सड़क हेतु 7.80 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी । वर्ष 1992–93 में इस सड़क पर 37,282.00 रुपये व्यय हुए थे । वर्ष 93–94 में इस सम्पर्क सड़क हेतु 6.43 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था । वर्ष 93–94 के माह फरवरी तक इस सड़क पर 4,70,801.00 रुपये व्यय हो चुके हैं । मण्डी समिति द्वारा इस सड़क पर माह फरवरी, 1994 तक कुल 5,08,083.00 रुपये की राशि व्यय की गयी है । आगे कार्य चालू है ।

(ब) पुरानी सम्पर्क सड़कें जिन्हें बने हुए दस वर्ष से अधिक हो गया है । उन सम्पर्क सड़कों की विशेष मरम्मत करवाने बाबत मण्डी समिति ने दि. 5.3.94 को प्रस्ताव संख्या 15 पारित कर अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, अजमेर को अनुमानित तकमीना बनवाने बाबत लिखा है । अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अनुमानित तकमीने बनाकर भेजने के पश्चात मण्डी समिति राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर से अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही करेगी । मदनगंज मण्डी समिति 'स' श्रेणी की है । 'स' व 'द' श्रेणी की मण्डी समितियों द्वारा बनायी गयी सम्पर्क सड़कें जिन्हें 10 वर्ष या इससे अधिक समय हो गया हो उन सम्पर्क सड़कों की विशेष मरम्मत करवाने बाबत राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से अनुदान दिया जायेगा ।

(स) नवीन सम्पर्क सड़कें :–

(i) सम्पर्क सड़क बरना से गोवर्धनपुरा, लम्बाई 3 कि. मी. का मण्डी समिति ने प्रस्ताव पारित कर मय अनुमानित तकमीने के ऋण प्राप्ति हेतु सचिव राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को अपने पत्रांक 1606–9 दिनांक 7.1.94 द्वारा भेजा था । मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर ने अपने पत्रांक 11733 दिनांक 30.3.94 द्वारा उक्त सम्पर्क सड़क के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर भिजवाने बाबत मण्डी समिति को लिखा है । मण्डी समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(ii) सम्पर्क सड़क मोरड़ी से मुख्य सड़क (रूपनगर-किशनगढ़) लम्बाई 1।–2 कि, मी. का मण्डी समिति ने दिनांक 5.3.94 को प्रस्ताव संख्या-16 पारित कर अनुमानित तकमीना बनवाने बाबत अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, अजमेर को

(कृषि राज्य मन्त्री)

लिखा है। मण्डी समिति के पास अनुमानित तकमीना प्राप्त होने के पश्चात् वह राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर से ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही करेगी। क्योंकि मण्डी समिति की आर्थिक स्थिति कमजोर है एवं मण्डी परियोजना का द्वितीय चरण स्वीकृत हो चुका है।

**जिला भीलवाड़ा में विश्व बैंक की सहायता से सड़कों का निर्माण**

**1285. श्री कालूलाल गुर्जर** (माण्डल): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भीलवाड़ा जिले में विश्व बैंक की सहायता से सड़कें निर्माण करने का प्रस्ताव कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित है? यदि हां, तो जिले की कौन-कौन सी सड़कें प्रस्तावित हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विश्व बैंक की सहायता से सड़कें स्वीकृत करने के क्या मानदण्ड हैं?

(3) भीलवाड़ा जिला और माण्डल विधान सभा क्षेत्र से सड़कों का कार्य कब से आरम्भ करने का सरकार विचार रखती है?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विश्व बैंक की सहायता से सड़क निर्माण के मुख्य मापदण्ड निम्न प्रकार हैं :–

1. 1971 की जनगणना से 1000 की आबादी हो।
2. जिन मण्डियों की वर्ष 91–92 की वार्षिक आय पचास लाख से कम हो।
3. सड़कों की लम्बाई कम से कम 2 कि. मी. एवं अधिक से अधिक 12 कि. मी. हो।
4. जो जिला कृषि उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो।
5. सड़कें खनन क्षेत्र में न हो।

(3) विश्व बैंक परियोजना में भीलवाड़ा जिला स्वीकृत नहीं है। अतः इस परियोजना के अन्तर्गत सड़कों के कार्य आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता है।

**राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र बम्बूली में अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतें**

**1286. श्री रामनारायण** (नैनवा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र बम्बूली में करवाये गये कार्यों एवं पौध वितरण आदि के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या शिकायतों का विभाग द्वारा इन्द्राज किया गया है? यदि हां, तो शिकायत के नम्बर सहित शिकायत के निस्तारण आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

# Page No.58



उत्तर

(1) जलग्रहण क्षेत्र बम्बूली में यूजर्स कमेटी के चुनाव कराये जाने एवं श्रमिकों के भुगतान में विलम्ब होने इत्यादि का ज्ञापन प्राप्त हुआ है। जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) प्राप्त ज्ञापन का विभाग के निदेशालय द्वारा संधारित पंजिका के क्रमांक 124 दिनांक 17.1.94 पर इन्द्राज अंकित है। ज्ञापन की तथ्यात्मक जानकारी सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है, जिसमें ज्ञापन में अंकित बिन्दु आधारहीन पाये गये। जिसकी प्रति परिशिष्ट 'ब' पर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

**ग्राम पंचायत तलावड़ा (सवाईमाधोपुर) की बीहड़ सुधार योजना**

**1287. श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत तलावड़ा, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर में बीहड़ सुधार योजना का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) सरकार द्वारा इस बीहड़ सुधार योजना के लिए गत पांच वर्षों में कितनी राशि स्वीकृति की गई थी ? अब तक कितनी-कितनी राशि प्रत्येक वर्ष में किस-किस कार्य में व्यय की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्य को सम्पन्न कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति का गठन कर रखा है ? यदि हां, तो समिति के सदस्यों की सूची मय पद व नाम के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त बीहड़ सुधार योजना में चल रही कथित अनियमितताओं की शिकायत विभाग में प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो शिकायत किस के द्वारा और कब की गयी ? शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त शिकायत पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी।

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम पंचायत तलावड़ा तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर में बीहड़ सुधार योजना अन्तर्गत कोई कार्य क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। बीहड़ सुधार योजना वर्ष 92–93 में बन्द कर दी गयी थी। इस योजना के क्रियान्वयन अवधि के दौरान भी इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करवाया गया था।

(2) बन्द हुई बीहड़ सुधार योजना के अन्तर्गत कार्यवार राशि स्वीकृत करने का प्रावधान था। पंचायत तलावड़ा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर क्षेत्र में बन्द हुई बीहड़ सुधार योजना के तहत कोई कार्य नहीं करवाया गया इस कारण कार्यवार / वर्षवार व्यय की गई राशि का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(3) जी नहीं। बन्द हुई बीहड़ सुधार

(कृषि राज्य मन्त्री)

योजना के अन्तर्गत कार्य कराने हेतु किसी प्रकार की समिति के गठन का प्रावधान नहीं था।

(4) जी नहीं। पंचायत–तलावड़ा, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर क्षेत्र में बन्द हुई बीहड़ सुधार योजना अन्तर्गत कोई कार्य नहीं कराया गया इस कारण शिकायत का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(5) कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई। इस कारण कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

**जिला धौलपुर में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सड़कों का निर्माण**

1288. **श्री बनवारीलाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला धौलपुर में कृषि उपज मण्डी द्वारा अब तक कुल कितने ग्रामों को सड़क से जोड़ा गया है ? उनकी कितनी-कितनी दूरी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में सन् 1985 से 1994 तक कौन-कौन सी सड़क का निर्माण करवाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी द्वारा बनाई गई सड़कों की मरम्मत नहीं होने के कारण उन सड़कों की हालत दयनीय है ? यदि हां, तो इन सड़कों की मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार मंडी द्वारा निर्मित सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को ट्रान्सफर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जिला धौलपुर में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा ग्रामों को जोड़ने हेतु निम्न सड़कों का निर्माण कराया गया :–

| क्र.सं. | सड़क का नाम | लम्बाई (कि.मी.) |
|---|---|---|
| 1. | सम्पर्क सड़क सुआ के बाग से विपरपुर | 2.80 |
| 2. | सम्पर्क सड़क गवर्नमेंट कालेज से भैसाना | 2.50 |
| 3. | सम्पर्क सड़क राजाखेड़ा से इन्द्रावली | 1.00 |
| 4. | सम्पर्क सड़क दिहोली | 2.00 |
| 5. | सम्पर्क सड़क पहाड़ी | 2.00 |
| 6. | सम्पर्क सड़क मछरिया | 1.00 |
| 7. | सम्पर्क सड़क जी.टी. रोड से बोधपुरा | 1.00 |
| 8. | सम्पर्क सड़क इन्द्रावली से फरासपुरा | 2.00 |

(2) धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1985 से 1994 तक में निर्मित की गई सड़कों की सूची निम्न प्रकार से प्रेषित है:–

(कृषि राज्य मन्त्री)

1. सम्पर्क सड़क सुआ के बाग से विपरपुर

2. सम्पर्क सड़क गवर्नमेंट कालेज से मैंसाना

(3) जी, हां। मण्डी समिति धौलपुर की आर्थिक स्थिति खराब होने से विपणन बोर्ड द्वारा 12.80 लाख का अनुदान वर्ष 93-94 में स्वीकृत किया गया है, व निम्न सड़कों की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है :–

| क्र.सं. | सड़क का नाम | लम्बाई (कि.मी.) |
|---|---|---|
| 1. | सम्पर्क सड़क सुआ बाग से विपरपुर | 1.80 |
| 2. | सम्पर्क सड़क राजाखेड़ा से इन्द्रावली | 0.45 |
| 3. | सम्पर्क सड़क पहाड़ी | 0.20 |
| 4. | सम्पर्क सड़क फरासपुरा | 0.50 |

शेष चार सड़क (1) गवर्नमेंट कालेज से मैंसाना (2) सम्पर्क सड़क दिहौली (3) सम्पर्क सड़क मछरिया (4) सम्पर्क सड़क जी.टी. रोड से बोघपुरा का मरम्मत कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बीहड़ सुधार योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है।

(4) जी, नहीं। क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास अपना स्वयं का ही पर्याप्त कार्य है।

**ग्राम माटुन्दा (बूंदी) में सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा**

**1289. श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कृषि भूमि खसरा संख्या 1569 एवं 1856 ग्राम माटून्दा, तहसील बूंदी में होकर सीवेज ड्रेन एवं ड्रेन के साथ सड़क (रास्ता) निर्माण करवाया गया है ? यदि हां, तो ड्रेन के नम्बर एवं नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त वर्णित ड्रेन एवं पटरी (रास्ता) में काम आई भूमि के खातेदार कृषक को भूमि का मुआवजा अदा कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो मुआवजा कब तक अदा कर दिया जावेगा ? कृषक वार सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी, हां। ड्रेन का नाम एवं नम्बर निम्न प्रकार है :–

1. मेन सब ड्रेन नम्बर 3 (खसरा नम्बर 1569 गाम माटूण्डा का आंशिक भाग)

2. मेन ड्रेन नम्बर 1 (खसरा नम्बर 1856 गाम माटूण्डा का आंशिक भाग)

लेकिन सड़क का अलग से निर्माण नहीं किया गया था सिर्फ ड्रेन खुदाई की मिट्टी सर्विस रोड पर डाली गयी थी।

(सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री)

(2) जी, नहीं। मुआवजे के शीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

**विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की सड़कों का डामरीकरण**

**1290. श्री दलजीत सिंह** (बाड़ी) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी, जिला धौलपुर में महुआ खेड़ा से नगला बीदोरा एवं बाड़ी से नगला-बीदोरा वाया अलीगढ़ हेतु आर.एल.जी.पी. के तहत सड़क निर्माण हेतु राशि स्वीकृत हुई थी? यदि हां, तो कितनी व कब? क्या उक्त राशि का उपयोग सड़क निर्माण में कर लिया गया है? यदि हां, तो कितने किलोमीटर सड़क कहां से कहां तक की बनी?

(2) क्या सरकार उक्त निर्मित सड़कों का डामरीकरण कराने का भी विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र बाड़ी जिला धौलपुर में महुआ खेड़ा से नगला-बीदौरा एवं बाड़ी से अलीगढ़ तक 9.3 किलोमीटर लम्बाई का सड़क निर्माण कार्य हेतु ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 13.50 लाख राशि दिनांक 28.8.84 को स्वीकृत की गयी थी और कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को करना था। स्वीकृत राशि का उपयोग 9.4 कि.मी. लम्बाई की मिट्टी का कार्य करने, 4.5 कि.मी. लम्बाई हेतु ओवरसाइज मेटल तथा 4 कि.मी. हेतु एन.एस.एम. खान पर एकत्रित करने हेतु किया तथा इस कार्य पर 8,58,078/– राशि व्यय की गयी। इस प्रकार महुआ खेड़ा से नगला बीदोरा तक 5.4 कि.मी. लम्बाई में एवं बाड़ी से अलीगढ़ तक 4 कि.मी. लम्बाई में मिट्टी का कार्य किया गया।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि सड़क का डामरीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं स्वीकृत मापदण्डों में सड़क के आने पर निर्भर करेगा। विशिष्ट योजना संगठन के पास सड़कों के डामरीकरण की कोई योजना नहीं है।

**जिला डूंगरपुर के आदिवासी छात्रावास**

**1291. श्री शंकरलाल अहारी** (चौरासी) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) डूंगरपुर जिले में ए, बी, सी श्रेणियों के कितने राजकीय आदिवासी छात्रावास हैं, तथा प्रत्येक श्रेणी के छात्रावासों में क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं?

(2) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में सरकार द्वारा कुछ छात्रावास बन्द किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार इन छात्रावासों को पुनः प्रारम्भ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

# Page No.62



**उत्तर**

(1) डूंगरपुर जिले में "ए' श्रेणी के राजकीय आदिवासी 1 (एक), "बी" श्रेणी के 5 (पांच) तथा "सी" श्रेणी के 29 (उनतीस) कुल 35 (पैंतीस) राजकीय आदिवासी छात्रावास स्वीकृत हैं। विभाग द्वारा संचालित सभी प्रकार के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधायें परिशिष्ट 'अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा डूंगरपुर जिले के किसी भी राजकीय छात्रावास को बन्द नहीं किया गया है। जो अनुदानित छात्रावास बन्द हैं वे स्वयं संस्था के द्वारा संचालन न कर सकने के कारण बन्द हैं।

(3) किसी उपयुक्त स्वयं सेवी संस्थान द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा सभी पहलुओं का आंकलन करने के पश्चात निर्णय लिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

**जनता बाजार (कमल गट्टा) जयपुर में दुकानों का आवंटन**

**1292. श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नगर निगम, जयपुर क्षेत्र में जनता बाजार नाम का व्यवसायिक केन्द्र है जो कि मुख्य नगर नियोजक द्वारा अनुमोदित है? यदि हां, तो क्या इस बाजार में थड़ी होल्डर्स को दुकानें आवंटित की गई थी व नीलामी द्वारा दुकानों का बेचान किया गया था?

(2) क्या यह सही है कि इस बाजार के एक भू-भाग का जो कि "कमल गट्टा" के नाम से जाना जाता है, पर भी दुकानें बनाना प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो क्या इनमें से कुछ दुकानें थड़ी वालों को अलाट किया जाना और कुछ दुकानों को नीलामी द्वारा बेचा जाना प्रस्तावित है?

(3) क्या यह सही है कि जनता बाजार (कमल गट्टा) की इन दुकानों के पीछे ताल कटोरा की भूमि पर पूर्व महाराजा द्वारा भूखण्ड काट कर बेचे गये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि निगम रिकार्ड के अनुसार सरकारी है? क्या इन भूखण्डों पर निर्माण भी हो चुका है? क्या इन भूखण्डों पर बने मकान निगम की स्वीकृति से बने हैं? यदि नहीं, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

(4) क्या यह सही है कि जनता बाजार (कमल गट्टा) की व्यवसायिक भूमि का इन भूखण्ड धारियों को रिहायशी दर लेकर अवैध बेचान कर अलाट कर दिया गया है, जिससे निगम को लाखों रुपयों की हानि हुई? क्या व्यवसायिक भूमि को रिहायशी दर लेकर अलाट किया जा सकता है? यदि हां, तो किस नियम / आदेश के अन्तर्गत?

(5) क्या यह सही है कि इस भूमि के बेचान के विरुद्ध यहां के नागरिकों द्वारा सरकार व निगम में शिकायत करने पर इस अवैध बेचान को पूर्व प्रशासक द्वारा निरस्त कर दिया गया था? क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान निगम अधिकारियों ने इन व्यवसायिक दुकानों की भूमि पर पुनः बेचान की स्वीकृति दे दी?

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

(6) क्या सरकार इस अवैध बेचान व स्वीकृति को निरस्त कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। केवल मुख्य जनता बाजार में दुकानों की नीलामी व आबंटन किया गया था।

(2) कमल गट्टा नामक स्थान आवासीय योजना के नाम से जानी जाती है। वर्तमान में यहां दुकानें प्रस्तावित नहीं हैं।

(3) जी, हां। भूखण्डों पर निर्माण अनुमति एवं बिना अनुमति के गत कई वर्षों पूर्व हुआ था।

(4) कमल गट्टा योजना व्यवसायिक नहीं है। इस योजना में भूखण्ड धारियों को उनके आवासीय भूखण्डों से लगती हुई भूमि को राजकीय आदेश दिनांक 9.4.91 एवं 28.12.92 के अनुसार दी गई है, जिससे परिषद को वित्तीय हानि नहीं हुई है।

(5) पूर्व प्रशासक ने दि. 19.11.90 के पत्र द्वारा उक्त रिहायशी जगह की राजकीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत निदेशक, स्वायत शासन विभाग को लिखा था, इस पर राजकीय स्वीकृति दि. 9.4.91 को प्राप्त हुई। इसके बाद में पूर्व प्रशासक ने कुछ नागरिकों के मिलने के बाद में इस स्वीकृति पर पुनः विचार करने हेतु दिनांक 16.4.91 को लिखा था, जिस पर पुनः राज्य सरकार की स्वीकृति दि. 28.12.92 को प्राप्त हुई और उन्हीं आदेशों के अनुसार कार्यवाही की गयी।

(6) बेचान ही अवैध नहीं है तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**आतिश मार्केट, जयपुर की सम्पत्ति प्रकरण**

1293. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आतिश मार्केट जयपुर की सम्पत्ति राजघराने की निजी सम्पत्ति है, व इसको राजघराने के परिवार वालों को बेचने या किराये पर देने का अधिकार है ? यदि हां, तो उस आदेश या दस्तावेज की प्रति सदन की मेज पर रखें ? यदि नहीं, तो पूर्णिमा हैण्डीक्राफ्ट को आतिश मार्केट के ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व के दरवाजे के दोनों ओर नगर निगम ने मकान बनाने व ऐतिहासिक स्वरूप को बिगाड़ने की स्वीकृति किस दस्तावेज/नियमों के आधार पर दी है ?

(2) क्या यह सही है कि राजघराने के परिवार वालों ने स्वीकृति न देने के बारे में ऐतराज किया है ? यदि हां, तो ऐतराज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आतिश मार्केट के एक अन्य केस में राजस्थान उच्च न्यायालय ने आतिश मार्केट पर स्वीकृति न देने के आदेश दे रखे हैं।

(4) क्या यह सही है कि पूर्व में दो बार स्वीकृति को निरस्त किया गया था ?

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

यदि हां, तो किस नियम के तहत उन्हीं अधिकारियों द्वारा पुनः स्वीकृति दी गयी ?

(5) क्या यह सही है कि इस परिसर की स्वीकृति पर विचार करने से पूर्व सरकार व मुख्य नगर नियोजक की राय नहीं ली गई जो नियमों/आदेशों के अनुसार आवश्यक है ?

(6) क्या यह सही है कि स्वायत्त शासन विभाग ने सम्बन्धित सहायक अभियन्ता व आयुक्त को नियम विरुद्ध स्वीकृति जारी करने व ऐतिहासिक स्वरूप को बिगाड़ने की अनुमति देने के आरोप में निलम्बित करने की मंत्री महोदय को सिफारिश की थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) आतिश मार्केट जयपुर की सम्पत्ति बाबत कोन्वेन्ट की प्रतिलिपि (रिलेवेन्ट एबस्ट्रेक्ट) संलग्न है। राजघराने की सहमति के आधार पर ही नगर निगम ने केवल मात्र टीनशेड हटा कर छत डालने की सहमति दी है, न कि कोई स्वरूप बिगाड़ने की।

(2) जी, नहीं। बल्कि राजघराने द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी इस आशय का दिया गया था कि निगम से स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य कराया जा सकता है।

(3) जी, नहीं।

(4) स्वीकृति राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 170 के अन्तर्गत राजघराने की सहमति के आधार पर नियमानुसार दी गयी है।

(5) जी, नहीं। राय लेने का भवन उप नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(6) स्वायत्त शासन विभाग की पत्रावली पर टिप्पणी गोपनीय है। सम्बन्धित का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। उसके प्रत्युत्तर के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

**नगर निगम, जयपुर द्वारा अवैध कब्जों का नियमितीकरण**

**1294. श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम जयपुर ने सरकारी भूमि पर किये गये अवैध कब्जों को नियमित किया है ? यदि हां, तो किस नियम/आदेश के अनुसार ? इस प्रकार के कितने मामले पिछले 6 माह में नियमित किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चौकड़ी तोपखाना हजूरी, मीठी कुई के रास्ते में फरीद नाम के व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि के बड़े भू-भाग पर अवैध कब्जा किया गया था एवं इसके विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 203 के अनुसार थाना रामगंज, जयपुर में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था ? यदि हां, तो मुकदमे में क्या कार्यवाही हुई ? पत्रावली में दिये गए आदेश व मुकदमे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

(3) क्या यह सही है कि नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये उपनिरीक्षक ने शहर का परकोटा तोड़कर सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया, जिसका नगर निगम ने मुकदमा दर्ज कराया ? यदि हां, तो मुकदमे एवं उक्त उपनिरीक्षक व अन्य लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । राजकीय आदेश संख्या एफ 7 (181) एलएमजी/58 दिनांक 9.5.77 एवं 28 (73) नविआ/4/79 दिनांक 21.1.82 के अनुसार 6 माह में 16 मामले नियमित किये हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) यह सही नहीं है कि चौकड़ी तोपखाना हजूरी, मीठी कुई के रास्ते में फरीद खां ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, बल्कि फरीद खां ने इस भूमि का सर्व धारी एवं कब्जेधारी व्यक्ति से भूमि का कब्जा प्राप्त कर भूमि के नियमन किये बिना ही बिना अनुमति के निर्माण कार्य किये जाने पर उसके विरुद्ध पुलिस थाना रामगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया था ।

(3) जी हां । जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था, उन्होंने अपर मुसिफ न्यायालय नं. 4 से निर्माण न तोड़ने बाबत स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें ।)

स्थगित प्रश्न

(गुरुवार, 24 मार्च, 1994)

**विद्याधर नगर व मुरलीपुरा, जयपुर में मकानों का आवंटन**

842. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981 एवं 1985 की बाढ़ में नाहरी का नाका, जयपुर की व्यास कॉलोनी के बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को विद्याधर नगर एवं मुरलीपुरा में मकान आवंटित किये गये थे ? यदि हां, तो किस-किस को ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) व्यास कॉलोनी से हटाये गये लोगों में से कितनों के कब्जे जे. डी. ए. ने सम्भाले ? प्राप्त भू-खण्डों की वर्तमान में क्या स्थिति है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) व्यास कॉलोनी में जे. डी. ए. द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों के तहत निवासियों को भू-खण्ड आवंटन की क्या नीति निर्धारित की गई है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि कुछ लोगों द्वारा अपने ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम कई-कई भू-खण्डों पर कब्जा किया हुआ है ? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि कुछ लोगों ने सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों की

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

मिली भगत से पांच-पांच प्लाटों के कागजात सर्वे के दौरान बनवाए है ? यदि हां, तो कितनों ने ? दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(6) क्या यह भी सही है कि व्यास कॉलोनी के कुछ लोगों को अन्यत्र भू-खण्ड आवंटित किये गये थे, किन्तु वे पुनः आकर बस गये ? यदि हां, तो कितने ? उन्हें अब कब तक हटा दिया जावेगा ?

(7) क्या यह सही है कि अन्यत्र बसाये गये लोगों के पुनः इसी कॉलोनी में आकर बसने की शिकायत समय-समय पर विभाग में की गई ? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस द्वारा ? इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन कालोनियों के कब्जों व भू-खण्डों आदि की जांच व सर्वे करवाया जा रहा है। इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(3) इस क्षेत्र में सड़क आदि विकास कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया गया है। आवंटन सम्बन्धी नीति का निर्धारण नगर निगम एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के मध्य विचाराधीन है।

(4) इस बारे में जांच करवाई जा रही है।

(5) प्रश्न के भाग 4 में इसका उत्तर भी सम्मिलित हैं।

(6) इस बारे में सर्वे भी करवाया जाना है। सर्वे के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

(7) प्रश्न के उत्तर भाग 4 व 6 में इसका उत्तर भी सम्मिलित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

(बुधवार, 30 मार्च, 1994)

**ग्राम देचूगुमानपुरा (शेरगढ़) में सौर ऊर्जा संयंत्र की मरम्मत**

**1115. श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या शेरगढ़ क्षेत्र के ग्राम देचूगुमानपुरा में बेरा मारवर वाला पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है ? यदि हां, तो यह कब से खराब है और कब तक ठीक करवा दिया जायेगा।

उत्तर

जी, हां। शेरगढ़ क्षेत्र के ग्राम देचूगुमानपुरा में बेरा भाकरवाला पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है। जिसे केन्द्रीय उपक्रम सी. ई. एल., गाजियाबाद द्वारा लगाया गया था तथा बाद में इसे विभाग को संभलवा दिया गया। इस क्षेत्र में आई आंधी से जून, 1991 में इस संयंत्र के 42 पैनलों में से 3 पैनल गिर कर क्षतिग्रस्त हो गये थे। जून, 1992 में अस्थाई रूप

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

से एक अधिक क्षतिग्रस्त पैनल को अलग करके संयंत्र को चालू कर दिया गया था। अब यह संयंत्र गत लगभग सवा साल से बन्द पड़ा है तथा इसे पुनः चालू करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(गुरुवार, 31 मार्च, 1994)

**अधीनस्थ न्यायालय, झालावाड़ में आशुलिपिकीय परीक्षा**

**1136. श्री नारायण लाल** (लसाड़िया) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ में दिनांक 6 मार्च, 1994 को अधीनस्थ न्यायालय के लिए स्टैनोग्राफर्स की परीक्षा आयोजित की गयी थी? यदि हां, तो परीक्षा किसके द्वारा ली गयी व उसमें डिक्टेशन कितने समय दिया गया व उसके अनुवाद के लिए कितना समय दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय के लिए, लिये जाने वाले स्टैनोग्राफर्स की परीक्षा में कोई अंतर है या दोनों के लिए समान ही नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अधीनस्थ न्यायालय के लिए स्टैनोग्राफर्स की परीक्षा उच्च न्यायालय द्वारा ही लिए जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। स्टेनोग्राफर की परीक्षा का डिक्टेशन जिला एवं सत्र न्यायाधीश झालावाड़ द्वारा दिया गया। यह 10 मिनट का था व अनुवाद के लिए 30 मिनट का समय दिया गया था।

(2) उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय के लिए ली जाने वाली स्टेनोग्राफर्स की परीक्षा में नियम अलग-अलग बने हुए हैं। नियमों की एक-एक प्रति माननीय सदस्य के अवलोकनार्थ संलग्न है।

(3) जी नहीं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के स्टाफ के लिए नियम अलग है अतः यह परीक्षा उच्च न्यायालय द्वारा लिये जाने का प्रश्न नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

(12.00)

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

**श्री अध्यक्ष** : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले की नहरों में पानी की भयंकर कमी से रबी की फसल के चौपट होने तथा खरीफ की फसल को भी भारी खतरा उत्पन्न होने से कृषकों में व्याप्त असन्तोष के संम्बन्ध में।

2. सर्वश्री विष्णु मोदी एवं आर. पी. शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार की रात और मंगलवार दिनांक 6 अप्रेल, 1994

(श्री अध्यक्ष)

को आये तूफान और ओलावृष्टि से फसलों को हुई तबाही और जानमाल की हुई हानि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के थाना मुसावर के ग्राम मूडियासाद के दो व्यक्तियों का दिनांक 23 फरवरी, 1994 को अपहरण किये जाने तथा बाद में एक की हत्या कर दिये जाने तथा एक को गम्भीर रूप से घायल कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है :—

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत एवं 20 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं तथा काश्तकारों को आठ घण्टे के स्थान पर चार घण्टे विद्युत देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

विद्युत समस्या के सम्बन्ध में इस सत्र में इस सदन में काफी व्यापक चर्चा हो चुकी है। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को अग्रेतर यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कम्प्यूटर निदेशालय द्वारा की गयी भर्ती में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों का आरक्षित कोटा पूरा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के अन्तर्गत कम्प्यूटर विभाग द्वारा विज्ञप्ति संख्या 1/93 में कुल 169 डाटा एंट्री आपरेटर एवं 49 कम्प्यूटर आपरेटर के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। विज्ञप्ति के अनुसार उक्त वर्ग के निम्न प्रकार पदों का आरक्षण दर्शाया गया था।

| | डाटा एंट्री आपरेटर | कम्प्यूटर आपरेटर |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | 38 | 12 |
| अनु. जन/जाति | 22 | 9 |

उपरोक्त विज्ञापित पदों में आरक्षण पूर्व के अर्जेन्ट टैम्परेरी अपाइण्टमैंट्स के रहे बैकलाग को सम्मिलित किया गया था। राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 राज-पत्र में दिनांक 5.1.1993 में प्रकाशित होने पर लागू हुए हैं एवं इन नियमों के अन्तर्गत प्रथम बार नियमित नियुक्तियां की गयी हैं।

(श्री अध्यक्ष)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध समुचित संख्या में योग्य उम्मीदवार के नहीं मिलने के कारण नियमों के अनुसार अवशेष रहे आरक्षण को आगामी नियुक्ति वर्ष के लिए कैरी फारवर्ड करते हुए पद सामान्य वर्ग से भरे गये। राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के नियम 7(4) के अन्तर्गत ऐसे अवशेष आरक्षण को कैरी फारवर्ड करने का स्पष्ट प्रावधान है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

**प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं**

1. श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सिरोही में मकान आवंटन में जान बूझकर किये जा रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री माधवसिंह दीवान, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य होटल निगम द्वारा खरीद में किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री उदयलाल आंजना, सदस्य, विधान सभा की ओर से निम्बाहेड़ा में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा भूमि मालिकों को नहीं दिये जाने एवं भूमि होते हुए भी अन्य भूमि को आवाप्त किये जाने की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगापुर सिटी में बाई-पास सड़क नहीं बनाये जाने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

5. श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति रानी (पाली) के ग्राम पंचायत खिवाड़ा के ग्राम सेवक पदेन सचिव द्वारा की गयी कथित अनियमितताओं की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

6. श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गुजरात परिवहन निगम का एकाधिकार समाप्त करने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा उनके समान बसों का सचालन करवाये जाने के सम्बन्ध में।

7. श्री नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पचार की पेयजल समस्या के समाधान हेतु स्वीकृत 9.97 लाख रुपये की राशि दिलवाने एवं योजना को जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीन देकर पेयजल समस्या का समाधान किये जाने के सम्बन्ध में।

8. श्री हीरालाल विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जालौर द्वारा पंचायत समिति, सांचौर के माध्यम से डी. डी. पी. योजना एवं जीवन-धारा योजना के अन्तर्गत निर्मित टांकों एवं कूपों के निर्माताओं को बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

9. श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में 6 अप्रेल, 1994 को हुई ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

10. श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नारदपुरा तहसील बस्सी में 50 वर्ष से काबिज पुश्तैनी कृषक की भूमि पर कथित भू-माफिया गिरोह द्वारा जबरन कब्जा कर उसे बेदखल करने के सम्बन्ध में।

11. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर में अधिकारियों द्वारा कृत्रिम पेयजल समस्या प्रकट कर अनावश्यक राशि व्यर्थ खर्च करने की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

12. श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स लिमिटेड द्वारा बरसिंगसर क्षेत्र में प्रस्तावित विद्युत उत्पादन के प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी जाकर विद्युत की कमी को पूरा करवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

**व्यवस्था**

**मंत्रियों द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किये गये कार्यों के विषय में प्रस्तुत निन्दा प्रस्ताव**

श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 24.2.1994 को एक प्रस्ताव इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अनलाफुल एक्टिविटीज (प्रीवेंशन) एक्ट, 1967 के अधीन प्रतिबन्धित विश्व हिन्दू परिषद के तत्कालीन महामन्त्री श्री अशोक सिंघल के सम्मान में दिनांक 8 जनवरी, 1994 को जयपुर में आयोजित एक समारोह में राज्य के दो मंत्रियों और दो राज्य मंत्रियों ने भाग लिया था। उनके कथनानुसार प्रतिबन्धित संस्था के पदाधिकारी को राज्य के मंत्रियों द्वारा सम्मानित किया जाना और उनका अभिनन्दन किया जाना न केवल गैरकानूनी गतिविधियों को उचित ठहराने का प्रयास करना और प्रोत्साहित करना है, बल्कि संवैधानिक व्यवस्थाओं, मर्यादाओं और प्रोपराइटी का हनन किया गया है और उन्होंने अपने पद की गरिमा के विरुद्ध कार्य किया है।

श्री मोदी ने प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत उक्त तिथि को प्रश्न काल स्थगित कर उनके द्वारा उल्लेखित निन्दा प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति इस आधार पर चाही कि मंत्रीगण अपने पद के कारण ही प्रश्न काल से सीधे सम्बद्ध होते हैं और उपरोक्त मंत्रियों ने अपने आचरण से अपने पद की गरिमा को गम्भीर आघात पहुंचाया है। उनके द्वारा प्रस्तुत निन्दा प्रस्ताव में उक्त मंत्रियों के भाग लेने के कारण, उनके कथनानुसार, संवैधानिक व्यवस्थाओं, मर्यादाओं और प्रोप्राइटी का हनन मानते हुए इन मंत्रियों के आचरण का अनुमोदन किये जाने का उल्लेख किया है।

माननीय सदस्य ने निंदा प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रक्रिया नियमों का उल्लेख नहीं किया

(श्री अध्यक्ष)

है जो किया जाना था। अध्यक्षीय विनिर्णयों व "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार पुस्तिका में उल्लेखानुसार ऐसा प्रस्ताव प्रक्रिया नियमों के नियम 119 के अन्तर्गत उठाया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 119–122 के प्रावधान सुसंगत व प्रासंगिक हैं। नियम 119 में "लोक हित के किसी विषय पर चर्चा' शीर्षक से प्रावधान है कि "संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।"

नियम 121 में ऐसे प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें उल्लिखित हैं, जिनमें इस प्रकरण के प्रसंग में निम्न विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :–

(13) वह उस विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो मुख्यतया राज्य सरकार का विषय न हो,

(14) उसमें ऐसे निकायों या व्यक्तियों के नियंत्रणाधीन विषय नहीं उठाये जाएंगे जो मुख्यतया राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी न हों,

(15) उसका किसी ऐसे विषय से सम्बन्ध नहीं होगा जिससे मंत्री पदेन सम्बन्धित न हो।

नियम 122 में "अध्यक्ष प्रस्ताव की ग्राह्यता को विनिश्चित करेगा" शीर्षक से निम्न प्रावधान है :–

"अध्यक्ष विनिश्चय करेगा कि कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं। वह कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सदन की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए आयोजित या इन नियमों का उल्लंघन करता हो।"

इस सम्बन्ध में इसी विधान सभा में दिनांक 20-8-1974 को तत्कालीन मुख्यमंत्री के विरुद्ध प्रस्तुत निन्दा प्रस्ताव पर तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्णय के सन्दर्भ में श्री शंकर लाल (पाली) ने व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नियम 119 के अन्तर्गत केवल लोक हित का ही प्रश्न चर्चा में आ सकता है और प्रस्तुत विषय लोक हित का नहीं है आदि आदि।

इस पर तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने यह निरुक्ति की कि:– "रूल 119 के तहत मेरी मान्यता है कि पब्लिक इम्पार्टेंस से सम्बन्धित कोई सेंसर मोशन आ सकता है।"

इस सम्बन्ध में सर्वश्री कौल एवं शकधर द्वारा विरचित "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" पुस्तक के हिन्दी संस्करण में निंदा प्रस्ताव शीर्षक से कहा गया है कि "निंदा प्रस्ताव रखने के लिए सभा की अनुमति आवश्यक नहीं है। यह सरकार के विवेकाधिकार पर निर्भर है कि वह उसके लिए समय निकाले और उस पर चर्चा के

(श्री अध्यक्ष)

लिए दिन नियत करे। नियमों में स्पष्ट रूप से इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि निंदा का प्रस्ताव रखा जाएगा। ऐसे प्रस्ताव पर वही नियम लागू होते हैं जो कि सामान्य प्रस्तावों पर होते हैं और उसे अनियत दिन वाले प्रस्तावों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध या किसी एक मंत्री के विरुद्ध या मंत्रियों के किसी भी समूह के विरुद्ध इस आधार पर रखा जा सकता है कि उन्होंने अपने राजकीय कर्तव्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया है या वे उसमें असफल रहे हैं या उनकी नीति के कारण ही ऐसा प्रस्ताव रखा जा सकता है। प्रस्ताव में मंत्री या मंत्रियों की असफलता पर खेद, क्रोध एवं आश्चर्य व्यक्त किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव स्पष्ट होने चाहिए जिससे कि निंदा के कारण, संक्षेप में और ठीक ठाक बताये गये हों। प्रस्ताव नियमानुकूल है या नहीं, इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होता है।"

सारसंक्षेप यह है कि श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा ने जो निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसकी नियमों, संसदीय परम्पराओं, व्यवस्थाओं अध्यक्षीय विनिर्णयों की दृष्टि से विवेचना किये जाने पर यह सहज ही प्रकट होता है कि :–

(1) उठाया गया विषय लोक हित का विषय नहीं है, जैसा कि प्रक्रिया नियमों के नियम 119 की अपेक्षा है।

(2) उसमें जो मुद्दा उठाया गया है वह ऐसी संस्था द्वारा आयोजित समारोह से सम्बन्ध रखता है जो प्रतिबन्धित नहीं है। मुद्दे का सम्बन्ध मंत्री अथवा मंत्रीगणों के राजकीय कर्तव्यों से नहीं है।

(3) इसमें उठाया गया विषय किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित नहीं है जिससे मन्त्री पदेन सम्बन्धित हो।

(4) इसमें किसी मंत्री अथवा मंत्रीगण के समूह के विरूद्ध ऐसा विषय नहीं उठाया गया है कि जो उनके पद से सम्बन्धित कार्य व आचरण से हो।

(5) माननीय सदस्य ने इस हेतु दिनांक 24-2-94 के प्रश्न काल को स्थगित कर एक ऐसे विषय पर चर्चा उठाना चाहा है, जो लोक हित का विषय नहीं है, अतः नियम 122 में उल्लेखानुसार उनका यह व्यवहार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग कहा जा सकता है और यह मानने के लिये भी पर्याप्त आधार दृष्टिगोचर होता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न काल की कार्यवाही को स्थगित करने की मांग कर सदन की प्रक्रिया में बाधा डालना, उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालना व परिणामतः नियमों का उल्लंघन किये जाने का एक प्रयास इसमें सन्निहित है।

(6) सन्दर्भित समारोह का आयोजन विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा नहीं किया गया, वह एक ऐसी संस्था द्वारा किया जाना पाया गया जो प्रतिबन्धित नहीं है न उस संस्था की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक ही है। ऐसे प्राइवेट समारोह आयोजन में सभी तबके के लोग आमंत्रित किये जाते हैं और वे समारोह में अपनी प्राइवेट केपेसिटी में उपस्थित होते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आयोजन में महज उनकी प्राइवेट केपेसिटी में उपस्थिति से

(श्री अध्यक्ष)

उनके मंत्री होने की हैसियत से अन्यथा प्रभाव पड़ता हो अथवा व्यक्ति विशेष द्वारा आयोजित समारोह में उनके उपस्थित होने से मंत्रीगण के रूप में कर्तव्य एवं गोपनीयता को आघात पहुंचाने का कथित आचरण नहीं कहा जा सकता है। विश्व हिन्दू परिषद् संस्था की गतिविधियां प्रतिबन्धित हैं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। जिस संस्था (व्यापारी) ने यह समारोह आयोजित किया, उसकी गतिविधियों पर कोई रोक नहीं है, न श्री अशोक सिंघल के व्यक्तित्व पर किसी प्रकार की रोक है कि उनका सार्वजनिक अभिनन्दन नहीं किया जावे।

एतदर्थ, माननीय सदस्य श्री विष्णु मोदी द्वारा प्रस्तुत इस निन्दा प्रस्ताव (censure motion) को उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा प्रक्रिया नियमों के प्रावधानों, माननीय अध्यक्षों के विनिर्णयों, व्यवस्थाओं एवं परम्पराओं के मद्दे नजर रखकर तथा इस प्रस्ताव को नियमों का उल्लंघन मानते हुए मैं अस्वीकार करता हूं। (व्यवधान) अब आप बोलिये, श्री धनखड़।

**श्री विष्णु मोदी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह मुझे शिरोधार्य है, मैं इसको मानता हूं लेकिन मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : पर्याप्त है इतना ही।

**श्री विष्णु मोदी** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : अब श्री धनखड़ बोल रहे हैं कुछ। आप बैठिये। श्री धनखड़। हो गया आपका, शिरोधार्य कर लिया तो।

**श्री विष्णु मोदी** : आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं....

**श्री अध्यक्ष** : श्री धनखड़। श्री धनखड़ जो बोले वह लिखें। हां, बोलिये श्री धनखड़।

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

**श्री रामस्वरूप** : × × ×

**श्री आर. पी. शर्मा** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : कौनसे नियम के अन्तर्गत स्पष्टीकरण चाहते हैं, कृपया नियम का उल्लेख करें। आप मेरा स्पष्टीकरण किस नियम के अन्तर्गत चाहते हैं वह बताइये।

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : आप मुझे नियम कोट करिये कि आप मेरी व्यवस्था के बाद किस नियम के अन्तर्गत स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार रखते हैं।

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : निवेदन भी नहीं है, आप व्यवस्था के ऊपर जो कुछ भी कहना चाहें, किस नियम के अन्तर्गत कह रहे हैं। आप वह नियम बता दीजिये मुझे।

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

---

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री अध्यक्ष** : आप किस नियम के अन्तर्गत बोलना चाहते हैं, आप वह नियम बताइये। आप नियम बताइये, कौनसे नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं।

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

**श्री रामस्वरूप** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : आप नियम बताइये न मुझे।

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : आप किस नियम के अन्गर्गत बोलना चाहते हैं वह बता दीजिये।

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : आप किस नियम के अन्तर्गत बोलना चाहते हैं वह बता दीजिये। अध्यक्षीय व्यवस्था के बारे में कोई कमेंट, कोई स्पष्टीकरण यदि किसी नियम के अन्तर्गत मांगने का आपको अधिकार है तो उस नियम को मुझे बताइये। मैं उसको देखकर आपको अलाऊ करूंगा। अन्यथा इस व्यवस्था के बाद में आपने उसको शिरोधार्य किया है, यह स्वीकार है, यह लिख लिया गया है। इसके बाद और कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आप कृपया बैठें। श्री जगदीप धनखड़।

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : आप नियम बताइये। आप नियम देख लीजिये। नियम देखकर बताइये।

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : बताइये कौनसा नियम है, किस नियम के अन्तर्गत उठाना चाहते हैं।

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : आप किस नियम के अन्तर्गत उठाना चाहते हैं वह बताइये। आप नियम बता दीजिये कि किस नियम के अन्तर्गत अध्यक्षीय व्यवस्था पर आप बोलना चाहते हैं।

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : इस विषय पर नहीं बोलना चाहते हैं तो फिर बैठिये। मैं इनको बुला लेता हूं।

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : दूसरे विषय पर बोलने के लिए आपको बाद में बुला लूंगा।

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : अब आप यह क्या कर रहे हैं? नोट मत करिये। श्री धनखड़ बोलेंगे। श्री धनखड़ का अंकित होगा, आपका नहीं होगा। आपका कुछ अंकित नहीं हो रहा है।

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप बिना किसी नियम के बोल रहे हैं। आपका एक भी अक्षर अंकित नहीं हो रहा है, न यह प्रकाशित होगा, न यह पब्लिसिटी में जाएगा, न यह अंकित होगा....

---

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : इसलिये क्यों समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं। आप सदन का समय व्यर्थ में न गंवायें। आपका एक अक्षर सुना नहीं जाएगा, न आपकी कोई बात इस सम्बन्ध में अंकित होगी। इसलिये मेहरबानी करके विराजें। श्री धनखड़ बोलिये आप। आप बोलिये श्री धनखड़। अब आप वेट करेंगे, यह नहीं बोलने देंगे, तो मैं क्या करूं। आपकी ही पार्टी के सदस्य आपको नहीं बोलने दे रहे हैं। आप बोलिये प्लीज।

**श्री रामस्वरूप** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : हां बोलिये। ओलावृष्टि वाले सब एक साथ बोलें तो अच्छा रहेगा। हां, बोलिये....(व्यवधान) माननीय श्री खेतसिंहजी आपकी पार्टी के माननीय सदस्य मेरा कहना, आसन का कहना नहीं मान रहे हैं। आप कृपया उनको समझायें कि मैंने किसी माननीय सदस्य का नाम पुकारा है। वह उनको बोलना देना नहीं चाहते तो फिर मैं दूसरा आगे काम लेता हूं।....(व्यवधान)

**श्री जगदीप धनखड़** : माननीय अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : अब आपकी सुनना नहीं चाहते हैं। मेरे पास शून्यकाल के लिए, ओलावृष्टि के बारे में 10 माननीय सदस्यों के नाम आये हैं।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : आप ओलावृष्टि को ले लीजिए।

**श्री अध्यक्ष** : इसलिये ओलावृष्टि ले लेता हूं मैं। आप बोल रहे हैं।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : मैंने लिस्ट दी है। मैं नहीं बोल रहा हूं। यह सूची दी है मैंने। उक्त सूची के अनुसार बोलेंगे।....(व्यवधान) ओलावृष्टि के बारे में आपने जो सूची दी है। श्री आर. पी. शर्मा बोलेंगे।

**श्री जगदीप धनखड़** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : श्री आर. पी. शर्मा, नहीं बोलेंगे। श्री तैयब हुसैन, श्री हरिसिंह कुम्हेर....(व्यवधान)....आप बोलिये न।

**श्री जगदीप धनखड़** : मैं आपको कुछ कह रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, नहीं, वह बोल रहे हैं। यह आपके मुख्य सचेतक की सूची है मैं उसी हिसाब से बुला रहा हूं। माननीय मुख्य सचेतक ने जो सूची दी है बुला रहा हूं। श्री आर. पी. शर्मा।.... (व्यवधान) आपकी पार्टी के सदस्य आपको सुनना नहीं चाहते इसलिये मैं आपके मुख्य सचेतक द्वारा दी हुई सूची के नाम पुकार रहा हूं। श्री आर. पी. शर्मा।.... (व्यवधान) आप बोलिये। श्री तैयब हुसैन। श्री आर. पी. शर्मा का अंकित होगा। श्री आर. पी. शर्मा बोलेंगे।

**श्री जगदीप धनखड़** : × × ×

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : आपको सुनना नहीं चाहते। न आपकी पार्टी सुनना चाहती है। मैं क्या करूं।

**श्री आर. पी. शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, पहले श्री धनखड़ साहब को सुन लें।

---

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने आपको समय दिया लेकिन आपको कोई सुनना नहीं चाहते हैं, उनका मैं क्या करूं। I am helpless. I am helpless if the House is not giving any patience hearing to you. I am helpless.

**श्री जगदीप धनखड़** : XXX

**श्री अध्यक्ष** : And your Chief Whip has given me the list and the House w nts to start immediately discussion on Olavristhi. यह पहले भी तय हो गया था और इसलिये मैं श्री आर.पी. शर्मा का नाम पुकार रहा हूं।

**श्री जगदीप धनखड़** : XXX

**श्री अध्यक्ष** : श्री आर. पी. शर्मा, बोलिये।

**श्री जगदीप धनखड़** : XXX

**श्री अध्यक्ष** : आप कोई नहीं बोलना चाहतें ? श्रीमती कमला, श्री परसादीलाल, श्री घनश्याम तिवाड़ी। आप बोलिये ना, मैं सुन रहा हूं, आप बोलिये। आप बैठिए। श्रीमती कमला। (व्यवधान)

**श्री जगदीप धनखड़** : पाइंट आफ आर्डर।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आप आर्डर। (व्यवधान)

**श्रीमती कमला** : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि ओलावृष्टि की चर्चा के बाद में माननीय श्री धनखड़ साहब जो पुट-अप करना चाहते हैं, उनको आप इजाजत दे दें। वह उस हिसाब से बैठ जाएंगे, समय नहीं जाएगा। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैंने उनको इजाजत दी, कोई उनको सुनना नहीं चाहता तो मैं क्या करूं।

**श्री जगदीप धनखड़** : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

**श्री अध्यक्ष** : आपके रामस्वरूप जी खड़े हो गये, वह सुनना नहीं चाहते हैं। श्री रामस्वरूप जी ने श्री धनखड़ साहब को बोलने से इन्कार किया, वह खड़े हो गये, उसके बाद में आपके श्री शैलेन्द्र जी खड़े हो गये और अब सब खड़े हो रहे हैं मैं क्या करूं। I am helpless (व्यवधान) मैंने उनका नाम देखिए वह फिर खड़े हो रहे हैं। प्लीज, उनको देखिए, वह बोल रहे हैं। अब मैं क्या करूं। I am helpless. आपके मुख्य सचेतक जी ने मुझे नाम दिये हैं, मैं उस हिसाब से पुकार रहा हूं, पहला नाम श्री आर.पी. शर्मा का है, वह बोलना चाहें तो बोलें। मैं फिर उनका नाम पुकार रहा हूं, श्री आर. पी. शर्मा का नाम पुकार रहा हूं, वह अब नहीं बोल रहे हैं, मैं क्या करूं। मैं दूसरा नाम पुकार रहा हूं.... (व्यवधान) तो बोलिये ना। माननीय मुख्य सचेतक महोदय श्री आर. पी. शर्मा को बुलवाइये।

**श्री जगदीप धनखड़** : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मुख्य सचेतक

---

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

महोदय आपसे निवेदन है कि श्री आर. पी. शर्मा को बुलवायें ।

**श्री जगदीप धनखड़** : मेरा पाइंट आफ आर्डर है ।

**श्री अध्यक्ष** : मुख्य सचेतक महोदय श्री आर. पी. शर्मा को बुलवाइये, आपकी ही लिस्ट है । श्री आर.पी. शर्मा, आपकी ही लिस्ट है....(व्यवधान)

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : मेरा पाइंट आफ आर्डर है ।

**श्री जगदीप धनखड़** : मेरा पाइंट आफ आर्डर है ।

**श्री अध्यक्ष** : आप बोल रहे हैं । श्री विश्नोईजी बोल रहे हैं । आप श्री विश्नोई जी को कृपया बोलने दीजिए, आपसे निवेदन है मेरा । ये हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष हैं और मैं चाहूंगा कि आप कृपया उनको बोलने दीजिए ।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान) भाई, सुनो ना । अध्यक्ष महोदय, चाहे हमारे चीफ व्हिप साहब कुछ भी कहें, हम कुछ भी कहें, श्री धनखड़ साहब कुछ भी कहें, सत्ता पक्ष कुछ भी कहे मगर तत्काल किस कार्य को हाथ में लेना है यह आपका अधिकार है । आपने एक व्यवस्था दी और उसके बाद में श्री धनखड़ जी को आपने बोलने का अवसर दिया । कुछ माननीय सदस्य अन्य कोई मामले के लिए कह रहे हैं, जो कल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, प्राकृतिक आपदा, एक तरह से ओलावृष्टि हुई तो उसके सम्बन्ध में हमारे मुख्य सचेतकजी ने आपको एक सूची दे दी, सूची दे दी तो उसके बाद में बोलने के लिए पहले श्री धनखड़जी को....

**श्री अध्यक्ष** : उनको बोलने ही नहीं दिया ना, मैंने श्री धनखड़ जी का नाम पुकारा था, मैंने श्री धनखड़ जी का नाम पुकारा था तो श्री रामस्वरूप जी खड़े हो गये और मैंने उनको, श्री रामस्वरूपजी को बैठने के लिए भी कहा कि कृपया बैठें श्री धनखड़ जी को बोलने दें, मैंने श्री विष्णु मोदी जी को कहा । श्री विष्णु मोदी जी ने श्री धनखड़ जी को नहीं बोलने दिया, श्री रामस्वरूप जी ने नहीं बोलने दिया, मैंने बार-बार निवेदन किया कि श्री विष्णु मोदीजी बैठिए, मैंने बार-बार निवेदन किया कि श्री रामस्वरूपजी बैठिये । मगर उन दोनों ने बोलने नहीं दिया । मैं क्या कर सकता हूं, श्री विश्नोईजी आप मेरे स्थान पर आकर बैठें, आप भी आकर बैठें यह व्यवस्था इस तरह से सम्भालना सम्भव नहीं है । यदि माननीय सदस्य अपना सेल्फ रिस्ट्रेंट नहीं रखेंगे, अपने आपको अनुशासन में नहीं रखेंगे, तो मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा ।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : आपके पास (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : I am alone, I am alone. मेरे लिए तो एक सदस्य ही बहुत है और जब 10 खड़े हो जाएं....(व्यवधान) वह फिर खड़े हो रहे हैं....(व्यवधान) वह आपको भी नहीं बोलने दे रहे हैं, वह फिर खड़े हो रहे हैं, बताइये मैं क्या करूं ...

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : लेकिन उसके बाद....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अब आपके और मेरे बीच में बात हो रही थी 10 खड़े हो रहे हैं। ये आपको भी नहीं बोलने दे रहे हैं.... (व्यवधान) माननीय श्री विश्नोईजी, आपको भी नहीं बोलने दे रहे हैं, मैं क्या करूं, बताइए। आपको भी ये नहीं बोलने दे रहे हैं।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : नहीं, अब बोलने देंगे।

**श्री अध्यक्ष** : आपकी बात पूरी ही नहीं हुई और खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान) आप बोलिये,....आप बोलिये, आप बोलिये... और बोलिये कौन बोलना चाहते हैं ?

**श्री जगदीप धनखड़** : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : ओलावृष्टि से पहले किसी को नहीं बोलने देंगे चाहे कोई सज्जन हो....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप बोलिए।

**श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : हम बिलकुल तैयार नहीं हैं, हरगिज तैयार नहीं हैं, ओलावृष्टि से पहले हम किसी को नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : और बोलिए, कौन बोलना चाहते हैं ? (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : यह क्या तरीका है, श्री धनखड़ साहब, आप बार-बार खड़े हो जाते हैं....(व्यवधान)

**श्री अरुण सिंह** (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मेरी सुनिये, मैं निर्दलीय जीत कर आया हूं, हमारे यहां 70 प्रतिशत फसल तबाह हो गयी है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, निर्दलीय की सुनिये, ये आपस में झगड़ रहे हैं...(व्यवधान)....निर्दलीय की सुनिये, श्रीमन्....(व्यवधान)

**श्री जगदीप धनखड़** : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है, आप सुनिये.... (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। (व्यवधान)

**श्री अरुण सिंह** : ओलों से फसल तबाह हो गई है भरतपुर जिले में, पशु मरे हैं, किसान मरे हैं....(व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या विवाद है, क्या पार्टी डिसिप्लेन है, ओलावृष्टि से पहले बिलकुल नहीं बोलने देंगे आपको। आप नहीं करेंगे, मत करिये, हम भी नहीं मानते हैं। (व्यवधान)

**श्री अरुण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दें।

**श्री जगदीप धनखड़** : अध्यक्षजी, आपने जो आज प्रक्रिया अपनायी, अपनी बात....

**श्री अध्यक्ष** : आप कुछ अंकित नहीं करेंगे। नहीं अंकित करें, क्यों कर रहे हैं ? एक को भी अंकित मत करिए, जब तक मैं नहीं कहूं।

**श्री जगदीप धनखड़** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : यह कुछ अंकित नहीं हो

---

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

रहा है। श्री आर.पी. शर्मा ओलावृष्टि पर बोलें....श्री आर.पी. शर्मा, मैं फिर उनका नाम पुकारता हूं।

**श्री जगदीप धनखड़** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : श्री आर.पी. शर्मा ओलावृष्टि पर चर्चा शुरू करें। श्री आर. पी. शर्मा।

(श्री जगदीप धनखड़ द्वारा सदन से बहिर्गमन)

## ओलावृष्टि पर चर्चा

**श्री आर. पी. शर्मा** (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभार प्रगट करना चाहता हूं कि आज राजस्थान की जनता और खास तौर से किसानों के साथ जो प्राकृतिक प्रकोप हुआ है, उससे सरकार कितनी चिन्तित है, और उससे कितना नुकसान हुआ है, उस पर आपने मुझे चर्चा का मौका दिया, उसके लिए आप को धन्यवाद देता हूं। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि सदन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी व्यक्ति, सभी हमारे माननीय विधायकगण और सभी नेतागण किसानों से सम्बन्धित हैं। आम बात यह है कि ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ है और साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि कई व्यक्तियों की जानें गयी हैं, खरीफ की जो फसल खड़ी हुई थी, गेहूं की, वह बिलकुल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है और जो कटी हुई फसल जहां थी, वह भी वहीं की वहीं टूट के खतम हो चुकी है।

साथ ही साथ, खास तौर से मेरे भरतपुर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वहां दो व्यक्तियों की जानें गयी हैं, कम से कम 40-50 आदमी गम्भीर रूप से पेड़ों के गिरने से घायल हुए हैं। वहां पर दो व्यक्तियों की मौत हुई है। उनके नाम हैं, एक का नाम है भगवती और दूसरी का केसरदेवी। दूसरे जो 50 व्यक्ति घायल हुए हैं उनमें से कई तो हास्पिटल में भरती हुए हैं। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कम से कम 50 तो जानवर घायल हुए हैं और 2–3 मर चुके हैं। इस सम्बन्ध में हमारे भरतपुर का डेलिगेशन भी माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिला था। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि मैं खुद भरतपुर आऊंगा, आकर वहां की स्थिति समझूंगा और जो भी यथा सम्भव सहायता होगी, वह मैं पूर्ण रूप से देने की कोशिश करूंगा।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारा कम्पनसेशन देने का जो तरीका है, वह पूर्ण रूप से आज के ट्रेडिशंस पर नहीं है; अतः आज के ट्रेडिशन के हिसाब से होना चाहिए। एक हजार रुपये प्रति हैक्टेयर जो कम्पनसेशन तय किया हुआ है वह बहुत पूर्व में तय हुआ है। जबकि आज किसान की लागत, उसका बीज, उसकी मेहनत, उसके पानी-बिजली का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कम्पनसेशन एक हजार रुपये प्रति हैक्टेयर तय किया हुआ है उसको बढ़ाकर कम से कम 5 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर तय किया

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री आर. पी. शर्मा)

जाए। क्योंकि किसान की लागत, उसकी मेहनत इतनी लग चुकी होती है, कोई भी किसान जो अपनी फसल बोता है, तो फसल बोने के साथ उसके सपने होते हैं कि वह किस तरीके से बच्चों का पालन करेगा, किस तरह से आगे की योजना बनायेगा....

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट श्री तैयब हुसैन।

**श्री आर. पी. शर्मा** : मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : और भी बोलने वाले हैं। हां, जल्दी बोलिये। और लोग भी बोलने वाले हैं।

**श्री आर. पी. शर्मा** : मैं पहली बार तो बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष** : देखिये, इसमें सत्ता पक्ष के भी 4-5 लोगों के नाम मेरे पास आये हुए हैं। सब बोलेंगे इसमें, सब बोलिये इसमें।

**श्री आर. पी. शर्मा** : मैं एक इम्पोर्टेन्ट सुझाव देना चाह रहा हूं। एक सुझाव मेरा यह है कि कम्पनसेशन का मुआवजा प्रति हैक्टेयर 1,000/– है उसको बढ़ाकर 5,000/– प्रति हैक्टेयर करवाया जाए, मुख्य मंत्री जी इसकी घोषणा करें।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि किसानों ने बैंकों से जो लोन ले रखे हैं, चाहे को-आपरेटिव से, चाहे नेशनलाइज बैंकों से, उन लोन्स को तुरन्त रूकवाया जाए। साथ ही साथ उनके ब्याज को माफ करवाया जाए, क्योंकि आज किसान पर कर्ज की बकाया राशि बन गयी है अगले साल वह दुगुनी हो जाएगी, उसका रि-सेटलमेंट करवाया जाए और रि-सेटलमेंट होने पर किसानों पर एकदम वजन नहीं पड़ेगा, इसका भी मुख्यमंत्री जी ध्यान रखेंगे। साथ ही जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है, उनके लिए मुआवजा दिलवाया जाए, जो व्यक्ति घायल हो गये हैं, उनके लिए अलग से कम्पनसेशन दिलवाया जाए। जो पशु और जानवर मारे गये हैं उनके लिये मुआवजा दिलवाने के लिये भी माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : धन्यवाद। श्री घनश्याम।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्राकृतिक आपदा जिस प्रकार से आयी है, वह बहुत दुखदायी है और पिछले 2-3 दिनों से राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में इसने तबाही मचा रखी है। यह एक प्राकृतिक आपदा है, ईश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर है और जिस ढंग से नुकसान मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुआ है, उसको देखा नहीं जा सकता। सैंकड़ों पशु मर गये, पेड़ टूट गये और 2 दिन से किसान अन्न का दाना भी मुंह में नहीं रख रहे हैं। स्थिति यह है कि उदयपुरिया से लेकर खेजड़ोली तक, 20 किलोमीटर के इलाके में, गेहूं का एक भी पौधा, जो खेत में खड़ा था, वह बचा हुआ नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी से सुबह निवेदन किया था, उन्होंने जाने के लिये भी कहा और चौमूं के बहुत से किसान इस समय विधान सभा के बाहर भी आये हुये हैं। जिस प्रकार से जयपुर जिले में बहुत नुकसान हुआ है, इस समय स्थिति पर ज्यादा बोलने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की स्थिति में नहीं हूं लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जिस-जिस जगह यह ओलावृष्टि हुई है, सरकार उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। कल बरसात के कारण आज पूरी जानकारी प्राप्त होना शायद सम्भव नहीं हुआ हो, कल पूरी जानकारी प्राप्त करके या आज सायंकाल तक जानकारी प्राप्त करके इस सम्बन्ध में किसानों को क्या-क्या रिलीफ दी जा सकती है, उस पर निश्चित रूप से चर्चा की जाए। मैं जयपुर कलक्टर को तो धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने सुबह मेरे टेलीफोन करने पर पशुओं की चिकित्सा करने के लिए तीन टोलियां रवाना कर दी है लेकिन 200 भेड़ और बकरी एक ही स्थान पर, चिमनपुरा गांव में मर गयी, 400-500 ग्राम की ओलावृष्टि वहां पर हुई हैं। किसानों ने यह कहा, जिनका एक भी पौधा खेत में खड़ा था, वह न तो पौधा बचा है, न डंडी बची है और इस प्रकार की तबाही मैंने, इस 20 किलोमीटर एरिया में जैसी हुई है वैसी कभी नहीं देखी और इन परिस्थितियों में जितनी मदद कर सकते है उतनी मदद निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिये। यह न तो राजनैतिक मामला है न यह आपदा सरकार ने पैदा की है। यह प्राकृतिक आपदा ईश्वरीय प्रकोप है, इसलिए उसको इसी हिसाब से लिया जाना चाहिये और सरकार निश्चित रूप से उनकी मदद करें, यह मेरा विनम्र निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री तैयब हुसैन।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, जो किसान आये हुए हैं, उनसे मुख्य मंत्री जी मिल लें और उन्हें आश्वस्त कर दें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री तैयब हुसैन।

**श्री तैयब हुसैन** (कामां) : अध्यक्ष महोदय, बहुत बदकिस्मती की बात हुई है कि कल ओलावृष्टि हुई, बहुत ज्यादा ओले पड़ें और परसों भी डीग एरिया में ओले पड़ें और यह किसी के बस की बात नहीं है। कुदरत की तरफ से आफत आयी है और इस आफत के मौके पर लोगों की जितनी ज्यादा मदद की जाए, वह कम है वैसे तो तमाम राजस्थान में काफी एरिया में इसका असर हुआ है और भरतपुर में खासतौर पर इसका नुकसान हुआ है। हम मशकूर हैं और धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को कि जब सुबह इनसे मिले तो उन्होंने कहा, वह स्वयं इसको एरियल सर्वे से जाकर देखेंगे और जो भी जरूरत है और जो भी सहूलियत देने की बात है, वह करेंगे। इस बात पर हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। यह किसानों का मामला है, साल भर वह देखता है कि फसल होगी, मैं इसमें यह काम करूंगा, यह करूंगा, बेटी की शादी करूंगा, अन्य बातें करूंगा और इस तरह से प्राकृतिक रूप से जब आफत हो जाए, तो जो उसके सपने और उम्मीदें हैं, वे सारे टूट जाते हैं। इसके साथ-साथ मैं एक अर्ज और करना चाहूंगा, आग के मामले भी सदन में कई दफा उठे हैं। आग के मौके पर भी सारी की सारी फसल पैरों में आ जाती है, खलिहान में आ जाती है, उसमें भी नुकसान हो जाता है, उसमें भी कार्यवाही होने में काफी वक्त लग जाता है और उसका मुआवजा बहुत ही कम है,

(श्री तैयब हुसैन)

उसको भी बढ़ाने की बात है। इस सिलसिले में जो भी लोंस हैं, जैसा श्री आर.पी. शर्माजी ने कहा, जो भी लोन्स वगैरह हैं, उनको इमिजियटली मुलतवी किया जाए और फौरी तौर पर किसानों की मदद की जाए। क्योंकि जितनी देर से कोई मदद होती है वह उतने नुकसान की बात हो जाती है। इस समय परेशानी है, बेसहारा है, इसके लिये ज्यादा से ज्यादा ये गिरदावरी के आर्डर इमिजियट किये जाएं कि फौरी तौर पर गिरदावरी हो जाए। उसमें नीचे के अफसर उसकी सही जांच करें और सही गिरदावरी करें ताकि लोगों को सही मुआवजा मिल सके। यह मेरा नम्र निवेदन है।

आपके जरिये सरकार से, मांग है कि उनका जो मुआवजा है, क्योंकि सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं, कि रुपये की वेल्यू जो पहले थी, उसकी जो परचेंजिग पावर हैं, वह यकीनन कम हुई है, तो मुआवजा है वह प्रपोशनेटली जिस तरह से कीमतें गिरी हैं, उसको बढ़ाया जाए। यह मेरा आपके जरिये सरकार से और मुख्य मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि इसमें तुरन्त कार्यवाही करें। उन्होंने जो सहानुभूति सुबह दिखाई उसके लिये हम उन्हें धन्यवाद करते हैं और किसान को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी, क्योंकि एक तो गेंबल इन रैन है, हमारे जरात का मामला और फिर किसानों पर आफत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो उसमें जहां ओलावृष्टि वाली बात है, आग का जो मामला है, आग से जो नुकसान होता है उसके ऊपर कार्यवाही होने में बहुत देर लग जाती है, उसके ऊपर फौरी तवज्जोह दी जाए। इस तरह से बगैर किसी देरी के किसानों की मदद की जाए।

माननीय सदस्य जो चौमूं से आते हैं, उन्होंने भी बहुत दुःख भरी आवाज में यह बात कही और वाकई सही बात है। इसी तरह के सारे मामलात हैं, क्योंकि 250-250 ग्राम के ओले पड़े हैं, उसने सारी फसल नष्ट कर दी है, जो सपने और ख्वाब किसानों के हो सकते थे, उनको जितना नुकसान हुआ है और उनकी उम्मीदों पर जितना पानी फिरा है, खैर, उनको तो पूरा नहीं किया जा सकता लेकिन जितने भी उनके आंसू पोंछे जा सके और जितनी मदद हो सके, उसकी तरफ आप तवज्जोह दें। मेरी यह दरख्वास्त है। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : श्री राजेन्द्र गहलोत।

**श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि और प्राकृतिक प्रकोप के कारण किसानों को जो नुकसान हुआ है, मेरे से पूर्व सभी माननीय सदस्यों ने इसकी चिंता प्रकट की है। सारे राजस्थान में इस तरह से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में एक ओर जहां अकाल है, दूसरी तरफ अंधड़, वर्षा के कारण किसानों का भारी नुकसान हुआ है। मथानिया क्षेत्र के अन्दर गेहूं, जीरा और रायड़े की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे किसानों को अधिक से अधिक सहायता दें और उनको इस आफत की घड़ी में सहयोग दें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

**श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान, सदन का ध्यान और विशेषकर मुख्य मंत्री जी का ध्यान भरतपुर जिले में जो ओलावृष्टि से तबाही हुई है, किसान का दुर्भाग्य हुआ है, उस ओर खींचना चाहता हूं। हमारे यहां पर भरतपुर जिले में परसों, तारीख 5 को ओलावृष्टि हुई। जयपुर में तो कल हुई लेकिन कुम्हेर में, भरतपुर में, नदबई, में, रूपवास में परसों भी हुई और कल भी हुई, 2 दिन लगातार ओलावृष्टि हुई और मैं समझता हूं कि पिछले 10 साल में जितना ज्यादा नुकसान ओलों से भरतपुर जिले में हुआ है, उतना 10 साल में कभी हुआ नहीं इस कदर भयंकर नुकसान हुआ कि जो फसल खड़ी हुई थी, गेहूं की फसल खड़ी हुई थी वह ओलों से टूट कर गिर गयी और मैं समझता हूं कि वह किसानों के घर में कभी नही आएगा। जो सरसों खलियान में पड़ी हुई थी वह सरसों तबाह हो गयी। पानी में बहकर और जगह चली गयी, मैं समझता हूं कि वह किसानों के घर में कभी नहीं आएगी। भरतपुर जिला तो एक कृषि प्रधान जिला हैं। वहां पर न कोई इण्डस्ट्रीज है, न कोई ऐसी चीज है और किसानों की होल्डिंग बहुत छोटी-छोटी है। गरीब किसान हैं, कोई बड़े किसान नहीं हैं। इसलिए साल भर की आमदनी का जो कुछ भी उनके पास इंतजाम था, आने वाले वर्ष में बच्चों को रोटी देने का इंतजाम था वह सब पिछले दो दिन के अंदर समाप्त हो गया है।

मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उनकी भावना है भरतपुर जिले में जाने की, वे स्वयं अवश्य पधारें और वहां पर जैसा कि माननीय सदस्य श्री तैयब जी ने कहा था कि इस समय किसानों को मुआवजा देने का जो मापदण्ड है, वह बहुत ही कम है और पिछले समय से चला आ रहा है। उस मापदण्ड में थोड़ी बढ़ोतरी करें। हमारे जिले में अकाल तो पड़ता नहीं है इसलिए अकाल राहत के काम नहीं खुलते। जहां ओले पड़ गये हैं वहां राहत कार्य अविलम्ब शुरू कराये जावें। कलक्टर इसकी दुबारा फसल गिरदावरी करावें। ये सब काम बहुत जल्दी से करने की जरूरत है और किसानों को आप जो भी रिलीफ देना चाहते हैं, वह आने वाले दो-चार दिन में ही उसके घर पहुंचा देंगे तो उसे बहुत फायदा होगा। किसान के तमाम जानवर मर गये हैं, किसान के बच्चे, कई इंसानों की डेथ हुई है। मेरा निवेदन है कि इस ओर मुख्य मंत्री जी स्वयं और जो उनके रिलीफ डिपार्टमेंट के अधिकारियों की एक टीम जाकर इस नुकसान का जायजा लें और जो कुछ आपूर्ति वे कर सकें वह करें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : श्री कन्हैयालाल मीणा।

**श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कल जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ उसकी ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। शत प्रतिशत फसल 23 पंचायतों में कुछ भी नहीं बची। जो अनाज खलिहानों में पड़ा हुआ था वह भी एकदम बर्बाद हो गया है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा ग्राम गोकुलपुरा, पंचायत जीतावाला, फाल्यावास, सामरिया, टोडामाटा, दूधली,

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

दणाऊ कलां, देवगांव, काशीपुरा, अणतपुरा, माधोगढ़, लालगढ़, गढ़, गणगढ़, खतेपुरा, मनोहरपुरा, कचोलिया, पालावाला जाटान, बस्सी, बैनाड़ा, कून्थाड़ा, कोट खावदा, झोमदा कलां, खेड़ा रानीवास, रूपाहेड़ी, हरिनारायणपुरा ये ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें शत-प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी और जहां पर 100 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक के ओले गिरे हैं। आज सवेरे तक अभी जो ट्रैक्टर निकलकर आये हैं, उनमें ऐसा लगता है कि एक तरह से सड़क बनी हुई है, ओलों की, इस तरह की तह जमी हुई थी। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य श्री घनश्यामजी ने बताया कि एक भी तिनका वहां पर इस तरह का नहीं बचा है जिसे किसान काम ले सके। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो एक एकड़ के एक हजार रुपये तय किये हैं उसको बढ़ाया जाए तथा इसका शीघ्र ही सर्वे कराकर उनको राहत पहुंचायी जाए। साथ ही जो भैंसें, गायें व बकरियां घायल अवस्था में पड़ी हुई हैं उनकी निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था कराये जाने के लिए एक टीम भेजी जाए। कई गांवों से अन्य पशुओं के मरने की सूचनाएं भी आयी हैं, उनका सर्वे कराकर रिपोर्ट आपको भेजी जाए। जिनके पशु खत्म हो गये हैं उनको भी मुआवजा दिलाया जाए, यह मेरा निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री अरूण सिंह।

**श्री अरूण सिंह** (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र डीग में 70 प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी है। सरसों की फसल खलिहानों में है, गेहूं की फसल कट रही है और गेहूं के दाने बारिस से काले हो जाएंगे। किसान का दुर्भाग्य ही होता है और कुदरत और ईश्वर भी किसानों का साथ नहीं देते हैं तो फिर सरकार का क्या कहना। मेरा मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध है, आज सुबह हम मिले. श्री भैरोंसिंह जी साहब का एक पोजिटिव एटीट्यूड रहा है। मेरा अनुरोध यही है कि किसान के लिए यह रिलीफ का मापदण्ड है उसमें जरूर परिवर्तन होना चाहिए। यह अंग्रेजों के टाइम से बना हुआ है, रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आप अपने रिलीफ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठकर इसके मापदण्ड नये सिरे से तय करावें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती कमला।

**श्रीमती कमला** (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि का जिस तरह का एक तूफान और सैलाब कई जिलों में चला उसका प्रभाव जयपुर जिले में भी बहुत भयंकर हुआ है। यह ऐसे समय में हुआ है जब किसान की फसल या तो खेत में कटने को खड़ी थी या कटकर खेतों में या खलिहानों में डाली हुई थी। वह तैयार शुदा फसल नष्ट हो गयी है और एक-एक डेढ़-डेढ़ किलो के ओले मेरे खोरा लाडखानी के इलाके में, छारसा के इलाके में, निठारा के इलाके में, ऐसे पड़े हैं कि कुछ भी नहीं बचा है और मवेशी मर गये हैं या घायल हो गये हैं। जो सामान्य टपरियां थीं वे भी सारी खत्म हो गयी हैं। इसी तरह से धवली, जो माननीय घनश्याम जी के इलाके से लगा हुआ इलाका है,

(श्रीमती कमला)

महार है, गुलाबबाड़ी है, उस सारे इलाके में भी इतने जबर्दस्त ओले पड़े हैं कि किसान की सारी फसल नष्ट हो गयी है। इसके अलावा जो उत्तरी-दक्षिण, पश्चिमी इलाका है उसमें छापड़ा, रामपुरा में, उसके आस-पास के इलाके में रात के 12–1 बजे तक उस इलाके से लोगों के टेलीफोन आ रहे थे और सुबह 2–3 जीदें भी किसानों की मरकर आयी हैं। वे रो रहे थे और इतनी भयंकर स्थिति हो रही है कि उनकी साल भर की कमाई खतम हो गयी है। इसके कारण न तो आने वाली फसल की बिजाई के लिए उसके पास कुछ बचेगा और उनको अनाज बेचकर जो पैसा मिलता, जिससे वे अपनी बहन–बेटियों की शादी करते या आने वाली फसल की बुआई की तैयारी कर सकते थे या और कोई काम–धंधा इस फसल को बेचकर कर सकते थे, वह सारा का सारा सत्यानाश हो गया है। यह बहुत दुःख की बात है। मैं यह समझती हूं, मैंने तो पूरे पोलिटिकल जीवन में जबसे यह देखा है, कभी भी इस तरह का भयानक ओलावृष्टि या तूफान नहीं देखा।

मेरा, मुख्य मंत्रीजी, आपसे निवेदन है कि चाहे पिछली सरकार थी और चाहे मौजूदा सरकार हो, ओलावृष्टि के लिए और अग्निकाण्ड जो होते हैं, इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के लिए सरकार ने बहुत ही मामूली सा नाममात्र का प्रावधान किया हुआ है जो किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस विशेष हादसे के लिए आप विशेष व्यवस्था करायें। कलक्टर ने सारी जगह पर टीम्स भेज दी हैं और वे टीम्स खसरा गिरदावरी करके जो रिपोर्ट आपको दें, तो अधिकाधिक जो उनको कम्पनसेशन दिया जा सकता है उसको फसल नष्ट होने की बाबत में, उनकी व्यवस्था करायें। राज्य सरकार के पास में इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के लिए धन की कमी होने का सवाल नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाली फसल के लिए जो वसूलियां हो रही हैं उसको रोकें और उनको बीज या और कोई इंतजाम है, उसके लिए भी व्यवस्था करायें। चाहे मार्केटिंग सोसायटी से, चाहे और किसी भी माध्यम से। जिन लोगों के छप्पर खतम हो गये, मकान खतम हो गये उन लोगों को टीनें वगैरह दिलाने की व्यवस्था करें और साथ ही जो पशु मर गये हैं उनको भी कम्पनसेशन के अन्दर दर्ज करावें। हमारा जो प्राकृतिक आपदाओं का है उसमें जन-धन की जो हानि है वह तो लिखा हुआ है लेकिन पशुधन की हानि का इन्द्राज उसमें नहीं है। पिछले वक्त में 5-5, 6-6 हजार की 5–7 भैंसे काश्तकार की जल गयी थीं लेकिन एक पैसा भी उसको नहीं मिला। मैंने आपको लिखा था। जवाब यह आया कि पशुधन का इसमें कहीं इन्द्राज नहीं है इसलिए इसका कोई पैसा नहीं मिल सकता। इसलिए उसकी व्यवस्था भी इसके अंदर की जाए और लोगों की मदद की जानी चाहिए।

साथ ही मेरा यह निवेदन है कि आने वाले तीन महीनों में, अध्यक्ष महोदय, अग्निकांड भयंकर रूप से होते हैं। पिछले साल भर में, दो साल भर में मैंने जितने आवेदन घटनाओं के उल्लेख करके सरकार को भेजे, माननीय मुख्य मन्त्रीजी को भी भेजे, शायद इस व्य-

(श्रीमती कमला)

वस्था के सम्बन्ध में कार्यालय में कोई समुचित व्यवस्था नहीं दिखती है, उनका न तो जवाब आया न किसी गांव के किसी भी घर को, अग्निपीड़ित व्यक्ति को कोई पैसा मिला। कलक्टर के पास कोई पैसा है नहीं। इसलिए

( 12.51 )

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

एक तो निवेदन यह है कि तमाम कलक्टर्स के डिस्पोजल पर इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के लिए चाहे अग्निकांड हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे तूफान हो, चाहे और कुछ हो, उसके लिए कलक्टर के यहां पर पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाए और सदा-सदा के लिए उसके पास रखा जाए, जिससे समय पर उसका उपयोग कर सकें और इस मामले में सरकार विशेष तौर पर प्रबन्ध कराये। यही मेरा आपसे निवेदन है और श्री घनश्याम जी तिवाड़ी पर अगर आप कोई मेहरबानी कर रहे हो उधर जाने की, तो पड़ौस का मेरा इलाका है उसमें भी पधारने का कष्ट करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

**श्री सभापति** : श्री महावीर प्रसाद जैन।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (सरकारी मुख्य सचेतक) : मान्यवर सभापति महोदय, पिछले दिनों और रात्रि में जिस प्रकार की भयंकर ओलावृष्टि हुई है और इस प्राकृतिक आपदा के कारण जिस प्रकार सम्पत्ति की, फसल की और जन और धन की भी जो हानि हुई है वह वास्तव में एक चिन्ता का विषय है। इसमें कई लोगों की मृत्यु हो गयी, कई लोग घायल हो गये और पशुओं का भी इतना भयंकर नुकसान हुआ है कि उसके कारण से सब को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो प्रावधान हैं आज तक के, वह कम हैं और व्यक्ति के मरने पर, घायल होने पर किसी प्रकार का आज तक कोई प्रावधान नहीं है, कोई जानवर का नुकसान हो जाए, मर जाए, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है और जो फसलों की क्षति होती है उस पर ज्यादा से ज्यादा एक हजार रुपये सहायता देने का जो प्रावधान है वह अत्यन्त कम है। मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रशासन को भी, ज्यों ही यह घटना हुई, तत्काल प्रशासन सतर्क होकर जो भी सहायता उपलब्ध हो सकती थी उस दृष्टि से वहां पर दौड़ा, गिरदावरी के लिए भी वहां पहुंच कर राज्य सरकार को जिस प्रकार की रिपोर्ट दी है, उससे निश्चित रूप से सरकार की भी जानकारी में आया है और उस दृष्टि से आज निर्णय लेने में काफी उपयोग होगा। मेरा निवेदन है माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार का पुराने नियमों के अनुसार प्रोविजन है, उसको निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए और जिस प्रकार से इसमें व्यक्ति को किसी प्रकार के सहयोग का प्रावधान नहीं है, उसमें प्रावधान करके जिनकी मृत्यु हुई है, जो घायल हुए हैं, जो पशुओं का नुकसान हुआ है, उस दृष्टि से आज निश्चित रूप से घोषणा करेंगे। यही मेरा निवेदन है।

**श्री सभापति** : श्री जगदीप धनखड़, ओलावृष्टि पर।

**श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : माननीय सभापतिजी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे....

**श्री जुबेर खान** : आभार करके तो दिमाग खराब कर देते हैं, बोलने का मौका तो मिलता ही है, आभार करने की क्या बात है।

**श्री जगदीप धनखड़** : सभापति महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया जा रहा है....

**श्री सभापति** : कृपया आप अपने दिमाग को सन्तुलित रखिये।

**श्री जगदीप धनखड़** : सभापति महोदय, दो-तीन दिनों से जो भारी संकट....

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है सभापति महोदय....

**श्री जगदीप धनखड़** : राज्य के आर्थिक जीवन पर पड़ा है, जनजीवन को भारी हानि हुई है, पशुधन का नुकसान हुआ है, अनेक इलाकों में फसल बरबाद हो गयी है और मैं समझता हूं इस गम्भीर स्थिति को देखते हुए आज प्रश्नकाल स्थगित करने की भावना सदस्यों ने व्यक्त की थी। सभापति जी, राजस्थान के जनजीवन पर ओलावृष्टि से जो संकट आया है उससे ज्यादा महत्व का कोई मुद्दा इस सदन के समक्ष हो नहीं सकता और इन हालात में प्रतिपक्ष के सदस्यों के आसन को सुझाव दिया कि प्रश्नकाल स्थगित किया जाए।

माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि उनको तुरन्त सहायता देने के लिए जो भी वसूली है उसको स्थगित किया जाए। जब इस प्रकार का संकट राज्य में आता रहता है, तो जैसा वरिष्ठ सदस्या श्रीमती कमलाजी ने कहा, पर्याप्त धन इस प्रकार की स्थितियों के लिए सरकार अपने पास उपलब्ध नहीं रखती है। करोड़ों की फसल बरबाद हो गयी है, कुछ इलाकों में किसान का आर्थिक जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया है, ऐसी स्थिति में सरकार को वार फुटिंग पर उनको सहायता देने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

माननीय सभापतिजी, जैसा मैंने पूर्व में कहा, ओलावृष्टि के विषय पर सदन विचार-विमर्श करे उससे महत्व का कोई मुद्दा हो नहीं सकता....

**श्री सभापति** : बिराजिए।

**श्रीमती कमला** : बोलने तो दो।

**श्री जगदीप धनखड़** : और माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसी एक भावना व्यक्त की गयी है, जब मैं इस सदन में एक विशेष मुद्दा उठाने के लिए खड़ा हुआ....

**श्री सभापति** : कृपया उसको नहीं उठायें, दुबारा, नो। ओलावृष्टि पर बोलें। सीमित रखें अपने आप को। अध्यक्ष महोदय के आचरण पर कोई तर्क नहीं होगा। आप ओलावृष्टि पर बोलें। बिराज जाएं।

**श्री जगदीप धनखड़** : माननीय सभापतिजी, मैं मेरे मुद्दे को उपयुक्त समय पर, अध्यक्षजी जब आसन पर आएंगे, उठाऊंगा।

**श्री सभापति :** बिराजिए, श्री शांतिलाल चपलोत ।

**श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली) : सभापति महोदय, उदयपुर जिले में गिरवा, मावली, बल्लभनगर और आस-पास के क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई, पक्षी, पशु और वृक्षों का बहुत बुरे तरीके से नुकसान हुआ। 70 से 75 प्रतिशत खराबा तो पहले ही था, थोड़ा बहुत अनाज उपजा, खलिहानों में आया, खलिहानों में वह ढेर हो गया, वह सड़ जाएगा। उसमें घूंघे फूट जाएंगे और जो खड़ी फसल है वह भी बेकार हो जाएगी। घास के लिए एक-एक तरसे के लिए एक-एक घास के तिनके के लिए पशु तड़प रहे हैं। ऐसे हालात जब हमारे यहां है और अभी फिर ओलावृष्टि हो गयी है, तो आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कुछ फेर-बदल करें, जो सहायता के मानदण्ड तय किये हुए हैं, सारे राजस्थान की एक ही प्रकार की मांग है और अकाल राहत काम जहां-जहां चालू नहीं हुए हैं, इस मार्फत प्रारम्भ कराये जाए। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री परसादीलाल मीणा।

**श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : सभापति महोदय, कल और परसों, विशेषकर कल जिस तरह प्रकृति ने अपनी लीला से किसानों की फसल नष्ट की उसका वर्णन आपने जैसे किया उसी तरह का है। आज किसानों की जो पकी-पकाई फसल थी, उनकी जो सालभर की कमाई थी वह बिलकुल एकदम से छिन गयी है और किसानों के पास अभी कोई सहारा नहीं है। वह कैसे बैंकों की वसूली देंगे, कैसे क्या करेंगे। मुख्य मंत्रीजी, मेरा पहला तो निवेदन यह है कि जो सहकारी बैंकों की, दूसरी बैंकों की वसूली है किसानों की, जहां इस तरह की आपदा हुई है वहां पर इसका सर्वे कराकर उसको स्थगित करें। किसानों के पास आज खाने के लिए भी दाना नहीं रहा, इस तरह की हालत हमारे दौसा में, जयपुर में, भरतपुर में, सब जगह हैं किसानों जो सब्जी की फसल बोई थी वह सारी चौपट हो गयी, हजारों मवेशी मर गये। माननीय मुख्य मंत्रीजी, 1981 में बाढ़ आयी थी और बाढ़ से जैसे जयपुर, दौसा और टोंक में, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में तबाही हुई थी और सरकार ने जिस तरह से उस तबाही का मुकाबला किया था, जिसके पशु मरे उसको पशु दिलाये, जिसके मकान खराब हुये उसके मकान, जिसकी फसल खराब हुई उसको फसल का मुआवजा दिया, आपके नियमों में इतना प्रावधान नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भारत सरकार के कृषि मंत्रीजी से और प्रधान मंत्रीजी से, हाउस में जब जवाब दें, उससे पहले ही बात करें और उनसे निवेदन करें कि किसानों की इस तरह की तबाही हुई है, वहां से कोई सर्वे टीम के लिए उनसे आग्रह करें कि आपकी टीम को भेज कर दिखवा लें और प्रधान मंत्री राहत कोष से किसानों के लिए जितना भी पैसा हो सके, उनको मुआवजे के रूप में दिलाये। आज वह कुओं का बिल कैसे चुकायेंगे, ट्रैक्टर की किश्त कैसे देंगे, दूसरे काम कैसे होंगे, उनके पास तो कुछ खाने लायक भी नहीं रहा। उनको रोजगार कैसे देंगे, उनकी मवेशियों का इलाज कैसे होगा। पशु पालन विभाग को कह कर जिन पशुओं का इलाज किया जा

(श्री परसादीलाल मीणा)

सकता है, जिनका उपचार किया जा सकता है, आप पशुपालन विभाग को स्पेशल निर्देश देकर सारी जगह जहां भी ऐसी तबाही हुई है

(13.00)

उस तबाही का जल्दी से जल्दी सर्वे करा-कर, आप कोई भी ऐसी टीम भारत सर-कार की या राजस्थान सरकार की बनाकर इसका सर्वे कराकर, मानवीय दृष्टि से बिना कोई दल के, बिना कोई राजनीति के, बिना कोई भेद-भाव के जिसका भी नुकसान हुआ है, आप उसको मुख्य मंत्री सहायता कोष से जितना हो सके, उतना दें। आपके नियमों में यदि प्रावधान नहीं है, विधान सभा चल रही है, आप चाहे और काम बंद कर दीजिए, पर जिन किसानों का कुछ भी नहीं रहा, सारे लुट गये, आप उनको कम्पन्सेशन के रूप में ऐसी राशि तो उनको दीजिए, इतनी राशि तो दीजिए, जिससे उनका 12 महीने तक साधारण काम-काज चल सके, मेरा तो यही निवेदन है। भारत सरकार से भी आप इस सम्बन्ध में कृषि मंत्रीजी से और प्रधान मंत्रीजी से बात करके हाउस को बतायें कि वहां पर क्या कार्यवाही हो रही है।

**श्री सभापति** : श्री गोपीराम।

**श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : सभापति महोदय, सदन में अति ओलावृष्टि पर चर्चा हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र से लगती हुई जो अखेपुरा पंचायत है, इसमें आठ गांवों में अति ओलावृष्टि हुयी है और लॉन के ऊपर एक भी दंगी नहीं बची है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, स्वयं ने गत बार जो बेगस में ओलावृष्टि हुई थी, उसको देखा था, उसी के समकक्ष ओलावृष्टि इस पंचायत में हुयी है। इसके साथ ही लगते हुये सेवापुरा, दौलतपुरा, बगवाड़ा, और अच-रोल तक की पंचायतों में ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। जयपुर तहसील के मूण्डीया, रामसर पंचायत में निम्बाहेड़ा गांव और उसके साथ में लगते हुए जयसिह-पुरा और बिछपुरी ऐसे गांवों में भी अधिक ओलावृष्टि हुई है। गत बार बैंगस गांव में ओलावृष्टि पर 300 रुपये बीघा का जो मुआवजा दिया गया था, वह नहीं के बरा-बर था इसलिए इसके नार्म्स नुकसान के हिसाब से तय करके और उचित मुआवजा किसानों को दिलाया जाए, यही मेरा अनु-रोध है।

**श्री सभापति** : श्रीमती इन्दिरा माया-राम।

**श्रीमती इन्दिरा मायाराम** (सांगानेर) : माननीय सभापति महोदय, अभी पिछले दो दिनों में जयपुर और कुछ दूसरे जिलों में जो एक प्राकृतिक विपदा ग्रामीणों पर आयी है ओलावृष्टि से सात आदमी मरे हैं यह तो अखबार में ही आये हैं लेकिन अभी और कितने लोग मरे हैं उनके साथ-साथ जानवर भी मरे हैं और बहुत लोगों के घर टूट गये, झौपड़े टूट गये तो इस विपदा के समय में राजस्थान सरकार उनको कितनी और जल्दी से जल्दी मदद कर सके, इसी के लिए निवेदन करना है, क्योंकि कानून कायदे के तहत जब तक आप उनकी सहायता करेंगे, इस बीच में तो उनके रहने के लिए झौपड़ी टूट गयी, जगह है नहीं, न खाने के लिए अनाज है, तो इस वक्त जितना जल्दी से जल्दी उन लोगों को

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

मदद दी जा सके वह दी जाये। एक तो मेरा निवेदन यह है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि उनका सारा अनाज, जो छह महीने तक वह खाते और भी उनको जो सब काम करने थे, वह सब खत्म हो गये। पूरे गांव के गांव की फसलें नष्ट हो गयी हैं, तो जिस प्रकार अकाल राहत कार्य शुरू किये गये हैं, उसी प्रकार इन गांवों में भी कुछ राहत कार्य अगर चालू किये जा सके तो इन लोगों को कुछ मजदूरी मिलेगी और जो आने वाला समय है, उनका जो अनाज खत्म हो गया है और जो थोड़ा बहुत आप यह देंगे, उससे तो छह महीने का काम नहीं चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि वहां कुछ राहत कार्य भी शुरू किये जा सके तो अच्छा रहेगा। आपने समय दिया, धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री गुरजन्ट सिंहजी। सुनिए, आपको भी बुलाऊंगा। श्री गुरजन्ट सिंहजी कुछ कह रहे हैं। हां बोलने दीजिए।

**श्री गुरजन्ट सिंह** (उप मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, बड़ा दुःख का विषय है कि जो ओलावृष्टि....

**श्री सभापति** : पहली बार बोल रहे हैं। हां, सुनिये।

**श्री गुरजन्ट सिंह** : किसानों की बात आप नहीं सुनना चाहते। चाहे मैं मंत्री हूं, असल किसान तो हूं ही मैं। मेरा निवेदन आपसे यह है कि जो कुछ हुआ जयपुर में हुआ, चौमूं में हुआ, भरतपुर में हुआ, कितना भी चाहे किसान को दिया जाए, उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। मेरा एक महीने का जो भी मेरे को तनख्वाह या वेतन मिलता है, मैं सी. एम. कोष में देना चाहूंगा। जो कुछ भी हो, उनके पास पहुंच सके, उन गरीबों को कुछ राहत मिल सके, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : बोलिये, श्री रामस्वरूप।

**श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आज जो यह भयंकर ओलावृष्टि हुई है, यह बहुत ही बुरा हुआ है। पहले तो किसान बेचारा अकाल से मर गया, उसके बाद में, माननीय सभापति महोदय, यह विकराल समस्या उसके सामने पैदा हो गयी। वह जिस प्रकार अपने बच्चे को पाल रहा था, वैसे ही वह अपनी फसल को पाल रहा था। पानी दिया, खर्चा किया, सब कुछ किया, उसी के आधार पर वह सोच रहा था, मैं मेरी बेटी की शादी करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा और मेरे सारे सामाजिक कार्य करूंगा। किसान इसी पर आश्रित था लेकिन बड़े दुःख की बात है, माननीय सभापति महोदय, इतना बड़ा कहर जो उसके ऊपर टूटा, जिसके कारण उसकी फसल नष्ट हो गयी, उसके जानवर नष्ट हो गये और जो आशाएं लगाकर के वह बैठा था, वह सारी आशाएं धुलमिल हो गयीं। इसका परिणाम आपको, हमको और सबको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, जो सब्जी पैदा करते थे, उनकी सब्जियां नष्ट हुई हैं। हमारे टमाटर नष्ट हो गये, मूली है, जो भी जितनी भी सब्जी के काम की चीजें थीं, सब नष्ट

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हो गयीं, उससे आगे महंगाई बढ़ेगी। जब सब्जियां नष्ट हो गयीं तो और भी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। यहां पर घोड़े वगैरह मर गये, बड़े-बड़े घोड़े मर गये, तो किसान की वहां पर भैंस मर गयी, बैल मर गया और उसके घर का जो टप्पर था, वह टूट गया, उसके मकान ढह गये। मेरा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि जो यह नुकसान हुआ है, इस नुकसान का उसको मुआवजा दिलाया जाए। किसानों के ऊपर जो ऋण है वह माफ कराये जाए और आप जो सहायता देते हैं, वह राशि बहुत कम है, उस राशि को बढ़ाया जाए और मौके पर जाकर देखा जाए कि वास्तव में कहां नुकसान हुआ है। मैं मेरे क्षेत्र में सुबह ही गया हूं, मैंने स्वयं ने वहां जाकर के देखा है कि तमाम किसानों की फसलें खेत के अन्दर सो गयी। गेहूं नीचे गिर गया, सरसों जो उनके खलिहान में पड़ी हुई थी, वह तमाम सरसों नष्ट हो गयी।

सभापति महोदय, इसका मैं उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह सब्जी है। यह लौकी इतनी सख्त होती है, इतनी सख्त लौकी पर इतने बड़े-बड़े जो ओले पड़े, मैंने पहले भी आपके सामने पेश किये, अब तक देखिये, नहीं पिघले हैं। ऐसे ओले इस पर आकर के पड़े। जन-धन की हानि हुई, हमारे बड़े पक्षी भी मर गये। आज वहां पर इतने बड़े खड्डे हो गये हैं। सभापति महोदय, मैं यह आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं।

**श्री सभापति** : यह पेश करने की आवश्यकता नहीं है, सब समझ रहे हैं। आप बोलिये, श्री रामस्वरूप जी। कृपया इसको मजाक नही बनायें। श्री रामस्वरूप जी, आप इसकी गम्भीरता को कम मत करिये। माननीय सदस्य, आप इस विषय की गम्भीरता को कम कर रहे हैं।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : नहीं, मैं यहां पर रखता हूं।

**श्री सभापति** : इसको बाहर फिकवा दो। श्री मदन मोहनजी। आप विषय की गम्भीरता कम कर रहे हैं।

**श्री मदन मोहन** (खैरथल) : सभापति महोदय, अलवर जिले में भी इस ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, उन सभी किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा देकर सहायता की जाए। सभापति महोदय, इस सदन की भावना की कद्र करते हुए मैं भी अपना आधा वेतन सहायता कोष में देने की घोषणा करता हूं, धन्यवाद।

**श्री सभापति** : विराजिये, धन्यवाद। श्री महेन्द्र मीणा।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** (सिकराय) : माननीय सभापति महोदय, वैसे तो सम्पूर्ण राजस्थान ही प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त है लेकिन मेरा दौसा जिला और मेरा सिकराय विधान सभा क्षेत्र इस आपदा से भयंकर रूप से ग्रस्त है। 80 प्रतिशत वहां पर फसल नष्ट हो चुकी है। जन-धन की बहुत भयंकर हानि हुई है, पशुधन का भी भयंकर रूप से नुकसान हुआ है। किसानों के छप्पर उड़ गये, छानें उड़ गयीं, चद्दरें उड़ गयीं और किसान आज रोड के ऊपर है।

माननीय सभापति महोदय, आज

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

जयपुर शहर में दो पोलो की घोड़ियां–रुखशाना और शिवानी मर गयी, उनका तो नाम आ गया, लेकिन मेरे यहां सैकड़ों, हजारों की तादाद में बकरियां, भेड़ें, गायें मर गयी हैं, उनका कहीं कोई नाम-निशान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, प्रकृति का तांडव-नृत्य मेरे यहां तीन अप्रेल से चल रहा है और उसके कारण से जो बिजली के वायर हैं, तार हैं, जो रोड को क्रोस करते हैं, वह नीचे लटक आये हैं और जो भी वाहन जाते हैं. चाहे वह ऊंट लड्डा हो, बैलगाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, जीप हो, बसें हों वह साइड में होकर जाते हैं।

इसी की वजह से मेरे यहां एक लड़का, जो कि 19 साल का था, सूरजा गुर्जर पुत्र हरणया गुर्जर ग्राम भगोड़ा, तहसील सिकराय वह इस बिजली के करेंट लगने से मर गया है। माननीय सभापति महोदय, मेरा यह विनम्र निवेदन है कि यह अकेला लड़का उस परिवार के अन्दर कमाने वाला था, वह मर गया है। उसके घर में अब कोई कमाने वाला नहीं है, तो जल्दी से जल्दी उसके परिवार को तत्काल मुआवजा दिया जाए, जयहिन्द।

**श्री सभापति** : श्रीमती मीना अग्रवाल।

**श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : आदरणीय सभापति जी, अलवर में भी ओलावृष्टि हुई है। इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि फसल कट कर खेत में पड़ी हुई थी, कुछ फसलें खड़ी थीं, इससे उनकी साल भर की आमद में काफी नुकसान हुआ है। मेरा निवेदन है कि जिलाधीश से जांच करवा कर जितना नुकसान हुआ है, उसी के अनुसार मुआवजा दिलाया जाए और मैं भी आधा वेतन देने को तैयार हूं, धन्यवाद।

**श्री सभापति** : धन्यवाद। श्री लक्ष्मणसिंहजी।

**श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम) : कल का दिन सम्पूर्ण राजस्थान के किसानों के लिए एक बहुत विपदा का दिन था। करीब-करीब पूरे राजस्थान में ही प्रकृति के इस क्रूर ताण्डव से किसानों को भारी क्षति हुई है। मैं सरकार को नम्रतापूर्वक सात मांगें निवेदन करना चाहूंगा। मेरे विचार में सदन के सभी सदस्य उनसे सहमत होंगे। पहली, बजट के अन्दर प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रावधान ज्यादा रखा जाए। दूसरी, किसानों ने जो विभिन्न बैंकों की और को-आपरेटिव की ऋण वसूली है उसको तत्काल आदेश जारी करके रोका जाए। तीसरी, किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है अतः किसानों को अगली फसल के लिए सरकार मुफ्त में बीज उपलब्ध कराये। चौथी, किसानों की झोंपड़ियां और मकान टूट गये हैं उनको झोंपड़ी और मकान बनाने के लिए यथा संभव सहायता प्रदान करे। पांचवीं, सरकार घायलों की मदद करने के लिए यथासंभव प्रयास करे और उनको दवा मुफ्त में उपलब्ध करवाये। छठी, किसानों के जो पशु घायल हो गये हैं उनके लिए स्पेशल टीम गांवों में भेजी जाए और पशुओं के इलाज के लिए दवाई उपलब्ध करायी जाए और साथ ही साथ जिन किसानों के पशु मर गये हैं उन किसानों की भी मदद की जाए। सातवीं महत्वपूर्ण बिन्दु है कि इस मौके पर सरकार सोचे कि भविष्य के अन्दर ईश्वर करे ऐसी हालत नही हो अगर कभी

(श्री लक्ष्मण सिंह)

होती भी है, तो किसानों के लिए फसल बीमा योजना प्रारम्भ की जाए। क्योंकि सभी प्रकार के बीमा होते हैं लेकिन जब अतिवृष्टि से या ओलावृष्टि से उसकी फसल को हानि होती है, तो उसकी बीमा की कोई योजना नहीं है। इसी प्रकार से ओलावृष्टि से भी बीमा योजना अगर प्रारम्भ होती है, तो किसानों को इस प्रकार की आपदा से राहत मिलेगी। और मेरा अन्तिम प्रस्ताव है सभी माननीय सदस्यों से कि इस राजस्थान में आयी हुई आपदा के समय में हम अगर सभी विधान सभा के सदस्य अपना एक दिन का वेतन अगर मुख्य मंत्री सहायता कोष में देंगे, तो यह टोकन रिप्रजेंटेशन होगा। मैं जानता हूं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है लेकिन फिर भी हमारा एक टोकन रिप्रजेंटेशन अगर यह जाएगा तो इससे शायद राजस्थान के अन्दर अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं को भी आगे आने के लिए यह प्रेरित करेगा। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री माधव सिंह जी।

**श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : सभापति महोदय, आपकी भावना में सम्मिलित होते हुए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार अकाल से जूझ रही है और दूसरी तरफ यह इतनी बड़ी आपदा आ पड़ी है। आज सदन सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करे और केन्द्रीय सरकार में प्रधान मंत्री को रिक्वेस्ट करे कि जिस तरह से जब अन्य प्रदेशों में बाढ़ आती है जब प्रधान मंत्री वहां जाकर सर्वेक्षण करके इमीजिएट रिलीफ देते है, आज यह बहुत ही बढ़िया रहे कि सदन सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करे कि प्रधान मंत्री या कृषि मंत्री आज की आज एरिया का दौरा करें, हवाई सर्वेक्षण करें और मौका देखकर, तुरन्त केन्द्र सरकार अपनी तरफ से, जो भी राशि अधिकतम हो सके, प्रदान करने का कष्ट करे।

**श्री सभापति :** श्री मोहनलाल मोदी।

**श्री मोहनलाल मोदी** (नीमकाथाना) : सभापति महोदय, कल तीन बजे के करीब बहुत भयंकर ओलावृष्टि हुई है। सभापति महोदय, मैंने तो अपनी जिन्दगी में इतने बड़े-बड़े ओले पड़ते देखे नहीं हैं।

**श्री सभापति** : मैंने भी नहीं देखे हैं।

**श्री मोहनलाल मोदी** : मैं लाया भी हूं नमूने के लिए आप देखिये। रात को नौ बजे जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं उन गांवों में गया। वहां इस तरह से ओलों के ढेर पड़े हुए थे, मैं लेकर भी आया हूं और मैं हाउस को भी बताना चाहूंगा कि इतने बड़े-बड़े ओले, सारे पिघल गये आज 24 घंटे के करीब हो गये उसके बाद भी आप देखिये।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह प्याज जमीन के नीचे रहता है इस ओले की मार से इसकी क्या स्थिति हुई है आप देखिये। यह लौकी, मैं यह सदन को इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरह से भयंकर ओलावृष्टि हुई है और शत प्रतिशत नुकसान हुआ है। इस वक्त गेहूं की फसल खड़ी थी उसमें एक दाना भी नहीं बचा, सारी खड़ी की खड़ी फसल बिलकुल बराबर हो गयी, खाली नक्कु खड़े हैं बाकी

(श्री मोहनलाल मोदी)

एक दाना भी नहीं रहा, सारा बरबाद हो गया।

मेरे भूदाली के अन्दर तीन सौ बीघा में कुछ बाहर के लोग आकर के बाड़ी करते हैं और उन लोगों ने नौ लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया उस बाड़ी के ऊपर। 75 हजार रुपये का तो यह पूला-पाणी जो आता है यह पाणी बिछाई, उनका एक पैसा भर माल नहीं रहा। मैं जब उनके यहां गया, उनके बीवी-बच्चे सारे बुरी तरह से रोने लग गये। सभापति महोदय, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं इस सरकार को कि जितना नुकसान हुआ है ज्यादा से ज्यादा उनके नुकसान की भर-पाई करनी चाहिए। मैं कई लोगों से मिल कर आया हूं जिनके चोट लगी है, सिर फूट गये। बंसी है, पन्नाराम का लड़का, बसन्ता गूजर की लड़की है मेड़ा की, रामेश्वर मामराज की मनूडी भगवती, मेघाराम, मुन्नी बेवा नत्थू खां यह सारे लोग बुरी तरह से घायल अवस्था में हैं वहां पर। कई हास्पिटल में भर्ती हुए हैं। किसी ने पांव के पट्टी बांध रखी है, किसी के कमर में भी देखा मैंने इस तरह सारा नीला हो रहा है इन चोटों से बहुत बुरी हालत हो रही है। मेरे यहां अभी तक जो मैं जानकारी कर पाया हूं—भूदोली में ढाणी महला, बरसिंहवास, झिराना की ढाणी, कोढी की ढाणी, गणेश्वर, गांवड़ी, माहवा, निमोद, डाबला, विहार, शिमली, कंवर का नांगल इन पंचायतों के अन्दर भयंकर ओलावृष्टि हुई है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, एक मेवा राम सैनी इस तरह से रोने और गिड़गिड़ाने लग गया कि उसके 100 मण तो गेहूं थे....

**श्री सभापति** : आप ज्यादा मत कहिये मेरी भी यही हालत हो रही है।

**श्री मोहनलाल मोदी** : सभापति महोदय, जब मैं वहां जाकर आया हूं तो कम से कम उनकी बात आपके सामने रखूं तो सही। मेवाराम का 100 मण गेहूं था उसका एक दाना भी नहीं रहा, प्याज के दो ट्रक थे एक दाना प्याज नहीं रहा और उसके दस गाड़े टमाटर के थे, आप देखिये उनकी ऐसी स्थिति है, वह परिवार बुरी तरह से बिलकुल नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं जयचन्द घरसीराम यादव, भूराराम यादव, कासीराम यादव, इनके टमाटर, ककड़ी, प्याज इतनी दूरी में कुएं से सिंचाई करके इन्होंने तैयार किये थे। वहां पर एक भी दाना नहीं मिल रहा है, सारा का सारा बरबाद हो गया। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार में जिस तरह से इन आपदाओं के लिए ऊंट के मुंह में जीरा होता है वह नहीं होकर के, मुख्य मंत्रीजी, किसी भी तरीके से इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले और आपसे उम्मीद है कि आप इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दिलवायेंगे। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्रीमती तारा भण्डारी।

**श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदा कब आ जाए पता नहीं रहता। जैसा कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला। आज राजस्थान भीषण अकाल से जूझ रहा है लोगों के सामने चारा और जीवन यापन का बहुत

(श्रीमती तारा भण्डारी)

बड़ा संकट है ऐसे में यह ओलावृष्टि हुई। मेरी समझ में न बुजुर्गों ने तो कभी ऐसी ओलावृष्टि देखी होगी न हमने देखी है।

सभापति महोदय, जब भी इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है किसान और पशुपालक इससे सबसे ज्यादा संकट में आता है। चाहे भीषण अग्निकांड हो, तो चारा जल जाता है, फसलें जल जाती हैं, झोंपड़ियां जल जाती हैं, चाहे भीषण महामारी आये, तो पशु मर जाते हैं। आज यह ओलावृष्टि हुई तो कोई भी नहीं बचा। फसलों को भी मार पड़ी हैं, पशुओं को भी मार पड़ी है, सब्जियों को भी मार पड़ी है। इसलिए मैं इस मामले में तो हमारे मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि जब भी प्रदेश में कोई भी बड़ी प्राकृतिक आपदा आयी, चाहे कोई दुर्घटना घटी, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पूरी संजीदगी से उस दुर्घटना का मुकाबला किया, उस आपदा का मुकाबला किया और लोगों को पूरी-पूरी राहत दी। पिछली बार 1990 में भी भीषण बाढ़ आयी थी तब लोगों के अधिकांश मकान गिर गये थे, खेत टूट गये थे, कुये दब गये थे, भर गये थे। ऐसे समय में हमारे मुख्य मंत्री जी ने सारे मापदण्डों को छोड़ कर, लोगों को नकद राशि, उनके मकान वापस निर्माण कराने के लिये, कुओं में से मिट्टी निकलवाने के लिये कुये पुनर्निर्माण के लिये सहायता दी। आज भी मैं सारे सदन की भावनाओं को शामिल करते हुये एक ही निवेदन करना चाहती हूं कि ऐसी आपदा कभी राजस्थान में आयी नहीं, पशुपालक तो कहीं बोल ही नहीं सकता। पिछले दिनों मेरे यहां भीषण महामारी से एक व्यक्ति की ढाई सौ भेड़ें एक साथ मर गयीं। सभापति महोदय, किसी फैक्ट्री मालिक के अगर नुकसान होता है, तो उसको तो पूरी की पूरी भरपाई होती है, अगर किसी उद्योगपति की फैक्ट्री में आग लग जाये तो उसकी फैक्ट्री की पूरी भरपाई होती है लेकिन किसान का पशु मर जाये, चारा जल जाये,, तो जो उसके मापदण्ड बनाये हैं वह बहुत ही नगण्य है। सभापति महोदय, मैं पूरे सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को यही कहना चाहती हूं कि इन मापदण्डों को बदलें, और जो भी अब आवश्यकता है उसके अनुसार लोगों को राहत दी जाए। सदन की इस भावना के साथ मैं अपने को जोड़ते हुये मैं मेरे पूरे महीने का वेतन इस आपदा कोष में देना चाहती हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री अमरा राम।

**श्री अमरा राम** (धोद) : सभापति महोदय, पिछले दो दिन से प्राकृतिक आपदा से प्रान्त के किसानों का बड़ा नुकसान, चाहे फसलों का हुआ हो, चाहे पशुओं का हुआ हो, और चाहे उनके घरों का हुआ हो, विशेष तौर से इस प्रदेश में हुआ है उससे सीकर जिला भी उससे अछूता नहीं रहा है। माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की है, उन्हीं के साथ मैं भी शरीक होता हूं....

**श्री सभापति** : सीकर जिले में मुख्य मंत्री जी के खेत में भी ओलावृष्टि हुई है। उसका भी उल्लेख कर दें।

**श्री अमरा राम** : कोई नहीं बचता। ना मुख्य मंत्री बचता है न गरीब

(श्री अमराराम)

बचता न धनवान बचता है। प्रकृति के सामने सब बराबर है। उस समय हमारा यह दायित्व बनता है कि उनके लिए हम जो सहयोग कर सकते हैं, वह करें। हमारे जो नार्म्स बने हुये हैं वह बहुत कम है, उन्हें हमें निश्चित रूप चेंज करना चाहिये। जैसा श्रीमती तारा जी अभी कह रही थीं उसी तरह से किसानों के साथ, जो राजस्थान के सबसे बड़े हिस्से है, और सबसे बड़ी संख्या में है, उनकी आजिविका के जो साधन थे, उनके साथ ठीक उसी तरह से हुआ है जैसे किसी भूखे के सामने थाली परोस दी जाये फिर थाली उठा ली जाये और फिर ऊपर से मारा जाये। ऐसी ही स्थिति राजस्थान में किसानों के साथ हुई है। उन्हे इस सम्बन्ध में जो नार्म्स बने हुए हैं वह कम है, अतः चेंज किया जाना चाहिये और जो सहायता चाहे फसलों के मुआवजे के रूप में दी जाये चाहे पशुओं के लिए दें, चाहे मकानों के लिए दें वह निश्चित रूप से उन तक पहुंच जानी चाहिये और इसका टाइम बाउण्ड प्रोग्राम हमें बनाना चाहिये। जिस तरह से गंगानगर में पहले बाढ़ आयी थी और सहायता मंजूर होने के आठ महीने के बाद भी आज तक नहीं मिले तो जो प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है, हो सकता है हम उसकी पूरी भरपाई नहीं कर सकें लेकिन जो भी मदद करना चाहे वह जल्दी और मौके पर पहुंचा दें। उसको प्रशासनिक और अन्य कोई तरीकों में नहीं उलझायें जितनी जल्दी मदद उन तक हम पहुंचायेंगे। मैं समझता हूं उतनी ज्यादा हम मदद उनकी कर सकेंगे। यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री बनवारी लाल बैरवा।

**श्री बनवारी लाल बैरवा** (निवाई) : माननीय सभापति जी, वैसे तो मेरे जिले में भयंकर अकाल का सामना हो ही रहा था लेकिन कल और परसों ओलावृष्टि ने और भी मुसीबत में हम लोगों को खड़ा कर दिया। आज सुबह मैं कुछ गांवों में जाकर आया हूं। जिन गांवों में मैं गया, वहां बहुत भयंकर आर्तनाद हो रहा था। वह ऐसे परेशान थे कि कैसे इस सबका मुकाबला किया जाए। मैं बाड़ा गांव में गया उसके बाद दूमदड़ा में गया। यह दोनों वह गांव हैं जहां एक-एक आदमी मर गया और पांच-पांच, दस-दस आदमी अभी भी घायल हैं और हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। मान्यवर, वहां पर कम से कम आधा-आधा किलो वजन के ओले पड़े हैं तो जो कवेलू हैं वह इस तरीके से हो गये जैसे किसी ने पत्थर से कूटकर उनको डाल दिया हो। जिस समय ओले गिरे और उसके बाद पानी गिरा तो वह सब उनके मकानों में आ गया, उनके बिस्तर थे वह सब भीग गये और बाहर जितना अनाज उनके खलिहानों में था वह सब खतम हो गया। न बाहर कुछ रहा न अन्दर कुछ रहा। दोनों तरह से वह बहुत परेशान थे। जब सुबह मैं वहां पहुंचा तो सब लोग थर-थर कांप रहे थे। बुरी तरह से रूदन का सा वातावरण वहां बना हुआ था और वाकई वहां एकदम रोने को मन करता था। स्थिति बिल्कुल यही की यही की बनी हुई थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बाड़ा, दूमदड़ा, अरन्या-

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

माल, अल्लापुरा, लामा, दीपोल्या, छापड्या, हसनपुरा, बीलवाल्या, जोधपुर्या, चूर्या, सुनाड़ा, जगतपुरा सहित 22 गांवों के अन्दर भयंकर ओलावृष्टि हुई है, जो कुछ उन लोगों के पास था वह सब समाप्त हो गया। चूंकि भेड़ पालक, बकरी पालक लोग ज्यादा है उनके काफी तादाद में जानवर मर गये, 3-4 बजे का वक्त था हमारे उधर तो जंगल के अन्दर ही रह गये वह सब जंगलों में रह गये। बड़ी मुश्किल से पेड़ों के नीचे जाकर वह छुप पाये। माननीय सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस मुसीबत के वक्त में वह भरपूर सहायता के लिए आगे आये। एक तो यह है कि जिन लोगों के मकानात खराब हो गये हैं या छप्पर गिर गये हैं उन सबको टीनें दिलवाई जाये ताकि वह सुरक्षित जगह पर अपने आपको रख सके, क्योंकि आज भी बाहर मौसम आप देखें, तो बोझल बना हुआ है, अभी भी पानी का दबाव बना हुआ है, पानी बरस सकता है। तत्काल प्रभाव से आप वहां टीनों का इंतजाम करवायें। उनके पास खाने को नहीं रह गया, खाने की व्यवस्था करवायें। उनको आटा दिलवायें, राशन दिलवायें, उसके बाद मुआवजा जो भी हो दिलवायें। जो लोग मर गये हैं उस सम्बन्ध में जो नार्म्स अभी तय कर रखें हैं वह बहुत कम है, जिनके चोटें लगी हैं उनके नार्म्स भी बहुत कम है। सरकार सक्षम है, खास तौर से मुख्य मंत्री जी पूर्ण सक्षम व्यक्ति हैं और सदन बैठा हुआ है यहां पास कर लें, कोई दिक्कत इसके अन्दर है नहीं। लेकिन आज इस वक्त उन लोगों को राहत दिया जाना बहुत जरूरी है।

दूसरा, यह है कि जो अकाल राहत के काम चल रहे हैं वह इन गांवों में, जिनमें अभी-अभी ओलावृष्टि हुई है उनमें अकाल राहत के कार्य विशेष रूप से खुलवायें। काम के बदले अनाज वाली जो योजना थी, वह वहां पर लागू करवायें ताकि उनके खाने की व्यवस्था उनकी हो सके, जो बैंकों लोन थे वह उनके तत्काल स्थगित किये जाये और आने वाली फसल के लिए खाद-बीज का इन्तजाम करवाया जाए। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यह प्राकृतिक आपदा थी इसलिए सहायता करना बहुत आवश्यक है।

**श्री सभापति** : श्री शैलेन्द्र जोशी।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदय, अभी अकाल से जूझ ही रहे थे कि प्राकृतिक विपदा के कारण यह आपदा और आ पड़ी और इसमें मेरे क्षेत्र बांदीकुई में बसवा, कोलाना, करणावल, चांदेरा, सवडावली, अगावली, ऐचेडी, डपोण, गुलान मुई इन गांवों में ओलावृष्टि से भारी बिगाड़ हुआ है। माननीय सभापति महोदय, सरसों की और गेहूं की फसल जो खलिहान में पड़ी थी वह नष्ट हो गयी और बकरियों की जानें चली गयीं। पशुधन को भी बहुत ही चोट लगी है। इसके अलावा जगह-जगह बिजली के तार गिर गये, करंट भी लग रहा है, ट्रान्सफार्मर से भी काम नहीं हो रहा है, उनकी भी व्यवस्था ठप्प हो गयी है। इसके अतिरिक्त यातायात के साधन भी अवरुद्ध हो गये हैं। ऐसी स्थिति में मेरा मुख्य मंत्री महोदय को सुझाव है कि सर्व प्रथम वह ओलावृष्टि का वास्तविक जायजा लेने के लिए हवाई सर्वे-

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

क्षण करें और समूचे राजस्थान में जो तबाही हुई है, उसको खुद असेस करें।

दूसरा, मेरा यह भी कहना है कि फसल बीमा जिसके बारे में अतिवृष्टि, अनावृष्टि की तो बात कही जाती है। फसल बीमे में दो ही चीजें, अतिवृष्टि और अनावृष्टि है लेकिन इसमें ओलावृष्टि को भी सम्मिलित किया जाए और राजस्थान सरकार फसल बीमा के बारे में क्या प्रावधान रखने जा रही है और किस तरह से बीमा विभाग के द्वारा सामंजस्य बैठा कर किसानों के हित संरक्षण करने के लिए क्या भविष्य में क्या योजना बनाने का विचार रखती है ? इसके बारे में भी पुनर्विचार कर लें।

तीसरा, मेरा यह भी कहना है कि राजस्व व अन्य सहकारी संस्थाओं के कर्जे की वसूली जो इन दिनों की जा रही है उस पर भी तत्काल स्थिति जब तक अच्छी नहीं हो जाए, प्रोसपैरिटी नहीं बन जाए, किसानों की खुशहाली न हो जाए, वापस कमा करके, खेती करके, री-पे नहीं कर सके, तब तक के लिए स्थगित रखी जाए। इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि पशुधन की हानि हुई है। इसके बदले में आर्थिक रूप से वाजिब मुआवजा दिया जाए और जो भी पशुधन की हानि हुई है इसका न्यूमेरीकल फिगर मालूम करने के लिए रेवेन्यू आफिसर, तहसीलदार या एस. डी. एम. लेवल का अधिकारी भेजा जाए। जो कि वास्तव में जांच करें और जितने भी पशुधन की हानि हुई है, उसकी भी जांच करें। इसके अलावा यह भी निवेदन है कि....

**श्री सभापति** : आ गयी सब बातें, माननीय सदस्य।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : इसमें जो रेवेन्यू रिकार्ड है गिरदावरी में, इसकी फसल की खराबी की एण्ट्री की जाए ताकि आपके पास डाक्यूमेंट रहे। साथ ही विद्युत मंत्री जी, बिजली के जो तार गिर गये हैं उनको वापस रिएस्टेब्लिश किया जाए। इस तरह से गरीब किसानों को आर्थिक मदद भी दी जाए और जो राशि अभी तक निर्धारित है, उसको बढ़ाया जाए।

अन्त में, मैं यही चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी हवाई सर्वेक्षण के द्वारा वास्तविक स्थिति का जायजा लें और किसानों को उचित समय पर जल्दी से जल्दी मदद करने के लिए घोषणा करें। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री रमाकान्तजी शर्मा।

**श्री रमाकान्त शर्मा** (थानागाजी) : माननीय सभापति जी, कल किसी कार्यवश मैं तो दिल्ली गया था और रात को 12 बजे आया इसलिए मैं अपने क्षेत्र में तो जा नहीं सका। मैंने यहां से थानागाजी टेलीफोन किया, तो वहां न बिजली है, न टेलीफोन के तार हैं इसलिए बातचीत नहीं हो सकी। मैंने अभी कलक्टर से यहीं से बातचीत करनी चाही, तो कलक्टर कहीं भिवाड़ी गये हुये हैं, एडीशनल कलक्टर से बात करना चाहा, तो वह भी नहीं मिले, ए. सी. एम. से मैंने बातचीत की थी, तो ए. सी. एम. यह कहता है, जिसके लिये मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, मुझे भू-राजस्व शाखा से कोई सूचना नहीं है। एक

(श्री रमाकान्त शर्मा)

आर. ए. एस. अधिकारी, जो डाइरेक्ट थानागाजी का इन्चार्ज है और वह यह कहता है कि मुझे भू-राजस्व शाखा से यह इत्तला नहीं मिली तो इस प्रकार से इमरजेंसी के अन्दर यानि हमारे अधिकारी कार्य करते हैं, तो फिर हम किस प्रकार से उनको राहत पहुंचा सकेंगे ? वास्तव में आवश्यकता तो यह थी कि जब कल ओले पड़ गये उसके बाद लगभग 24 घण्टे गुजर गये, प्रत्येक जिले का तहसीलदार सीधे राजस्व विभाग के अन्दर, अकाल विभाग के अन्दर सारी सूचना दे देता कि कितने क्षेत्र के अन्दर ओले पड़े हैं....

**श्री सभापति** : सरकार ने बड़े अधिकारियों से सूचना मंगायी है, ए.सी.एम. को जानकारी नहीं होगी।'

**श्री रमाकान्त शर्मा** : ए. सी. एम. के पास में यदि 40 किलोमीटर दूर की जानकारी नहीं है और वह वहां का डाइरेक्ट इन्जार्ज है तो यह हमारे लिये जरूर क्षोभ की बात है, दुःख की बात है....

**श्री सभापति** : जानकारी आ रही है।

**श्री रमाकान्त शर्मा** : मेरे क्षेत्र में तीन महीने पहले भी ओले पड़े थे, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मैंने तत्काल उनसे निवेदन किया और उन्होंने उसी क्षण जो सम्बन्धित मंत्रीजी हैं, उनको वहां भिजवाय। वह वहां गये और वहां जाकर सारी की सारी व्यवस्था भी की परन्तु पुनः उस ग्राउण्ड लेबल के राजस्व विभाग की बात बताता हूं कि आपकी स्वीकृति के बाद उसको जो राहत डिस्ट्रिब्यूट करनी थी उसमें ढाई महीने लग गये। ग्राउण्ड लेबल पर लोगों को जब तक सतर्क नहीं किया जाएगा तब तक यह सारी की सारी जो इमरजेंसी की चीजें हैं, उनको हम डील-विद प्रोपरली नहीं कर पा सकेंगे और गरीब किसान को, जिसका सब-कुछ लुट जाता है उसको अगर समय पर मान लीजिये सहायता नही मिली, तो फिर बाद की सहायता जो मिलती है वह उसको उतनी राहत नहीं पहुंचा सकती है। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री जुबेर खान।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : सभापति महोदय, यह कल और परसों जो प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है उसमें सदन के माननीय सदस्यों के सुझावों के साथ अपनी पीड़ा, अपना दुःख सम्मिलित करते हुए केवल नयी दो-तीन बातें मैं कहना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी बिराजमान हैं, 1991 में भी ओलावृष्टि हुई थी जिसका जिक्र थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने किया। सरकार के मंत्री खेतों में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को लेकर गये। अखबारों में फोटो भी छपवाये और सारी रिपोर्ट आयी। मैं, माननीय सभापति महोदय, यह इसलिये कह रहा हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी, कि उस बार किसी किसान को दो पैसे भी मुआवजा नहीं मिला। इसलिये बीच में जो लोग कह रहे थे, हमें आश्वासन दे दिया, धन्यवाद देते हैं, खूब दीजिये, हम भी देते हैं लेकिन असली धन्यवाद तभी होगा जब इस ओलावृष्टि के बाद में जो किसान प्रभावित हैं उनको कुछ मिल जायेगा, कुछ राहत मिल जायेगी।

(श्री जुबेर खान)

सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि जहां-जहां भीओलावृष्टि हुई है वहां जैसे अकाल राहत कार्य चल रहे हैं, उसी तरह से वहां राहत के कार्य कराए जाएं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह की पीड़ा आज किसानों को हो रही है। जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने और सारे लोगों ने चुनाव में खूब प्रचार किया और परिणाम निकलने के बाद में, बाड़ाबंदी करने के बाद में माननीय मुख्य मंत्री जी जिस तरह से शपथ लेने के लिये विचलित हो रहे थे और नहीं दिलाने में जो अड़चनें आ रही थीं जो हालत उस समय मुख्य मंत्री जी की थी वह हालत आज किसान की है इससे, मुख्य मंत्री महोदय, यह अंदाजा लगा लीजिये कि किस तरह की राहत किसानों को चाहिये और आज आपको वह राहत उन्हें देनी चाहिये मेरा आपसे यह निवेदन है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, कृपया वैसी हालत होने पर तो किसानों को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी उस वक्त बिलकुल शांत-चित्त स्थितिप्रज्ञ थे।

**श्री जुबेर खान** : आप लोग तो तलवारें लेकर लोगों को निकालने वाले थे, सड़कों पर कि तलवारें लेकर निकल जाओ मारकाट मचा दो अगर हमें शपथ नहीं दिलायी जाए तो। मेरा यह कहना है कि किसानों के साथ भी आज वही स्थिति है कि बिलकुल निवाला जब उनके मुंह के पास आता है तो छिन जाता है, ऐसी हालत आज किसान की हुई है। फसल अच्छी हुई थी कोई, बीमारी नहीं थी फसलें पकी हुई थीं, खास तौर से गेहूं का एक भी बाल नही बच पाया, सब धराशाही हो गया इसलिये मैं यह सब कहना चाहता था। हो सकता है मुख्य मंत्री जी के मन में कुछ हो जाये।

सभापति महोदय, एक बात यह कहना चाहता था कि कोई गाड़ी खराब हो जाये, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाये तो बीमा, कोई दुकान जल जाये तो बीमा, मैं यह कहता हूं कि खलिहानों में आज के सम्बन्ध में सरकार थोड़ी संवेदनशील है कि कैसे पता लगाये, लेकिन जो नैचुरल केलेमिटीज होती हैं, (प्राकृतिक आपदाएं होती हैं) यह तो कोई किसान आप तो करता नहीं है और सब जग-जाहिर है कि कैसे होती हैं। बारिश हो, चाहे ओलावृष्टि हो, इस संबंध में तो कम से कम सरकार यह निर्णय ले, सदन भी किसान-किसान +++ कहता रहता है, यह निर्णय लेना चहिये कि अगर ओलावृष्टि या बारिश से या कोई प्राकृतिक आपदा से अगर किसान की फसल को कोई नुकसान होता है तो फसल बीमा क्यों नहीं लागू किया जा सकता ? जिस प्रदेश में, सभापति महोदय, आपके ही मुंह से निकला हुआ है कि साल में दो सौ करोड़ रुपये जहां टेलीफोन और कारों के पैट्रोल पर खर्च हो जाते हों वहां का किसान मारा जाये और उसके लिये फसल बीमा की व्यवस्था यह सरकार और यह सदन नहीं कर सके, इससे बड़ा दुर्भाग्य और किसानों के साथ खिलवाड़ क्या हो सकता

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

(श्री जुबेर खान)

है। इसलिये मेरा निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र इन कानून-कायदों को एक ताक में यथा स्थिर रख कर नये कानून के प्रावधान बना कर, सदन का सत्र चल रहा है अगर कोई अमेंडमेंट लाना चाहते हैं तो मौजूदा प्रावधानों में लेकर आइये और यह व्यवस्था कीजिये कि लोगों को जो नुकसान हुआ है, चाहे जान-माल का हुआ हो, चाहे पशुओं का हुआ हो, चाहे फसल का हुआ हो, उसका ठीक प्रकार से मुआवजा मिल सके। यह बातें मैं आपसे कहना चाहता था। धन्यवाद।

**सभापति** : श्री उदयलाल जी। आपको बुलाऊंगा, श्री महादेवसिंह जी, आ रहा हूं मैं।

**श्री उदयलाल आंजना** (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, कल दिन में जो प्राकृतिक आपदा आयी, भयंकर ओलावृष्टि हुई उससे राजस्थान के कई भागों में काश्तकारों के सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गयी है। अकाल की मार तो थी ही पर ओलावृष्टि से यह दोहरी मार काश्तकारों पर पड़ी है। मैं इसके लिए किसी को दोषी नहीं मानता। सदन के सभी माननीय सदस्य बड़ी गम्भीरता से इस पर चर्चा कर रहे हैं और सरकार का भी इसमें कोई दोष नहीं है लेकिन सरकार को जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको बड़ी उदारता से सर्वे करा कर मुआवजा देना चाहिये और इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिये।

इस सम्बन्ध में 24 जुलाई, 1992 की घटना निवेदन करना चाहता हूं। निम्बाहेड़ा में एक ही रात में बीस इंच बरसात हो गई थी और वहां भारी प्रलय मच गया था। उस समय सरकार ने सर्वे भी कराया, मुआवजा देने के लिए घोषणा भी की लेकिन उसमें भी राजनीति की गई और जो व्यक्ति पीड़ित नहीं थे उनको मुआवजा दिया गया और जो सही पीड़ित थे उनको मुआवजा नहीं दिया गया। सभापति महोदय, इसलिए मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बार जो आपदा आयी है उसमें राजनीति नहीं करते हुए, सभी को समदृष्टि से देखते हुए सबको बराबर न्याय दिया जाए। जो सरकार आज काश्तकारों की मसीहा बनती है, वह निश्चित रूप से काश्तकारों के लिए उपयोगी होगी और जिनके यहां नुकसान हुआ है उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री रामचन्द्र जी।

**श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : माननीय सभापति महोदय, आज जो सदन में ओलावृष्टि पर चर्चा हो रही है उसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं।

**श्री सभापति** : अपने सदन में भी श्री ओला जी हैं।

**श्री रामचन्द्र रावत** : यह बहुत ही चिन्ता का विषय है....

**श्री शिवनाथ सिंह** : कई दुःखी भी हैं उनसे।

**श्री रामचन्द्र रावत** : कल जो तेज आंधी, बरसात और ओलावृष्टि हुई वह एक तरह से ईश्वरीय और इन्द्र भगवान की कु-दृष्टि थी हमारे ऊपर। कल पांच मिनट पहले यह मालूम नहीं था कि इस

(श्री रामचन्द्र रावत)

तरह का अंधकार आएगा और इस तरह से इतने भारी-भारी ओले इस-इस जगह पड़ेंगे। उसका असर पूरे राजस्थान पर पड़ा है।

**श्री सभापति** : आप अपने विधान सभा क्षेत्र में नुकसान हुआ है, वह बताइये।

**श्री रामचन्द्र रावत** : मेरे क्षेत्र कोटपूतली के अन्दर इतना नुकसान हुआ है कि सारी की सारी फसल नष्ट हो गयी है और मेरे क्षेत्र के नजदीक लगने वाले इलाके–शाहपुरा, चौमूं और बैराठ इलाके में इतना नुकसान हुआ है कि किसानों की फसल नहीं बची है और जो फसल गेहूं और जौ की खेत में खड़ी हुई थी उसके अन्दर एक भी बाल आज नहीं है। उसकी किसान को कटाई की जरूरत नहीं है और किसान की जो फसल, जो कटाई की खलियान में पड़ी हुई थी, उसके अन्दर पानी इतना घुस गया है कि उससे वह फसल इतनी गल गयी है बह गयी है और खराब हो गयी है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जो किसान के पशु थे, भेड़-बकरियां थीं वे किसानों के खेतों में ही रह गयीं।

**श्री सभापति** : यह बातें आ गयीं, माननीय सदस्य।....

**श्रीमती कमला** : यह अपने इलाके की बोल रहे हैं।

**श्री सभापति** : पहले तो इनका नाम नहीं था।

**श्रीमती कमला** : आप उनको बोलने तो दीजिए।

**श्री सभापति** : मैं बुला रहा हूं। आपके माननीय मुख्य सचेतक जी की सूची में सिर्फ 7 नाम थे, मैं 15 माननीय सदस्यों को मौका दे चुका हूं और बीच-बीच में ऐसे कहेंगे तो मैं इस पर निवेदन कर रहा हूं। एक मिनट, मैं आपको अवसर दे रहा हूं। अपने विधान सभा क्षेत्र में जो-जो गांवों में जिस-जिस प्रकार का नुकसान हुआ उसको रखेंगे तो मदद मिलेगी। आप कृपया बोलें यह बातें।

**श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के अन्दर कम से कम इतने गांव हैं जिनमें फसल इतनी नष्ट हो गयी है कि आज उनको कटाई करने की जरूरत नहीं है। जौ और गेहूं तो बिलकुल खराब हो चुके हैं। जौ, सरसों और चने काटकर खलियान में डाल दिये गये थे वह भी खराब हो गये हैं। किसान की पूरे साल की मेहनत खराब हो चुकी है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं सुझाव देना चाहता हूं कि किसानों के लिए जो फसल बीमा योजना है वह उन्हें समझा कर लागू करनी चाहिए।

दूसरा, इसमें मेरा यह कहना है कि सरकार की तरफ से जो मुआवजा दर निश्चित की गयी है वह नुकसान के आधार पर देखी जाए कि किस इलाके में कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान नहीं हुआ है और उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए मुआवजा ज्यादा बढ़ाया जाए।

तीसरा, मेरा एक निवेदन यह है कि जो ऋण वसूली हो रही है, जो किसान से ऋण का पैसा वापस लिया जा रहा है वह

(श्री रामचन्द्र रावत)

ऋण-थोड़े दिन के लिए या 6 महीने के लिए या एक साल के लिए पोस्टपोन किया जाए और उनसे ऋण वसूली नहीं की जाए।

चौथा, मेरा यह निवेदन है कि जो ब्याज की दर है वह ब्याज की वसूली बिलकुल बन्द की जाए, एक साल के लिए उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जाए। यदि उनसे ब्याज लिया जाएगा तो उसकी कीमत उतनी की उतनी दुगुनी हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा इस मौके पर जो फायदा सरकार दिला सकती है वह देना चाहिए, काफी नुकसान हुआ है।

**श्री सभापति** : श्री जगदीश मीणा।

**श्री जगदीश प्रसाद मीणा** (उनियारा): माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे टोंक जिले में सबसे ज्यादा ओलावृष्टि हुई है, वहां 3-4 आदमी भी मर चुके और बहुत से हास्पिटल में भी भर्ती हैं। हमारे वहां जो फसल काटी नहीं गयी थी, चने की और गेहूं की, काटने के लिए बाकी थी। वह फसल ऐसी की ऐसी पूरी की पूरी सत्यानाश हो गयी। बहुत सी गायें, बकरियां व बैल इतनी तादाद में मर गये हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि हमारे गांवों में पहले से ही अकाल है और यह दूसरा अकाल घोषित हुआ है। यह ओलावृष्टि हमारे लिए इतनी खतरनाक सिद्ध हुई है पहले अकाल राहत कार्यों के लिए कि चलो अकाल राहत कार्य खुलेंगे उससे लोग मजदूरी करके खा लेंगे, उन्हें सहायता मिलेगी। पर यह दूसरा इतना बड़ा अकाल पड़ गया है कि इससे बचने के लिए अभी कोई रास्ता नहीं है। इसका रास्ता यही है कि सरकार इसके ऊपर जो भी सहायता दे सके, तुरन्त सहायता दे। उनको मकान बनाने के लिए लोन को, उनके जो बैंक ऋण हैं उनको माफ किया जाए और जिनकी रहने की व्यवस्था बिलकुल भी नहीं है, जिनके बच्चे घर के बाहर पड़े हैं, उनके खाने-पीने की तुरन्त व्यवस्था की जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे वहां 15 गांवों में बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। आदमियों और जानवरों का निम्नलिखित गांवों में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ—खलीलपुरा, पापड़ा, बाड़ा, घाघ, सकटगंज, मोहम्मद नगर, लाम्बा, निमोला, चंगलाय, छापरिया, परासिया, अरणियां, मालका, इन गांवों में विशेष हुआ है, वैसे तो हमारे पूरे जिले में ही ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहकर इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर तुरन्त ध्यान दे और सहायता पहुंचाये। मैं मेरे दो महीने का पेमेंट इस राहत में देना चाहता हूं। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री सभापति** : श्री महादेव सिंह।

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला) : सभापति महोदय, तहसील नीम-का-थाना, खंडेला और श्रीमाधोपुर के सैकड़ों गांवों में ओलावृष्टि से बहुत सी जगह सेंट-पर्सेंट नुकसान हुआ है। गांव हरजनपुरा बासड़ी, बगेगा, बगोर, प्रीतमपुरी, लोहरवाड़ा, गढ़ भोपजी, नालोट हांसपुर, पटवारियों का बास इनमें कुछ भी नहीं बचा है। किसानों के बहुत से पशुओं और भेड़-बकरियों का नुकसान हुआ है।

(श्री महादेव सिंह)

नालोट गांव के 10-15 व्यक्तियों के सिर में चोटें आयी हैं, उनको श्रीमाधोपुर हास्पिटल में भर्ती करवा रखा है। गांवों के अन्दर जो वाहर खेतों में कच्चे छप्पर पड़े हुए थे वे छप्पर पूरे के पूरे नष्ट हो गये हैं। सबसे ज्यादा समस्या चारे की, वहां अनाज से ज्यादा, रात को जब मैं गया वहां तो लोग कह रहे थे कि हमारे यहां सबसे ज्यादा नुकसान और तकलीफ हुई है तो चारे की हुई है। बहुत से पेड़ टूटे हैं, भेड़-बकरियों का नुकसान हुआ है, पशुओं का नुकसान हुआ है, आदमियों के चोट लगी है और ज्यादा नुकसान हुआ है तो वह कांवट कस्बे के पूरब साइड के गांवों में हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस समय उनका लगान माफ किया जाए, जो भी कॉ-आपरेटिव सोसाइटीज के लोन की इस समय वसूली हो रही है, उसको स्थगित किया जाए और जल्दी से जल्दी कलक्टर साहब से कहकर इसकी खसरा गिरदावरी मंगवाकर तुरन्त सहायता दी जाए। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री शिवनाथसिंह। (अनुपस्थित)। श्री विष्णुजी। आपका वैसे तो स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार की जानकारी के लिए भेजा था, अब आप चूंकि बोलना चाहते हैं इसलिए जानकारी पर नहीं भेज रहे हैं। आप दो मिनट बोल लें।

**श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। माननीय मुख्य सचेतक जी ने यह कहकर मेरा नाम नहीं लिखा था कि आपका एडजोर्नमेंट मोशन है इसलिए आपका नम्बर तो आ ही जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन की जो व्यथा है उसमें अपने आपको जोड़ते हुए इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जितनी सहायता कर सके उतनी उसको करनी चाहिए। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इस सदन में जितने वक्ता वोले हैं उन सबने ओलावृष्टि होने के वाद की बात कही कि उसमें मुआवजा दिया जाए। मैं इस बात से सहमत हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा इस सरकार पर एक स्पष्ट आरोप है कि अगर यह सरकार सचेत होती तो जो नुकसान हुआ है उसको कुछ कम किया जा सकता था और आरोप इसलिए है कि यह विक्षोभ, ओले कैसे गिरते हैं, ओले गिरने की क्या पूर्व सूचना सरकार को मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस सरकार की अकार्यकुशलता के कारण....

**श्री सभापति** : ओले पड़े हैं।

**श्री विष्णु मोदी** : ओले नहीं पड़े हैं, आप मेरी बात सुनें तो आप इस बात से सहमत होंगे कि एक तारीख को इनसेट के माध्यम से....

**श्रीमती तारा भण्डारी** : सभापति महोदय, इन्होंने हाय तौबा मचा रखी है पानी की, तो उसने सोचा कि मैं तेरे ओले ही भेज दूं।

**श्री सभापति** : माननीया सदस्या, सुनिए आप। बुद्धिजीवी माननीय सदस्य हैं, इनकी बातें सुनें। वैज्ञानिक बातें कर

(श्री सभापति)

रहे हैं, सूचना दी जा सकती है, सुनिए आप। मौसम की घोषणाएं होती हैं।

**श्री विष्णु मोदी** : इनसेट एक से जो कि हमारे यहां मौसम की सूचनाएं एकत्रित होती हैं उसमें एक तारीख को अफगानिस्तान के ऊपर जो पश्चिमी विक्षोभ, अफगानिस्तान से जब कोई डिस्टर्बेंस होता है तो उसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। वह एक तारीख को अफगानिस्तान के ऊपर ट्रेस हुआ, वहां से यह चलता हुआ पाकिस्तान आया और यह आज की राजस्थान पत्रिका की एक छोटी सी खबर पढ़ रहा हूं—

"मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को जयपुर में हुई ओलावृष्टि एवं आंधी पानी के लिए उत्तरी पाकिस्तान की ओर से आया पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार है। यह विक्षोभ सोमवार को पश्चिमी राजस्थान और मंगलवार को मध्य राजस्थान में केन्द्रित था, बुधवार को यह विक्षोभ पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में क्रियाशील रहा।"

माननीय सभापति महोदय, मैंने भारत सरकार का जो यहां मौसम विभाग है, उसके जो मुख्य अधिकारी हैं उनसे कल रात को सम्पर्क किया था और मैंने दिल्ली में भी सम्पर्क किया था कि यह जो ओलावृष्टि हुई क्या इसकी पूर्व सूचना हमको मिल सकती थी या नहीं मिल सकती थी? (व्यवधान)....माननीय सदस्य मैं जो कह रहा हूं आप....

**श्री सभापति** : साइंटिफिक युग में पता भी लग जाता तो क्या होगा? (व्यवधान) खड़ी फसल को काटकर एक घण्टे में रख देगा?

**श्रीमती कमला** : मवेशियों को तो बांधेगा।

**श्री सभापति** : मवेशियों का भी क्या करें?

**श्री विष्णु मोदी** : माननीय सभापति महोदय, मुझे अगर आप सुनेंगे।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य ओलावृष्टि पर बोलें आप।

**श्रीमती कमला** : मछुआरों को भी पाबन्द किया जाता है कि आज यह हवा चल रही है, नहीं जा सकते।

**श्री सभापति** : नहीं, नहीं। यह वैज्ञानिक बातें बहुत हैं। आपकी मान ली, आपने रख दी, सरकार विचार करेगी।

**श्रीमती कमला** : + + +हैं इसलिए मैं कह रही हूं। आपको पता है मछुआरों को कहते हैं आज आप समुद्र में नहीं जाएंगे। अगर इनको कह देते तो....(व्यवधान)

**श्री सभापति** : यह आज के पहले भी हुआ है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं, माननीय सदस्य?

**श्री विष्णु मोदी** : माननीय-सभापति महोदय, मैं ओलावृष्टि पर ही बोल रहा हूं।

**श्री सभापति** : विषयान्तर हो रहे हैं आप।

**श्री विष्णु मोदी** : मैं नहीं हो रहा हूं। आप सुनिये मेरी बात।

+ + +अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुमार अपलोपित की गयी।

**श्री सभापति** : आपकी शुद्ध भावना नहीं है।

**श्री विष्णु मोदी** : आप मेरी सुनिये। मैं विषय पर बोल रहा हूं।

**श्रीमती तारा भण्डारी** : यह सन्देश केन्द्र सरकार को नहीं मिला? पहले तो उनको मिलना चाहिए।

**श्री विष्णु मोदी** : नहीं, आप मेरी बात सुन तो लें। नहीं, आप मेरी बात सुन लें। मैं बहुत वैल्यूएबल बात कह रहा हूं।

**श्रीमती कमला** : इसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार क्या?

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, मौसम विभाग की घोषणा भारत सरकार से होती है, कहां ला रहे हो। कहां बिना मतलब....

**श्री विष्णु मोदी** : आप पूरी बात तो कहने दीजिए।

**श्री सभापति** : सारे सदन में जो वातावरण बना हुआ है, उसको खराब क्यों करना चाहते हैं?

**श्री विष्णु मोदी** : आप मेरी बात तो सुनिये, मैं अपने आपको सदन की भावना के साथ सम्मिलित करते हुए कह रहा हूं कि आप उसका मुआवजा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दीजिए। लेकिन सरकार आगे कम से कम इसके लिए सचेत रहे, उसकी बात कहना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : हां, सचेत रहेगी, आप बिराजिये।

**श्री विष्णु मोदी** : हां, पहले मेरी बात मुझे कहने दीजिए।

**श्री सभापति** : मैं ऐसी बात नहीं कहने दूंगा, जो मुझे नहीं जंचती है। कृपया बिराज जाएं।

**श्री विष्णु मोदी** : यह नहीं हो सकता।

**श्री सभापति** : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : जिस बात को आप पसन्द करेंगे....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, विषयान्तर हो रहे हैं। वह विषयान्तर हो रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : वैल्यूएबल बात है।

**श्री सभापति** : अंकित नहीं होगा।

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : × × ×

**श्री सभापति** : अंकित नहीं होगा। विषयान्तर हो रहे हैं।

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

**श्री सभापति** : सरकार की बुराई को मैं नहीं रोक रहा हूं। विषयान्तर हो रहे हैं। इसलिए अंकित नहीं होगा।

**एक माननीय सदस्य** : × × ×

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

---

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** × × ×

**श्री सभापति :** श्री शिवनाथ सिंहजी। बोलिये।

**श्री विष्णु मोदी :** × × ×

**श्री सभापति :** किसी का अंकित नहीं होगा, सिर्फ श्री शिवनाथ सिंहजी बोलेंगे।

**श्री विष्णु मोदी :** × × ×

**श्री सभापति :** भाषण समाप्त हुआ आपका माननीय सदस्य।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : सभापति महोदय, पांइट आफ आर्डर।

**श्री सभापति :** पाइंट आफ आर्डर, बिराजें।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, और यह बोल रहे हैं तो बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं, मौसम से सम्बन्ध है ओलावृष्टि का और उस पर जो आप बात कह रहे हैं, तो वह विषयान्तर नहीं हो रहे हैं और आप तत्काल ही दूसरों को पुकार लेते हैं, यह इनके साथ न्याय नहीं है ?

सभापति महोदय, विचारों की पूर्ण स्वतन्त्रता है सभी माननीय सदस्यों को और विषय से अलग होकर यह बात नहीं कह रहे हैं। यह एक वैज्ञानिक बात है, वह कह रहे हैं, कहने दीजिये, पूरा करने दीजिये।

**श्री सभापति :** आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

**श्रीमती कमला :** (व्यवधान) आइन्दा मौसम विभाग और राज्य सरकार में एक अच्छा तालमेल बैठाना चाहिये, इस दृष्टि से अपन को इसको देखना चाहिये, आरोप की दृष्टि से नहीं।

**श्री सभापति :** आरोप की नहीं, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य बोलें और बोलने से मैं कभी रोकता भी नहीं हूं। जैसा माननीय श्री पूनमचन्द जी ने कहा, मैं इनसे निवेदन यह कर रहा था कि उन्होंने अपनी बात ओलावृष्टि के बारे में रखी थी। किसानों के बारे में जो नुकसान अपने-अपने क्षेत्र में हुआ है, वह भी अगर ध्यान में आता है तो कह दी, ओलावृष्टि की बात भी आपने कह दी। उसके बाद में विषयान्तर हो रहे थे इसलिए मैंने आपका भाषण समाप्त किया। अगर आप ओलावृष्टि पर बोलना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोक रहा हूं, बोलें।

**श्री विष्णु मोदी :** मैं ओलावृष्टि पर ही बोल रहा हूं।

**श्री चन्दनमल बैद :** मैं एक बात निवेदन करना चाहता हू। जरा थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिये।

**श्री सभापति :** हां, सुनूंगा।

**श्री चन्दनमल बैद :** हम क्या जो जो आज नयी चीजें आ रही हैं, नए ईजाद हो रहे हैं, नये आविष्कार हो रहे हैं, हमको जो नयी सूचनायें मिल रही हैं, उससे आंख बन्द करना चाहते हैं, उससे कान बन्द करना चाहते हैं ? जब आज हमारे इनसैट के मार्फत हमको जो मौसम की भविष्य-

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री चन्दनमल बैद)

वाणियां मिल रही हैं उसके बारे में माननीय सदस्य बता रहे हैं कि वह भविष्यवाणीहमको मिल चुकी थी। मैंने रात को सुना है टी. वी. पर। उन्होंने यह कहा है कि फलां-फलां जगह ओलावृष्टि होने की सम्भावना है, तो क्या हम उस चीज से आंख मूंद लें? हमारे टी. वी. ने हमको यह बता दिया, रेडियो, आकाशवाणी ने हमको यह बता दिया कि अफगानिस्तान में विक्षोभ है, पाकिस्तान में विक्षोभ आ गया है, वह विक्षोभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में आने वाला है, इससे आंख मूंदकर हम बैठ जायें। हम क्या यह समझें कि हम ही उसको सुनें और हमारी सरकार के अधिकारी और कर्मचारी, जो इतनी-इतनी बड़ी तनख्वाह पा रहे हैं, उस बात को नहीं सुनें। उसके बारे में कोई विचार नहीं करें? ठीक कहते हैं आप, फसल काट तो नहीं सकते थे पर कटी हुई फसल को अन्दर रख सकते थे। जो पशु मर गये, जिन आदमियों की जानें चली गयीं और जो फसलें कटी हुई पड़ी थी, वह बर्बाद हो गयीं, उसके बारे में सरकार हमको सूचित कर सकती थी। (व्यवधान)

**श्री सभापति :** श्री वी. पी. सिंह जी आप भी बोलिये।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह :** इस बात पर कुछ कहना चाहता हूं।

**श्री सभापति :** श्री वी. पी. सिंहजी जो कह रहे हैं, उनको भी कहने दो।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** (आसींद) : मेरा तो यही कहना है कि जब भी कोई न्यू थिंकिंग के बारे में कहता है, तो लोग उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, यह बुरी बात है। जब श्री राजीव गांधी कम्प्यूटर की उन दिनों में बात करते थे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। आज सब कम्प्यूटराइजेशन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? तो जो भी नयी थिंकिंग की बात करता है कोई अखबार पढ़ कर, कोई न्यूज सुनकर यहां पर आता है, तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते, सुनने का तो धैर्य रखें। इतना ही मुझे कहना है।

**श्री सभापति :** हां, बोलिये।

**श्री विष्णु मोदी :** सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भारत सरकार का मौसम कार्यालय है, उसके अधिकारी से मैंने बात की....

**श्री सभापति :** वह आ गयी बात।

**श्री विष्णु मोदी :** उनका यह कहना था कि राजस्थान सरकार सिर्फ मानसून के दौरान हम से तालमेल रखती है कि बारिश के मौसम में कहां भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा बाकी के नौ महीने राजस्थान सरकार का भारत सरकार के मौसम कार्यालय से कोई तालमेल नहीं रहता है। एक तारीख को जो विक्षोभ आया, उसके अन्दर भारत सरकार का मौसम कार्यालय प्रिडिक्शन देता रहा कि यहां पर भारी अंधड़ आयेगा, बारिश होगी और ओलावृष्टि भी हो सकती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार सचेत होती, तो जो खलिहानों में फसल कटी हुई थी, जो पशुधन का नुकसान हुआ जो मनुष्यों की जान का नुकसान हुआ और

(श्री विष्णु मोदी)

ऐसी फसल जो कि दो दिन के, तीन दिन के नोटिस में काटी जा सकती थी, उसके कारण से जो हमारा नुकसान हुआ उससे बचा जा सकता था। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार जो कि सिर्फ फायर-फाइटिंग जानती है कि जहां आग लग गयी, उसको बुझाने जाना चाहती है। उसको सजग होना चाहिए। हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, भारत सरकार के इनसैट से आज हमारा देश दुनिया के उन विकासशील देशों के मुकाबले में खड़ा है जिससे कि मौसम की जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में राज्य सरकार इस बात के लिए सजग रहे और मौसम विभाग से को-आर्डिनेट रख कर प्रदेश के अन्दर इस तरह की आपदाओं से बच सके, इसके लिए विशेष प्रयास करेगी। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री शिवनाथ सिंह।

**श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : सभापति जी, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो अपने साथ विनाश लाती है। अब की बार जो ओलावृष्टि हुई है, वह इतने विस्तृत क्षेत्र में और बहुत ही गहरी हुई है। इसलिए हम सभी उसके चपेट में आ गये। चिन्ता का विषय है सदन में, माननीय सभापति जी, इस प्रकार के अवसर जब आते हैं तो हमको और सरकार को यह चिन्तन करने के लिए बाध्य करते हैं कि इनसे बचा तो नहीं जा सकता लेकिन जो इससे पीड़ित होते हैं, उनके साथ किस प्रकार का हम व्यवहार करें। बहुत से सुझाव आये हैं।

माननीय सभापति जी, हमारे राहत देने के जो मापदण्ड हैं, उचित नहीं हैं। उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो राहत मिलती है, वह दुगुनी भी हो जाए तो भी कोई असर नहीं हो सकता। जितने भी लोग-बाग इससे पीड़ित हुए हैं, किसान पीड़ित हुए हैं, पशुपालक पीड़ित हुए है, उनको आगे के लिए सरकार साधन मुहैया कराये, बिना ब्याज का ऋण उनको मिले ताकि आगे आने वाली फसल है, उसमें वह अपनी फसल बो सके और बारह महीने का समय गुजार सके। ऋण माफी से या आप कोई अन्य राहत देंगे, वह बहुत थोड़ा अमाउण्ट है। हजार की जगह दो हजार भी कर दिये तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि राहत मिलेगी, पर आगे के लिए उनकी कमाई का साधन बढ़े, इस प्रकार की हमें व्यवस्था करनी चाहिए।

सभापति जी, मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहूंगा हमारा जो प्राकृतिक आपदा कोष है, उसको प्रभावी ढंग से काम में लेना चाहिए। उसमें जिस प्रकार से भी हम धन इकट्ठा कर सकें करना चाहिए, सरकार के पास अधिकार है। इस कोष के लिए जो दानदाता हैं, उनसे दान मांगा जाए और इन्कम टैक्स आदि में जिस तरह से छूट मिलती है, उस प्रकार की व्यवस्था यदि हम करें तो काफी धन इसके लिये हमको मिल सकता है। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था करें। सदन की तरफ से, सरकार की तरफ से और प्रधान मंत्री कोष से भी धन लाने की हमको व्यवस्था

(श्री शिवनाथ सिंह)

करनी चाहिए और इस प्रकार की कोई बात हो तो सदन का प्रस्ताव भी जा सकता है। उसमें जो भी आप उचित समझें, सरकार उचित समझे, वह कार्य करना चाहिए। लेकिन किसी प्रकार भी जहां कहीं से भी धन मिल सकता, राहत की सामग्री मिल सकती हो, वह चाहे केन्द्र सरकार से हो और दूसरी संस्थाओं से हो, धर्मार्थ संस्थाएं हैं, व्यापारी वर्ग है, उनसे हमको इकट्ठा करके इन लोगों को राहत दिलानी चाहिए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि फसल बीमा पर विचार बहुत लम्बे अर्से से चल रहा है, उसको भी हम किस प्रकार से लागू करें, इसके लिए भी हमको सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा....

(14.00)

और इस प्रकार की आपदाओं से लड़ने के लिए, आपदाओं से छुटकारा पाने के लिए या रिलीफ पाने के लिए हमको फसल बीमा की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत लम्बे समय से यह बात चलती आ रही है लेकिन अभी तक कोई कारगर कदम उठाये नहीं गये हैं। इसलिए सरकार को गम्भीरता से सोच कर और फसल बीमा की तरफ ध्यान देना चाहिए।

माननीय सभापतिजी, जो हमारे मापदण्ड हैं चाहे आग लगने से नुकसान का है, ओलावृष्टि का है या और दूसरे साधनों से, दूसरे प्राकृतिक आपदाओं का है, उस मापदण्ड को हमको बदलना चाहिए और आज की आवश्यकता के अनुरूप प्रावधान करना चाहिए।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन पीड़ित परिवारों के प्रति जिनका नुकसान हुआ है, जिनके आदमी मर गये हैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त इस प्रकार के कदम उठायें कि जिससे लोगों को राहत महसूस हो और लोग यह महसूस करें कि हमको सम्भालने के लिए कोई सरकार है। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री सभापति** : श्री भंवर सिंह। कृपया मैं बहुत अवसर कई माननीय सदस्यों को दे चुका हूं। अब 200 माननीय सदस्यों को अवसर देना मुश्किल होगा।

**श्री भंवरसिंह चौधरी** (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की समस्या से पूर्व यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल जब पड़ता है तो काश्तकार का इन्वेस्टमैंट कुछ नहीं होता वह उसको सहन कर लेता है लेकिन जब ओलावृष्टि होती है या अधिक बरसात से फसल नष्ट होती है तो उसका सारा इन्वेस्टमैंट बेकार चला जाता है। मेड़ता विधान सभा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से काफी भिन्न है, सिवाय भीनमाल क्षेत्र के। हम कामर्शियल क्रोप जीरा पैदा करते हैं। ओला तो बहुत बड़ी चीज है अगर बड़ी बूंदें भी गिर जाएं, बरसात हो जाए तो उससे सारा जीरा जमीन पर गिर जाता है। मैंने बहुत कोशिश की, खुद का टेलीफोन खराब था, यहां आकर कोशिश की पर सम्पर्क नहीं हुआ। मैं यह सोचता हूं कि सारे राजस्थान से यह आवाज आ

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

रही है कि नुकसान हुआ है, तो वहां भी हुआ होगा। मेरी यही प्रार्थना है कि भविष्य में जो मुआवजा सरकार देगी इसको बढ़ाया जाए और कम से कम कार्मशियल क्रोप के लिए बीमा करवाने की स्कीम लागू की जाए। यही मेरा निवेदन है।

**श्री सभापति** : माननीय श्री रतनलाल जी ताम्बी, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

**श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर, शाहपुरा, माण्डलगढ़ और कोटड़ी क्षेत्र में सैंकड़ों गांवों में परसों और कल ओलावृष्टि से अपार नुकसान हुआ है। माननीय सभापति महोदय यह प्राकृतिक आपदा उस समय हुई जब लगभग अधिकांश किसान फसल काट चुके थे, अपने खलिहान में ला चुके थे और बाकी खेतों में फसल काट रहे थे। इस प्रकार का नुकसान मैं समझता हूं मुंह में निवाला जाते वक्त जैसे हुआ है। यह बहुत ही असहनीय क्षति है और अकाल पीड़ित जिले में बची हुई फसलों का इतना बड़ा नुकसान होने से निश्चित ही किसानों का जीना दूभर हो गया है, मेरा ऐसा मानना है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के इस बारे में माप-दण्ड हैं, कुछ तरीके हैं पर वह इतने पुराने हैं कि उनसे कोई राहत मिल नहीं सकती, ऊंट के मुंह में जीरे के समान वाली स्थिति है। इसलिए मैं चाहता हूं सबसे पहले प्रशासन से तत्काल पूरी जानकारी आज ही प्राप्त करके माननीय मुख्य मंत्री महोदय जिलेवाइज स्थिति का विवरण यहां दें और आज न दे सकें तो कल तक प्राप्त करके दें ताकि उससे सारे प्रदेश की स्थिति की जानकारी हो सके। हमारे यहां काफी तादाद में भेड़-बकरियां मरी हैं, वृक्ष टूटे हैं और फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए उसकी गिरदावरी तत्काल करवायी जानी चाहिए कि खेत-खलिहान में कितना नुकसान हुआ है।

इसके अलावा बनास नदी में सैंकड़ों परिवार जो खरबूजा, ककड़ी और कई तरह की सब्जी वगैरह बोते हैं, वह सब्जियां भी लगभग समाप्त हो गयी हैं। इस तरह की जानकारी भी मुझे आज ही मिली है। मैं चाहूंगा जो खाद, बीज बनास नदी पर लाया जाता है वह बहुत महंगा पड़ता है। उन परिवारों की हालत बहुत ही खराब है, हजारों परिवार आज इससे प्रभावित हो गये हैं।

**श्री सभापति** : समाप्त करें, दो मिनट का समय दिया था।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : सभापति महोदय, थोड़ी बात और कहनी है। पता नहीं क्यों आप....

**श्री सभापति** : जल्दी समाप्त करें।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल सहायता उनको उपलब्ध करायी जाए, खाद-बीज की वसूली को स्थगित किया जाए, अगली फसल के लिए खाद-बीज दिया जाए और खास कर जो पीड़ित परिवार हैं, जिनकी फसल का नुकसान हुआ है उनकी आज जिस तरह की स्थिति है उनसे वसूली भी नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि 12 महीने केवल इसी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

फसल पर उनका जीवन ग्राधारित है । इस तरह से कुल मिला कर किसानों का सपना मूंगेरीलाल जैसा सपना बन कर रह गया है । इसलिए राज्य सरकार इस प्राकृतिक प्रकोप में सहानुभूति के साथ जितनी मदद कर सकें, उसके लिए मांग करूंगा और साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पता नहीं क्यों दुर्भाग्य से हर साल अकाल पड़ता है, कुछ न कुछ प्राकृतिक ग्रापदा की स्थिति बनी रहती है इसलिए फसल बीमा योजना राजस्थान में लागू करना बहुत ग्रावश्यक है । ग्रगर यह योजना लागू होती तो इससे आज बहुत बड़ी राहत किसानों को मिलती । सरसों के मामले में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है । इसकी पूरी जांच की जाए । मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से ग्रनुरोध करना चाहूंगा कि ग्राप सम्पूर्ण राजस्थान की स्थिति का जल्दी पता लगायें और भारत सरकार से, प्रधान मंत्री सहायता कोष से जहां कहीं से भी सहायता मिल सकती है, वह सहायता लेकर राहत दिलाएं । प्रदेश में यह बहुत बड़ा एक तरह से नुकसान हुग्रा है । कल भी यहां जयपुर में देखा, ग्रास-पास भी देखा, मैं समझता हूं ग्राप इस को काफी गम्भीरता से लेंगे ग्रौर किसानों की समुचित मदद करेंगे ।

**श्री सभापति** : माननीय ग्रर्जुनदास मदान ।

**श्री ग्रर्जुनदास मदान** (लाड़पुरा) : सभापति जी, कष्ट मेरी दृष्टि में तीन प्रकार के हैं – दैहिक, देविक ग्रौर भौतिक । शारीरिक कष्टों को तो व्यक्ति को ही भुगतना पड़ेगा । मेरा रोग है उसका मेरे को ही निदान करना पड़ेगा । मेरा कष्ट है ग्रौर शारीरिक है उसमें कोई भागीदार नहीं हो सकता । मानसिक कष्ट है उसको निश्चित रूप से समाज में बांट सकते हैं लेकिन एक भौतिक कष्ट ग्रौर होता है जीवन में ग्रौर यह आर्थिक कष्टों की परिभाषा की परिधि में ग्राता है । उसमें मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से भौतिक कष्टों की भागीदारी यदि समाज करता चला जाय तो पीड़ाएं बंट जाती हैं, कुछ मन की स्थिति ठीक हो जाती है । किन्तु ग्राज जो स्थिति है, जो व्याधि है, जो कष्ट है किसान के ऊपर जिसके बारे में सदन बड़ा गम्भीरता-पूर्वक विचार कर रहा है । मैं तो केवल मात्र इतना ही निवेदन करना चाहूंगा सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कि यह जो कष्ट ग्रा गया है चाहे वह दैहिक हो, देविक हो और चाहे भौतिक हो, इन कष्टों से मैंने जैसे भौतिक कष्टों की व्याख्या के रूप में एक बात कही, जो ग्राज कष्ट ग्राया है ग्राज हमारे प्रांत पर, जितना भी हम उनको मुआवजा देने की बात करते हैं, मान्यवर, ग्राप न जाने किस जमाने की, किस जमाने के पैसे निर्धारित किये हुए हैं । ग्राज उस हिसाब से जब पैसे किसान को देते हैं, तो कोई ग्रादमी ग्राप विश्वास कीजिये कि उसको सम्मान भी नहीं समझता ग्रपमान समझता है ग्रौर समझता है कि जैसे मेरे साथ कोई मजाक हुग्रा है । दिन-प्रति-दिन जैसे की कीमतें गिरती चली जा रही हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि मुग्रावजे की रूपरेखा निश्चित रूप से बढ़ायी जानी चाहिए ताकि कष्ट में हम भागीदारी कर सकें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं ग्रपनी बात समाप्त करता हूं ।

**श्री सभापति** : माननीय श्री मिर्धाजी।

**श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, प्रकृति के प्रकोप से जो लीला हुई है वह बहुत ही बुरी हुई है। हमारे जिले नागौर के अधिकारी वहां है नहीं। उनसे सम्पर्क करने की कोशिश की लेकिन सम्पर्क नहीं हो सका। नागौर जिले में ओले तो नहीं गिरे, पर तेज आंधी के साथ बरसात हुई है। जोरदार बरसात हुई है। जोरदार बरसात होने से जीरे का नुकसान हुआ है, जीरा पूरी तरह से समाप्त हो गया है। खलिहानों में जो सरसों पड़ी हुई थी वह भी खराब हो गयी और खड़ी गेहूं की फसल भी खराब हो गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जानकारी करवा कर जल्दी से जल्दी उनको मुआवजा देने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

**श्री परसराम मदेरणा** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापतिजी, मुख्य मन्त्रीजी को मुझे निवेदन करना है जैसा कि मुख्य मन्त्री जी को, राज्य सरकार को इस बात की जानकारी है कि अचानक राजस्थान के अन्दर पिछले 2-3-4 दिनों से लगातार वैदर रिपोर्ट आ रही थी कि यहां पर एक डिप्रेशन बन रहा है, जोरदार आंधी और बरसात की आने की हर सम्भावना है। सभापति महोदय, मैं हमेशा बरसात के बारे में, चाहे वह मानसून की बरसात हो, चाहे दूसरी बरसात हो, टी. वी. देखा करता हूं और मुझे ज्योग्राफी का अब धीरे-धीरे सिक्सथ सैंस डवलप हो गया है, मैं कह सकता हूं कि यहां बरसात होगी या यहां छींटे पड़ेंगे। राजस्थान के हर इलाके और देश के इलाके को और राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए जो हमेशा डेफिशिट रैन फाल में है। कभी कभी कुदरत भी हमारे साथ में मेहरबान नहीं रहती। जब बरसात की आवश्यकता थी और बिजली का बहुत बड़ा संकट था उन दिनों में। फरवरी के महीने में जो बरसात हुई उसकी वजह से काश्तकारों को बहुत बड़ी रिलीफ मिली थी रवी की फसल के पकने में लेकिन यह जो बरसात हुई है, इससे क्षति और नुकसान ही नुकसान है। एक फसली जो इलाका है वहां पर थोड़ी बहुत भी घास थी, वह घास जमीन पर चिपक जाती है और मवेशी के खाने लायक नहीं रहती। कुदरत के इस एक्सपोजर को तो हम रोक नहीं सकते। कल शाम को मैं मुख्य मंत्रीजी, कुछ बात कर रहा था इस सम्बन्ध में भी, क्योंकि मुझे इस बात की शंकाएं थी और एप्रीहैन्सन थे कि इस वक्त जब एक सिवाय गंगानगर जिले को छोड़कर राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों में रबी की फसल की बुवाई अक्टूबर में हो जाया करती है और मार्च के अंतिम दिनों में करीब-करीब सब फसल कट जाती है और वह खलिहानों में ले आते हैं। खलिहानों में लाने के बाद में अनाज निकालना, चाहे वह जीरा हो, चाहे वह सरसों हो, उसमें समय लगता है और लोग उसकी बुवाई करने में टाइम लग जाता है। मुख्य मंत्रीजी पहले भी राजस्थान में यहां जयपुर के आस-पास तीन-तीन सौ क्विंटल अनाज का गेहूं का माद था, यूं का यूं खराब हो गया। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि करीबन 15-16 साल पहले मैं जब मेरे छोटे भ्राता के यहां गया था उसका ढाई सौ क्विंटल अनाज खलिहानों में

(श्री परसराम मदेरणा)

खराब हो गया था, उसकी बदबू आ रही थी। मैंने उससे कहा कि बदबू आ रही है तो उसने कहा, डाला तो दूर है लेकिन इसमें बदबू इतनी हो गयी कि दो सौ गज से ही हवा का जो रूख होता है तो बदबू आती है। मैंने कहा कि ट्रोलियां लगाकर इसको दूर फेंकना चाहिये। वह ह्यूमन पापुलेशन के लिए ही एडविल नहीं होता, लेकिन वह अनाज जानवरों के खाने लायक भी नहीं होता। जब कोई बरसात में अनाज होता है तो उसका डिस्कलराईजेशन हो जाता है, काला और उस डिस्कलर्ड अनाज को वह मुर्गियों वगैरह को फीड के लिए दे देते हैं। जैसी कि मुझे जानकारी मिली है और मुझे एप्रिहैंसन भी थे यह बहुत बेमौसम बरसात आयी है और बेमौसम की बरसात की वजह से यह भी एक नेचुरल केलेमिटी है। जब नेचुरल केलेमिटी है, मुख्य मंत्रीजी, तो यह आपका केलेमिटी रिलीफ फण्ड है उसमें से काश्तकारों की बारह महीने की उनकी मेहनत उनका परिश्रम, उनका पुरुषार्थ और उनका बजट भी है। आप राज्य का बजट बनाते हैं। हरेक किसान जो अपने घर का बजट बनाता है, उसका बजट भी अस्त-व्यस्त हो गया है और ऐसी परिस्थितियों के अन्दर आज जो नुकसान हुआ है इसको कंपनसेट करने के लिए जैसे फ्लड आया था और फ्लड गंगानगर में आने के बाद मुख्य मंत्री जी उन दिनों आप अवकाश पर थे और एक दिन का आपने धरना भी दिया था शायद, ऐसा अखबारों में मैंने पढ़ा था। आपने अगर यह नयी परिपाटी डाली थी तो अच्छा किया। मुझे कुछ हुआ था कि मुख्य मंत्रीजी गंगानगर में....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : दूसरे कामों में।

**श्री परसराम मदेरणा** : हां, वह काम तो दूसरे ही होंगे। मुझे मालूम नहीं, आपका क्या काम था। मैं फ्लड का समझ रहा था। मैं अपने आपको करेक्ट कर रहा हूं, अन्य कामों के लिए तो इस तरह का, लेकिन आज इन लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक प्रकोप की डेफिनेशन मैं समझता हूं कि केलेमिटी रिलीफ फण्ड चाहे वह फ्लड है, चाहे वह बरसात से फसल का नुकसान है, चाहे फ्लो वाटर और चाहे परसीपिटेड होता है, दोनों ही प्रकार से अगर नुकसान हो रहा है तो नेचुरल केलेमिटी की परिभाषा में निश्चित तौर पर वह आता है। यहां जयपुर के आस-पास की भी मुख्य मंत्रीजी को पूरी सूचना मिल गयी होगी। पूरे राज्य भर से ज्यादा अगर यह बरसात हुई हैं। अगर पांच अंगुल भी बरसात हुई है और खलिहान के अन्दर अनाज पड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर से उसका पचास फीसदी अनाज तो खाने लायक ही नहीं रहा होगा और उसकी 12 महीने की मेहनत के ऊपर यह बरसात नहीं आयी है। उसके परिश्रम, मेहनत और पुरुषार्थ के ऊपर पानी फिर गया है।

इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि जो आज इस असामयिक बरसात की वजह से, ओलों की भरमार की वजह से नुकसान हुआ है, सभापति महोदय, मैं घबराता कुछ कम हूं लेकिन कल मैं इतना नहीं घबरा रहा था जितना मेरे परिवार के लोग और दूसरे घबरा रहे थे। मेरे घर के चारों तरफ पत्थर लगे

(श्री परसराम मदेरणा)

हुये हैं तो मकान की आवाज तो नहीं आ रही थी पत्थर के ऊपर दो-दो सौ, ढाई-ढाई सौ एक डेढ किलोमीटर में न मालूम इतने बड़े ओले, मैंने श्री खेतसिंह जी से पूछा कि आपके यहां कितने पड़े तो उन्होंने कहा, कि बहुत छोटे-छोटे चिन्ही की तरह के। श्रीमती कमला जी ने पूछा आपके यहां ओले कितने बड़े थे? उन्होंने कहा कि हमारे यहां इतने छोटे-छोटे थे, मैंने कहा कि हमारे यहां तो दग्गड़ थे बड़े-बड़े और वह दग्गड़ जिस वक्त पड़ रहे थे आप दिल्ली में थे।

**श्री सभापति** : श्री शीशराम जी ने फोन करके नहीं पूछा आपने श्री शीशराम जी से नहीं पूछा आपने।

**श्री शीशराम ओला** : हमारे यहां भी इतने ही पड़े, जितने आपके यहां पड़े।

**श्री परसराम मदेरणा** : श्री शीशराम जी मिले नहीं मुझे। सब्जी मण्डी से लेकर सिंचाई भवन के बीच में ओले बहुत बड़े-बड़े थे।

**अनेक माननीय सदस्य** : विधायकनगर में भी बहुत बड़े-बड़े ओले थे।

**श्री परसराम मदेरणा** : वही कह रहा हूं ना मैं। एक दो किलोमीटर का जो रेडियस था वह मेरे पीछे, मेरे से आप पचास गज तो दूर हो, विधायक नगर, विधायक नगर कर रहे हो, इसलिए आपके यहां तो पड़े और हो सकता है कि आपके यहां भी बड़े-बड़े दग्गड़ पड़े हो और मेरे यहां छोटे पड़ गये हों। बिल्कुल दो-दो सौ गज में उनका वेटेज कम हो गया है, यह तो कोई बात नहीं है। जो नुकसान हुआ, तमाम चीजें हुई, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है इससे, कीमती घोड़े भी, पोलो का एक घोड़ा होगा उसकी कीमत एक लाख से कम नहीं होनी चाहिये....

**श्री चन्दनमल बैद** : दो-तीन लाख....

**श्री परसराम मदेरणा** : मैं तो बहुत छोटा था तब टट्टू पर चढ़ता था और एक दफा मेरी मौत भी हो जाती अगर मुझे पानी के लिए बीच में उस गांव के अन्दर एक समझदार आदमी मुझे रोक कर थोड़ी-थोड़ी देर में पानी नहीं पिलाता तो। मैं टट्टू के ऊपर नाथूसर चला गया था। उस समय मैं सैवंथ क्लास का स्टूडेंट था। टट्टू और घोड़े का मुझे थोड़ा बहुत अभ्यास तो है लेकिन पोलों के घोड़े की कीमत तीन-तीन लाख हो यह मैं नहीं सोच रहा था। जोधपुर में होर्स राइडिंग होती है और होर्स राइडिंग कुछ लोग करते हैं। मुझे उन्होंने बताया था कि हमारे घोड़े की कीमत एक लाख के आस-पास हैं, पोलो के घोड़े की ज्यादा कीमत होगी। पोलो खेलने वालों को आप कंपनसेशन देंगे कि नहीं देंगे, उनका एसोसियेशन देगा लेकिन इस सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों को जो क्षति हुई है इस ओलावृष्टि से और असामयिक बरसात से, मुख्य मंत्री जी, निश्चित तौर पर इस सम्बन्ध में कोई न कोई निर्णय लेकर इसका जल्दी से जल्दी आकलन करायेंगे कि किस काश्तकार की फसल कितनी थी और कितना उसको नुकसान हुआ है और जल्दी से जल्दी इस नुकसान की आप पूर्ति करायेंगे।

**श्री सभापति** : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, ओलावृष्टि और असामयिक वर्षा के कारण इसमें कोई संदेह नहीं कि रबी की फसल, चाहे वह खड़ी हो, चाहे खलिहानों में हो, उसकी हानि हुई है। इसके साथ ही ओलावृष्टि से पशुधन की भी हानि हुई है और कुछ व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। इन पीड़ित परिवारों के प्रति....

**श्री परसराम मदेरणा** : चिड़िया, पशु-पक्षी बहुत मरे हैं।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : हां, पक्षी भी मरे हैं, पशु भी मरे हैं।

**श्री परसराम मदेरणा** : पर पक्षी बहुत हैं।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : यह सब कुछ हानि हुई है। जैसा अभी प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि उनका वर्षा के सम्बन्ध में कुछ सिक्स्थ सेंस डवलप हुआ है....

**श्री परसराम मदेरणा** : रेगिस्तान का रहने वाला हूं। छह सौ फीट पानी गहरा है। कड़वा पानी मीठे के साथ मिलाकर पिया हुआ हूं इसलिए पानी की मैं अहमियत समझता हूं। वह सीकर के लोग नहीं समझ सकते।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : सीकर के लोग समझें या नहीं समझें लेकिन जिस तरह....

**श्री परसराम मदेरणा** : खाचरियावास वाले समझ सकते हैं।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : लेकिन जिस तरह आज के दो दिन पहले सदन से बाहर निकले, मैंने बादल देखे तो मुझे भी इस बात की चिन्ता हुई कि होली के बाद जब बादल आते हैं तो कैसी भी वर्षा हो उससे निश्चित रूप से नुकसान होता है और यह मेरा भी अनुभव है कि होली के बाद वर्षा होगी तो उसके साथ ओलावृष्टि भी होती है। यह मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता का तो सिक्स्थ सेंस डवलप हुआ है, उस प्रकार का सिक्स्थ सेंस तो मेरा डवलप नहीं हुआ....

**श्री परसराम मदेरणा** : मैं कह रहा था कि टी. वी. पर देखने से ज्योग्राफिकल एरिया में कहां पर बरसात होगी और थिकनेस क्लाउड्स की क्या है, यह देखते-देखते घिसते-घिसते तो पत्थर भी सालिगराम बन जाता है मुख्य मंत्री जी।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं और आप यह समझ रहे हैं कि मैं आलोचना कर रहा हूं। मैं केवल इसलिए कहना चाहता था...

**श्री परसराम मदेरणा** : मेरी खुद्दारी की बात यह है कि आप जब कभी खड़े होते हैं तो उस आदमी को पकड़कर के और उसकी आलोचना करने की जो प्रवृत्ति है....

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : यह नहीं है।

**श्री परसराम मदेरणा** : नहीं आप बड़प्पन रखिए अभी इसको छोड़ दीजिये। आपकी यह आदत जो है मैं समझता हूं इससे दूर हो जाएं तो आप बिलकुल दूसरी तरह के व्यक्तित्व के धनी बन जाएंगे और उस व्यक्तित्व के धनी बनाने के लिए मैं कह रहा हूं कि कभी-कभी मुझे बहुत अफसोस होता है यहां बैठे-बैठे, मैं आपको बहुत ईमान-

(श्री परसराम मदेरणा)

दारी से कहता हूं **If I want any, you know, a grain of integrity,** मैं समझता हूं मुख्य मंत्री जी को यह बात नहीं कहनी चाहिये।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं, सभापति महोदय, इसलिये निवेदन कर रहा था कि मैं कल सुबह जब यहां से दिल्ली के लिये रवाना हुआ, तो मुझे भी इस बात की बहुत चिन्ता थी। मैंने टी. वी. नहीं देखा और न देखने का कई बार समय भी मिलता है लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कह रहा हूं कि जिस तरह से आपका सेन्स है उसी तरह से मेरे भी दिमाग में इस प्रकार की चिन्ता पैदा हुई कि आज जिस प्रकार के बादल हो रहे हैं अगर इन बादलों के कारण से कहीं वर्षा हुई तो नुकसान होगा और कहीं ओलावृष्टि हुई तो नुकसान होगा। मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूं कि आपने टी. वी. देख ली....

**श्री परसराम मदेरणा** : इसमें तो मीटियरोलाजिकल डिपार्टमेंट ने वार्निंग भी दे दी थी।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं वह बता देता हूं।

**श्री परसराम मदेरणा** : तो मेरी वह सिक्सथ सेन्स को तो वापस लेता हूं....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : नहीं, नहीं।

**श्री परसराम मदेरणा** : हां, हां, उन्होंने वार्निंग दी है कि राजस्थान के अन्दर बहुत जबरदस्त अंधड़ आयेगा, बरसात होगी ओलों का नहीं कहा लेकिन अंधड़ और वह आने के बाद मैं सोच रहा था कि फसल खराब हो सकती है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : नहीं, यह वैसे एक सामान्य बात है कि फसल के पकते समय यदि बादल होंगे और यदि बादल बरसेंगे तो फसल का नुकसान होगा। यह भी सामान्य बात है कि होली के बाद में और खास तौर से इस महीने में यदि बरसात होती है तो उसके साथ अंधड़ भी आता है और उसके साथ ओलावृष्टि भी होती है अब इसमें इन्सेट कुछ कहे या नहीं कहे लेकिन हिन्दुस्तान की आम जनता इस बात को मानती है कि होली के बाद में बरसात होगी तो नुकसान होगा और यहां मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि होली की लौ देखकर आज जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर इलाके में इस प्रकार के व्यक्ति हैं, जो यह बता सकते हैं कि बरसात के दिनों में वर्षा होगी या राजस्थान में अकाल पड़ेगा। आखातीज के ऊपर शकुन लिए जाते हैं। इन शकुनों के आधार पर, राजस्थान में किस प्रकार की स्थिति, बरसात की या अकाल की रहने वाली है उसका भी अनुमान लगाते हैं और उसके हिसाब से कई स्थानों पर खेती की तैयारी भी करते हैं। मुझे याद है आज के 15–20 वर्ष पहले मैं इस आखातीज के मौके पर या तो जैसलमेर था या बाड़मेर था वहां पर मैंने लोगों से पूछा कि अब के किस प्रकार की स्थिति रहने वाली है, तो उन्होंने कहा बाड़मेर में इस साल इतना बाजरा पैदा होगा जिसका आप लोग किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकते। यह हमने आज का शकुन लिया है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उस शकुन के आधार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पर बाड़मेर में जिस साल बाजरा हुआ, इतना बाजरा शायद बाद में हुआ हो या नहीं हुआ हो, मैं कह नहीं सकता लेकिन फसल बहुत अच्छी हुई। तो आज चाहे इन्सेट कहे या नहीं कहे हिन्दुस्तान के काश्तकारों के दिमाग में और दिल में इन्सेट जैसी नोलेज है। यह बात सही है कि वैज्ञानिक युग में किसी की नोलेज हो या नहीं हो, तो इस युग का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिये और लाभ उठाने के लिये अभी पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मौसम विभाग से हमारा सम्पर्क केवल रैनी सीजन में रहता है बाद में सम्पर्क लगभग टूटा हुआ सा रहता है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारा निरन्तर सम्पर्क इस प्रकार का रहना चाहिये ताकि कहीं भी किसी प्रकार का भूचाल आए, प्राकृतिक प्रकोप आए, हमें उसकी तत्काल जानकारी मिल जाए और उस जानकारी के आधार पर हम उसकी रोकथाम की जो भी व्यवस्था कर सकते हैं उस व्यवस्था में हम संलग्न हो जाएं। यह मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।

सभापति महोदय, जहां-जहां भी नुकसान हुआ है, उन माननीय सदस्यों ने, आज प्रातःकाल जो मुझ से मिले थे और जो चर्चा हुई थी, मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप, जितनी चिन्ता आपको है उतनी चिन्ता मुझे भी है। चिन्ता एक तो काश्तकार के नाते भी मुझे है और एक सरकार के नाते भी मुझे चिन्ता है। मुझे दोनों तरफ से इस बात की चिन्ता है कि इतनी बड़ी हानि हुई है लेकिन यदि पूरी जानकारी मिल जाये कि राजस्थान में कहां कहां पर कितनी-कितनी वर्षा हुई, कितनी कितनी फसल उससे खराब हुई कितने खलिहानों में नुकसान हुआ, कितनी खड़ी फसलों में नुकसान हुआ हैं, इसकी पूरी गिरदावरी मैं जल्दी से जल्दी करवा दूं और उसके बाद में यदि इस सदन में चर्चा होती तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन शायद समय नहीं है इस कारण से माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जो जानकारी दी उसी जानकारी के आधार पर मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि लोगों का नुकसान हुआ है, जन-धन की क्षति हुई है, पशु-पक्षी मरे हैं, इन सब को किस प्रकार से राहत दी जाए। इसमें माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि इसकी कोई जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवाई जाए। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि, मैंने रात को माननीय सदस्य जो मेरे पास बैठे थे, उनको जानकारी है कि रात को ही मैंने इस प्रकार की व्यवस्था की कि जहां-जहां भी वर्षा हुई है, जहां-जहां भी फसल का नुकसान हुआ है जहां-जहां भी ओलावृष्टि हुई है उसका तत्काल सर्वे करके राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन भेजें। आज सुबह से मैं लगातार लगा हूं, कलक्टर अधिकांश कलक्टर जहां-जहां भी हानि हुई है उन-उन क्षेत्रों में गये हैं और भी सरकारी अधिकारी उन क्षेत्रों में गए हैं, उसका सारा असेसमेंट कर रहे हैं और असेसमेंट की रिपोर्ट आ जाएगी तब उसका एक पूरा विवरण सामने आएगा कि फसल का कितना नुकसान हुआ, पशुओं का कितना नुकसान हुआ, कितने आदमी मारे गये कितने आदमियों को चोटें आयी यह सारी जानकारी मिले।

अब रहा राहत का सवाल। कई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माननीय सदस्यों ने कहा कि फसल का बीमा करवा दिया जाए। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता जानते हैं कि अभी हिन्दुस्तान में फसल का बीमा कहीं नहीं है। हमने एक प्रयोग किया था, भूत-पूर्व राज्य सरकार ने प्रयोग किया था। हम चाहते थे कि यह प्रयोग सफल हो। हम भी चाहते थे उस समय की सरकार भी चाहती थी कि बीमा का प्रयोग सफल हो लेकिन वह सफल नहीं हो सका। उसके कारणों का विश्लेषण मैं नहीं करना चाहता लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। अगर हिन्दुस्तान में फसल का बीमा होता है तो मुझे उसमें आपत्ति नहीं होगी मैं समझता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का यह एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है लेकिन इफेक्टिव तरीका अभी तक हिन्दुस्तान में लागू नहीं हुआ। मैं आपकी, सदन की इच्छा और मेरी स्वयं की इच्छा, मुख्य मंत्री के नाते नहीं, मैं लगातार इस बात की वकालत करता रहा हूं कि फसल का बीमा होना चाहिये लेकिन उस बीमा का प्रकार क्या हो, किसान के ऊपर प्रीमियम की जिम्मेदारी हो या नहीं हो, सरकार उस प्रीमियम के एवज में कितना इक्युअल इंस्टालमैंट अपनी तरफ से जमा कराये सरकार की आर्थिक स्थिति उस प्रकार की है या नहीं और उसमें किस प्रकार का सहयोग भारत सरकार से मिल सकता है, उस प्रकार का सहयोग भारत सरकार देगी या नहीं देगी। इन चार कम्पोनेण्ट्स पर विचार करने के बाद बीमा की बात के ऊपर कोई निर्णय लिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि आज माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की भावनाएं प्रकट की है उस आधार पर मैं भारत सरकार से प्रयत्न करूंगा कि इसकी पूरे देश भर के लिये एक योजना बनाकर....

**श्री परसराम मदेरणा** : मुख्य मंत्री जी पूर्व में जो फसल बीमा था वह को-ऑपरेटिव लोन के साथ टेक किया था। हां, ऋण बीमा कहिये उसको, था तो फसल का बीमा, किसी को कम्पन्सेशन मिला है जोधपुर जिले में और फसल को असेस करके मिला है। वह लोन जो था फसल के प्रोडक्शन के लिये, को-ऑपरेटिव बैंक्स से लोन लिया जा रहा था उस के साथ टेक किया हुआ था। भारत सरकार इसमें 2/3 दे रही थी और राजस्थान सरकार का जो मेचिंग जो है उसमें कंट्रीब्यूशन 1/3 था, उसको बाद में 1986 में अपने यहां स्क्रेप कर दिया गया था स्क्रेप करने के बाद में आपने वह लोन्स वगैरह माफ किए अगर वह ऋण माफ नहीं करके उस साल 15-16 करोड़ रुपये आप दे देते तो भारत सरकार के ऊपर उस वक्त, मुझे मालूम है कि 50 करोड़ रुपये आये थे और अपना करीबन 13-14 करोड़ थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि हरेक राज्य में वह एक एक्सपेरीमैंट के तौर पर एक जिले के अन्दर बीमा लागू करेगी और इसके बाद में वह उस एक्स-पेरीमैंट के मैरिट और डीमैरिट को देखकर के देश के प्रांतों और दूसरे जिलों में भी लागू करेगी, क्या वह अपने एक जिले के बारे में योजना बनी है वह आपने लागू कर दी है और भारत सरकार के कोई निर्देश आये हैं या नहीं आये हैं?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : सभापति महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पहले भी हमने प्रयोग किया, मैंने यह नहीं कहा था कि पूरे राजस्थान में बीमा योजना लागू कर दी गई थी। यह प्रयोग किया था लेकिन वह सफल नहीं हुग्रा ग्रौर सफल नहीं हुग्रा किस कारण से नहीं हुग्रा उसके विश्लेषण में मैं नहीं जाता लेकिन प्रयोग सफल नहीं हुग्रा ग्रौर उस योजना को, मेरे ख्याल से 1986 में या 1987 में उस योजना को स्क्रैप कर दिया, स्क्रैप करने के बाद में भारत सरकार लगातार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि बीमा योजना लागू की जाए। ग्रब ग्राप जिस योजना का जिक्र कर रहे हैं, मेरे पास तो उसका इस समय विवरण नहीं है....

**श्री परसराम मदेरणा** : मुख्य मंत्रीजी वह डिसीजन हो गया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : वह डिसीजन हो गया।

**श्री परसराम मदेरणा** : भारत सरकार ने निर्णय ले लिया है, कम्युनिकेट नहीं हुग्रा होगा।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : डिसीजन का मुझे मालूम है लेकिन उस डिसीजन को किस प्रकार से लागू किया जाएगा, किसकी कितनी देनदारी होगी, किसकी कितनी जिम्मेदारी होगी, इस सम्बन्ध में ग्रभी मुझे जानकारी नहीं है ग्रौर इसकी ग्रावश्यकता पड़ी तो मैं ग्रापको जानकारी बाद में दे दूंगा।

सभापति महोदय, जहां तक यह प्रश्न आया कि कम्पन्सेशन दिया जाये, प्रतिपक्ष के नेता इस बात को स्वीकार करेंगे कि हिन्दुस्तान में प्राकृतिक ग्रापदाग्रों को लेकर ग्रभी तक कम्पन्सेशन देने की व्यवस्था कहीं भी नहीं है। रिलीफ जरूर दिया है। कम्पन्सेशन ग्रौर रिलीफ दोनों में बड़ा ग्रन्तर है। ग्राज तक चाहे ग्रनावृष्टि के कारण से किसानों का नुकसान हुग्रा हो, चाहे अतिवृष्टि के कारण से किसानों का नुकसान हुग्रा हो, चाहे ग्रोलावृष्टि के कारण से नुकसान हुग्रा हो, चाहे ग्रग्नि के कारण से नुकसान हुग्रा हो ग्रौर चाहे ग्रौर किसी दुर्घटना में किसी का नुकसान हुग्रा हो, ग्रभी तक इस देश में कम्पन्सेशन दिया जाए इसकी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था केवल इतनी है कि उस परिवार को इतनी सहायता दी जाये कि वह परिवार ग्रपने पैरों पर खड़ा रहे ग्रौर ग्रपनी कमाई के धंधे पर वह किसी प्रकार से लग सके। इसलिये ग्राज तो यहां ग्रोलावृष्टि की बात कर रहे हैं लेकिन ग्रकाल के कारण से कितने किसानों का नुकसान हुग्रा है। मुझे मालूम है कि सितम्बर में यदि बरसात नहीं होतो ग्रौर लगातार जून में बरसात हो जाये, जुलाई में हो जाये ग्रौर ग्रगस्त में हो जाये ग्रौर जिस समय फसल पकती हो उस समय वर्षा नहीं हो, तो सारा का सारा हराभरा खेत हो, चाहे ग्रोलावृष्टि हो लेकिन ग्रनावृष्टि के कारण से तबाह हो जाता है ग्रौर किसान के सामने देखते देखते उसकी फसल जल जाती है ग्रौर एक दाना भी उसमें ग्रनाज का पैदा नहीं होता है। ग्राज अगर ग्रनावृष्टि के कारण से किसान को मुआवजा दिया जाता है तो ग्रतिवृष्टि के कारण भी मुग्रावजा दिया जाता, ग्रोलावृष्टि के कारण से भी मुग्रावजा दिया जाता। आखिर यह प्रकृति का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रकोप है और इस प्रकोप का मुकाबला मुआवजे से ही किया जाए या प्रकोप के पीड़ित परिवारों को खड़ा रखने के लिए किया जाए। इन दोनों में एक ही दिशा में हम सब चल रहे हैं कि जो भी पीड़ित परिवार हैं, उन पीड़ित परिवारों को, किस प्रकार की राहत दी जाए जिसके कारण से वह अपने पैरों पर खड़े रहें और आइन्दा भविष्य में चाहे किसान हो वह खेती कर सके और भविष्य में अपने परिवार का पोषण कर सके, भविष्य में उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए वह काम कर सके इस प्रकार की भी व्यवस्था की जाती है। आज तक कहीं भी कम्पन्सेशन देने की बात नहीं आयी है।

अब रहा सवाल रिलीफ देने का। माननीय सदस्यों ने कहा कि रिलीफ की मात्रा बहुत कम है। अब इस सदन के कई माननीय सदस्य जानते हैं कि कई बार यहां पर ओलावृष्टि पर भी चर्चा हुई है, कई बार यह भी हुआ है कि अतिवृष्टि के कारण से भी बहुत से लोग मारे गये हैं, अतिवृष्टि के कारण से काफी पशु मारे गये हैं, पक्षी मारे गये हैं, खेत बरबाद हो गये हैं, कुओं में मिट्टी आ गयी है–यह सब कुछ हुआ है और उसके लिए नार्म्स बने हुए हैं। उन नार्म्स के आधार पर चाहे व्यक्ति मर जाए तो उसकी सहायता की जाती है, अगर कहीं फसल का नुकसान हो जाए तो उसकी सहायता की जाती है, यदि कुए खराब हो गये तो उनको ठीक किस प्रकार से किया जाए उसके लिए सहायता की जाती है। अब यह सहायता दो प्रकार से होती है। एक सरकार अपने अकाल सहायता फण्ड में से रुपया देती है और दूसरे बैंक से सस्ती दरों पर कर्जा दिलाकर किसानों को खड़ा करने के लिए, कुएं बनाने के लिए या बाकी राहत के काम चालू करने के लिए व्यवस्था करते हैं। मैं आज के दिन यदि आप चाहेंगे तो पुराने आंकड़े पढ़कर सुना दूंगा लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि सदन की भावना से मैं भी सहमत हूं कि आज से 4 वर्ष पहले बने हुए यह सारे पैरामीटर्स आज के दिन बहुत कम पड़ते हैं और बहुत कम पड़ते हैं तो उनमें सुधार की आवश्यकता है। मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि सारे राजस्थान का असेसमेंट हो जाए कि राज्य में कितना नुकसान हुआ है, कितनी किस प्रकार से लोगों को राहत देनी है, राहत का रूप क्या होगा, सरकार कितना वहन कर सकेगी, बैंक से कितना लिया जायेगा यह सारा जानने के बाद इसमें निश्चित रूप से मैं परिवर्तन करूंगा और परिवर्तन करने के साथ ही लोगों को उसमें सहायता दूंगा।

यहां पर यह भी कहा गया कि प्रधान मंत्रीजी के पास भी विधान सभा का एक प्रस्ताव पारित करवा कर भेजा जाये। मैं इतना ही कह सकता हूं कि प्रधान मंत्रीजी से बात कर लूंगा और बात करने के बाद प्रधान मंत्रीजी देंगे वह निश्चित रूप से हमें एक अतिरिक्त सहायता के रूप में धनराशि प्राप्त होगी, उसका भी मैं उपयोग करूंगा। मैं यह चाहता था, सभापति महोदय, किसी दूसरे स्वार्थ से कह रहा हूं, प्रतिपक्ष के नेता यहां बैठे हैं, आज कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है वहां पर दो दिन बाद यह शिकायत आयेगी कि यहां पर गश्त गिरदावरी ठीक प्रकार से नहीं की गयी। जितना खराबा बताना था उतना खराबा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं बताया है। हम यहां बैठे-बैठे चर्चा करेंगे। आज भी कई माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में गये होंगे लेकिन कुछ माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों में नहीं जा पाये। इस कारण वास्तविक स्थिति क्या है, वास्तविक पीड़ा क्या है उसका अभी तक सही ज्ञान नहीं है। मैं स्वयं भी जाना चाहता हूं। आज भी मैं चला जाता इसमें कोई संदेह नहीं है। सदन की कार्यवाही छोड़कर मैं जाने वाला था लेकिन दुर्भाग्य से दो दिन से हेलीकाप्टर खराब पड़ा है। मैंने आज मध्य प्रदेश से हेलीकाप्टर के लिए कोशिश की, हरियाणा से भी कोशिश की, उत्तर प्रदेश से भी कोशिश की और अब भी इसी में लगा हुआ हूं कि अगर कहीं से भी नहीं मिल सकता तो आर्मी से हेलीकाप्टर मंगाया जाये....

**श्री परसराम मदेरणा** : मुख्य मंत्रीजी जाने के पहले आप मौसम विभाग से क्लियरेंस ले लेना बड़े-बड़े ओले पड़ेंगे। हेलीकाप्टर बड़ा डेन्जर्स है आंधी के अन्दर। प्लेन से भी ज्यादा डेंजर्स है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : ऐसा डेंजर्स होगा तो मैं आपको साथ लेकर चलूंगा।

**श्री चन्दनमल बैद** : एक ही बहुत है। दोनों ही चले जाएंगे तो हमको बहुत मुश्किल हो जाएगी।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप यह क्यों सोच रहे हैं कि हम चले ही जाएंगे।

**श्री चन्दनमल बैद** : मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि महरबानी करके ऐसा मत करना। दोनों ही रहना।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं आपसे प्रार्थना यही करना चाहता हूं कि हमारे बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हैं?

**श्री चन्दनमल बैद** : अपनों के बारे में हमेशा बुरी बात ही सोचने में पहले आती है।

**श्रीमती कमला** : हम लोग भी अपने इलाकों में जाना चाहते हैं, यह मैं निवेदन कर दूं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं आपकी सहानुभूति के लिए बहुत आभारी हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं....

**श्री परसराम मदेरणा** : बात यह है यह तो डिटेल के अन्दर कोई भी विधान सभा सदस्य जाकर लोगों से बात करके असेसमेंट ले लेगा लेकिन गवर्नमेंट को प्राइमरी असेसमेंट तो विद इन 24 आवर्स गवर्नमेंट के पास आना चाहिए। आफ चीफ सेक्रेटरी को बाउण्ड डाउन कीजिए। कोई भी ऐसा कलक्टर नहीं है, आज तो मीन्स आफ कम्युनिकेशन के साधन इतने डवलप हो गये हैं कि 24 घंटे में चीफ सेक्रेटरी को पूरी इनफार्मेशन दे देंगे। रहा सवाल गिरदावरी का। गिरदावरी के ऊपर होगा कि कितना रकबा इसमें क्षतिग्रस्त हुआ है। जो क्षति हुई है वह 50 प्रतिशत है या नहीं है और 50 फीसदी क्षति है या नहीं वह करता है आई एप्रेजल से। पटवारी तो जाता है खेत को देखता है कि यह 25 बीघा का खेत है और इसमें पटवारी जी की खातिरदारी अच्छी करते हैं तब तो वह 10 बीघा लिख देता है नहीं तो 2।। बीघा उसमें लिख देता है। और अपने जो नियम बने हुए हैं वह यह हैं कि अगर 50 फीसदी रकबे में 50 फीसदी

(श्री परसराम मदेरणा)

क्षति नहीं हुई है तो वह नैचुरल केलेमिटी नहीं मानी जाएगी जहां तक क्राप की डेमेज का प्रश्न है । गिरदावरी करना एक और बात है और टोटल असेसमेंट लेना राजस्थान के अन्दर ताकि गवर्नमेंट को इसकी जानकारी रहे कि किन-किन जिलों के अन्दर, किस-किस तहसील के अन्दर, किस-किस गांव के अन्दर है । मैं भी थोड़ा देखना चाहूंगा कि सिक्स्थ सेंस वाला तो मैंने विथड्रा कर लिया है इसलिए कुछ जानकारी आप मुझे दीजिए ताकि मुझे सूचना मिल जाए ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** मैं, सभापति महोदय, इसलिए निवेदन कर रहा था कि जानकारी तो कल से ही आना शुरू हो गयी लेकिन कल से पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है । रात को मैंने सारे आफिसर्स को कहा कि तहसीलदार, एस.डी.ओ. जितने भी लोग हैं सब अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर इस बात की जानकारी करें कि किस-किस गांव में ओलावृष्टि हुई है, ओलावृष्टि से कितना नुकसान हुआ है, कितने परिवार उससे प्रभावित हुए हैं, उसकी जानकारी के लिए जैसा आप कह रहे हैं मैंने भी यह कहा कि रात को 8 बजे तक मुझे पूरी सूचना मिल जानी चाहिए । सूचना मिल जाएगी तो इस सदन के सामने देने में मुझे कोई संकोच नहीं है । आज जिस प्रकार की जानकारी आयी है, वैसे एक उदाहरण मैं दे दूं कि उदयपुर सम्भाग की जानकारी है मैं समझता हूं कि डिटेल में नहीं है । मैंने कहा कि पूरी डिटेल में जानकारी शाम तक फैक्ट्स के आधार पर भेजें । उदयपुर के गिरवा तहसील में 4 मिलीमीटर के आसपास बरसात हुई है और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है । अब कहां-कहां नुकसान हुआ है, कौन-कौन से गांवों में नुकसान हुआ है, कितने गांवों के अन्दर पशु मरे, कितने गांवों में मकान टूटे, यह तो जब तक प्रत्यक्ष में लोग नहीं पहुंचेंगे उस समय तक जानकारी मिलना सम्भव नहीं है । आज मैं यह कहूं कि चौमूं के पास, माननीय सभापति महोदय, यह बहुत इमोशनल हो गए अभी काश्तकार मुझे मिले । उनसे मिलने के बाद मुझे भी बहुत पीड़ा हुई, जिस प्रकार से वह अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे थे । वास्तव में चोट पड़ती है और चोट पड़ती है जब रोटी मुंह के पास आकर कोई छीन कर ले जाए । उस प्रकार की स्थिति काश्तकारों की हुई है इसलिए मेरी पूरी सहानुभूति है और मैं सदन को इतना ही विश्वास दे सकता हूं कि जितने भी राज्य सरकार के आर्थिक संसाधन हैं, उन संसाधनों में जितना धन मैं इसके लिए निकाल सकता हूं वह निकालूंगा और इन पीड़ित परिवारों की सब प्रकार से सहायता करूंगा । अब ऐसी स्थिति में मैं एक निवेदन करना चाहता था कि प्रतिपक्ष के नेता यहां बैठे हैं अगर या तो हाउस स्थगित हो, वह शायद आप लोग चाहेंगे नहीं और उसके लिए मैं ज्यादा निवेदन करना नहीं चाहूंगा लेकिन माननीय सदस्य तत्काल अपने क्षेत्रों में पहुंच जाएं, वे भी जानकारी लेकर आ जाएं तो मैं बाद में इस आरोप से बच सकूं, जैसा अभी प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि केवल सरकारी अधिकारी या पटवारियों की रिपोर्ट के आधार पर ही मुझे सारा आकलन कर कोई निर्णय लेने की स्थिति पैदा नहीं हो ।

**एक माननीय सदस्य :** दो दिन के लिए स्थगित कर दो, मण्डे को बुला लो ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : यदि आप चाहें तो ज्यादा अच्छा है, कल प्राइवेट मैम्बर्स बिल है, कल-कल के लिए हाउस स्थगित कर दिया जाए। परसों वापस मिल लेंगे। ऐसी स्थिति में यदि आप स्वीकार करें तो सारे मैम्बर जा सकते हैं।

**श्री विष्णु मोदी** : 11 को रख लीजिए।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : प्रोग्राम से बाहर तो मैं नहीं जा सकूंगा। मैं आपको बता दूं, 11 को मैंने भी बाहर के कई कार्यक्रम रखे हुए हैं और कई मैम्बर्स ने भी रखे हुए हैं।

**श्री विष्णु मोदी** : बड़ी मुश्किल से तो एक दिन आया था पूरे सैशन में। प्राइवेट मैम्बर्स बिल भी इम्पार्टेंट है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : दूसरा उपाय भी बता रहा हूं कि हाउस की कार्यवाही स्थगित नहीं हो तो कम से कम आपस में एक समझौता हो जाए कि हम वोट नहीं कराएंगे किसी इश्यू पर। फिर जो मैम्बर जाना चाहेंगे चले जाएंगे, जो रहना चाहेंगे रह जाएंगे।

**श्रीमती कमला** : डेढ़ दिन की छुट्टी हो जाती है तो आराम से जाकर आ सकते हैं। ऐसी क्या बात है, आधा दिन तो आज का और एक दिन कल का। सभा नहीं हो तो क्या फर्क पड़ेगा।

**एक माननीय सदस्य** : कल की कार्यवाही स्थगित कर दो।

**श्रीमती कमला** : स्थगित करनी चाहिए।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : वह तो अध्यक्ष महोदय के हाथ में हैं, आप लोगों के हाथ में है। मैंने अपनी तरफ से निवेदन कर दिया।

**श्री परसराम मदेरणा** : जैसा कि अभी मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि आप लोगों की व्यथा को देखकर इमोशनल हो जाते हैं लेकिन ज्यों ही आप आसन पर आते हैं तो आप थोड़े-से टफ हो जाते हैं। आपको टफ होना चाहिए।

मैं यह निवेदन कर रहा था, मुख्य मंत्रीजी, कि आपका जो सुझाव है कि वोट नहीं हो, वैसी स्थिति नहीं आएगी। मैं समझता हूं, एक दिन के लिए हाउस को एडजार्न करना चाहिये। लोग जाकर वापस आ जाएंगे और इमीजिएटली क्योंकि पूरे निर्वाचन क्षेत्र ओलावृष्टि से या बरसात से प्रभावित नहीं हैं, लिमिटेड कुछ गांव और कुछ क्षेत्र हैं। उसमें एक दिन में जाकर लोग वापस आ सकते हैं और अपना आकलन भी मुख्य मंत्रीजी को दे सकते हैं।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : अभी अध्यक्ष महोदय इसका निर्णय कर लेंगे। तो एक अच्छा अवसर रहेगा, सब लोग अपनी आंखों से देख लें और मैं भी कहीं बाहर जाकर उस सारी स्थिति का अन्दाजा लगा सकूं। उसके बाद जो जानकारी मिलेगी उस जानकारी पर समय के दृष्टिकोण के आधार पर किस प्रकार की राहत दी जा सकती है उस राहत के सम्बन्ध में बात कर ली जाएगी।

**श्री सभापति** : चर्चा समाप्त हुई। नियम 295 के प्रस्ताव। क्या राय है ?

**अनेक माननीय सदस्य** : पढ़े हुए मान लिये जाएं।

**श्री सभापति** : 295 के सभी प्रस्ताव पढ़े हुए मान लिये गये।

(नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री रामपाल उपाध्याय।

**ध्यानाकर्षण प्रस्ताव**

**गंगापुर, सहाड़ा और रायपुर (भीलवाड़ा) क्षेत्र में पेयजल संकट**

**श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत गंगापुर, सहाड़ा और रायपुर क्षेत्र के पेयजल संकट के बारे में माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

**श्री जसवन्त सिंह विश्नोई** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री) : सभापति महोदय, भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे की 1991 की जनगणनानुसार जनसंख्या 15256 है तथा वर्तमान जनसंख्या लगभग 18000 है।

(14.45)

**(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन।)**

गंगापुर कस्बे की जल योजना का मुख्य स्रोत रायथलावास बांध पर स्थित कुआं है।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह व्यवस्था चाहूंगा कि जो मैंने ध्यानाकर्षण किया है उसका प्रत्युत्तर माननीय मंत्री महोदय देने की कृपा करें। वे स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं समझ में ही नहीं आता है।

**श्री सभापति** : जरा धीरे-धीरे बोलें।

**श्री जसवन्त सिंह विश्नोई** : कस्बे को इस स्रोत से 200 मिली लीटर व्यास की 19 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन के द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाता है। रायथलावास बांध से गंगापुर कस्बे के बीच पड़ने वाले ग्राम पोटला, सहाड़ा एवं गुढ्ढा में भी जल वितरण इसी पाइप लाइन से किया जा रहा है। इन तीनों गांवों की 1991 की जनगणनानुसार जनसंख्या क्रमशः 5559, 3823 और 9553 है। पिछले वर्ष वर्षा की कमी के कारण रायथलावास बांध से पानी की आवक कम रही। जिसके कारण योजना के स्रोत कुएं में भी तद्नुसार जल की आवक कम हो गयी। इस कमी से हुए पेयजल संकट में राहत देने के उद्देश्य से गंगापुर कस्बे को सत्याबडी बांध की तलहटी में पूर्व में निर्मित दो कुओं से व कस्बे से बाहर स्थित खारी कुओं से भी जल उपलब्ध कराया जा रहा है। कस्बे में कुल 46 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं परन्तु गर्मी के मौसम में इनमें से 14 हैण्ड पम्पों में पानी की कमी हो जाती है। पांच हैण्ड पम्प परित्यक्त हैं, 5 नये हैण्ड पम्प अप्रेल में लगा दिये जाएंगे।

निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गंगापुर कस्बे की 17 लाख लिटर पेयजल की मांग के विरुद्ध वर्तमान में 4 लाख लिटर पानी एक दिन के अन्तराल से वितरित किया जा रहा है। रास्ते में स्थित ग्राम पोटला, सहाड़ा व गुढ्ढा को भी क्रमशः दो

(श्री जसवन्त सिंह विश्नोई)

दिन में एक बार पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

कस्बे की पेयजल योजना में तात्कालिक सुधार हेतु कण्टिंजेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगापुर कस्बे की पेयजल समस्या के निदान हेतु 5.00 लाख रुपए की स्वीकृति दी गयी है । जिसके अन्तर्गत रायथलावास बांध में एक खुले कुएं के निर्माण का कार्य भी प्रगति में है । यह कार्य माह मार्च, 1994 के अन्त तक लक्षित था जो पूरा हो गया है । इस कुएं के पूरा होने के बाद कस्बे में पेयजल का सुधार हो सकेगा । इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा दो निजी कुओं को किराये पर लेकर अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है, जिनमें से एक कुएं से लगभग 13 हजार लिटर प्रति घण्टा की दर से पानी का वितरण प्रारम्भ भी कर दिया गया है । कस्बे में स्थित हैण्ड पम्पों को त्वरित गति से ठीक किया जा रहा है एवं जिन हैण्ड पम्पों का पानी का स्तर नीचे चला गया है उनमें भी पाइप की लम्बाई बढ़ा कर चालू करने की कार्यवाही की जा रही है ।

सहाड़ा रायपुर की 14 जल योजनाओं के जल स्रोतों में पानी की कमी के कारण इस वर्ष पानी की समस्या है । वर्तमान में इन योजनाओं से किये जा रहे जल वितरण की स्थिति निम्न प्रकार है :–

| गांव का नाम | तहसील | सर्विस स्तर |
|---|---|---|
| 1. महेन्द्रगढ़ | सहाड़ा | 25 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन |
| 2. आमली | सहाड़ा | 20 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन |
| 3. कोसाथल | ,, | 15 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन |
| 4. लाकोला | ,, | 15 लिटर एक दिन के अन्तराल से |
| 5. माजाबास | ,, | 10 लिटर एक दिन के अन्तराल से |
| 6. डेलाना | ,, | 25 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन |
| 7. चिरखेड़ा | ,, | 10 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन |
| 8. रायपुर | रायपुर | 18 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन |
| 9. बोराणा | ,, | 18 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन |
| 10. देवरिया | ,, | 20 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन |
| 11. मुकुन्द | ,, | 20 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन |
| 12. पोटला | ,, | 42 लिटर दो दिन के अन्तराल से |
| 13. सहाड़ा | ,, | 40 लिटर दो दिन के अन्तराल से |
| 14. गुढा | ,, | 40 लिटर प्रति दो दिन के अन्तराल से |

(श्री जसवन्त सिंह विश्नोई)

रायपुर–सहाड़ा क्षेत्र के मरम्मत योग्य हैण्ड पम्पों को विशेष अभियान के तौर पर त्वरित गति से मरम्मत कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कन्टींजेंसी योजना के तहत भीलवाड़ा जिले की माह अप्रैल से जून, 1994 की अवधि हेतु लगभग 100 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति की गयी है जिसके तहत जिले की अन्य योजनाओं के साथ-साथ गंगापुर, रायपुर एवं सहाड़ा क्षेत्र की योजनाओं में भी धन संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार कार्य स्वीकृत कर पेयजल योजना में अतिरिक्त सुधार प्रस्तावित है।

**श्री सभापति** : माननीय श्री उपाध्याय जी।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : माननीय सभापति महोदय, अगर आप इजाजत दें तो माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य को मैं समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया, हाथ जोड़ दूं, नहीं तो मेरे मन के दर्द को मैं वैसे ही प्रश्नों के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूं।

**श्री सभापति** : आप तो अपने स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हों तो पूछ लीजिये, जवाब मिल जाएगा। आपके जो प्रश्न हैं खास-खास, बाकी तो उन्होंने सब प्रबन्ध बताया है कि कहां-कहां कितने लाख रुपये स्वीकृत किये हैं, कहां-कहां कितना पानी मिल रहा है, कहां-कहां कितने हैण्ड पम्प काम कर रहे हैं।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : माननीय सभापति महोदय, आप भीलवाड़ा जिले के किसी समय में जिलाधीश रहे हैं और आप चप्पे-चप्पे से परिचित हैं। अगर आपने समझ लिया तो आप फरमा दें।

**श्री सभापति** : नहीं, आपने जिसके कारण से ध्यानाकर्षण किया है, वह विशेष परिस्थिति है, उसका वर्णन कीजिये। आपको उत्तर मिल जाएगा।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात कह रहा हूं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : यदि आप चाहें तो मैं दुबारा पढ़ दूं।

**श्री सभापति** : वे प्रश्न पूछ रहे हैं जो बता दीजियेगा।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : नहीं, नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, अगर अपने आसन से उठ करके उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया तो मैं बहुत विनम्र भाव से उसका आदर करता हूं।

**श्री सभापति** : धन्यवाद, चर्चा समाप्त हुई।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : चर्चा कहां से समाप्त हुई। मैं तो शुरू कर रहा हूं, और आप चर्चा समाप्त कर रहे हैं।

**श्री सभापति** : आपने ही कहा है।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : खड़े हुये उसका आदर दे रहा हूं।

**श्री सभापति** : कोई प्रश्न हो आपके विशेष तो पूछ लीजिये मंत्रीजी जवाब देंगे।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : माननीय सभापति महोदय, किसी एक पीड़ा से, किसी दर्द से मैंने इस बात को रखा है और आप उसको रोक दें।

**श्री सभापति** : मैंने समझा कि आप संतुष्ट हो गये हैं।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : कहां से संतुष्ट हो गये। खड़े हुये इसलिये मैंने तो उनको विनम्र भाव से आभार प्रदर्शित किया है।

**श्री सभापति** : अच्छा बताइये।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : माननीय सभापति महोदय, जो प्रश्न हमारे सामने आये....

**श्री भंवरलाल शर्मा** : एक सैकण्ड जरा देख लें आप....

**श्री सभापति** : माननीय मन्त्रीजी, सुन लें।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : इसका उत्तर तो आपके पास में लिखित में है ही। वरना आप कहें तो पढ़ दूं। देखिये समस्या की जानकारी आपको है, मुझे भी है। आपको अधिक है, हमको इससे यहां से जो सूचना आती है उसके आधार पर है। उसमें अन्तर नहीं है। लेकिन इस समस्या के लिए जो कदम उठाये हैं और जो उठाने वाले हैं उनका मैं निवेदन कर दूं।

**श्री रामपाल उपाध्याय** : माननीय मंत्रीजी क्षमा करें। पहले आप मेरी समस्या को सुन लें तो मैं समझता हूं कि वह सही कदम रहेगा। माननीय सभापति महोदय ग्राम गंगापुर की जो योजना है, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह केवल ग्राम गंगापुर की समस्या नहीं है। इस गंगापुर की जो योजना है उसमें गंगापुर, सहाड़ा, पोटला और गुढ़ा चार गांव हैं और जो आपने आंकड़ा दिया है इसके तहत 36935 जनसंख्या इस गंगापुर योजना से सम्बद्ध है। अब गंगापुर योजना, गंगापुर नगरपालिका है, सहाड़ा पंचायत समिति का मुख्यावास है, पोटला पंचायत का मुख्यावास है, गुढ़ा दूसरा गांव है। मेरा यह निवेदन है कि जैसा इसमें स्वीकार किया है कि गंगापुर से केवल गंगापुर नगरपालिका को, सहाड़ा, पोटला, गुढ़ा अलग हैं, साढ़े 10 लाख लीटर पेयजल की प्रतिदिन की आवश्यकता है। उसके अनुसार ये दे रहे हैं 3 लाख 30 हजार लीटर और वह भी दो दिन के अन्तराल से, इन्होंने स्वीकार किया है। दो दिन के अन्तराल का मतलब है 1.65 लाख लीटर पानी मिल रहा है। अब मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो ये आंकड़े इन्होंने दिये हैं, मैं सोचता हूं ये आंकड़ें दिसम्बर या जनवरी के होने चाहिये जब पानी का इतना संकट नहीं था। आज के दिन का इन्हीं आंकड़ों से निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, कि चार दिनों का औसत, चार दिनों के अन्तराल से 1.65 लाख लीटर पानी हमको 36935 व्यक्तियों को मिल रहा है, तो एक दिन में केवल 41 हजार लीटर हुआ। 36935 व्यक्तियों में करीब एक व्यक्ति को प्रतिदिन एक लीटर पानी उपलब्ध होता है, यह तो है वस्तु स्थिति।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन्, इन्होंने हैण्डपम्पों का जो ब्यौरा

(श्री रामपाल उपाध्याय)

दिया है बहुत विनम्र भाव से निवेदन करना चाहता हूं, विभाग को यदि सही पता नहीं है तो सही पता रखना चाहिऐ। कुल हैण्ड पम्प गंगापुर नगरपालिका क्षेत्र में 62 हैं, इन्होंने 40 लिखा है और 62 में स्थिति यह है, श्रीमन् कि 62 में से 7 हैण्ड पम्प बिल्कुल अबंडंड हैं और 33 हैण्ड पम्प में बिल्कुल पानी का सतह नीचे चला गया। अब 22 हैण्ड पम्प थोड़ा-थोड़ा पानी देते हैं, यह सच है। इसी तरह से सहाड़ा, रायपुर तहसील में कुल मिलाकर के 923 हैण्ड पम्प हैं। 923 हैण्ड पम्प में सहाड़ा में 436 हैं, गंगापुर में 62 हैं, रायपुर में 425 है। 923 में से करीब-करीब 20-22 पर्सेंट हैण्ड पम्प ठीक हैं बाकी या तो सूख गये हैं, जल स्रोत नीचे चला गया है या अबंडंड हो गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, की जो आपने 14 योजनायें बतायी, अब ग्रामीण क्षेत्रों पर आ रहा हूं। पहले मैं गंगापुर का पूरा कर दूं। मेरा यह निवेदन है कि विभाग के अधिकारियों ने त्वरित योजना के तहत इस गंगापुर नगर पालिका और इससे जुड़े हुये गांवों के लिये 28 लाख 25 हजार रुपये की राशि मांगी है, मैं आभारी हूं विभाग का कि उन्होंने लगभग 7 लाख के करीब रुपया दिया है। मेरा अनुरोध है कि 28 लाख क्योंकि इनके अधिकारियों ने त्वरित योजना के तहत मांगा है और यह अप्रेल का पहला सप्ताह है और उसके बाद अभी तो जून तक निकालना है। माननीय सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि 28.25 लाख रुपया जो मांगा है, वे अधिकारी वहां तो इसको कहते हैं रुपया नहीं है हम क्या करें। वैसे मैं वहां की जनता का आभारी हूं कि उन्होंने दो कुएं मुफ्त में दिये हैं जिनमें पानी थोड़ा-थोड़ा आने लगा है।

इसी तरह से मेरा यह निवेदन है कि यह 14 योजनाएं हैं जिनको पढ़कर के सदन का समय खराब नहीं करूंगा लेकिन मेरा यह निवेदन है कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े इनके नवम्बर, दिसम्बर के आंकड़े हैं। मैं आज यह भी निवेदन करूं कि कम से कम एवरेज एक लीटर, डेढ लीटर, दो लीटर से ज्यादा पानी नहीं मिल रहा है।

इसलिए मेरा आपसे संक्षेप में निवेदन है कि मेहरबानी करके इन हैण्ड पम्पों को ठीक करवायें और इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र के लिये, सहाड़ा और रायपुर पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जो विभाग ने 47.43 लाख रुपये मांगे हैं उसमें से अभी तक 15 लाख रुपये के लगभग पहुंचने के संकेत मिले हैं। ऐसा आज एस ई. साहब बता रहे थे। मेरा अनुरोध है कि शेष राशि भी दिलाई जाये। मैं सोचता हूं कि यह हो जायेगा तो उसके आधार पर हम किसी तरह से अगला बरसात का मौसम पकड़ने में सक्षम होंगे। श्रीमन् आये दिन हड़ताल होती है, आये दिन घेराव होता है। मुझे खुशी है कि हमने वहां पर ब्यावर को रिपीट नहीं होने दिया। अब अगर यह धन की व्यवस्था अगर माननीय मन्त्री महोदय नहीं करते हैं या विलम्ब करते हैं तो मैं यह तो नहीं कहूंगा कि यह दुर्भाग्य का दिन नहीं दे कि ब्यावर की परम्परों को रिपीट करें लेकिन ऐसी स्थिति बन सकती है। इसलिये मेरा निवेदन यह है इस भयंकर गर्मी

(श्री रामपाल उपाध्याय)

में जहां लोग पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रहे हैं

माननीय सभापति महोदय, आप मेरे पर विश्वास करेंगे, ज्यों ही मैं वहां पहुंचता हूं, सवेरे जब नल नहीं आता, हैण्ड पम्प नहीं चलते हैं तो कम से कम आसपास के 1000-500 स्त्री-पुरुष आकर के घेराव करते हैं। मैं उनको शान्त करता हूं, उसके बाद इनके विभाग के अधिकारियों की तरफ से मैं उनको समझाता हूं कि इनसे तो पानी मिलने वाला नहीं है आखिर में हमको प्रयत्न करके धन जुटा करके, कुएं खोदकर, पाइप डाल कर के सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं तो विनम्र भाव से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि जो इन्होंने त्वरित योजना के तहत राशि मांगी है कृपा करके वह राशि आप दिलवा दें। एक बात मैं जरूर मेरे जिले के जो सम्बन्धित अधिकारी हैं इस विभाग के, उनके प्रति मैं आदर सहित धन्यवाद देता हूं, वे रात-दिन इसमें लगे हुये हैं और मैं भी उनके साथ जाता हूं।

(15.00)

और वह चेष्टा करते हैं कि यह समस्या हल हो। इसमें भी कोई कोताई नहीं है लेकिन कुछ ट्रेडिशंस ऐसी रही है, विभागीय कुछ इस प्रकार की विलम्ब करने जैसी परम्पराएं रही हैं इसलिये वह समय पर नहीं हो पाते हैं लेकिन उनके पास धन का अभाव है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो 28.25 लाख जिसमें जितना आ गया है उसको काट लें और 47.45 लाख ग्रामीण क्षेत्र के लिए सहाड़ारायपुर तहसील के लिए धन उपलब्ध करवाएं तो मेरा यह विश्वास है कि हम जून पकड़ लेंगे और हर हिम्मत और हौंसले से इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि रुपया दिया उसका तो कुछ उपयोग कर लीजिए। माननीय मंत्री महोदय यह जो रुपया आपने दिया है एक आदमी को आप खाना खिलाना चाहते हैं और उसको मात्र 1/4 रोटी देकर आप यह चाहेंगे कि उसका पेट पूरा भर जाए, वह सम्भव नहीं होगा। सब एक साथ काम लेने पड़ेंगे। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल स्वीकृति आप दिलवाएं। इन्हीं विनम्र शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** : भीलवाड़ा जिला इसके अन्दर कहां से आ गया ?

**श्री सभापति** : यह समस्या केवल गंगापुर की है, उसके बारे में ध्यानाकर्षण है, गंगापुर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं क्या ? जनरल डिस्कसन नहीं है। पेयजल पर जनरल डिस्कसन हो चुका है पूरा दिन, ध्यानाकर्षण इस समय केवल मात्र गंगापुर का है।.... (व्यवधान).... गंगापुर के लिए ध्यानाकर्षित किया है, उनका जवाब मंत्री जी दे रहे हैं।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : भीलवाड़ा में कहीं समस्या ही नहीं होगी।

**श्री सभापति** : आप भी प्रस्तुत कर देना अपने सुझाव।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : आसींद का नाम ले लेते तो मुझे खड़े होकर कहने

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

की जरुरत ही नहीं पड़ती। हम चाहते हैं कि....

**श्री सभापति** : अब कृपया बिराजिये आप।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : हमारे आसींद का भी नाम ले देते।

**श्री सभापति** : बिराजिये। उन्हें क्या करना चाहिये था उन्होंने वह कर दिया। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

**श्री रामपाल उपाध्याय** : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं दोनों बनेड़ा और आसींद से आने वाले आदरणीय माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं आप भी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के तहत आप उठाते इसमें मुझे क्या तकलीफ की बात है।

**श्री सभापति** : ठीक है, बिराजिये। (व्यवधान)....आर्डर प्लीज।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : माननीय सभापति महोदय, जिस समस्या की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है, वास्तव में जो उन्होंने उल्लेख किया है वह सही है। सही बात तो यह है कि इस समस्या के समाधान करने के लिए बहुत पहले से प्रयत्न किये जाने चाहिए थे। बरसात के बाद विभाग को यह अन्दाजा हो जाता है कि अगली बार क्या समस्या खड़ी होगी और उसके कारण अगस्त के बाद ये धीरे-धीरे प्रयत्न शुरू होकर अगली गर्मी आने से पहले सब इलाज हो जाता है लेकिन इस बार यह नहीं हो पाया और जैसे ही सरकार आयी तो यह समस्या सामने दिखती थी इसलिए आप स्वयं यह कह रहे हैं कि काफी प्रगति से काम हो रहे हैं, पैसा भी दे दिया और पानी आपको ठीक से मिले, इसकी भी चिन्ता की जा रही है। इसके लिए दो खुले कुएं का निर्माण प्रस्तावित है। एक कुआ खुद गया है उसको पाइप से जोड़ने के बाद आपको पानी मिलेगा। दूसरा अभी संधारण में है, यह आपकी जानकारी में है। इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो विभाग को करना चाहिए उसमें आपको कोताई लग रही हो, आप स्वयं मानते हैं कि नहीं हो रही है, तो मैं भी संतुष्ट हूं जिनको जितना काम करना चाहिए वह कर रहे हैं। रहा सवाल पैसे का, तो पैसे के लिए तो मैं यह निवेदन करूंगा कि भीलवाड़ा जिले को एक करोड़ 25 लाख रुपये दिये हैं.... (व्यवधान)

**श्री रामपाल उपाध्याय** : माननीय मंत्री महोदय, भीलवाड़ा जिले की वृहद् योजना साढ़े पांच करोड़ की भेजी है और आपने केवल मात्र सवा करोड़ रुपया दिया है। यही समस्या आसींद की है, यही गुलाबपुरा की है, यही माण्डलगढ़ की है, यह सारी कुछ बातें हैं और भीलवाड़ा जिले के पश्चिमी भाग की भी यही समस्या है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : उसमें से वर्तमान में आपको 25 लाख रुपये दिये हैं, पूरे अमाउण्ट में से, जो आपको दिए हैं काम उस पर चालू है, चालू काम को पूरा करने के बाद जो विभाग की रिपोर्ट है वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को 30 लीटर प्रतिदिन पानी आपको उपलब्ध होगा। अगर यह

(श्री भंवरलाल शर्मा)

होता है तो मैं समझता हूं कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा और फिर भी यदि कोई आवश्यकता पड़ी.... (व्यवधान)....

**श्री रामपाल उपाध्याय** : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय आपने मेहरबानी करके शुरू में एक पंक्ति कही वह बहुत न्याय की कही है। आपने फरमाया कि जब आग लगी तब कुआ खोदना शुरू किया, अगर कम से कम पहले दूर दृष्टि से इसको करते तो, आपने शुरुआत ही इस वाक्य से की है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि विभाग ने, आपने कह दिया कि विभाग मांग रहा है 47.45 लाख और 28.25 लाख रुपये, अब आप फरमा रहे हैं कि 25 लाख रुपये तक की व्यवस्था है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अपर्याप्त राशि है, कृपा कर के पर्याप्त राशि दीजिए, नहीं तो बहुत तकलीफ की बात है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले के लिए आपने 1 करोड़ 25 लाख रुपये देने की बात की है। आप भीलवाड़ा जिले की मेहरबानी करके साढ़े पांच करोड़ रुपये की जो वहां की त्वरित योजना है वहां के अधिकारियों ने, जिला प्रशासन ने और एक्सपर्ट्स ने आपके पास भिजवायी है आप उसकी पूर्ति करेंगे तो सारे जिले को अच्छी राहत मिलेगी और जो गंगापुर वर्स्ट हालत में है, उससे भी वर्स्ट हालत के अन्दर गुलाबपुरा है। मैं आपको फिर निवेदन करूंगा कि गुलाबपुरा, ब्यावर के नजदीक है ऐसा नहीं है कि ब्यावर की परम्परा वहां रिपीट हो और हमारे सारे ज़िलों में इस प्रकार की अशोभनीय और अस्वस्थ परम्पराएं पैदा हो जाएं।

मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय कृपा करके धन की थोड़ी हमको सुविधा दीजिए बाकी तो विभागीय अधिकारी करेंगे, मुझे तो कभी-कभी विभागीय अधिकारी, मैं एक मिनट में खतम कर रहा हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह कृपा करके उनको माननीय मंत्री महोदय को सही और सच्ची बात कहनी चाहिये कि इतना धन होगा तो हम पानी देंगे, नहीं होगा तो नहीं दे सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप धन की व्यवस्था करें।

**श्री जगदीशचन्द्र दरक** (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, आज सबसे बड़ी समस्या भीलवाड़ा जिले में हो रही है।

**श्री सभापति** : भीलवाड़ा जिले की समस्या इस समय डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उसमें सीमित प्रश्न है, पेयजल पर अपन बात कर चुके हैं। (व्यवधान)

**श्री पराक्रम सिंह** (बनेड़ा) : सभी भीलवाड़ा जिले की समस्या हैं।.... (व्यवधान)....

**श्री सभापति** : कृपा करके एक-एक कर बोलिए, आप चारों क्यों एक साथ खड़े हो गये।

**श्री टीकमचन्द कान्त** : नहीं सभापति महोदय, यदि इनको ही 5½ करोड़ रुपये दे दिये और जिनको बिलकुल आवश्यक है,

(श्री टीकमचन्द कान्त)

उनको चाहिये भी लेकिन अन्य जिलों को भी उनकी मांग के अनुसार देना चाहिए, अन्य जिलों में भी उनकी मांग के अनुसार देना चाहिये । ....(व्यवधान)

**श्री जगदीशचन्द्र दरक** : एक बहुत बड़ी समस्या बजट की तो है ही साथ में जो टैक्नीकल डिपार्टमेंट, पी. एच. ई. डी. है जो उसकी रिपेयरिंग टीम्स की सैंक्शन राजस्थान सरकार से नहीं मिल रही है उसकी वजह से सारे हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं । मैं मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द आदमियों की प्रोविजंस उसमें की जाये, उनको परमिशन दी जाये और यह कार्य किया जाये ।

**श्री सभापति** : आप बिराजिए । माननीय मंत्री महोदय ।....(व्यवधान)....कृपया बिराजिए माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं । ....(व्यवधान)

**श्री जगदीशचन्द्र दरक** : सभापति महोदय, एस. डी. एम. और कलक्टर के द्वारा....

**श्री सभापति** : आप ध्यानाकर्षण को जनरल डिस्कसन मत बनाइये, बिराजिये. माननीय मंत्री जी ।....(व्यवधान)....कृपया बिराजिये ।....

**श्री भंवरलाल शर्मा** : माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्यों ने कहा ....(व्यवधान)....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य आप विराजें ।

**श्री जगदीशचन्द्र दरक** : विधायकों से छुड़ाकर एस. डी. एम. को हैण्ड पम्प अपने अपने एरिया में खुदाने के पावर्स दिए हैं यह मैं माननीय सदस्यों का एक तरह से अपमान मानता हूं । माननीय सदस्यों की राय से उनके क्षेत्रों में हैण्ड पम्प खोदे जाने चाहिए । मैं माननीय मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करूंगा कि वह इस बारे में प्रशासन को निर्देश दें ।

**श्री सभापति** : सही है, ध्यान देंगे । माननीय मंत्री जी ।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिये हैं कि जितने पैसे विभाग ने मांगे उतने पैसे उसको मिल जाए इसको मैं इन्कार तो नहीं करता, विचार करेंगे संसाधन जितने सीमित है, सब का बंटवारा किया जाए, उसमें कुछ वृद्धि होगी, तो आपके क्षेत्र में भी विचार करेंगे ।

**श्री सभापति** : धन्यवाद । माननीय श्री रामकिशन जी वर्मा । नगर विकास एवं आवासन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

## कोटा नगर निगम की बिगड़ती आर्थिक स्थिति

**श्री रामकिशन वर्मा** (रामगंज मण्डी) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के तहत मैं राज्य सरकार का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न–नगर निगम कोटा की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं ।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : माननीय सभापति महोदय, यह मेरे पास आपके आंकड़े हैं इसकी वसूली के वह तो मैं आपको दे दूंगा लेकिन आपने जो बात इसमें रखी है बग्गीखाना नाम का एक स्थान है उसमें कुछ नीलामी की गयी है, मैंने अभी बातचीत की है, मैं इस बात से सहमत हूं कि वह नीलामी फिलहाल रोक दी जाये और यह नीलामी जब तक आपसे बात-चीत नहीं होगी तब तक नहीं होगी।

**श्री रामकिशन वर्मा** : मैं तो माननीय मंत्री महोदय कोई लम्बी-चौड़ी बात या इस तरह की बात नहीं करना चाहता हूं....

**श्री भंवरलाल शर्मा** : आपकी बात मानली हमने तो।

**श्री रामकिशन वर्मा** : लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका विशेष ध्यान कोटा नगर निगम पर रहे।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : हां, रहेगा।

**श्री रामकिशन वर्मा** : इसलिये चाहता हूं कि कोटा शहर एक संवेदनशील इलाका है। बग्गीखाना अगर हमने पलट दिया ....(व्यवधान)....

**श्री भंवरलाल शर्मा** : मैंने माननीय सदस्य रोक दिया, जब तक आपसे बात नहीं होगी उसकी नीलामी आगे नहीं जायेगी।

**श्री रामकिशन वर्मा** : धन्यवाद।

**श्री सभापति** : धन्यवाद। श्री राजेन्द्र गहलोत–माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री एवं राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

**नगरीय क्षेत्रों में आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि**

**श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के 131 के अन्तर्गत मैं राजस्व मंत्री एवं नगर विकास एवं आवासन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

**श्री सभापति** : माननीय मंत्री जी।

**श्री गंगाराम चौधरी** (राजस्व मंत्री) : राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1981 के अन्तर्गत जिस किसी आवेदक की कृषि भूमि आवासीय अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन योग्य है तथा वह भूमि इन नियमों में उल्लेखित प्रतिबन्धों से प्रभावित नहीं है तो वह अपनी भूमि का कभी भी संपरिवर्तन शुल्क आदि देय राशि भुगतान कर आवासीय अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करा सकता है ऐसा नहीं है कि इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों में संपरिवर्तन केवल इसलिए नहीं किया जायेगा कि राशियां 1982 के बाद जमा हुई है तथा प्रार्थना पत्र 1982 के बाद प्रस्तुत हुए हैं। 1981 के नियम आज भी लागू हैं लेकिन 1981 के नियमों के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में संपरिवर्तन के ऐसे प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिनमें आवेदित कृषि भूमियां इन नियमों के नियम 5 के प्रतिबन्धों से प्रभावित है, अतः नियमों के अन्तर्गत उनका संपरिवर्तन

(श्री गंगाराम चौधरी)

नहीं हो सकता है। इनमें से अधिकांश वे मामले हैं जिनमें राशियां 31.5.1982 तक इस उम्मीद के साथ जमा कराई गई हैं कि नियमों में उल्लेखित प्रतिबन्धों में शिथिलता दी जायेगी। इन प्रतिबन्धों के कारण आ रही कठिनाइयों के निवारण के लिए राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक : प. 2 (8) राज/भू, रू./90 दि. 18.2.94 जारी किये हैं जो राज्य के सभी नगरों की कृषि भूमियों पर लागू होते हैं ना कि केवल जयपुर शहर पर। ऐसा अनुमान है कि राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लम्बित भूमि रूपान्तरण के मामलों में अधिकांश भूखण्डधारियों को इन आदेशों से राहत मिलेगी। बिन्दुवार स्थिति निम्न प्रकार है :–

(1) जोधपुर नगर की पाल रोड के पूर्व में तथा पश्चिम में अलग-अलग विज्ञप्तियों द्वारा आवासीय प्रयोनजार्थ नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की भूमि अवाप्ति की विज्ञप्ति राजस्थान राजपत्र में 1990 में प्रकाशित हुई। इन विज्ञप्तियों में 2264 एकड़ (5660 बीघा) भूमि को अवाप्त करने का विवरण है। यह सही है कि इन भूमियों में से कुछ खसरों को अवाप्ति की विज्ञप्तियां प्रकाशित होने के पूर्व ही भूमि रूपान्तरण कर पट्टा विलेख जारी कर दिये गये। अधिकांश पट्टे वर्ष 1984 एवं 1990 के बीच के हैं। जिन मामलों में भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 की विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन से पूर्व भूमि रूपान्तरण कर विधिवत पट्टे विलेख जारी कर दिये गये हैं, ऐसे मामलों की भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने पर विचार किया जायेगा।

(2) राजस्व अभिलेखों में भूमि रूपान्तरण आदेशों के तुरन्त अमल-दरामद नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि अवाप्ति की विज्ञप्ति के समय पूरी स्थिति की जानकारी नहीं होती। नगर विकास न्यास, जोधपुर की प्रस्तावित लालसागर, मंडोर तथा मदवासिया योजनाएं वर्ष 1993 में कृषि भूमियों पर बनाई जाकर अधिसूचित की गई तथा आपत्तियां तथा सुझाव मांगे गये। भूमि रूपान्तरण विभाग ने इन योजनाओं में आवासीय प्रयोजनार्थ कुछ पट्टे विलेख जारी किये गये हैं, अतः ऐसे पट्टाधारियों से आपत्ति प्राप्त होने पर यदि यह पाया गया कि वह भूमि रूपान्तरित होकर उस पर पट्टा विलेख जारी कर दिया गया है तो ऐसी भूमि को अवाप्त नहीं करने पर विचार किया जाएगा।

(3) जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा 3.3.1978 के आदेश से 46 खसरों की 455 बीघा 18 बिस्वा भूमि आबादी हेतु सेट-अपार्ट करके नगर विकास न्यास, जोधपुर को सौंपी गई। इन 46 खसरों में से कुछ खसरों की खातेदारी राजस्व न्यायालयो द्वारा निजी व्यक्तियों के पक्ष में कर दी गयी। ऐसे प्रकरणों में नगर विकास न्यास ने राजस्व मण्डल/राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील कर रखी है। कुछ मामलों में राजस्थान उच्च न्यायालयमें याचिकाए प्रस्तुत हुई हैं जिनमें से कुछ नगर विकास न्यास के पक्ष में निर्णय हुए हैं और यह माना गया है कि जो राजकीय भूमियां नगर विकास न्यास को हस्तान्तरित कर दी गयी है, उनमें भू-स्वामित्व के अभाव में रूपान्तरण किया जाना उचित नहीं है। खसरों की सूची परिशिष्ट 'क' पर है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

राज्य सरकार द्वारा नगर विकास न्यास को आबादी हेतु भूमि सेट-अपार्ट करके उन्हें हस्तान्तरण के बाद ऐसी भूमि नगर विकास न्यास की सम्पत्ति हो जाती है, अतः उनके निस्तारण में नगर विकास न्यास के नियम लागू होंगे।

(4) न्यास ने दिनांक 4.7.1992 को एक सूचना जारी की कि जिस भूमि पर अतिक्रमण या स्वामित्व सम्बन्धी कोई विवाद नहीं हो, उस भूमि पर भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु न्यास को निवेदन किया जाए। न्यास को उपरोक्त सूचना के संदर्भ में प्राप्त सभी प्रकरणों पर विचार करने के बाद यह पाया कि इन प्रकरणों में ले आउट प्लान, सब डिवीजन स्वीकृत नहीं होने के कारण उनको तामीर की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। उक्त सूचना के सन्दर्भ में न्यास को जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसमें अधिकांश प्रकरण न्यास की योजना, अवाप्ति से सम्बन्धित भूमि के या सीलिंग से प्रभावित भूमि के हैं एवं कुछ ऐसे हैं जिनका ले-आउट प्लान स्वीकृत नहीं हुआ है, अतः ऐसे प्रकरणों में निर्माण की अनुमति नहीं दी गयी है। ऐसी भूमि के खसरों की सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है, 18.2.1994 के आदेशों के तहत इनका पुनः परीक्षण करा लिया जाएगा।

(5) दिनांक 11.11.1992 के पहले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह प्रावधान था कि एक निर्धारित सीमा से नीचे कृषि भूमि के टुकड़े करके बेचान नहीं किया जा सकता है। बहरहाल उस समय भी आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये गये इस प्रकार के बेचान को वैध करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को अधिकार दिये गये थे। दिनांक 11.11.1992 के बाद काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 से विखण्डन के प्रावधान विलोपित कर दिये गये। आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि का उप विभाजन नगरीय विकास न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 73(ए) के अन्तर्गत बने 1975 के नियमों में किया जाता है। अतः उप विभाजन नियम, 1975 के अन्तर्गत भूखण्डधारियों से नियमानुसार उप विभाजन शुल्क वसूल किया जाता है।

(6) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनिमय) अधिनियम, 1976 राजस्थान राज्य के 5 नगरों, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा में 9.3.1976 को लागू हुआ। जयपुर एवं जोधपुर में नगर संकुलन सीमा नगर परिषद सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र में स्थित है। 9.3.1976 के बाद यदि नगर परिषद की सीमा घटती या बढ़ती है तो उसका नगर संकुलन सीमा पर प्रभाव नहीं पड़ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध में कोई निर्णय प्राप्त होना नहीं होना पाया जाता है। लोगों को तंग करने की सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है।

(7) दिनांक 18.2.1994 के आदेश राजस्थान के सभी नगरीय क्षेत्रों के लिए लागू हैं। उनमें किसी शहर विशेष अथवा कालोनी विशेष के लिए प्रावधान नहीं है। बी. जी. एस. कालोनी की भूमि सरकारी है, अतः सरकारी भूमियों के लिए भू-संपरिवर्तन शुल्क अथवा विकास शुल्क जो भी नियमों में

(श्री गंगाराम चौधरी)

निर्धारित किया हुआ है, वह बी. जी. एस. कालोनी पर भी लागू होंगे।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (नगरीय विकास मंत्री) : सभापति महोदय, इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सदस्य ने जो समस्या उठाई है वह विशेष रूप से तीन प्रकार की है। एक तो यह है कि एक्वीजिशन के लिए नोटिस चले गये और एक्वीजिशन कार्यवाही लम्बित है लेकिन उससे पहले ही जिन लोगों ने अपने विधिवत पट्टे ले लिए, वे भी उसमें शामिल हो गये तो मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को अवाप्ति की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही पट्टे दे दिये गये हैं किसी विभाग के द्वारा भी उनको अवाप्ति से मुक्त करने की बात तो हम कर सकते हैं बशर्ते कि हमारी योजना में कुछ डिस्टर्बेन्स नहीं आता हो और आपके वहां मकान बन गये हों तो यह समस्या तो वैसे ही ठीक हो जाएगी।

दूसरी समस्या यह है कि जो सेट-अपार्ट करके राजस्व विभाग के नगर निगम को, जे. डी. ए. को जमीन दे दी, आपने पट्टे किसी से ले लिए, हम तो मालिक हैं लेकिन पट्टे किसी दूसरे से ले लिये तो वह पट्टा नहीं माना जा सकता लेकिन चूंकि नये नियम बन गये हैं, उन नियमों के अन्तर्गत, जैसा कि आपको संदेह है कि यह जयपुर के लिए है, यह पूरे राजस्थान के लिए है जैसा राजस्व मंत्रीजी ने कहा है तो उनके अन्तर्गत ये सब समाविष्ट हो जाएंगे तो मैं समझता हूं, अब इस समस्या में कोई ज्यादा बात नहीं रही आपको।

जहां तक डि-एक्वीजिशन का सवाल है, यह मैं जांच करा लेता हूं और जो ये बात आप बता रहे हैं, ऐसा हो गया है तो फिर डि-एक्वायर भी कर देंगे। उनको वहां रहने के लिए पट्टे वगैरह, जो भी नियमों में होगा, वह कर देंगे। उनके बाद आपकी क्या समस्या रह गयी है, बता दें।

**श्री राजेन्द्र गहलोत** : सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने ध्यानाकर्षण को बड़ी गम्भीरता से लिया और उन्होंने जोधपुर की जटिल समस्या के समाधान के लिए काफी प्रयास किये हैं। इसके बाद भी कुछ ऐसी समस्या हमारे सामने रह जाती है जिसका मैं माननीय मंत्रीजी से समाधान चाहूंगा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : वह बात कर लेंगे।

**श्री राजेन्द्र गहलोत** : वह बात करने जैसी नहीं है पहले भी बात हो चुकी है। जैसा माननीय मंत्रीजी ने कहा कि पूर्व पाल और पश्चिमी पाल योजना के अन्तर्गत जो कृषि भूमि का रूपान्तरण हो गया है, धारा (4) की कार्यवाही से पहले जिनको भूमि रूपान्तरण के पट्टे मिल गये हैं उनको अवाप्ति से मुक्त किया जाएगा। इस बात के लिए मैं मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां किसानों की जो पुरानी बस्ती है वह बस्ती बसी हुई है और किसानों के कुएं पाल में हैं, जिससे सारे

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

शहर को सब्जी मिलती है और उसके कारण कोई भी दूसरा क्षेत्र जोधपुर के आस-पास है नहीं जो अच्छे पानी का स्रोत हो। वहां करीब 100 किसानों के कुएं हैं, उन कुओं के कारण करीब 5 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है, सारे शहर को अच्छी सब्जी मिलती है और ग्रीन बैल्ट में है। आपने वहां अवाप्ति की कार्यवाही शुरू कर दी। मेरा निवेदन यह है कि उन्होंने यदि भूमि रूपान्तरण नहीं कराया है तो भी उन किसानों की भूमि ग्रीन बैल्ट में है, जहां पुरानी बस्ती बसी हुई है उनको भी आप अवाप्ति से मुक्त करायें जिससे उन किसानों को लाभ मिल सकता है, शहर को भी अच्छी सब्जी मिल सकती है और हरियाली का क्षेत्र हो सकता है, यह मेरा मंत्रीजी से निवेदन है।

दूसरा, धारा (4) की कार्यवाही, पाल वेस्ट और ईस्ट की जो योजना बनी वह योजना भूल से बनायी गयी। उसमें ऐसे खसरे ले लिए गये जो योजना में नहीं हैं। फिर नगर सुधार न्यास का बोर्ड आया। बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास करके, पत्र लिखकर विभाग को यह आग्रह किया कि यह भूल से अवाप्ति के लिए सूचना जारी हो गयी है इसको वापस ले लिया जाय। वह विवाद का खसरा है। माननीय मंत्रीजी कोई कमेटी बना दें तो कमेटी सारा देख ले, उसमें जो निकल सकते हैं, जो आवश्यक नहीं हैं और जो योजना में नहीं हैं उनको निकाला जाय।

अब बिन्दु 2 के अन्दर 46 खसरों में यह बात है कि जो सेट अपार्ट भूमि कलक्टर ने की थी उन 46 खसरों में आज मकान बन चुके हैं। नगर सुधार न्यास ने विभिन्न गृह निर्माण समितियों को उसके सब डिवीजन की कार्यवाही कर ली है। किसी का विकास शुल्क जमा हो गया है। वहां आधी में कच्ची बस्ती बस गयी है। आज किसी प्रकार की भूमि जो रिक्त पड़ी हो, जिसमें न्यास योजना बना सकता हो, न्यास इतना ही कर सकता है कोर्ट के माध्यम से लोगों को परेशान कर सकता है, आज वहां कोई जमीन बची हुई नहीं है लेकिन जहां रह रहे हैं उस योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन मंत्री कर सकते हैं उसमें परिवर्तन करना चाहिए। यदि उसमें लोगों के सब डिवीजन के पैसे जमा हो गये हैं, भूमि रूपान्तरण के पट्टे जारी हो गये हैं, भूमि रूपान्तरण के पट्टे राज्य सरकार ने जारी किये हैं इसलिए इस बारे में भी मंत्रीजी विचार करें और इसमें कैसे राहत दे सकते हैं, वह राहत दें।

माननीय सभापति जी, 1993 के अन्दर लाल सागर मण्डोर के लिए योजना बनायी गयी है। उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि नगर सुधार न्यास में में सब तरह के अधिकारी हैं, टैक्नीकल कर्मचारी हैं, सब तरह के कर्मचारी हैं, कोई भी योजना बनाने से पहले यह देखना चाहिए कि पुराने किसानों की जो बस्तियां हैं और उससे पहले भूमि रूपान्तरण की बस्तियां कट चुकी हैं, पट्टे मिल चुके हैं ऐसे पर पुनर्विचार करना चाहिए। मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है कि इस बार पुनर्विचार करके हम इस बारे में विचार करेंगे। उस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, परन्तु भविष्य में इस प्रकार की जो बस्तियां

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

हैं उनके बारे में इस तरह का ध्यान देना चाहिए।

साथ में मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो बी. जी. एस. कालोनी है उस कालोनी के लिए मई, 1992 के अन्दर राज्य सरकार से एक आदेश निकाला जिसमें यह कहा गया कि सरकारी भूमि मानकर इनको राहत दे दी जाए और उस आदेश के अन्तर्गत वहां कार्यवाही चल रही थी। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो कालोनी बसी हुई है वह आजादी से पहले की बसी हुई है और अभी 18 फरवरी को संशोधन नियम निकले हैं उनके अनुसार 1981 और 1982 के अन्दर भूमि रूपान्तरण के जिन्होंने पैसे जमा करा दिये हैं वे तो उसमें कवर हो जाएंगे और किसी कारणवश जो 1950 से बसे हुए हैं या उससे पहले से बसे हुए हैं और जिन्होंने पैसे जमा नहीं कराये, दो हजार लोगों ने तो पैसे जमा करा दिये और दो हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिया नहीं, पैसे जमा कराये नहीं उनके लिए माननीय मंत्रीजी कोई व्यवस्था करायें वह व्यवस्था सरकार करे। मतदाता सूची के अनुसार, राशन कार्ड के अनुसार या और किसी के अनुसार उस भूमि पर जिन लोगों को कई वर्षों से राहत नहीं मिली है उन लोगों को राहत मिल सकती है। मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर माननीय मंत्रीजी ने रुचि लेकर, ध्यान देकर जनता को राहत देने की बात की है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं मैंने जो भी बिन्दु उठाये हैं उनके लिए मंत्रीजी कृपा करके कुछ आश्वासन दें।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : माननीय सभापति महोदय, यह किस प्रकार का विवाद है इसमें सब कुछ तो हल हो गया। अब आप कहते हैं सन् 1950 के पहले की बस्ती है। जब 1950 से पहले की बस्ती है तो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब यहां बिराजमान हैं। यह रेवेन्यू टिनेन्सी एक्ट आया ही बाद में है। यदि आप यह प्रमाणित कर देंगे कि कब्जा कबसे है तो शायद इससे आप बच जायेंगे। इसके बाद भी यदि आपने कोई जमीन पर कब्जा किया हुआ है और वर्तमान में जो नियम है उन नियमों के कारण आपको उसमें लाभ मिलेगा। अब कब्जा आपने दो दिन पहले किया है, 4 दिन पहले किया है वह तो उसमें कवर नहीं होगा। जो जिनाइन लोग बसे हुए हैं उनको लाभ मिलेगा। साथ ही जो अवाप्ति की योजना है उस अवाप्ति की योजना में यदि मकान बने हुए हैं और उसी के लिए हम अवाप्त कर रहे हैं तो हम कोई विचार करेंगे। जहां तक ग्रीन बैल्ट, हरी सब्जी और कुओं की बात की है मैं समझता हूं इस योजना को देखने के बाद यदि यह लगा कि उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है तो उनको भी मुक्त किया जा सकता है। यह सब सोच-विचार कर समाधान का रास्ता निकाला जा सकता है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि इस पर आप और चर्चा करके देख लें और समाधान कर देंगे। बाकी जो बी. जी. एस. कालोनी है उसके लिए माननीय राजस्व मन्त्रीजी कहेंगे।

**श्री गंगाराम चौधरी** : सभापति महोदय, यह बी. जी. एस. कालोनी का जो जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं यह भूमि वास्तव में एक संस्था को जोधपुर दरबार ने शिक्षा के प्रयोजनार्थ, शिक्षण संस्था स्था-

(श्री गंगाराम चौधरी)

पित करने के लिए आबंटित की थी। लेकिन उस संस्था ने शिक्षण संस्था वहां पर स्थापित नहीं की बल्कि उस संस्था ने उस जमीन के अलग-अलग प्लाट बनाकर लोगों को बेच दिये और वहां लोग बस गये। लंबे अर्से से बसे हुए थे लेकिन यह उलझन ऐसी बन गयी कि इस वजह से किसी कानून के अन्तर्गत इसका नियमन नहीं हो पाया। तब दो साल पूर्व राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस भूमि को राजकीय भूमि मान लिया जाए और राजकीय भूमि पर जिस प्रकार अनधिकृत अतिक्रमण है और उन्हें नियमन किये जाने के जो प्रावधान हैं वे प्रावधान इसमें लागू होंगे। अब उसमें एक उलझन यह बता रहे हैं कि हमने 6/1982 से पहले बहुतों ने पैसे जमा नहीं करवाये। उसमें कुछ ने करवाये वे लोग इसमें बच गये। मैं मानता हूं कि इस संस्था ने जिन लोगों को जमीन बेची है और जो लोग इसमें बस गये उन्होंने पहले नहीं सोचा था कि हमारा कब्जा अनधिकृत है। ऐसा नहीं सोचा था इसलिए ये पैसा जमा नहीं करवा पाये लेकिन वास्तव में कानूनी तौर पर रूपान्तरण अनधिकृत हो गया। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में इस बात पर पुर्नविचार कर लेगी कि यदि लोग यह प्रमाणित करें कि यह 1982 से या लम्बे अर्से से काबिज हैं और केवल इस गलतफहमी में पैसा जमा नहीं करवा पाये तो हम इनको कब्जा राजकीय भूमि पर होने के उपरान्त भी तकनीकी तौर पर राजकीय भूमि के ऊपर कब्जा होने के उपरान्त भी हम इस बात पर विचार दुबारा कर सकते हैं। यदि प्रमाणित करें तो उसी दर से इनका कब्जा नियमित किया जा सकेगा जिस दर से 1982 से पहले लोगों ने पैसे जमा करवाये. इस पर अब दुबारा विचार कर लेंगे।

**श्री सभापति** : धन्यवाद। चर्चा समाप्त हुई। आपने इतनी गम्भीरता से लिया है, हरेक प्रश्न का उत्तर आ गया है।

**श्री राजेन्द्र गहलोत** : एक बिन्दु है सभापतिजी। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपकी कृपा से, एक बिन्दु रह गया है।

**श्री सभापति** : हां. बोलिये एक मिनट तो, परन्तु सब बातों का जवाब आ गया है बहुत ही अच्छे तरीके से।

**श्री राजेन्द्र गहलोत** : माननीय राजस्व मंत्रीजी, जो 46 खसरे हैं उन 46 खसरों में जहां आज लोग बस चुके हैं या गृह निर्माण समितियों ने अपने सब डिवीजन करवा लिये हैं और कच्ची बस्ती बसी हुई है उस विषय में आगे क्या समाधान करेंगे?

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, स्पेसिफिक निर्णय थोड़े आ सकते हैं यहां पर। आपको बता दिया गया है कि सभी गम्भीरता से लेकर जो भी उचित होगा, कर दिया जायेगा।

**श्री राजेन्द्र गहलोत** : धन्यवाद आपको।

**श्री सभापति** : चर्चा समाप्त हुई। माननीय श्री शांति धारीवाल माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

**जिलों का पुनर्गठन**

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली): सभापति महोदय, राजस्थान में जिलों के

# Page No.141



(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

पुनर्गठन के बाबत राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : माननीय मंत्रीजी।

**श्री गंगाराम चौधरी** (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, प्रदेश में एक नया जिला हनुमानगढ़ का गठन किया जा रहा है। राज्य के अन्य कई क्षेत्रों से नये जिले बनाने की मांग भी समय-समय पर प्राप्त हो रही है, परन्तु राज्य की वित्तीय स्थिति तथा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभी अन्य प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा रहा है। माननीय सदस्य महोदय ने रावतभाटा क्षेत्र को जिला चित्तौड़गढ़ के कार्य क्षेत्र से हटाकर जिला कोटा के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित करने की जो बात कही है उसमें निवेदन है कि यद्यपि रावतभाटा भौगोलिक दृष्टि से जिला कोटा के नजदीक, केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, परन्तु रावतभाटा वर्तमान में जिला चित्तौड़गढ़ का अंश है और यह जिला चित्तौड़गढ़ से सौ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रावतभाटा परमाणु बिजली घर एवं अन्य प्रमुख संयंत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी के लिये कोटा नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण के दायित्वधीन है। कानून एवं व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के परियोजनार्थ भी पुलिस सहायता भी कोटा से ही तुरन्त पहुंचायी जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से स्थायी आधार पर आर. ए. सी की एक कम्पनी कोटा से रावतभाटा में लगाई हुई है। किसी भी विशिष्ट व्यक्ति की कोटा यात्रा रावतभाटा के अवलोकन के बिना पूर्ण नहीं समझी जाती। इसलिये रावतभाटा के देखने एवं दिखाने का प्रबन्ध कोटा जिला प्रशासन द्वारा ही किया जाता है तथा यात्रा का मुख्य केन्द्र रावतभाटा की यात्रा कोटा से होकर जाने पर ही सम्पन्न होती है, यह सही है।

रावतभाटा उप तहसील क्षेत्र को जिला चित्तौड़गढ़ के अधिकार क्षेत्र से हटा कर जिला कोटा के अधिकार क्षेत्र में मिलाने के प्रस्ताव पर जिला कोटा ने उक्त परिस्थितियों को दर्शाते हुए अपनी अभिशंषा की है, जबकि जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ ने जिला परिषद्, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि रावतभाटा उप तहसील को कोटा स्थानान्तरित किये जाने पर विरोध करती है। साथ ही यह भी लिखा है कि ऐसा किये जाने पर जन आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए रावतभाटा उप तहसील क्षेत्र को जिला चित्तौड़गढ़ के अधिकार क्षेत्र से हटाकर जिला कोटा के अधिकार क्षेत्र में देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : सभापति महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बाबत मैंने मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया। मेरे प्रस्ताव में दो बातें मुख्य रूप से लिखी हुई थीं, एक तो जिलों का पुनर्गठन और एक नये जिलों का निर्माण। नये जिलों के निर्माण के बाबत तो मैं इसलिये नहीं जानना चाहता क्योंकि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 15 और 16 के तहत यह शक्तियां राज्य सरकार के पास निहित हैं और राज्य सर-

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कार ने इन शक्तियों का जब भी प्रयोग किया, बगैर किसी नियम को अपनाते हुए, बगैर कोई नोर्म्स को देखते हुए, बगैर किसी मापदण्डों पर दृष्टिगोचर करते हुए, पालिटिकल दृष्टि से किया। सबसे पहले धौलपुर जिला बनाया गया, इन्हीं सालों की बात कर रहा हूं मैं आपसे, और उसके बाद बारां बना दिया, राजसमंद बना दिया और दौसा बना दिया। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, हनुमानगढ़ को भी बना दिया, उनको किन कारणों से आपने जिला घोषित किया। कोई न कोई नार्म्स तो आपने बना रखे होंगे, किन्हीं मापदण्डों पर आपने फैसला किया होगा या सिर्फ जनता की आवाज थी। अगर जनता की आवाज थी तो वह किस तरीके की आवाज थी, धीमी आवाज थी या तेज आवाज थी, क्या वेलोसिटी थी? आखिर आपके सामने जो प्रस्ताव आज पड़े हुए हैं उन प्रस्तावों पर निर्णय....(व्यवधान) ....क्या फरमा रहे हैं....

**श्री सभापति** : आप जारी रखिये।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** जो प्रस्ताव आपके पास आज लम्बित हैं उन प्रस्तावों के बाबत आप क्या सोचते हैं। उन प्रस्तावों को न तो आप रिजेक्ट करते हैं, न उन पर विचार किया जायेगा, इस प्रकार की कोई घोषणा करते। और इसके साथ-साथ कई तहसीलें आज की भौगोलिक दृष्टि से उस जिले में रहने के काबिल नहीं हैं, केवल प्रशासनिक दृष्टि से ही दृष्टि नहीं हैं, कई दृष्टियों से नहीं हैं, औद्योगिक दृष्टि से भी नहीं है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी नहीं है, प्रशासनिक दृष्टि से भी बिल्कुल अनुचित है और बराबर के जिले में उस तहसील के लोग शामिल होना चाहते हैं, आप उसको भी नकारते हैं। आपने स्वयं अपने जवाब में रावतभाटा के लिए लिखा है, अब इससे ज्यादा और क्या बात और क्या चीज आप चाहते हैं। सिर्फ एक प्रस्ताव जिला परिषद का यह आ जाये कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो जन आक्रोश हो जायेगा और उसी बात को लेकर आप बैठ गये, जबकि आपने स्वयं माना है। मैं आपको जवाब पढ़कर बताता हूं कि आपने किस कदर माना है। जितने बिन्दु मैंने दर्शाये, उन बिंदुओं से भी बढ़कर कर राज्य सरकार ने रावतभाटा को कोटा में मिलाने के लिये माना है। रावतभाटा एक ऐसी जगह है जहां अरबों रुपयों का एटोमिक एनर्जी का प्रोजेक्ट लगा हुआ है और जहां पर राणा प्रताप सागर डेम है तथा वहां पर बिजली के जेनरेशन का पावर हाउस लगा हुआ है और इतनी बढ़िया जगह है। हमारे कम से कम हाड़ौती सम्भाग में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको हिल स्टेशन के रूप में माना जाये, कई पर्यटक आते हैं वहां पर और हजारों की संख्या में रोज लोगों का आवागमन होता है। कोटा से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, आपने स्वयं माना है–रावतभाटा भौगोलिक दृष्टि से जिला कोटा से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जबकि जिला मुख्यालय इसका चित्तौड़गढ़ है जो कि 150 किलोमीटर दूर है, वह 150 किलोमीटर कम से कम भी चार घंटे में आदमी पहुंचता है और कोटा से उसकी दूरी सिर्फ एक घंटे की है। क्योंकि जो आवागमन के साधन हैं, जिस तरीके की सड़कें बनी हुई हैं, जिस तरीके की लोकेशन

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

है उससे कोटा बहुत नजदीक पड़ता है। इसके साथ-साथ आपने माना है कि रावतभाटा परमाणु बिजली घर एवं अन्य संयंत्रों की सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी कोटा नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण के दायित्वाधीन है। कानून एवं व्यवस्था पर नियंत्रण करने के प्रयोजनार्थ भी पुलिस कोटा से ही तुरन्त पहुंचायी जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से स्थायी तौर पर आर. ए. सी. की एक कम्पनी भी कोटा से ही भेजी जाती है। किसी भी विशिष्ट व्यक्ति की कोटा यात्रा रावतभाटा के अवलोकन के बिना पूर्ण नहीं समझी जाती। देखने-दिखाने का प्रबन्ध भी जिला प्रशासन कोटा ही करता है। इसके अलावा भी जितने भी काम हैं, रावतभाटा की जनसंख्या इस वक्त कम से कम चालीस हजार और पचास हजार के बीच में है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि कम से कम वहां के एक हजार लड़के और लड़कियां कोटा के स्कूलों में रोज पढ़ने के लिये आते हैं, जो पचास किलोमीटर चलते हैं और पचास किलोमीटर वापस जाते हैं। इसके अलावा जितना सामान वहां के बाजारों में बिकता है वह सारा का सारा कोटा से जाता है। हर चीज पर यह रावतभाटा कोटा पर डिपेन्डेड है। किसी भी मामले को लें लें आप, किसी भी दृष्टि से देख लें, यह हर बात पर कोटा के ऊपर निर्भर करता है, चित्तौड़गढ़ से इसका कोई वास्ता नहीं है। एटोमिक एनर्जी में जब कभी लॉ एण्ड ऑर्डर की पोजीशन आये, एक बार इस कदर आयी क्योंकि वहां पर केरला इट्स ज्यादा हैं, तो उत्तर भारत वाले और दक्षिण भारत वालों के बीच झगड़ा हुआ और उसमें कम से कम 15 या 20 मौतें हुई। उस वक्त भी सारे का सारा अमला कोटा से भेजा गया। जब कभी वहां पर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड तक कोटा से जाती है। वहां पर एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी किताबें, उनके मास्टर वगैरह सब कोटा से जाते हैं। हर चीज के लिए कोटा पर डिपेन्ड करता है तो फिर आपके नियम क्या हैं, आप किन मापदण्डों को देखकर इन जिलों का पुनर्गठन करना चाहते हैं? श्री चतुर्वेदीजी को फायदा होगा इससे। इससे रावतभाटा का फायदा होगा। हमें कोई फायदा नहीं होगा। हम तो कुछ नहीं कहते, वहां की जनता को फायदा होगा।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर अपना माइंड एप्लाई करेगी, और न केवल रावतभाटा की बात कहता हूं, मैं राजस्थान के समस्त जिलों की बात करता हूं कि कई जगह, जहां पर इस तरीके की डिमांड आती है और जहां पर आपके प्रशासनिक अधिकारी आपको यह रिपोर्ट करते हैं कि इस तरीके का पुनर्गठन कर देना जनहित में भी आवश्यक है, प्रशासनिक दृष्टि से भी आवश्यक है। कोटा के सम्भागीय आयुक्त ने, कोटा के कलक्टर ने वक्त-वक्त पर राज्य सरकार से यह मांग की है, कि रावतभाटा को यहां पर मिला दिया जाये तो हमें जितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वह नहीं करना पड़ेगा। फिर क्या कारण है कि इस पर आप विचार नहीं कर रहे हैं? आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का यह जवाब चाहता हूं कि कृपया, इस बात

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

पर सोचें, पुनर्गठन के बाबत कोई न कोई समिति अगर अपने बना रखी हो, तो उसकी जानकारी दें, समिति ने अगर कोई रिपोर्ट आपको दी हो, तो उसकी भी जानकारी दें और अगर समिति नहीं बना रखी है और कोई नियम आपके पास हैं या कोई मापदण्ड है, तो उसकी जानकारी देने की कृपा करें।

**श्री सभापति** : माननीय श्री भरतसिंह। कृपया आप विराजें। एक-आध और बोलने वाले हैं। माननीय श्री भरतसिंह। माननीय श्री विष्णु मोदी।

**श्री भरत सिंह** (खानपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान इस बात पर दिलाऊंगा कि जो जिले बनाते हैं उसमें काफी सोच-समझ कर और काफी ध्यान से हर बिन्दुओं को देखकर जिलों को बनाया गया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ कमी इस प्रकार की रह जाती है और आवश्यकता इस प्रकार की होती है कि जो तहसीलें, जो क्षेत्र एक जिले में जोड़ा गया है और उसकी भौगोलिक स्थिति पास के जिले में है, जैसे कि अभी रावतभाटा का जिक्र चल रहा है, उसको सिर्फ बहस के लिए या बोलने के खातिर नहीं, मैं आपको इतना निवेदन करूंगा कि आप एक बार रावतभाटा पधारें और उस स्थिति को देखें तो आप खुद महसूस करेंगे कि रावतभाटा कोटा जिले का हिस्सा होना चाहिए। यदि आप वहां जाकर के इसकी स्थिति का अध्ययन करेंगे तो पूरी बात स्वतः ही सामने आ जायेगी और मैं समझता हूं कि रावतभाटा का भला कोटा में मिलाने में ही है। उसका हर दृष्टि से विकास होगा और उस कस्बे में निवास करने वाले लोगों को उसका फायदा मिलेगा।

**श्री सभापति** : माननीय श्री विष्णु मोदी।

**श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, यहां बहुत अर्से से जिलों के पुनर्गठन के बारे में जगह-जगह से मांगें आती रही है और उस पर गम्भीरता से सरकार ने विचार किया। क्योंकि राजस्थान छोटे-छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था, उसी हिसाब से राजस्थान में जिले बने, कुछ बड़े बने, कुछ कम बने लेकिन सबसे पहला नया जिला, जहां तक मेरा ध्यान है धौलपुर बना, उसके बाद में दौसा बना, बारां बना, राजसमंद बना। दौसा और जयपुर जिले का भी, जब यह दौसा बना तो कुछ सवाईमाधोपुर का हिस्सा आ गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके प्रशासनिक, भौगोलिक कारण ही रहे हैं या मात्र राजनीतिक कारणों से आपने जिले बनाये हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं, टू कीप द रिकार्ड स्ट्रेट, कि पोस्टेरिटी हमें एलेज करे, इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय श्री भैरोंसिह जी शेखावत हैं, उनकी इंटिग्रिटी पर मैं कोई डाउट नहीं करता हूं और जीवन के जिस मोड़ पर आ गये हैं, उसमें वह राजस्थान के हितों का ध्यान नहीं रखेंगे, वह भी मैं शायद नहीं समझता हूं, लेकिन जो हनुमानगढ़ जिला बनाया, वह मैं समझता हूं कि जब वह विपक्ष में थे और जब सबसे पहले हनुमानगढ़ को जिला बनाने की बात आयी तो मुझे श्री सुखाड़िया साहब की पर्सनल वह बात

(श्री विष्णु मोदी)

याद है, उन्होंने श्री भैरोंसिह जी को बुला करके बात की थी, तो श्री भैरोंसिह जी ने यह एतराज उठाया कि यह कहीं राजस्थान का हिस्सा भी रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं आपके माध्यम से यह मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि श्री भैरोंसिहजी अगर इस बार चुनाव हार गये तो क्या उनके मानस में यह आ गया कि हनुमानगढ़ या गंगानगर का वह हिस्सा जिसकी सीमा हमारे दूसरे प्रान्त से मिलती है, वह कहीं राजस्थान का हिस्सा रहेगा भी कि नहीं रहेगा माननीय सभापति महोदय....

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : पुष्कर से रावतभाटा में जाने की मनसा हो तो बता दो। क्या आप रावतभाटा जाना चाहते हैं?

**श्री विष्णु मोदी** : बात खाली रावतभाटा की नहीं है। चूंकि आप हार गये और कुछ निर्दलीय माननीय विधायक जो जीतकर आये, उनके दबाव में और राजनैतिक कारण से आपने हनुमानगढ़ को जिला बना दिया....(व्यवधान)

**श्री सभापति** : ठीक है, बिराजें। आर्डर प्लीज।....(व्यवधान)

**श्री विष्णु मोदी** : क्या आपकी सरकार इनके कारण से बनी है, तो राजस्थान का हित गिरवी रख देंगे ?

**श्री सभापति** : मोदीजी आप बिराजें, आपकी बात आ गयी।

**श्री विष्णु मोदी** : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह ब्यावर को भी जिला बनायेंगे ? क्या वह इस तरह का पिटारा खोलते रहेंगे और क्या हमेशा राजनीतिक कारणों से ही जिला बनाते रहेंगे ? मैं फिर एक बार सदन में यह कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ जिला बनना चाहिए था, हनुमानगढ़ सिर्फ राजनैतिक कारणों से बना है और सिर्फ उन निर्दलीय विधायकों की वजह से, जो जीत कर आये हैं, उनसे अपनी सरकार बनी रहे इसलिये उन्होंने मात्र राजनैतिक कारणों से यह हनुमानगढ़ जिला बनाया है।

**श्री सभापति** : माननीय श्री तिवाड़ी जी। बिराजिये, डाक्टर साहब।

**श्री रामप्रताप** : माननीय सदस्य ने हनुमानगढ़ का नाम लिया है, इसकी वजह से बोलना पड़ रहा है। भौगोलिक स्थिति की अगर जानकारी होगी तो भादरा 150 किलोमीटर पड़ता है, गंगानगर से 150 किलोमीटर का फासला है, यह भौगोलिक स्थिति है और क्या है।

**श्री सभापति** : बिराजिये। माननीय श्री तिवाड़ीजी। आर्डर प्लीज।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे, उनमें दो-तीन महत्वपूर्ण बातें उभर कर आयी हैं। राजस्थान में रजवाड़ों की जिस प्रकार से सीमाएं थीं, उस प्रकार से प्रारम्भ में जिलों का एक तरह से गठन हो गया।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि मंत्रीजी ने क्या वक्तव्य दिया ?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया, वह आपने दुबारा पढ़ दिया।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : नहीं, आप बतायें कि क्या वक्तव्य दिया ?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मैं आपके कहने से नहीं बताऊंगा।

**श्री सभापति** : माननीय श्री धारीवाल जी आप बिराजें, सबके बोलने तक।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : श्री तिवाड़ी साहब, टप्पा मत मारो, बात बहुत गम्भीर है।

**श्री सभापति** : माननीय श्री धारीवाल जी, आप बिराजें, आप इंटरप्ट नहीं कीजिये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : माननीय सभापति महोदय, मुझे पता है कि माननीय श्री धारीवाल साहब हमेशा गम्भीर बात ही करते हैं। इसलिए मैं गम्भीर बात ही कह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने रावतभाटा के बारे में प्रश्न उठाये। माननीय मंत्री महोदय ने रावतभाटा और कोटा के सारे सम्बन्ध और व्यवस्था के बारे में बताया, वह प्रश्न तो अपने आप में एक है ही, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बजट पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समय और माननीय मुख्य मंत्री ने और राज्य सरकार ने यह मानस बनाया था कि राज्य में अधिक जिलों की आवश्यकता है और राजस्व पुनर्गठन आयोग की राज्य में सख्त आवश्यकता है। जिस प्रकार से रावतभाटा की समस्या बतायी, यह 50 किलोमीटर कोटा से, 100 किलोमीटर चित्तौड़ से पड़ता है और सारा नियंत्रण कोटा से होता है। उसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में ऐसे बहुत से स्थान हैं। राज्य में तहसीलों के पुनर्गठन की भी बार-बार मांग होती रही है, राज्य में उपखण्डों की बार-बार पुनर्गठन की मांग हुयी है और जिलों के पुनर्गठन की मांग हुयी है। कहीं स्थिति तो यहां तक है कि पंचायत समिति बदलने की भी मांग होती है, लेकिन वह पूरी इसलिए नहीं होती कि वह बहुत दूर पड़ती है। उदाहरण के लिये नागौर जिले के घाटवा, खूरंडी यह जो सारे गांव हैं, यह बिलकुल दातारामगढ़ के पास हैं, वहां से दातारामगढ़ सात किलोमीटर दूर है और नागौर उनको 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उनकी बार-बार मांग है, लेकिन फिर भी उनकी मांग और दोनों पंचायत समितियों ने लिखकर दे दिया, नावां पंचायत समिति है, उन्होंने भी लिख कर दे दिया और दातारामगढ़ की पंचायत समिति का उन्होंने भी लिखकर दे दिया। इस प्रकार की मांग राजस्थान में बहुत जगह है, यद्यपि राज्य सरकार के पास संसाधनों की कमी है लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि पंजाब का जब पुनर्गठन हुआ, उसके बाद में पंजाब में कितने जिले बन गये, हरियाणा का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद हरियाणा में कितने जिले बन गये, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 42 से बढ़कर 65 तक पहुंच गयी। राजस्थान एक ऐसा प्रान्त रहा, जिसमें आजादी के बाद में राजस्व आयोग का विधिवत पुनर्गठन कर उपखण्डों का, तहसीलों का और जिलों का पुनर्गठन नहीं हुआ। राज्य में यह महती आवश्यकता है। प्रशासनिक कारणों से भी, भौगोलिक कारणों से भी, और कानून और व्यवस्था को देखते हुए भी, इसलिए सभापति महोदय....

**श्री विष्णु मोदी :** और राजनीतिक कारणों से भी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** राजनीतिक कारणों से भी इसके लिए मैं एक बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिस समय धौलपुर को कांग्रेस ने जिला बनाया था, राजनैतिक कारणों से चुनाव के बाद कांग्रेस हार गयी और जब दौसा को जिला बनाया तो चुनावों के बाद में हमारा एक एम.एल.ए. रह गया। इसलिए राजनैतिक कारणों से कोई बनायेगा, करेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हनुमानगढ़ से तो हमारे ही आदमी जीत कर आये हैं, इससे कोई मतलब नहीं है।

**श्री परसादीलाल मीणा :** अगली बार नहीं आयेंगे, आपके एक भी नहीं आयेंगे।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** अब मैंने साइन दिया है, आप समझते रहो इसको। यह इस प्रकार की बात है तो मैं मांग करता हूं, मंत्री महोदय गम्भीरता से विचार करें और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी इस बात की मांग की है कि राजस्व पुनर्गठन आयोग बनना चाहिए। इसलिए सारी समस्याओं का एक साथ समाधान हो, अलग-अलग रूप से नहीं, इसके लिए राज्य सरकार राजस्व पुनर्गठन आयोग की घोषणा करे और घोषणा करके सारे राजस्थान के जिलों का दुबारा एक बार पुनर्गठन हो, यह मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री सभापति :** श्री हरिसिंह जी।

**श्री हरिसिंह (महुआ) :** सभापति महोदय, पिछली बार एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से नवीं विधान सभा में जब दौसा जिले का पुनर्गठन करने के लिए महुआ तहसील को उसमें मिलाने की बात चल रही थी तो उस समय भी आप राजस्व मंत्री थे, आज भी हैं, मैंने उस समय यह बात उठाई थी तब मैंने पूछा था कि आपके नार्म्स क्या हैं जिला बनाने के ? तो मुझे जो मोटे तौर पर याद है और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि you recollet your memory आपने पहले यह कहा था कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो, सक्षम प्रशासन के लिए जिसमें दूरी को आपने रखा। दूसरा आपने रखा कि पुलिस प्रशासन भी इफेक्टिव हो, न्यायपालिका का भी प्रभावशाली उसको न्याय मिल सके इस ढंग का उसका क्षेत्र हो, पी.एच.ई.डी. का भी इफेक्टिव कण्ट्रोल हो और कृषि एडमिनिस्ट्रेशन भी इफेक्टिव हो। यह पांच-छह नार्म्स आपने बताये थे। उसी सन्दर्भ में आपने तहसील महुआ को तो दौसा में मिला दिया लेकिन चूंकि आपके नेतृत्व में आपकी अध्यक्षता में एक मंत्री मण्डलीय कमेटी का गठन किया गया था और आपकी समिति टोडाभीम भी पधारी थी और टोडाभीम के लोगों ने भी यह मांग की थी कि हमको भी दौसा जिले में मिला दिया जाए तो आपने महुआ को तो मिला दिया लेकिन टोडाभीम का निर्णय आज तक आप नहीं कर पाये। जबकि टोडाभीम और महुवा की जो दूरी है वह समानान्तर हैं दोनों तहसीलें। सभापति महोदय, आपने तो देखी है। आज भी दौसा जब मैं अपने जिला हैडक्वार्टर पर आता हूं तो टोडाभीम की तीन पंचायतें क्रास करके आना पड़ता है और जिला हैडक्वार्टर का कोई भी

(श्री हरिसिंह)

अधिकारी अगर महुवा जाएगा तो उसको टोडाभीम की तीन पंचायतें क्रास करके जाना पड़ेगा। कहीं मिलान नहीं है महुवा का और दौसा का। टोडाभीम बीच में पड़ता है। मैं आपसे पुरजोर शब्दों में मांग कर रहा हूं कि आपने जो नार्म्स बताये थे उन पर खरी उतर रही है यह बात और आपकी सिफारिश भी थी एज ए चेयरमेन आफ दी कमेटी कि टोडाभीम को भी मिला दिया जाए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि समूची टोडाभीम तहसील को दौसा में मिलाने की कृपा करें। और उन्हीं आधार पर जो नार्म्स आपने यहां सदन में बतलाये थे, माननीय सदस्य का भी जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उन नार्म्स के आधार पर रावतभाटा पूरा का पूरा कोटा में मिलाये जाने के लिए सक्षम है हर हालत में पूरा। जो नार्म्स आपने बताये, और हर रोज तो आप नार्म्स बदलेंगे नहीं, मैं समझता हूं उस समय आप राजस्व मंत्री थे और कमेटी के चेयरमैन थे और आप एक कमेटी का गठन करके चले जाएं, लोगों के दुखों का बंटवारा हो, उनकी परेशानियां मिटें। अब आपने मेरे साथ तो एक और झंझट पैदा कर दिया मेरा एस.डी.एम. पहले हिण्डौन था आज मुझे दौसा आना पड़ता है 65 किलोमीटर और पहले मैं जाता था मात्र 22 किलोमीटर। ए.डी.एम. भी हिण्डौन बैठता था वह भी आपने दौसा कर दिया, वहीं 65 किलोमीटर आना पड़ रहा है। और ए.डी.जे. भी वहां बैठता था हिण्डौन वह सिर्फ 22 किलोमीटर था अब मुझे 65 किलोमीटर उसके लिये आना पड़ता है। डी.एस.पी. के लिये बांदीकुई जाना पड़ता है तो मेहरबानी करके मेरे कष्ट का निवारण तो तब होगा जब आप टोडाभीम को और मिला देंगे तो एक सब डिवीजन तो बने अलग से। आप मेहरबानी करके टोडाभीम को भी मिलाइये और दौसा जिले का थोड़ा सा स्वरूप और बड़ा करने के लिये थानागाजी को भी मिलाइये।

सभापति महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

**श्री सभापति :** माननीय परसादीलाल जी।

**श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : सभापति महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि दौसा को आपने जिला बनाया। जिला बनाने के पहले एक कमेटी के रूप में आप गये, आप थे और शायद श्री सम्पतसिंह जी थे कि दौसा जिले में कौन कौनसी तहसीलें और मिलायी जाएं, नई तहसीलें कौन कौनसी बनायी जाएं उसके प्रस्ताव भी आपको दिये थे, सचिवालय में हमारे दौसा और जयपुर के एम. एल. एज. की एक मीटिंग भी आपने ली थी। हमने आपको उस मीटिंग में सुझाव दिये थे और आपने यह कहा था कि इस जिले का हम विस्तार करेंगे पर आपने न तो कोई एक नई तहसील बनायी है। आज महुवा कांस्टीट्यूएंसी और टोडाभीम का क्या हाल है, आधा एम. एल. ए. वहां जाएगा, आधा उधर रहेगा, आधा इधर रहेगा। इस तरह ये बेलेन्स खराब हो गया है। आपने बस्सी का कुछ इलाका मिलाने के लिए, जो बिल्कुल दौसा के नजदीक पड़ता है, 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, यह कहा

(श्री परसादीलाल मीणा)

था कि हम इसको मिलाएँगे । बस्सी को एक नयी तहसील या दौसा जिले में बस्सी से, लालसोट से, इलाका काटकर एक नयी तहसील का निर्माण करेंगे । आपने सब सुझाव हमारे ले लिए पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं की । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, दौसा जिला ऐसा लगता है जैसे हम उसमें से निकलकर बिलकुल कूप मण्डूक हो गये । आप टोडाभीम को क्यों नहीं मिला रहे हैं ? जब सारे लोग चाह रहे हैं, वहां की जनता चाह रही है, एक भी आदमी ऐसा बता दो, एक भी सरपंच, या कोई जनप्रतिनिधि बता दो जिसने टोडाभीम का इस बात पर विरोध किया हो कि इसको दौसा में मत मिलाओ । सारे लोग चाह रहे हैं टोडाभीम को दौसा में मिलाने के लिए । तो माननीय मंत्रीजी आप वहां कहकर आये थे कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे, आपने जो मीटिंग सचिवालय में हमारी बुलायी उसके लिये भी आपने कहा था कि दौसा जिले का स्वरूप बढ़ायेंगे आपने कुछ भी नहीं बढ़ाया, न एक तहसील बनायी न कोई सब तहसील बनायी न आपने टोडाभीम को अब तक मिलाया । मेहरबानी करके जैसा कि थानागाजी बिलकुल दौसा के पास पड़ता है....

**श्री सभापति** : थानागाजी इस समय मूक है इसलिए थानागाजी की बात नहीं करें ।

**श्री परसादीलाल मीणा** : माननीय मंत्रीजी अगर आपके मापदण्डों के अनुरूप यह ठीक हो कि थानागाजी और टोडाभीम को दौसा में मिलाया जा सकता है, तो मेहरबानी करें । टोडाभीम और थानागाजी को तो निश्चित रूप से, आप कहकर आये थे फिर राजस्व मंत्री बना दिया आपको, आप अपनी बात को पूरा करिये । लालसोट कितनी बड़ी तहसील है ? सवा तीन सौ गांव हैं, आज वहां तहसीलदार के पास कितने मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं । न तो कोई चारागाह पर कार्यवाही होती न कोई दूसरी पर होती । आपने यह कहा था कि हम रामगढ़ को या तूंगा को तहसील बनायेंगे, आधा लालसोट का हिस्सा, आधा बस्सी का आप लालसोट की दो तहसीलें बना दें क्या एतराज हैं, आपको बनानी चाहिए । इस दौसा जिले को आपने बना तो दिया, महुवा को मिला दिया और आप टोडाभीम को भी, आपकी बात के अनुसार सचिवालय में जिस तरह का निष्कर्ष निकला था कि टोडाभीम को हम निश्चित रूप से मिलायेंगे, आप टोडाभीम को दौसा जिले में मिलाइये । अगर आप मिला देते हैं तो आपका भगवान बहुत बहुत भला करेगा ।

**श्री सभापति** : श्री विजेन्द्रपाल सिंह जी संक्षिप्त में बहुत बड़ा विषय हो गया यह ।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : दो मिनट लूंगा । जो बात श्री घनश्याम जी ने कही....

**श्री सभापति** : जो बात कही वह रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है । कोई नयी बात हो तो कह दीजिए ।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : मैं रेफरेंस देकर बता रहा हूं । रिपीट करना तो मुझे आता ही नहीं है । मैं तो यह कह रहा था

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

कि जो बात श्री घनश्याम जी ने कही वह सही है। एक यहां पर कमेटी का गठन फिर किया जाए और उसके अन्दर जैसा श्री घनश्याम जी कमी महसूस कर रहे हैं, ब्यावर को बहुत समय से जिले के लिए मांग कर रहे हैं, ब्यावर के निवासी और ब्यावर के आस पास के एरिये के तो उसको उसमें लिया जाए।

**श्री सभापति** : माननीय श्री शैलेन्द्र जोशी। अति संक्षेप में।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि श्री हरिसिंह जी ने और श्री परसादीलाल जी ने जो बात कही कि टोडाभीम को भी दौसा जिले में मिलाकर दौसा जिले को वृहद बनाया जाए जो कि समानान्तर ज्योग्राफिकल है आकार प्रकार में। उसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि दौसा जिले को बने हुए लगभग ढाई साल से भी ज्यादा समय हो गया लेकिन उसमें अभी तक उपखण्ड नहीं बनाये गये हैं। मेरा निवेदन है कि महुवा तहसील को ध्यान में रखते हुए महुवा तहसील के लिए एक अलग उपखण्ड बनाया जाए और बांदीकुई के लिए भी उप खण्ड बनाया जाए। क्योंकि हमको हर काम के लिये दौसा जिला मुख्यालय पर आना पड़ता है जबकि बांदीकुई में सारे हैडक्वाटर्स हैं उप खण्ड स्तर के, तो बांदीकुई को भी उप खण्ड बनाया जाए। और भी जिले में अगर एक-दो उप खण्डों की जरूरत हो तो वह भी बनाये जाए। बांदीकुई उपखण्ड बनाने के लिए समुचित योग्यताएं रखता है और आपके जो निर्धारित मापदण्ड हैं उनके अनुरूप वहां पर सारे संस्थान हैं, व्यवस्थाएं हैं और आफिसेज हैं। इसलिए राज्य सरकार उपखण्ड घोषित करने में जो देर कर रही है प्रशासनिक दृष्टि से यह गलत है इसमें शीघ्रता की जाए।

**श्री सभापति** : माननीय श्री कोगटा।

**श्री किशन गोपाल कोगटा** (मसूदा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब अजमेर का राजस्थान में मर्ज हुआ तब से ही ब्यावर को डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग थी....

(16.00)

और नये डिस्ट्रिक्ट निर्माण हो रहे हैं तो ब्यावर का जिक्र भी हो रहा है। लेकिन किसी वजह से यह राजनैतिक समझो, चाहे भौगोलिक समझो, यह रह जाता है। मेरा यह कहना है कि पाली जिले की रायपुर, जैतारण और भीम तहसील को मिला कर ब्यावर को डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए पहले से बात चल रही थी लेकिन पता नहीं किस कारण से यह रुका हुआ है।

दूसरा विषय यह है कि श्री भैरोंसिंह जी शेखावत मंत्रिमण्डल ने एक निर्णय लिया राजस्थान में पांच तहसीलें बनाने का। उसमें अजमेर जिले की मसूदा तहसील के लिये करीब-करीब रेवेन्यू से सारा रिकार्ड आ गया और फाइनल हो गया। तो मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या नयी तहसीलें खोल रहे हैं, उसमें कैसे क्या निर्णय हो रहा है और कब तक खोलेंगे?

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

उसमें हमारे जिले की मसूदा तहसील बन जाए....

**श्री सभापति** : खुल रहे हैं। बिराजिये। श्री टीकम चन्द कान्त।

**श्री टीकमचन्द कान्त** (सिवाना) : सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्री अभी जवाब देंगे इसका, वह भी बाड़मेर जिले से हैं। देखा जाए तो मरूस्थलीय जिलों का क्षेत्रफल वास्तव में बहुत बड़ा है अगर उनको थोड़ा सा सीमित कर दिया जाए तो वह प्रत्येक दृष्टि से उचित रहेगा। इस तरह से बाड़मेर जिला शायद राजनैतिक दृष्टि से या अन्य किसी प्रकार से उसकी मांग भले ही ना उठी हो, लेकिन बाड़मेर जिले के अन्दर भी बालोतरा एक जिला बन सकता है यह लगभग-लगभग पूर्णतया चर्चा का विषय लोगों में है। माननीय राजस्व मंत्रीजी इस विषय में कुछ कहें, मैं यह चाहूंगा।

**श्री सभापति** : श्री भीमसेन।

**श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : सभापति जी, हमारी डूंगरगढ़ तहसील की बीकानेर जिले में मांग कई वर्षों से चल रही है और जो अभी माननीय विधायक डूंगरगढ़ से हैं, वह यहां मौजूद नहीं हैं, राजस्व मंत्रीजी कई बार दौरे कर चुके हैं और वहां के लोगों को, वहां की जनता को इस बात के लिये आश्वासन दे चुके हैं कि डूंगरगढ़ जो तहसील है, बीकानेर जिले के नजदीक पड़ती है.... (व्यवधान) को जिला बनाया जाए।

**श्री सभापति** : बन जायेगा। समाप्त कीजिये। धन्यवाद।

**श्री गंगाराम चौधरी** (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, सन् 1954 में जब री-आर्गेनाइजेशन आफ स्टेट्स हुआ था भारत में उस वर्ष में, लगभग उसी समय राजस्थान में री-आर्गेनाइजेशन आफ डिस्ट्रिक्ट किया था। उस समय हमारे राजस्थान में अजमेर भी शामिल हो गया था और कुल 26 जिले बनाये गये थे। उसके बाद में ज्यों-ज्यों परिस्थितियां बदलती गयीं, जनसंख्या बढ़ती गयी, मांग बढ़ती गयी जिलों की। आपने देखा पिछली बार धौलपुर को अलग जिला बनाया, उसके बाद तीन बने, उसके बाद में हनुमानगढ़ बना। सन् 1981-82 के आस-पास एक कमेटी बैठायी गयी थी। उस कमेटी ने एक राय दी थी कि राजस्थान में किन-किन जिलों का विभाजन किया जा सकता है और कौन-कौन से जिले बनाये जा सकते हैं। लगभग उसकी राय के अनुसार ही सारे निर्णय अब तक ले लिये गये हैं। मुख्यतः नया जिला बनाने का जो आधार होता है वह तो सभी माननीय सदस्य जानते ही हैं, प्रशासन की दृष्टि से, चाहे प्रशासन पुलिस का हो, चाहे राजस्व का हो, सुलभ न्याय मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें ध्यान में रखी गयी थी, जो 1954 में भी रखी गयी थी, 1954 में जब जिले बनाये गये थे तो उस समय की स्टेट्स, जो फारमर स्टेट्स थीं उनको ध्यान में रखते हुये जिलों का गठन किया गया था। उसमें कई जिले छोटे भी बन गये थे। सिरोही बहुत छोटा स्टेट था, बूंदी था। जन मानस को ध्यान में रख कर बनाया गया था। रावतभाटा का प्रश्न बार-बार उठता है, सभापति महोदय। लेकिन रावतभाटा उस वक्त उदयपुर स्टेट का पार्ट था और मेवाड़

(श्री गंगाराम चौधरी)

का पार्ट था। यह हाड़ौती का पार्ट नहीं था। आज जो हाड़ौती के लोग उसी में शामिल करने के लिये कह रहे हैं। लेकिन रावतभाटा केवल मात्र आर.ए.पी.पी., अटोमिक पावर हाउस बनने के वजह से उसकी कुछ इम्पारटेंस और तरह की हो गयी और सुरक्षा की दृष्टि से कोटा से प्रशासन किया जा रहा है, सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है यह बात सही है। लेकिन रावतभाटा तहसील के सभी लोग मेवाड़ के लोग हैं, वह कतई राजी नहीं हैं इस बात के लिये कि हमको हाड़ौती के साथ में, कोटा के साथ में मिला दिया जाए। इस भावना को ध्यान में रखते हुए....(व्यवधान)

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : यह कहना कि रावतभाटा की....

**श्री सभापति** : कृपया विराजिये। बीच में बोलना ठीक नहीं है।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : यह कहना कि रावतभाटा के सभी लोग मेवाड़ के रहने वाले हैं, गलत है। रावतभाटा में 50 प्रतिशत से ज्यादा माइग्रेटेड लोग रहते हैं आज की तारीख में। ज्यादातर साउथ इण्डियन रहते हैं।

**श्री सभापति** : माननीय श्री धारीवाल जी यह उचित नहीं है कि मंत्रीजी बोल रहे हैं तो बीच में खड़े हो जाएं। हर एक सेंटेंस पर खड़े होंगे आप। बहुत सारी बातें कहेंगे मंत्रीजी।

**श्री गंगाराम चौधरी** : सभापति महोदय, इस पर पहले विचार हुआ। 1989 में विचार हुआ। जिला कलक्टर कोटा ने एक पत्र लिखा, जिला कलक्टर चित्तौड़ ने एक अलग से पत्र लिखा और जिला परिषद चित्तौड़गढ़ ने एक प्रस्ताव बना कर भेजा उस पर विचार हुआ था 1989 में। उस पर मुख्य मंत्रीजी के फाइल के ऊपर या यूं समझिये प्रशासनिक आर्डर्स इस प्रकार के हैं, वह मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। 6-6-89, माननीय श्री शिव चरणजी माथुर उस वक्त मुख्य मंत्री थे। उन्होंने लिखा है "रावत भाटा से चित्तौड़गढ़ जाने के लिए भैंसरोडगढ़ के पास पुल बन जाने के बाद, अब कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कुछ मीलों की अधिक दूरी आज के वैज्ञानिक युग में कोई मायने नहीं रखती। स्थानीय लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुये अभी इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जाना समीचीन नहीं होगा।"

इस प्रकार से उस पर कार्यवाही समाप्त कर दी गयी। सभापति महोदय, लेकिन मैं फिर भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट अभिभाषण के वक्त में घोषणा की थी, जैसा कि माननीय श्री तिवाड़ीजी ने कहा है कि विकेन्द्रित प्रशासन हेतु यह आवश्यक होगा कि राज्य के वर्तमान राजस्व प्रशासनिक ढांचे पर नये सिरे से विचार किया जाए। इसके लिए सरकार एक आयोग के गठन पर विचार करेगी। इसलिये सारे राजस्थान में चाहे तहसीलों का पुनर्गठन हो, चाहे जिलों का हो, चाहे कुछ और इकाइयों का हो, चाहे न्यायालयों का हो, इन सबके गठन के लिये एक आयोग

(श्री गंगाराम चौधरी)

गठित किया जायेगा और वह विचार करके जो राय देगा, वैसा तय कर दिया जायेगा ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने यहां पर दौसा जिले के गठन के सम्बन्ध में कहा, कुछ इस सम्बन्ध में बात पहले तय की गयी थी और फिर उस पर विचार नहीं किया जा सका । यह सही है कि उस वक्त टोडाभीम कमेटी गयी थी और टोडाभीम के लोगों ने यह कहा था कि हम दौसा जिले में शामिल होना चाहते हैं यह बात सही है । कुछ विचार भी किया था । उसके बाद में उस जिले से सम्बन्धित और टोडाभीम से सम्बन्धित सभी माननीय सदस्यों से सलाह की थी । लेकिन उस वक्त टोडाभीम के माननीय सदस्य ने यह बात कही थी कि टोडाभीम शामिल करें लेकिन मेरी कांस्टीट्यूएंसी के दो भाग नहीं होने चाहिये । माननीय सभापति महोदय, टोडाभीम कांस्टीट्यूएंसी में नादौती तहसील की 6 पंचायतें भी शामिल हैं ।

**श्री परसादीलाल मीणा** : पूरी पंचायतें शामिल हैं ।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : पूरा टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र शामिल होना चाहिये, टुकड़ा नहीं ।

**श्री गंगाराम चौधरी** : आपने ही कहा था, मुझे याद है ।

सभापति महोदय, इसलिए इस विचार को स्थगित करना पड़ा । यह बात भी सही है कि बस्सी और बस्सी के नजदीक के कुछ इलाके के लोग भी शामिल होना चाहते थे लेकिन उस वक्त उन सारी समस्याओं पर विचार नहीं किया जा सका । उनको हमने ड्राप भी नहीं किया । वह अब तक स्थगित किया हुआ है और अब उन समस्याओं पर विचार किया जायेगा ।

सभापति महोदय, ब्यावर को अलग जिला बनाने के सम्बन्ध में भी बात की है । मैं इस समय इतना ही कहूंगा कि अब तक जिन जिलों का विभाजन हुआ है वह बड़े-बड़े जिले थे । गंगानगर जिला अपने आप में 20 तहसीलों का जिला है । इसलिये उसके दो टुकड़े किये गये । उदयपुर के, जयपुर के, वह बड़े-बड़े जिले हैं । लेकिन अजमेर इतना बड़ा जिला नहीं है । सभापति महोदय, आप जानते हैं, सदन जानता है और मैं इस विषय में और कुछ न कह कर इतना ही कह पाऊंगा कि आयोग का गठन होगा उस समय वह आयोग इस पर विचार कर लेगा । मैं समझता हूं मैंने अपनी ओर से सारी समस्याओं के उत्तर दे दिये हैं ।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : दोहरे मापदण्ड । आप कह रहे हैं कि टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने विरोध किया था और आप उनकी बात मान गये कि टोडाभीम को नहीं मिलाया जाए । विरोध तो मैंने भी किया था । महुआ को नहीं मिलाया जाए, आपने दोहरे मापदण्ड कैसे बनाये ।.... (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य बिराजें । सारी चीजों का निर्णय तत्काल यहां नहीं होता है । आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, उन्होंने सुन लिया । अब सरकार विचार करेगी; क्या बात हुई, कोई निर्णय होगा यहां पर ? चर्चा समाप्त हुई ।

## समिति का प्रतिवेदन

### आवासन मण्डल के कार्यकलापों सम्बन्धी मामले पर समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन

राजस्थान आवासन मण्डल के कार्य-कलापों की जांच हेतु गठित सदन की समिति के सभापति श्री घनश्याम तिवाड़ी आवासन मण्डल के कार्य-कलापों में से किराया क्रय पद्धति बन्द करने और केवल "नकद भुगतान दो मकान लो" पद्धति चालू करने सम्बन्धी मामले पर समिति का अंतरिम प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

**श्री सभापति** : बिराजिये-बिराजिये।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : टुकड़ों के लिए कह रहा था मैं, सभापति महोदय, कि टुकड़े नही किये जायें। ....(व्यवधान) ....

**श्री सभापति** : बिराजिये, पहले आप घर में निर्णय कर लेना।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : पूरा क्षेत्र ही मिलाया जाए, विधान सभा क्षेत्र टोडा-भीम।

**श्री सभापति** : विराजिये। माननीय तिवाड़ीजी।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : सभापति महोदय, कम से कम मंत्री महोदय एक आश्वासन तो दे दें कि पंचायतों के गठन के बाद रावतभाटा के बाबत विचार किया जाएगा।

**श्री सभापति** : जो उन्होंने देना था वह दे चुके।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : रावतभाटा के बाबत विचार किया जाएगा।

**श्री सभापति** : कोई आवश्यक नहीं है कि जो आप मांगें वह आश्वासन मिल जाए। जो उन्हें देना था वह दे चुके, अब आप बिराजिये।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : मंत्रीजी से पूछ लो, वह दे रहे हैं। मंत्रीजी तैयार हैं।

**श्री सभापति** : माननीय श्री तिवाड़ी जी। चर्चा समाप्त हुई। माननीय श्री तिवाड़ीजी।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : आप यह आश्वासन तो दे दो कम से कम, रावत-भाटा को तो मिलवाओ।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : ध्यान में रखेंगे आपकी बात।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मैं आवासन मण्डल के कार्य-कलापों में से किराया-क्रय पद्धति बन्द करने और केवल "नकद भुग-तान दो मकान लो" पद्धति चालू करने सम्बन्धी मामले पर समिति का अंतरिम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

**श्री सभापति**: धन्यवाद, याचिकाओं का उपस्थापन। माननीय श्री भीमसेन चौधरी।

## याचिकाओं का उपस्थापन

### इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की अनूपगढ़ शाखा की के.जे.डी. नहर के अन्तिम छोर के चकों में तीन माह से पानी नहीं पहुंचने बाबत

**श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की अनूपगढ़ शाखा की के. जे. डी. नहर के अन्तिम छोर के

(श्री भीमसेन चौधरी)

चकों में तीन माह से पानी नहीं पहुंचने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

**श्री सभापति** : माननीय श्री रिछपाल सिंह जी।

**डेगाना (नागौर) के बस स्टेण्ड को आबादी क्षेत्र से अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करने बाबत**

**श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, मैं डेगाना (नागौर) के बस स्टैण्ड को आबादी क्षेत्र से अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका सदन में उपस्थापित करता हूं।

**श्री सभापति** : विधायी कार्य। माननीय श्री नाथूसिंह, प्रभागी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए।

**विधायी कार्य : विधेयक पर विचार**

**राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994**

**श्री नाथूसिंह** (पंचायती राज मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री सभापति** : माननीय श्री राम नारायण चौधरी।

**श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : सभापति महोदय, यह पंचायती राज बिल, स्वर्गीय राजीव जी गांधी का प्रोग्राम था उन्होंने सारे देश के लोगों से सलाह मशविरा करके पंचायती राज की एक रूपरेखा रखी थी और अपने शासनकाल में ही संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव भी उन्होंने रखा था। लेकिन दुर्भाग्य से वह संशोधन प्रस्ताव पास नहीं हो सका, गिर गया जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके जीवनकाल में और उनके शासनकाल में इस पंचायती राज बिल को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। यदि वे जीवित होते तो यह आज का जो पंचायती राज बिल आया है, यह इस रूप में नहीं आता। उनका प्रोग्राम, उनका दृष्टिकोण और उनकी नीति पंचायती राज के बारे में यह थी कि आम लोगों से पंचायती राज से जोड़ा जाए। इस बिल में, मान्यवर, सबसे बड़ी जो गलती और भूल हुई है वह यह हुई है कि ग्राम पंचायत के चुनाव को तो ठीक रखा है लेकिन प्रधान और जिला प्रमुख, यह दो चुनाव श्री राजीव गांधी ने आम लोगों से जोड़े थे, इस बिल के द्वारा इन दोनों ही चुनावों को इनडाइरेक्ट चुनाव प्रणाली से प्रस्तावित कर दिया गया जो एक छोटे से इलैक्टोरल कालेज तक सीमित हो जाएगा और उसके अन्दर आम लोग, जो जिले के और पंचायत समिति क्षेत्र के हैं, उनकी भावना का प्रतिनिधित्व उसके अन्दर नहीं हो सकेगा। कुछ लोगों को इधर-उधर मेनुवर करने के बाद, विन ओवर करने के बाद बाड़ाबन्दी में उठाकर डाल देने के बाद वह प्रधान और प्रमुख बन जाएगा। स्वर्गीय राजीव गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। उनका आम लोगों में भरोसा था, देश की जनता में उनका विश्वास था और आज के शासनकर्ताओं का आम जनता के अन्दर विश्वास नहीं है इसलिए इसको लिमिटेड कर दिया गया है कि यह इतने लोग मिलकर ही प्रमुख

(श्री रामनारायण चौधरी)

और प्रधान को चुन लेंगे । मान्यवर, इसके अन्दर यह बहुत-बड़ी भूल हुई है ।

दूसरी भूल यह हुई है कि पंचायती राज के सम्बन्ध में आजादी से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की शासन प्रणाली के बारे में राय व्यक्त की थी। उनकी यह राय थी, उस जमाने के कर्णधार, मान्यवर कांग्रेस का प्रेसीडेंट राष्ट्रपति कहलाता था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसीडेंट राष्ट्रपति होता था और प्रान्तों के जो कांग्रेस प्रेसीडेंट होते थे वह प्रान्तपति होते थे। गांधी जी ने कांग्रेस के उस जमाने के सिपहसालारों को और कांग्रेस पार्टी को एक स्पष्ट विचारधारा दी थी कि दिल्ली में बैठकर के इतने बड़े भारत का राज नहीं चलाया जा सकेगा अतः स्वराज ग्राम से शासन व्यवस्था चालू होगी। गांधी जी स्वतन्त्रता से ज्यादा स्वराज को महत्व देते थे और पंचायतों के द्वारा ही वह गांवों के अन्दर स्वराज स्थापित करना चाहते थे। एक-एक गांव को गांधी जी गणराज्य बनाना चाहते थे ताकि वहां के लोग यह महसूस करे कि हम हमारे गांव के मालिक हैं। गांव की तरक्की गांव के विकास और गांव की व्यवस्था सारी गांव के पास में रहे। वह एक गणराज्य हो। उस दृष्टिकोण से, मान्यवर, गांधी जी ने पंचायती राज का स्वरूप दिया था। संविधान जब बनाया जा रहा था उस समय पूज्य बापू, महात्मा गांधी इस संसार में नहीं थे और संविधान सभा के प्रेसीडेंट डा. राजेन्द्र प्रसाद जी थे। संविधान करीब-करीब पास हो गया तब उसका पुनरावलोकन और सिंहावलोकन होने लगा तब तक पता चला कि पंचायती राज के बारे में जो बापू गांव को गणराज्य मानकर चलते थे उसके बारे में तो इसमें कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। मान्यवर, तब एक चैप्टर पंचायतों के फोर्मेशन का भी उस जमाने के संविधान में जोड़ा गया था अब तो स्वर्गीय राजीव गांधी के विचारों के मूर्त रूप देते हुए वर्तमान पार्लियामेंट ने संविधान में संशोधन कर व्यापक पंचायती राज की रूपरेखा, पंचायती राज के ऊपर और नगर पालिका प्रशासन के ऊपर एक चैप्टर ही संविधान में जोड़ दिया गया है। लेकिन वह लास्ट में जोड़ा। लास्ट में जुड़ा तब, मान्यवर, इस पक्ष में भी लोग थे कि यह होना चाहिये लेकिन उस जमाने के लोगों के अलग-अलग विचार थे कि गांवों को क्या अधिकार देंगे ? क्या सोचेंगे ? गाव की किस प्रकार की आबादी है ? कैसी वहां पर शिक्षा है ? क्या लोगों का दृष्टिकोण है ? गणराज्य तो कह देंगे लेकिन वह व्यवस्था भी चला सकेंगे कि नहीं ? यह भी उसमें एक बड़ा सोच था और हमारे संविधान के निर्माता स्वर्गीय डा. अम्बेडकर जिन्होंने हमें संविधान दिया, उनके भी गांव के बारे में विचार थे, कि गांव क्या है, उस वक्त विलेज पंचायत का नाम आया था संविधान में, तो लोगों ने ज्यादा कहा तो उन्होंने कहा, भाई आप लोग विलेज-विलेज करते हैं लेकिन है क्या? जब पार्लियामेण्ट में बहस चल रही थी और संविधान के अन्दर जब यह चैप्टर जोड़ा जा रहा था तब उन्होंने विलेज और विलेज पंचायत, के बारे में मान्यवर कहा कि–What Dr Ambedkar feared, what is the Village, but a jinx of localism, a den of ignorance, narrow-mindedness and commu-

(श्री रामनारायण चौधरी)

nalism. यह उस वक्त डा. अम्बेडकर की विचारधारा गांव के बारे में थी कि गांव क्या है ? गांव एक जिक्स ऑफ लोकेलिज्म है, ए डेन ऑफ इगनोरेंस है, नेरो माइंडेड-नेस ऑफ कम्यूनलिज्म है, यह थी। यह उस वक्त की विचारधारा थी जब देश आजाद नहीं हुआ था, संविधान बनाया जा रहा था। लेकिन गांधी जी का भारत की आम जनता पर भरोसा था और गांव को वह स्वराज देना चाहते थे।

माननीय सभापति महोदय, यह जो कानून आया है इस कानून के बाद में आपका इस समय जो पंचायत राज एक्ट, 1953 चल रहा है उसके पास होते ही इसके अंदर जो क्लॉज दी है उनका क्या होगा ? इसमें लिखा है कि वह पंचायत ग्राम पंचायत राज, 1953 और पंचायत समिति एवं जिला परिषद् एक्ट वह सब रिपील हो जायेंगे, यह उनका स्थान ले लेगा। मैं यह तो कहूंगा कि माननीय मंत्री जी स्वयं ग्रामीण क्षेत्र से हैं और उन्होंने इस कानून को बनाने में दिलचस्पी लेकर कानून का ड्राफ्टिंग करवाया है, व्यापक पैमाने पर इन्होंने लोगों से मशविरा भी किया है, गोष्ठियां भी आयोजित की हैं, मुख्य मंत्री जी ने भी उसके अन्दर शिरकत की है और लोगों के विचार जाने हैं। उसके बाद अब भी पक्ष और विपक्ष के माननीय विधायकों की राय पूछी है और उस हिसाब से अभी क्या राय है वह तो सामने नहीं आयी लेकिन जैसा सुन रहे हैं, काफी एकोमोडेट किया है।

फिर भी, मान्यवर, यह जो एक्ट आ रहा है, यह पंचायती राज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी और आज हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय श्री नरसिम्हा राव जी, कहते हैं कि पंचायत राज सही है लेकिन परम्परागत पंचायतें जो देश के अन्दर थी, उनको और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। उनको प्रोत्साहन यदि दिया जायेगा तो ये सब पंचायतें, राज की पंचायतें होंगी और राज की पंचायतें इस मायने में होंगी कि जो पैसा, धन पंचायत समिति से, जिला परिषद् से, राजस्थान सरकार के बजट से, प्लानिंग कमेटी और फाइनेंस कमीशन के जरिए से जो राशि जिले के लिए, जिले के बाद में पंचायत समिति और फिर इसमें पंचायत में रेगुलेट करने उसको खर्च करने, उस पर नियन्त्रण और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को निपटने के लिए ग्राम पंचायतें सक्षम होंगी और वहीं सारा काम देख सकेंगी। इसके अलावा इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि गांव की व्यवस्था क्या है।

मान्यवर, गांव के अन्दर पैदा होने वाले सब तरह के विवाद हैं, फौजदारी और दीवानी। यह विकास के तो अब पैदा हुए हैं कि विकास गांवों का हो, गांवों में पुराने जमाने में विवाद पैदा होते थे वे विवाद फौजदारी किस्म के भी होते थे और दीवानी किस्म के भी होते थे जिन्हें ग्राम पंचायतें सुलटाती थीं। पुराना जो पंचायत एक्ट है उसमें यह व्यवस्था है। वह उन झगड़ों को सुलटाती थी, फैसला करती थीं और उसकी अपील न्याय पंचायत में होती थी उससे पहले ग्राम पंचायतों के फैसलों की अपील तहसील पंचायतों में होती थी। उनके बारे में तो इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है और जो प्रशासनिक मामले ग्राम पंचायतें तय करेंगी उनकी अपील

# Page No.158



(श्री रामनारायण चौधरी)

पंचायत समिति में जायेगी। फैसला होने के 30 दिन के भीतर पंचायत समिति की स्टेण्डिग कमेटी प्रशासन उसका निर्णय करेगी। यह इसके अन्दर व्यवस्था है लेकिन बाकी जो आदमी के, सोसाइटी के जन-जीवन को प्रभावित करने वाले, गांवो के फौजदारी और दीवानी मामलो के बारे में, अदालतों में जाओ, कोर्ट्स में जाओ, वहां मुकदमेंबाजी में उलझो और उनका जिन्दगी भर फैसला नहीं होने वाली प्रक्रिया में अपने आपको डाल दो। मान्यवर आपका तो व्यापक अनुभव है, कि आज के दिन देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई-कोर्ट्स और अदालतों में लाखों मुकदमे पेंडिग हैं। अभी पार्लियामेण्ट में एक प्रश्न के जवाब में बताया गया था कि लाखों मुकदमें सुप्रीम कोर्ट में हर प्रदेश के हाई कोर्ट्स में पेंडिग हैं और राजस्थान हाई कोर्ट में भी एक लाख मुकदमें पेंडिग हैं। मान्यवर, एक लाख मुकदमों में फैसले कितने साल में निर्णित होंगे? ऐसा लगता है कि आने वाले 50 सालों में भी एक लाख फैसलों का निर्णय नहीं हो सकेगा और तब तक और न जाने कितने और आ जायेंगे। जब तक स्थानीय लेवल पर प्रशासन को फौजदारी और दीवानी मामलों में अधिकार नहीं देंगे, सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं करेंगे कि गांवों के अन्दर कुएं कौन बनायेगा? तहसीलदार नहीं बनायेगा वह ग्राम पंचायत करेगी, यह तो ठीक है लेकिन यह सत्ता का डीसेंट्रालाइजेशन नहीं है। राज कितना पैसा खर्च करता है और वह कौन खर्च करे। ठीक है यह कि राज का हिस्सा है। It is a part of the Government and administration, no doubt, लेकिन राज क्या चीज है वह, मान्यवर, आप भी समझते हैं कि राज गांव का और देश का क्या है। उसके अन्दर गांव के लोगों की भागेदारी इसमें नहीं रखी गयी हैं। परम्परागत पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए इसके अन्दर कुछ भी नहीं कहा गया है। हमारे प्रधान मंत्री राव साहब ने अभी 3-4 दिन पहले ही कहा है कि परम्परागत पंचायतों की तरफ हमको ध्यान देना चाहिये। परन्तु उसकी तरफ इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, इसके अलावा इसमें एक और अच्छी व्यवस्था की है. उसकी सराहना करनी चाहिए। वह यह है कि ग्राम पंचायत को अब की बार राजनैतिक अखाड़ा बनाने के लिए इतनी छूट नहीं है जितनी पहले थी। ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच अपनी जगह पर तो हैं ही, लोकल उनका लिंकेज पोलिटिक्ली पर चुनाव के मामले में पंचायत समिति और जिला परिषद् में नहीं होगा, सेपरेट पंचायत समिति का इलैक्शन, सेपरेट जिला परिषद् का उनका प्रमुख और डाइरेक्ट ग्राम जनता के द्वारा वह मेम्बर्स चुने जाएंगे उनकी अलग-अलग कास्टीट्युएसीज होगी। इससे ग्राम पंचायत गांव के अन्दर एक ही चीज अब करेगी कि ग्राम पंचायत को मिलने वाला धन कितना मिलता है और इन वर्षों के अन्दर जितना धन 1977 के बाद ग्राम पंचायतों के मार्फत खर्च होना शुरू हुआ तब के बाद से इंस्टीट्यूशन आफ सरपंच और इंस्टीट्यूशन आफ ग्राम पंचायत के प्रति जो श्रद्धा गांवों के अन्दर पहले थी वह आज सरपंचों के प्रति नहीं है। क्यों नही है कि गांव के

(श्री रामनारायण चौधरी)

एक्जीक्यूटिव और विकास का काम कराने वाला सरपंच है और वह आज काफी विवादास्पद हो गया है, यही वजह है, कि आज गांवों के सरपंच के चुनाव में अब से पहले एक लाख-लाख रुपये तथा कई-कई जगह तो 5-5 लाख रुपये तक लगे हैं लाख लाख रुपये तो साधारण जिलों के अन्दर तथा सीकर, झुन्झुनूं और गंगानगर में ज्यादा खर्च हुए, चूरू-बीकानेर इधर लाख रुपये तक सरपंचों ने खर्च किये। यह इंस्टीट्यूशन आफ सरपंच बदनाम हो गया। लोगों की श्रद्धा इसमें से घटी गयी लेकिन अब इसमें ग्राम सभाओं को भी सशक्त बनाया गया है यह उल्लेखनीय बात है जो स्वीकार योग्य है। परन्तु आम जनता के द्वारा प्रमुखों और प्रधानों का चुनाव नहीं होना इसके अन्दर बहुत बड़ी कमी हैं और राजीव गांधी जिस पंचायती राज की कल्पना कर रहे थे वह इसमें नहीं है, महात्मा गांधी की जिस पंचायती राज की कल्पना थी और गांव को जो गणराज्य बनाना चाहते थे वह इसमें नहीं है, गांव की सब समस्याएं गांव के अन्दर निपटे उसके बारे में कोई व्यवस्था इसमें नहीं है।

मान्यवर, इन सब कमियों को देखते हुए मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इसको एक सप्ताह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, सब लोगों के विचार इस पर आ जाएं और विचार आने के बाद विधान सभा का एक सैशन और हो जाए, क्योंकि इस महीने की लास्ट डेट के पहले-पहले असेम्बली में इसका स्वीकार होना जरूरी बताया जा रहा है। विधान सभा सात दिन के लिए या 10 दिन के लिए एडजोर्न हो जाए और तब तक इसकी जिलों में गोष्ठियां आयोजित की जाएं, तमाम कलक्टर्स को हिदायत दी जाए और पंचायत समिति, जिला परिषदों, सब को सक्रिय किया जाए कि वे लोग इस पर लोगों की राय जानें और जो राय बनती है उसके आधार पर इसमें रि-ड्राफ्टिंग हो और फिर इसको विधान सभा में लाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात मैं समाप्त करता हूं।

**श्री सभापति** : माननीय श्री अमरा राम।

**श्री अमरा राम** (धोद) : सभापति महोदय, जो पंचायत एक्ट लाया गया है इसमें जो प्रावधान है कि जिनके दो बच्चों से ज्यादा होंगे वह पंचायत संस्थान के इलैक्शन में उम्मीदवार के काबिल नहीं होंगे। मुख्य रूप से जब विधायकों और पार्लियामेंट के मेम्बरों पर यह पाबन्दी नहीं है केवल ग्रामीण स्तर की जो पंचायत, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत और जिला परिषद् हैं उन तक लागू करके, मैं समझता हूं कि यह उनके साथ अच्छी बात नहीं है। जब तक पार्लियामेंट और असेम्बली के मेम्बरों पर यह लागू नहीं हो, बिलकुल लागू होना चाहिए, जनसंख्या पर नियन्त्रण होना चाहिए लेकिन यह मात्र स्वायत्तशासी संस्थाओं पर ही लागू कर दें और जो अपर हाउसेज हैं, चाहे पार्लियामेंट हो और चाहे असेम्बली हो उनमें लागू नहीं करें, तब तक यह गलत है। दूसरा, अभी जैसा श्री रामनारायण जी ने बताया कि चुनाव इनडाइरैक्ट नहीं होकर....

**श्री सभापति** : वह कह चुके, काहे को दुबारा रिपीट कर रहे हैं? आप तो अपनी बात कहकर समाप्त करें। बहुत बोलने वाले हैं, आप ही को बैठना पड़ेगा और जाना भी है अपन लोगों को।

**श्री अमरा राम** : और अच्छी बात है। मैं यही बात कहना चाहता था।

**श्री सभापति** : माननीय श्री रामनारायण मीणा (अनुपस्थित)। माननीय श्री हरीसिंह (महुआ)।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम और राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम को संविधान के 73 वें संशोधन की लाइट में, इस पूरे को कंसोलिडेट करके एक अलग से जो बिल पेश किया गया है; पंचायत राज एक्ट, निश्चित रूप से मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण प्रशासन को सुधारने के लिए और जिला स्तर पर प्लानिंग करने के लिए जो जगह-जगह उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्तियों की मीटिंगें बुलायी थी, डिस्कंशन किए थे, प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारियों से, विशेषकर जिला कलक्टर्स की मीटिंग्स बुलायी थी, अधिकारियों के साथ बैठकर जो डिस्कंशन किए थे, उनकी पूर्ति के लिए 73 वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया।

दुर्भाग्य की बात है उस दिन आज जो लोग सत्ता में यहां बैठे हुए हैं वह अगर राज्य सभा में उस दिन उनके द्वारा मंजूरी मिल गयी होती, तो इस एक्ट का स्वरूप बहुत पहले आ गया होता। उस दिन उन्होंने इसका विरोध किया। राज्य सभा से वह पास नहीं हो सका 73 वां संविधान संशोधन विधेयक। अब वह पास हो गया है, पास हो गया है तो राज्य सरकार की एक आब्लिगेटरी ड्यूटी बन गयी कि उसकी लाइट में वह ऐसा बिल पेश करे, ऐसा अधिनियम लाये, ताकि 73 वें संविधान संशोधन विधेयक की जो मंशा है उसकी पूर्ति की जा सके।

सबसे पहले तो मैं पंचायती राज मंत्री जी को साधुवाद पेश करता हूं कि पिछले पन्द्रह दिन से वह काफी एक्सरसाइज कर रहे हैं और उन्होंने पक्ष और विपक्ष के कुछ चुनिंदा माननीय सदस्यों को लेकर इस एक्ट के एक-एक प्रावधान को डिस्कस किया है, उसका विवेचन किया है और जहां-जहां उन्होंने संशोधन प्रस्तुत किए हैं, वह संशोधन भी उन्होंने स्वीकार किये हैं, इस बात के लिए मैं उन्हें साधुवाद पेश करता हूं।

दूसरा, मैं साधुवाद पेश करता हूं प्रतिपक्ष के नेता को, जिन्होंने कांग्रेस विधायक दल के कुछ चुनिंदा विधायकों के ऊपर भार डाला कि आप इसका पूर्ण अध्ययन करिए और कहां-कहां आप संशोधन चाह रहे हैं, वह संशोधन आप सजेस्ट करिए और दो दिन से कांग्रेस विधायक दल के कुछ माननीय सदस्य इस कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं। प्रतिपक्ष के नेता स्वयं सदन के नेता से इस सम्बन्ध में मिले हैं और उन्होंने अधिकांश सुझावों को मान लिया है। इसलिए मैं सदन के नेता को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं

(श्री हरिसिंह)

माननीय मंत्रीजी को एक और साधुवाद पेश करता हूं, बिलकुल धन्यवाद देता हूं कि पहली बार उन्होंने ओ. बी. सी. की तरफ निगाह डाली।

**एक माननीय सदस्य** : मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद दो।

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : दे दिया मैंने। ओ.बी.सी. के रिजर्वेशन की बात इस एक्ट में कही गयी है। इस बात के लिए मंत्रीजी आप निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि आपने यह प्रोविजन तो इसमें कर दिया लेकिन जो सेंसस होती है, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना तो होती है कि किसी गांव में कितने अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं। लेकिन आप यह कैसे निर्धारित करेंगे कि बैकवर्ड क्लासेज के कितने लोग हैं। आप उनका पर्सेन्टेज कैसे निकालेंगे ? क्या राजस्थान सरकार इस बात के लिए कोई पुन: जनगणना करवाने जा रही है, पंचायत चुनावों से पहले ? ताकि उसका एक निश्चित आधार यह बना सके कि ओ. बी. सी. में सम्मिलित जातियों की वास्तविक जनसंख्या कितनी है ? अगर यह आप नहीं करवाएंगे तो यह आप कैसे निर्धारित करेंगे कि ओ. बी. सी. का रिजर्वेशन किन-किन पंचायतों में, किन-किन पंचायत समितियों में और किन-किन जिला परिषदों में किया जाएगा ? यह तो बिल्कुल एक अंधेरे में वाली बात है। मैं समझता हूं आप अपना जवाब दें, उस समय इस तथ्य को क्लीयर कर दें, ताकि हमारी जानकारी में भी आ जाये। चूंकि आप इस सत्र के अन्तिम दिन यह पास करने जा रहे हैं। हम भी अपने विधान सभा क्षेत्र में जाएंगे तो लोग हमसे पूछेंगे पंचायत कानून किस प्रकार का बना है, किस-किस प्रकार के उसमें संशोधन किए गए हैं और कैसा उसका स्वरूप है ? उस समय हम भी अपने लोगों को कुछ जानकारी दे सकें कि इस प्रकार की सरकार की यह मंशा है।

सभापति महोदय, विशेषकर के कुछ संशोधन तो स्वीकार कर लिए हैं। चूंकि अब यह संशोधन जो अन्तिम रूप से स्वीकार करने हैं, वह अभी मैं देख नहीं पाया हूं। उससे पहले आपने मेरा नाम पुकार लिया। एक बात मैं इसकी जो धारा 38 है, उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने एक असीमित पॉवर अपने पास रख ली है। धारा 38 कहती है—Removal and suspension with regard to the Members, Sarpanch Pradhan and Zila Pramukh or Up-Zila Pramukh.

इनके सम्बन्ध में, इसका जो अन्तिम सब सैक्शन पांच है, वह कहता है—"The decision of the competent authority on any matter arising under this section shall, subject to any order made under section 97. be final and shall not be liable to be questioned in any court of law."

जो कुछ भी राज्य सरकार फैसला कर देगी उनके सस्पेंशन और रिमूवल के सम्बन्ध में, किसी भी न्यायालय में उनको क्वश्चन

(श्री हरिसिंह)

नहीं किया जा सकता। सरकार ने एक ऐसा हथियार अपने पास रख लिया है, लगता यह है कि राज्य सरकार पूरा का पूरा यह अपने पास रखना चाहती है और सरकार की मंशा यह है कि उनके अनुकूल व्यक्ति जो इन संस्थाओं में बैठेंगे उनको तो वह इजाजत दे देगी कि आप काम करते रहिए और उसके जो अनुकूल नहीं होंगे, जो रास नहीं आएंगे, उनको वह सस्पेंड कर देगी, उनको रिमूव कर देगी और रिमूवल और सस्पेंशन के खिलाफ वह न्यायालय की शरण में भी जा नहीं सकेंगे। ऐसा कानून आज तक राजस्थान विधान सभा में इस सदन में तो पास नहीं हुआ है जिसके द्वारा न्यायपालिका के दरवाजे बन्द कर दिए गये हों।

**श्री परसादीलाल मीणा** : हाईकोर्ट में होगा।

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : हाईकोर्ट में होगा। इस संशोधन में मैंने इसीलिए कहा है, वह मैंने पढ़ा नहीं। अभी यह बता रहे हैं कि इस संशोधन में आपने यह स्वीकार कर लिया है कि हाईकोर्ट में होगा, धन्यवाद।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, यह खण्डशः पर विचार होंगे, उस समय बताना। अभी तो जनरल डिबेट है इस वक्त।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : नहीं, अपने इस कानून में कुछ भी लिख दें लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट....

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : हाईकोर्ट के तो इनहैरेंट पॉवर्स हैं....

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : हां, तो व्याख्या करने का....

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : सरकार इस बात की अगर छूट दे देती लिखित में तो परेशानी क्या थी? ऑटोमैटिक इनहैरेंट पावर्स हैं कांस्टीट्यूशन में, उसमें कोई बात नहीं है। मैं सभापति महोदय, विशेष लम्बी-चौड़ी बात न करके थोड़ा सा आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार ने एक ऐसे मौके पर इस बिल को पेश किया है।

(16.37)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

यह अच्छा होता कि जैसे म्युनिसिपैलिटी एक्ट पेश किया था, समय अगर जिस दिन उसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया था, पर जो अमेंडमेंट आए थे, प्रवर समिति ने जो सुझाव दिये उसी प्रकार से उस समय अगर यह पेश हो जाता तो और गहनता के साथ इस पर विचार-विमर्श हो जाता और सब कुछ हो जाता। इसलिए आपके पास चूंकि समय का अभाव है और हम भी यह चाहते हैं कि पंचायतों के चुनाव शीघ्र हों, क्योंकि पंचायतों में जिस प्रकार की अब जो व्यवस्था चल रही है, आपने निश्चित रूप से जो प्रशासकों की नियुक्ति की है पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने अपने पूरे तीसरे टर्म में एक दिन यह माना है कि पंचायत भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आ गया है। उन्होंने स्वयं ने इस बात को कबूल कर लिया और इस विधान सभा का हर

(श्री हरिसिंह)

सदस्य इस बात को मान रहा है कि वहां भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसलिए हम भी यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप चुनाव करवाएं तो विशेष समय तो नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरा सत्र बुलाकर पन्द्रह दिन बाद में ही इसको प्रचारित करें, पंचायती राज संस्था से जो मिली-जुली संस्थाएं हैं, जो भूतपूर्व सरपंच हैं, जो प्रधान हैं, जो जिला प्रमुख हैं और दूसरे लोग जो अब तक इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनको एक अवसर दिया जाए कि वह इसके प्रावधानों का विवेचन करें, उनको पढ़ें, उनका अध्ययन करें और उस सम्बन्ध में कुछ सुझाव आपके जिला एजेंसी के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से आयें और उन पर पुनः यह सदन गौर करे और गौर करके उनको इन्सर्ट करे या संशोधन करे इस ढंग की बात हो। आपने जिस प्रकार से इस सम्बन्ध में यहां कमेटी का गठन किया और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो सुझाव पेश किये, मुझे जानकारी मिली है कि उनमें से अधिकांश सुझाव सदन के नेता ने मान लिए हैं। मैं इस बात के लिए प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जो मेहनत की और सदन के माननीय नेता ने जो उस पर अपनी स्वीकारोक्ति जाहिर की, इस बात के लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद पेश करता हूं। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री सभापति** : श्री हरजीराम बुरडक। (अनुपस्थित)। श्री मोहनलाल मोदी।

**श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना) : सभापति महोदय, मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इस राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994 को एक सप्ताह के लिए जनमत के लिए परिचारित किया जाय। इसका मुख्य कारण यह है कि गांवों में पहले जिस तरह की परम्परा थी, जिस तरह सरपंच पंचायत समिति चलाते थे, पंचायत समिति का कार्य करते थे और लोगों की उसमें आस्था थी। आज लोगों को यह जानकारी हम नहीं दे सके हैं कि किस तरह से पंचायतों के चुनाव करवायेंगे और आज जो इसमें स्वरूप रखा गया है वह जो हमारी आस्था थी जिस तरह हम चाहते थे वह सारा स्वरूप बदल गया। सरपंचों को तो आपने वहीं तक सीमित कर दिया। पंचायत समिति के अन्दर वह अपने पंचायत क्षेत्र के लिए क्या कर पाएंगे, इसके अन्दर कहीं भी यह निर्धारित नहीं है।

दूसरा, मेरे यहां ग्रामदानों की बहुत बड़ी समस्या है। 46 ग्रामदान हैं। उन ग्रामदान के लोग पंचायत समिति में मेम्बर होते हैं। आज यह जानकारी नहीं है कि आपने ग्रामदान समाप्त कर दिये, उनकी क्या स्थिति रखी है। अगर आपने उनको समाप्त कर दिया है तो उनका क्या होगा? काश्तकारों की जमीनें जो ग्राम सभा के नाम हैं, खातेदारी ग्राम सभा के नाम है उसके बारे में आगे क्या होगा? आप जब तक ग्रामदान एक्ट में संशोधन नहीं लायेंगे, वह यहां पर पेश नहीं करें तब तक यह आपका पूरा नहीं होगा।

**श्री सभापति** : आप क्या चाहते हो?

**श्री मोहनलाल मोदी** : मैं तो इतना ही चाहता हूं कि ग्रामदान रहे, उनके जो अध्यक्ष हैं, वह पंचायत समिति के मेम्बर

(श्री मोहनलाल मोदी)

रहें उनको जिला प्रमुख को चुनने का अधिकार रहे। लेकिन जिस तरह आपने इसमें कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं दी है, यह व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। ग्रामदान एक्ट के अन्दर आप संशोधन करें। जब तक आप उसमें संशोधन नहीं करेंगे, आपने इसमें ऐसा कहीं भी नहीं किया है। जहां तक मेरे को जानकारी है, इनको आपने वोटर बना दिया लेकिन जब आपने पंचायतें बनायीं उस वक्त इनको निकाल दिया था, वह जनसंख्या आपने कम कर दी थी। अब आपको फिर उस जनसंख्या को बढ़ा कर फिर कोई हिसाब करना पड़ेगा। मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसमें दो-तीन बातें ऐसी रखी हैं। पंचायत समिति के 15 या 20 मैम्बर से प्रधान का चुनाव करवाना चाहते हैं। आखिर क्या वजह आ गयी? पहले 400-500 आदमी, पंच सारे मिलकर प्रधान बनाते थे, आम आदमी से लगाव रहता था, आदमी जुड़ा रहता था, लोगों में यह आस्था रहती थी कि हम प्रधानजी के पास जायेंगे, अपने गांव की बात कहेंगे, गांव की उन्नति की बात कहेंगे। आज वह बात बिलकुल समाप्त हो गयी। ठीक है, वह अगर 73वें संशोधन के कारण से कोई ऐसी स्थिति आयी है तो उसमें एक स्थिति तो आप कम से कम करें कि जो ब्लाक्स बनाये पंचायत स्तर के पंचायत समिति के लिए, आपने उसमें यह कर दिया कि पूरी पंचायत समिति एरिया का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी खड़ा हो सकता है। आपने यह परिपाटी क्यों चला रखी है? शेषन साहब तो एम.पीज को नहीं बनने देते हैं। वह कहते हैं वहां का जब तक वोटर नहीं हो, रहने वाला नहीं हो वह एम.पी. नहीं बन सकता और आप उसको पंचायत समिति के लिए कहीं से भी ला कर बैठा देना चाहते हैं। यानी वार्ड तो बनायेंगे आप पंचायत समिति के, एक पंचायत समिति के दो वार्ड आपने बनाये और जिले का कहीं भी कोई आदमी आकर बैठ जाय। आखिर आपकी मंशा क्या है, आप क्या चाहते हैं? आप क्या यह समझ रहे हैं कि हमारे पास गांवों में तो हमारा आधार नहीं है हम सीकर से, शहर से ले जाकर बैठा देंगे, वहां से चुनाव लड़वा देंगे। आपके पास सरकार है ही, इसलिए सरकार के जोर से पंचायत समितियों पर, जिला प्रमुखों पर अपना अधिकार कर लेंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि यह बात इसमें आयी कि नहीं आयी। आप कम से कम यह बात जरूर करें। यह जो ब्लाक बनाये उस ब्लाक का ही व्यक्ति उसमें खड़ा हो सकता है, यह बात तो आप इसके अन्दर करें। माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें, मंत्रीजी मैं निवेदन कर रहा हूं, बातों में लग रहे हैं, खैर, आप सुन रहे हैं आप बता देंगे। जिला परिषद के अन्दर जो ब्लाक बनायें उस पंचायत समिति का ही व्यक्ति उसका मैम्बर होना चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सारे भेज देंगे सीकर की तरफ से और वोट हमारे यहां के। अब किस तरह से क्या करना चाहेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए आम लोगों के पास भेज करके उनकी राय लीजिये, सब लोगों की राय लेकर के आगे दस दिन के लिए, पन्द्रह दिन के लिए फिर

(श्री मोहनलाल मोदी)

विधान सभा बुला लीजिये। ताकि ग्राम आदमी की क्या राय है वह उसमें सही स्थिति आपको हम भी कह सकें। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री शिवनाथ सिंह।

**श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : सभापतिजी, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल हमारे सामने है। हमारे ग्राम की तीन संस्थाएं पंचायत, सहकारी समिति और स्कूल। आजादी से पहले हमारे देश के नेताओं ने इसकी एक अवधारणा की थी। आजादी के बाद पंचायतों की तरफ ध्यान दिया गया। राजस्थान के अधिकांश रजवाड़े थे, पंचायतों का उनमें कोई प्रावधान नहीं था। एक या दो स्टेट्स ऐसी थीं जहां पंचायतों के सम्बन्ध में कानून बना हुआ था। राजस्थान बनने के बाद में सबसे पहले 1953 में पंचायत एक्ट बना और पंचायत एक्ट बनने के बाद में, माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1959 में बहुत गहन चिन्तन के बाद पंचायत समिति और जिला परिषद् का एक्ट लाया गया। उस वक्त माननीय बैदजी मंत्री थे। उदयपुर में बहुत बड़ा कैम्प लगा और वहां विधायक भी गये और दूसरे भी गये और दो-तीन रोज तक इस पर चिन्तन हुआ और चिन्तन होने के बाद में एक अलग लेजिस्लेशन राजस्थान में बना। मुझे गर्व है, माननीय सभापतिजी, यह कहते हुए कि पूरे हिन्दुस्तान में हमारा जो पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट था वह एक आदर्श कानून था। पूरी उसकी सराहना की गयी और उसके अनुसार हमारे उस समय के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल जी नेहरू ने पंचायत राज का, पूरे पंचायत राज का श्रीगणेश नागौर में किया था। वह विधान, वह कानून अब तक लागू था। उसके अन्दर पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत और जिला परिषद् तीन ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनायी गयी थीं जो अपने आप में सशक्त थीं, तीनों का अलग-अलग कार्य क्षेत्र था और लोगों की उनमें आस्था और जुड़ाव था।

सभापतिजी, मुझे कहते हुए दुःख होता है कि इतना इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन, जिसको ग्रामीण जनता के लिए मानते हैं, इतना हरिडली, जिसका न तो इन्ट्रोडक्शन किसी प्रोपर स्टेज पर हुआ और न ही पर डिस्कशन प्रोपर स्टेज पर हो सकता है। जल्दी में हम उसको पास करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। अभी चर्चा आयी कि कुछ साथियों को, कुछ माननीय सदस्यों को विचार-विमर्श में लिया गया, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अच्छा होता इस सदन की एक प्रवर समिति बनती और प्रवर समिति में सब प्रकार की बातों को सोच कर अच्छे प्रावधान रखे जाते। वह स्टेज चला गया। मैं भी इस राय का हूं कि जैसा भी है सही है गलत है, कानून बने और बहुत दिनों से एक मांग चली आ रही है कि पंचायतों के चुनाव हों। चाहे इस गलत कानून से ही सही पंचायतों के चुनाव होने का, पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव होने का एक रास्ता तो खुलता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस एक्ट में बहुत ज्यादा सुधार हमको करने पड़ेंगे और बहुत लाजमी होंगे लेकिन फिर भी इस स्टेज पर मैं आपसे

(श्री शिवनाथ सिंह)

इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो संविधान में अमेंडमेंट किया गया है, पार्लियामेंट में, उसकी भावना के अनुरूप भी यह बिल नहीं बना है ।

माननीय सभापति जी, मैं एक लाइन पढ़ना चाहूंगा, Panchayat' means an institution by whatever name called of self government constituted under Article 243(B) for the rural areas.' कितना सुन्दर यह भाव व्यक्त किया गया है कि वह इंस्टीट्यूशन पंचायत इंस्टीट्यूशन है और सैल्फ गवर्नमेंट होगी । क्या हम इस बिल के प्रावधान को देखते हैं तो उसमें इस भावना को व्यक्त किया गया है, इस भावना को कायम रखा गया है ? इसके हर प्रोविजन को आप देखिये । उसमें कहीं भी सैल्फ गवर्नमेंट होगी इस प्रकार का प्रावधान नहीं मिलता है । मैं इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत हमारी सबसे नीचे की सीढ़ी है और उससे भी महत्वपूर्ण हमारी ग्राम सभा है । ग्राम सभा का एक प्रावधान है और ग्राम सभा को जैसा पारम्परिक पंचायतें कहो, पुराने समय का एक सिस्टम कहो, वही ग्राम सभा का ही रूप था । आज की ग्राम सभा को हमें वह नाम देते हुए संकोच होता है ।

सभापतिजी, ग्राम सभा के लिए इस बिल में प्रावधान रखा गया है और वह प्रावधान, मैं निवेदन करना चाहूंगा, कितना हास्यास्पद है । हमारे बिल में प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा होगी । साल में दो मीटिंग होंगी । सरपंच मीटिंग कंवीन करेगा और मामले उसके सामने रखे जाएंगे, ठीक है यहां तक । लेकिन उनका होगा क्या ? जो भी ग्राम सभा अपनी राय व्यक्त करेगी व ग्राम पंचायत उसको कंसीडर करेगी लेकिन उसकी जो भी मान्यताएं हैं, जो भी सुझाव हैं और जो ग्राम सभा चाहती है, वह पंचायत में बाईंडिंग नहीं हैं । जब तक पंचायत में वह बाइंडिंग नहीं है तो फिर ग्राम सभा रखने की तुक क्या है ? इसी प्रकार के और भी प्रावधान हैं, वह हमें इस बात को सोचने के लिए और कहने के लिए मजबूर करते हैं कि जिस भावना से हमारे संविधान में पंचायतों के लिए संशोधन किया, वह इसमें पूरे नहीं हो रहे हैं ।

माननीय सभापतिजी, एक बात बड़ी अजीब है और उसमें मैं राज्य सरकार को भी दोष नहीं देता लेकिन जो हमारे संविधान में संशोधन हुआ है, बहुत ही डिफेक्टिव हुआ है, और वह चाहे किसी भी माध्यम से हो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है । चाहे हमारी कोई भी पंचायत इंस्टीट्यूशन विलेज लेवल की हो, बीच के लेवल की हो, जिला परिषद् हो, यदि किसी कारण से भंग हो जाती है और उसके नये चुनाव होते हैं तो उसका कार्यकाल सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए होगा । सभापति महोदय, आज पार्लियामेंट का मिडटर्मपोल होता है, असेम्बलीज का मिडटर्मपोल होता है और मिडटर्मपोल होकर जैसे ही नयी इंस्टीट्यूशन आती है, उसका कार्यकाल पूरे पांच साल के लिए होता है । इसमें यह प्रावधान रखा गया है कि जो नयी पंचायत चुनकर आयेगी उसका कार्यकाल सिर्फ रिमेनिंग पीरियड का होगा । किसी भी लोजिक से

(श्री शिवनाथ सिंह)

यह हमारी समझ में नहीं आता है। किस प्रकार से तो पार्लियामेंट ने इसको पास किया है और किस प्रकार से डिटो हमने इसको यहां किया है। हो सकता है पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के अनुरूप नहीं हो लेकिन हमको इस बात के लिए रखना चाहिये कि जो मिडटर्म के बाद में, भंग होने के बाद में, नयी चुनकर आये, वह संस्था पूरे पांच साल के लिये काम करे। इस प्रकार का प्रावधान हमको इसमें रखना चाहिये था। नहीं रखा गया है, अच्छा नहीं है।

सभापतिजी, पंचायतों के वार्ड बने हैं। वार्ड की बात कही गयी है। एक तरफ कहा जा रहा है कि लोगों की अधिक से अधिक सहभागिता हो और आज जो पंचायत एक्ट में हम प्रावधान कर रहे हैं, उसमें कहीं भी इस बात का प्रावधान नहीं है कि लोगों से उसका सामंजस्य बैठे। अब मैं नहीं कह सकता क्या अमेंडमेंट आप लाने वाले हैं लेकिन आज जो पंचायत समिति और जिला परिषद् के वार्ड बने हैं उनमें बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। जैसे इस बिल के अन्दर जो एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है उसमें यह है कि जो वार्ड बनेंगे, वह पूरे राज्य में जनसंख्या को देखते हुए उस प्रकार का पूरा एक सिस्टम होगा। बाड़मेर का पंचायत समिति के लिये जो प्रधान की एक कांस्टीट्यूएंसी बनेगी, उसकी जनसंख्या और जयपुर जिले की जो जनसंख्या है वह सब आपस में कोरिलेटेड होगी, अधिक फर्क नहीं होगा। लेकिन आपने जो प्रावधान रखे हैं उसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है और वह बड़ी विसंगतियां इसमें हैं, उसको भी हमें दुरुस्त करना पड़ेगा।

**श्री परसराम मदेरणा** : गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य बिलकुल ठीक कह रहे हैं कि इस बिल की बॉडी के अन्दर बहुत विसंगतियां हैं। सभापति महोदय, अभी यहां पर नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने ग्रामदानी के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया है और ग्रामदानी के सम्बन्ध में जो पहले गांव थे, उनकी पंचायतें थीं और उनके जो अध्यक्ष थे, पंचायत समिति में उनको वोट देने का अधिकार था। अब जो कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है और खास तौर से मेरे दांयी तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य हैं, इनके खुद के निर्वाचन क्षेत्र में कई ग्रामदानी गांव हैं और वहां पंचायतें हैं डूंगरपुर के अन्दर। यह अभी बहुत अस्पष्ट पोजीशन है, मोस्ट अनसरटेन है। राजस्थान पंचायत राज बिल में आपने ग्रामदानी गांवों के बारे में क्या नीति रहेगी, इस सम्बन्ध में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है और जब इसमें उल्लेख नहीं है तो हिन्दुस्तान के संविधान में जो अमेंडमेंट किये गये हैं मंत्री महोदय, उसके मैं आर्टिकल 243(बी) की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं– **'There shall be constituted in every State, Panchayat at the village intermediate district level in accordance with the provisions of this part'** कोई भी गांव नहीं छोड़ा गया है जिसमें पंचायत नहीं होगी। हर गांव ग्राम पंचायत के क्षेत्र में होगा। एक गांव की ग्राम पंचायत होगी। ग्रुप आफ विलेजेज की होगी या उससे ज्यादा होगी। ग्रामदानी गांवों का क्या होगा? वह इस

(श्री परसराम मदेरणा)

राजस्थान की धरती पर वह विलेज तो हैं, गांव तो हैं पर वह ग्रामदानी हैं।

**श्री सभापति** : माननीय नेता महोदय, कई बार यह कहते हैं कि काशी मृत्युलोक में नहीं है।

**श्री परसराम मदेरणा** : हां, यह हो सकता है काशी मृत्युलोक में नहीं है और मृत्युलोक है या नहीं है, यह बात भी काल्पनिक हो सकती है। यह कहीं रहे नहीं, यह पंचायतों में आये नहीं, आपने इनकी पंचायतें रीकांस्टीट्यूट की नहीं, इनका डीलिमिटेशन किया नहीं, री आर्गनाइजेशन किया नहीं और आप पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कराने जा रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

**श्री सभापति** : मंत्री महोदय।

**श्री नाथूसिंह गुर्जर** (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : माननीय सभापति महोदय, इसमें प्रतिपक्ष के नेता ने जो प्रश्न उठाया है इसके ऊपर हमने बहुत विचार किया है और यह सैंट्रल एक्ट जो आया है उसके अनुसार ग्रामदानी विलेज हम अलग नहीं रख सकते। इनकी हमको पंचायत बनानी पड़ेगी।

**श्री परसराम मदेरणा** : ग्रामदानी विलेज तो नहीं रखा क्योंकि गांव सब इन्क्ल्यूड कर दिये लेकिन उन गांवों के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? गवर्नमेंट क्या सोच रही है?

**श्री नाथूसिंह गुर्जर** : इलेक्शन होंगे पंचायत के।

**श्री परसराम मदेरणा** : नहीं, वह पंचायतों के फाल्ट ही नहीं है आज। आज जो पंचायतों का री आर्गनाइजेशन करके 92 के बजट में जो पब्लिकेशन किया है....

**श्री नाथूसिंह गुर्जर** : बनाना पड़ेगा। सैंट्रल एक्ट के हिसाब से बनाना पड़ेगा।

**श्री परसराम मदेरणा** : आपको रीआर्गनाइज करनी पड़ेगी फिर। आप उसको अलग बना रहे हैं या पंचायतों में डाल रहे हैं, आपको उन गांवों की ग्रामदानी गांवों की पंचायतों का आपको डीलिमिटेशन करना पड़ेगा और कुछ पंचायतों को रीआर्गनाइज करना पड़ेगा। नहीं तो इलेक्शन नहीं हो सकते।

**श्री नाथूसिंह गुर्जर** : मैं भी यही कह रहा हूं ना उनको करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमारे पास कोई चारा ही नहीं है।

**श्री सभापति** : शिवनाथ सिंहजी खतम करें। समाप्त करें माननीय सदस्य समाप्त करें।

**श्री शिवनाथ सिंह** : समाप्त ही कर रहा हूं। कहकर समाप्त कर दूंगा, यह कह रहा हूं, फिर अगले मंडे को....

**श्री सभापति** : नहीं, समाप्त करें।

**श्री शिवनाथ सिंह** : 15 मिनट का टाइम और दें।

**श्री सभापति** : नहीं, नहीं।

**श्री शिवनाथ सिंह** : तो क्या करेंगे? या तो 15 मिनट का टाइम....

**श्री सभापति** : सदन की कार्यवाही 8 अप्रेल, 1994 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.00 बजे शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रेल, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

---

**परिशिष्ट—1**

**तारांकित प्रश्न संख्या 811 का विवरण**

आरक्षित पदों के बैकलाग का विवरण

| पद | बैकलाग के पद | |
|---|---|---|
| | अनुसूचित जाति | अनु. जनजाति |
| सहायक अभियन्ता (सिविल) | 10 | 9 |
| सहायक अभियन्ता (यांत्रिकी) | 5 | 4 |

नोट :—उपरोक्त विवरण 1991—92 तक का ही है चूंकि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक इसी वर्ष तक हुई है ।

## परिशिष्ट–2

**(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)**

### जयपुर शहर के रिक्शा चालक

822. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नगर निगम, जयपुर द्वारा शहर के यातायात के बढ़ते दबाव के कारण बगैर लाइसेंस के रिक्शा पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है ?

(2) क्या निगम द्वारा रिक्शों के नये लाइसेंस बनाने और पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण पर भी रोक लगा रखी है ? यदि हां, तो क्या निगम की इस कार्यवाही से बेरोजगार हुए व्यक्तियों के सामने आजीविका की समस्या पैदा हो गयी है ?

(3) क्या कुछ व्यक्तियों ने सैकड़ों की संख्या में रिक्शों के लाइसेंस ले रखे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या सरकार रिक्शा चालकों की समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का इरादा रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी. हां ।

(2) रिक्शों के नये लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं, बल्कि पुराने लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जा रहा था, जिसकी अवधि दिनांक 31.3.1994 को समाप्त हो चुकी है ।

(3) जी, नहीं ।

(4) जी, हां । इस बारे में विचार किया जा रहा है ।

**स्थगित प्रश्न**

(दिनांक 29 मार्च, 1994)

### राजस्थान हाई कोर्ट बेंच की उदयपुर में स्थापना के प्रस्ताव

678. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान हाई कोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या उदयपुर डिवीजन में प्रतिमाह की 7 तारीख को बेंच की स्थापना के लिये हड़ताल होती है व न्यायालय का बहिष्कार होता है ?

(3) क्या राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं एवं वहां के नागरिकों को जोधपुर पेशियों पर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो कब तक सरकार उक्त कार्यवाही सम्पूर्ण करने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) जी, नहीं । इस समय राजस्थान

(विधि राज्य मन्त्री)

हाई कोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

(2) उदयपुर डिवीजन के उदयपुर एवं डूंगरपुर में प्रत्येक माह की 7 तारीख को बेंच की स्थापना के लिए अभिभाषकगण द्वारा हड़ताल होती है व न्यायालय का बहिष्कार होता है । चित्तौड़गढ़ तथा बांसवाड़ा में अभिभाषकगण द्वारा अब हड़ताल व न्यायालयों का बहिष्कार नहीं होता है ।

(3) उदयपुर डिवीजन में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में प्रतापगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं । यहां की जनता को पेशियों में जोधपुर जाना पड़ता है । उदयपुर में उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने का मामला भारत सरकार के क्षेत्राधिकार का है ।

**डोराई बांध (बेगूं) की डूब में आई भूमि का मुआवजा**

823. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) डोराई बांध (बेगूं) की डूब में कौन-कौन से गांव आये हैं ? किस-किस गांव की, कितनी-कितनी भूमि (सिंचित और असिंचित) डूब में आयी है और कितना-कितना मुआवजा कब-कब दिया गया ? परिवार वार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या डूब प्रभावित परिवारों को स्थायी रूप से बसा दिया गया ? यदि हां, तो किस-किस को कहां-कहां बसाया गया और यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ परिवार आज भी नहीं बसाये गये जो अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं ?

(4) जहां-जहां भी डूब विस्थापितों को बसाया गया है उन्हें कितनी-कितनी कृषि जमीन मय आराजी नम्बर कहां-कहां दी गई है ? क्या उनकी मूलभूत आवश्यकताओं यथा; पेयजल, स्कूल, सम्पर्क सड़कें, चिकित्सा सुविधाएं एवं बिजली की पूर्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो यह पूर्ति करने की जिम्मेदारी किस की थी और अभी तक क्यों नहीं की गयी ? भविष्य में कब तक यह पूर्ति कर दी जायेगी ?

**उत्तर**

(1) डोराई बांध की डूब में हरीपुरा लाड़पुरा, जेतपुरा, खुगाखास एवं डोराई गांव आये हैं । उक्त गांवों की डूब में आई कृषक वार सिंचित एवं असिंचित भूमि, मुआवजा भुगतान राशि तथा मुआवजा भुगतान तिथि का विवरण संलग्न है ।

(2) डोराई बांध की योजना के प्रावधान के अनुसार डूब में आये परिवारों की भूमि, मकान, कुएं आदि का नकद मुआवजा दिया जा चुका है । योजना के स्वीकृत प्रावधानों के अन्तर्गत विस्थापितों को विभाग द्वारा अन्यत्र बसाने का कोई प्रावधान नहीं था ।

(3) भाग 2 के उत्तर के अनुरूप ।

(4) भाग 2 के उत्तर के अनुरूप ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

**कृषि उपज मण्डी, समिति कर्मियों हेतु पेंशन योजना**

**824. श्री अरुण सिंह** (डीग) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार कृषि उपज मण्डी समिति कर्मचारियों को पेंशन लागू करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से पेंशन लागू की जावेगी व कब तक कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

जी, हां। प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिया जा रहा है।

**जिला बाड़मेर के ग्रामों/ढाणियों की पेयजल व्यवस्था**

**825. श्री परसराम मदेरणा** (गुडा-मालानी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बाड़मेर जिले के कितने ग्रामों व 200 से अधिक आबादी की ढाणियों में सरकार द्वारा अभी तक पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों व ढाणियों में पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) बाड़मेर जिले में मार्च, 1994 के पश्चात् 1991 की जनगणनानुसार 479 ग्रामों को पेयजल योजनाओं द्वारा लाभान्वित किया जाना शेष है। ढाणियों में बसी पृथक-पृथक जनसंख्या ज्ञात नहीं होने के कारण वर्तमान स्थिति का आंकलन संभव नहीं है। ग्रामों की वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 93-94 में 113 ग्रामों को एवं 41 ढाणियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया है शेष ग्रामों एवं ढाणियों की योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्विति, धन उपलब्धता के अनुसार की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा सचिवालय में रखी गयी)।

**नर्मदा योजना के अन्तर्गत व्यय राशि**

**826. श्री हीरालाल विश्नोई** (सांचौर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

नर्मदा योजनान्तर्गत जिला जालौर तहसील-सांचौर में इस योजना की क्या स्थिति है तथा इस योजना में कितनी राशि कब-कब व्यय करने का कार्यक्रम है ? आज तक क्या-क्या प्रगति किस-किस मद में हुई है ?

**उत्तर**

नर्मदा परियोजना के अन्तर्गत तहसील सांचौर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु नहर के निर्माण से पूर्व वांछित सर्वेक्षण, भूमि अवाप्ति, निर्माण कार्य हेतु निविदा तैयार

(सिंचाई मन्त्री)

किया जाना आदि प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर हैं ।

योजना के प्रारूप के अनुसार राजस्थान में नर्मदा नहर के निर्माण हेतु प्रस्तावित चरणबद्ध व्यय का विवरण संलग्न है ।

राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना पर निर्माण हेतु प्रस्तावित चरणबद्ध व्यय का कार्यक्रम ।

| वर्ष | प्रतिशत | राशि करोड़ रुपयों में |
|---|---|---|
| 1. | 4.5 | 8.43 |
| 2. | 6.0 | 11.25 |
| 3. | 7.0 | 13.12 |
| 4. | 13.0 | 24.36 |
| 5. | 20.0 | 37.47 |
| 6. | 21.0 | 39.36 |
| 7. | 17.0 | 31.85 |
| 8. | 11.5 | 21.55 |
| कुल | 100.00 | 187.39 |

**तारांकित प्रश्न संख्या 827**

(स्थगित)

**सब्जी मण्डी उपखण्ड ब्यावर की सम्पर्क सड़क**

828. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर उपखण्ड में निर्मित सब्जी मण्डी को विजयनगर सड़क से मिलाने हेतु पूर्व में सड़क स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो अब तक कार्य चालू नहीं किये जाने के क्या कारण रहे ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क निर्माण हेतु टेण्डर भी स्वीकृत हो गये थे और सड़क का कार्य प्रारम्भ करने की

(श्री उगमराज मेहता)

तैयारी कर ली गयी थी ? यदि हां, तो उसे रोकी जाने के क्या कारण रहे ?

(3) उस सड़क से किस-किस गांव के किसानों को लाभ होगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस रास्ते के बीच एक नाला पड़ता है और रोज वहां किसानों की गाड़ियां उलट जाती हैं और कई बार बैल आदि मर जाते हैं ? यदि हां, तो ग्रामवासियों व किसानों हेतु उक्त सड़क कब तक बनवाने का सरकार विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) जी हां, ब्यावर मण्डी के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क फल एवं सब्जी मंडी के पीछे के नाम से 2.25 किलोमीटर की स्वीकृत की गयी। सड़क पर ठेकेदार द्वारा कार्य आरम्भ किया जा चुका था। लेकिन उप जिला मजिस्ट्रेट ब्यावर द्वारा स्थगन आदेश दिये जाने से कार्य रोक दिया गया।

(2) जी हां, कारण प्रश्न के भाग संख्या 1 के उत्तर में अंकित कर दिये गये हैं।

(3) इस सड़क के निर्माण से ग्राम बलदल्या, सेवारिया, शिवपुरा, मालपुरा एवं बलाड इत्यादि गांवों के कृषकों को लाभ होगा।

(4) जी नहीं, वस्तुस्थिति यह है कि इस रास्ते में एक गड्ढा पड़ता है। जिसमें बरसात में पानी भर जाता है। जिससे किसानों को असुविधा होती है। परन्तु गाड़ियां उलटने या बैल मरने के सम्बन्ध में विभाग को शिकायत नहीं मिली। स्थगन आदेश निरस्त होने के पश्चात् ही सड़क बनवाने की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ की जावेगी।

**विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बस्सी के ग्रामों हेतु पेयजल योजनायें**

829. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के किन-किन गांवों में पेयजल योजनाएं स्वीकृत हैं ? क्या स्वीकृत सभी योजनायें चालू हैं ? यदि नहीं, तो ऐसी कौनसी योजनायें हैं जो विभाग की लापरवाही के कारण चालू नहीं की जा सकी ? सरकार अब कब तक इन्हें चालू करने का विचार रखती है ?

(2) उक्त निर्वाचन क्षेत्र के किन-किन गांवों में कौन-कौन से स्थानों के हैण्ड पम्प मृत प्रायः हो चुके हैं ? क्या सरकार ऐसे स्थानों पर नये हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सन्दर्भित विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत पेयजल योजनाओं की वांछित सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। इनमें से ग्राम हंसमहल को छोड़कर शेष सभी योजनाएं चालू हैं। इस योजना हेतु रेल्वे विभाग द्वारा पाइप लाइन के ट्रेक क्रासिंग हेतु स्वीकृति किये जाने के पश्चात् इसे चालू कर दिया जावेगा।

(2) उक्त क्षेत्र में 1 सूखे एवं 92

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

परित्यक्त हैण्ड पम्पों की वांछित सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है। इन परित्यक्त हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये हैण्ड पम्प धन संसाधनों की उपलब्धतानुसार लगाये जाने सम्भव होंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

**पंचायत समिति माण्डल व सुवाणा के तालाबों से सिंचाई**

830. **श्री कालूलाल गुर्जर** (माण्डल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) माण्डल विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति माण्डल व सुवाणा में पंचायत समितियों के कुल कितने तालाब हैं और उनसे कितनी-कितनी भूमि की सिंचाई होती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तालाबों में से अनेकों तालाबों को पंचायत समितियों से सिंचाई विभाग में लेने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सभी प्रस्तावित तालाबों को सरकार कब तक सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लेने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) वांछित सूची परिशिष्ट 'अ' में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी, नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालयों में रखी गयी।)

**प्रथम व द्वितीय श्रेणी निरीक्षकों के पद**

831. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर) **श्री रामनारायण** (नैनवां) एवं **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : **क्या** देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विभाग के प्रत्येक संभाग में प्रथम व द्वितीय श्रेणी निरीक्षकों के कितने पद सृजित हैं ? उनमें से कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग में स्नातक या उससे अधिक शिक्षित कितने वरिष्ठ लिपिक हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि निरीक्षकों के कई पद रिक्त होने के कारण विभाग की सम्पदा पर अधिक अतिक्रमण हो रहे हैं व न्यायालय में समय पर वाद दायर करने में विलम्ब हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जब तक राजस्थान लोक सेवा आयोग से निरीक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक उच्च शिक्षित लिपिकों को निरीक्षक पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) देवस्थान विभाग के खण्डीय कार्यालयों के लिये प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के 21 पद सृजित हैं। संभागवार

(देवस्थान मंत्री)

सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विभाग में कार्यरत स्नातक एवं उससे अधिक शिक्षित वरिष्ठ लिपिकों की सूची "ख" सदन की पटल पर रख दी गयी है।

(3) निरीक्षकों के पद रिक्त होने के कारण विभाग के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देवस्थान अधीनस्थ सेवा (क्लास-1) नियमों के अनुसार निरीक्षक के पदों पर लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्ति ही नियुक्त किये जा सकते हैं। नियमों में निरीक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु 12.5 प्रतिशत पद, लिपिक वर्गीय केडर में भरे जाने का प्रावधान है। निर्धारित कोटा अनुसार लोक सेवा आयोग को अर्चना भेज दी गयी है।

सूची "क"

निरीक्षक देवस्थान के सृजित पदों एवं रिक्त पदों का विवरण

| कार्यालय | स्वीकृत पद | | योग | रिक्त पद | |
|---|---|---|---|---|---|
| | प्रथम श्रेणी | द्वितीय श्रेणी | | प्रथम श्रेणी | द्वितीय श्रेणी |
| 1. सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर | 2 | 1 | 3 | 1 | – |
| 2. ,, जोधपुर | – | 2 | 2 | – | 1 |
| 3. ,, उदयपुर | 2 | 2 | 4 | 2 | – |
| 4. उपायुक्त, उदयपुर | – | 1 | 1 | – | 1 |
| 5. सहायक आयुक्त, कोटा | – | 3 | 3 | – | 2 |
| 6. ,, ,, बीकानेर | 2 | – | 2 | 2 | – |
| 7. ,, ,, भरतपुर | 2 | 3 | 5 | – | 2 |
| 8. ,, ,, वृन्दावन | 1 | – | 1 | – | – |
| योग | 9 | 12 | 21 | 4 | 6 |

सूची "ख"

उन वरिष्ठ लिपिकों की सूची जो कि स्नातक या इससे अधिक शिक्षित हैं एवं कार्यरत हैं ।

| क्रम संख्या | नाम कर्मचारी | पद | शैक्षणिक योग्यता |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री रूपशंकर गौड़ | वरिष्ठ लिपिक | स्नातक |
| 2. | श्री गणेशलाल टेलर | ,, | स्नातक |
| 3. | श्री भगवान सहाय शर्मा | ,, | स्नातक |
| 4. | श्री जालम सिंह | ,, | स्नातक |
| 5. | श्री चन्दाराम मीणा | ,, | स्नातक |
| 6. | श्री विनोद कुमार श्रीमाली | ,, | स्नातक |
| 7. | श्री मुकन्द वल्लभ रावल | ,, | स्नातक |
| 8. | श्री जगपाल सिंह | ,, | स्नातकोत्तर |
| 9. | श्री दाऊलाल | ,, | स्नातक |
| 10. | श्री विजेन्द्र सिंह राठौड़ | ,, | स्नातक |

**विधान सभा क्षेत्र खण्डार में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कें**

832. श्री हरिनारायण (खण्डार) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डार में कृषि उपज मण्डी के द्वारा अब तक कितनी सड़कें बनायी गई ? इनमें से कितनी पूर्ण हो गयी है और कितनी अधूरी है ? अपूर्ण को कब तक पूर्ण करवा दियां जावेगा ?

(2) इस क्षेत्र में भविष्य में सड़कें बनाने की क्या योजना है ? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) विधान सभा क्षेत्र खण्डार में जिन कस्बों में सब्जी बेचने वाले सड़कों पर बैठ कर सब्जी बेचते हैं ऐसे स्थानों पर जैसे भगवतगढ़, बहरावड़ा खुर्द, बहरावड़ा कला, बालेर, फलोदी क्वारी, पांचोलास कुश्तला सारसोप, ईसरदा, शिवाड़ आदि में कृषि उपज मण्डी द्वारा सब्जी मण्डियां बनाने की योजना बनाने का कब तक विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक उसका क्रियान्वयन होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

## उत्तर

(1) रूण्डार विधान सभा क्षेत्र में अब तक कुल नौ सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराया गया जिनमें से छह सड़कें पूर्ण हो चुकी है तथा शेष तीन सम्पर्क सड़कें अधूरी हैं। अधूरी सड़कों को वर्ष 94-95 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) भविष्य में कोई नवीन सम्पर्क सड़क प्रस्तावित नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र खण्डार में छोटे-छोटे कस्बों में कृषक स्वयं उत्पादक की हैसियत से बहुत थोड़ी मात्रा में प्रतिदिन उपभोक्ताओं को सब्जियां विक्रय करते हैं। मण्डी समिति स्तर पर इन कस्बों में सब्जी विक्रय हेतु सब्जी मण्डियां बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्योंकि मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति इन विभिन्न कस्बों में सब्जी मण्डियां बनाने की स्थिति में नहीं है।

## कोटा व बूंदी शहरों में आवास आवंटन हेतु प्रतीक्षारत आवेदक

833. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या नगर आयोजना एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा, बून्दी शहर में राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा उच्च, मध्यम एवं अल्प आय वर्ग के कितने मकान अभी तक आवेदन कर्ताओं को दिये जा चुके हैं?

(2) तीनों वर्गों के कितने-कितने मकानों पर आवेदनकर्त्ता प्रतीक्षारत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कौन-कौनसी कालोनियों में निर्माण कार्य चल रहा है तथा किस-किस कालोनियों का कार्य किस वर्ष की किस माह तक पूरा होने की सम्भावना है?

(4) किस किस कालोनी में श्मशान, कब्रिस्तान, जनसुविधा, पार्क व सामुदायिक भवन बनाने का कार्य किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) कोटा व बूंदी शहर में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अभी तक आवेदन कर्ताओं को आवंटित मकानों का ब्योरा निम्न प्रकार है—

| क्र.सं. | श्रेणी (आयवर्ग) | अब तक दिये गये आवासों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | कोटा शहर | बून्दी शहर |
| 1. | आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आयवर्ग | 13319 | 676 |
| 2. | मध्यम आय वर्ग "अ" एवं मध्यम आय वर्ग "ब" | 5570 | 195 |
| 3. | उच्च आय वर्ग | 814 | 5 |
| | | 19703 | 876 |

(नगर आयोजना एवं आवासन मंत्री)

(2) प्रतिक्षारत आवेदकों की श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है :–

| क्र. सं. | श्रेणी (आय वर्ग) | प्रतिक्षारत आवेदकों की संख्या कोटा शहर | बून्दी शहर |
|---|---|---|---|
| 1. | आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आयवर्ग | 2084 | 336 |
| 2. | मध्यम आयवर्ग 'अ' एवं मध्यम आयवर्ग 'ब' | 2655 | 97 |
| 3. | उच्च आयवर्ग | 1063 | 6 |
| | | 5802 | 439 |

(3) कोटा व बून्दी शहर में निर्माणाधीन योजनाऐं निम्न प्रकार है :–

| क्र. सं. | शहर एवं योजना का नाम | कार्यपूर्ण होने की संभावित तिथि |
|---|---|---|
| 1. | कोटा शहर | |
| | (अ) महावीर नगर | दिसम्बर, 1994 |
| | (ब) रंगबाड़ी | दिसम्बर, 1994 |
| 2. | बून्दी शहर | |
| | (अ) जवाहर नगर | दिसम्बर, 1994 |

(4) 1. कोटा एवं बून्दी की किसी भी कालोनी में मण्डल द्वारा श्मशान एवं कब्रिस्तान का निर्माण नहीं करवाया गया है क्योंकि मण्डल की कोलोनियों के निकट ही कोटा नगर परिषद् द्वारा इन सुविधाओं की व्यवस्था कर रखी है जो कि मण्डल की कोलोनियों एवं उसके पास के क्षेत्र के लिए पर्याप्त हैं।

2. मण्डल द्वारा जनसुविधाओं हेतु कोटा एवं बून्दी शहर की सभी योजनाओं में दुकानों का निर्माण करवाया है एवं कोटा शहर में दादाबाड़ी, तलवण्डी, महावीर नगर योजना में डिस्पेन्सरी, भवनों का निर्माण करवा कर चिकित्सा विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। तथा बून्दी शहर के विकास नगर योजना में भी उपरोक्त सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं।

(नगर आयोजना एवं आवासन मंत्री)

3. कोटा शहर की विज्ञान नगर, तलवण्डी, महावीर नगर व दादाबाड़ी योजनाओं में प्राथमिक विद्यालय हेतु भवन निर्माण करवाया है।

4. मण्डल ने सभी योजनाओं में पार्कों हेतु भूमि आरक्षित कर रखी है।

5. बून्दी की विकास नगर योजना में सामुदायिक केन्द्र के भवन निर्माण हेतु रोटरी क्लब को भूमि आवंटित की गई है तथा कोटा शहर की विभिन्न कालोनियों में भी सामुदायिक केन्द्र भवन निर्माण हेतु भूमि का प्रावधान है।

**विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की लिफ्ट सिंचाई योजनायें**

**834. श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) किशनगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सिंचाई हेतु किन-किन लिफ्ट योजनाओं का विभाग द्वारा सर्वे कराया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही हैं कि गत सरकार के विधि राज्य मंत्री ने शिगाला लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास किया था ? यदि हां, तो उक्त योजना की अब तक क्रियान्विति न होने के क्या कारण हैं ?

(3) उक्त क्षेत्र में स्वीकृत कुल कितनी लिफ्ट योजनाएं ऐसी हैं जिनका कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया ?

(4) सरकार अब उक्त योजनाओं को कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) किशनगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 10 लिफ्ट योजनाओं का सर्वे कराया गया है, जिनकी सूची संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत सभी 6 योजनाओं का कार्य शुरू करावाया जा चुका है। पांच योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा एक योजना कार्य प्रगति पर है।

(4) उपरोक्तानुसार शेष 4 लिफ्ट योजनाओं को पूर्ण किया जाना योजनाओं की स्वीकृति एवं वांछित धन राशि की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में सर्वे करायी गयी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की सूची

| क्र. सं. | योजना का नाम | क्र. सं. | योजना का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | बोरदा | 6. | पीपल्दा विनोद |
| 2. | धुगानी | 7. | आगर लिफ्ट |
| 3. | किशनगंज | 8. | कोजइ लिफ्ट |
| 4. | कन्यादेह | 9. | छीपा पोल लिफ्ट |
| 5. | बकोरी मोहन | 10. | चन्द्रपुरा। |

**श्री हिन्दी विद्या भवन हायर सैकण्डरी विद्यालय, सीकर**

835. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) : क्या शिक्षामंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) श्री हिन्दी विद्या भवन हायर सैकण्डरी स्कूल, सीकर के संचालक कौन है एवं स्कूल को कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ?

(2) उक्त स्कूल के भवन एवं भूमि की सार्वजनिक निर्माण विभाग के मापदण्डानुसार कितनी कीमत है ?

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालय को अधिग्रहण करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब से ? नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) श्री हिन्दी विद्या भवन हायर सैकेण्डरी स्कूल, सीकर की प्रबन्ध समिति के चुनाव वर्ष 1989 से न होने के कारण 1989 से ही कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु जिला शिक्षा अधिकारी छात्र, सीकर को अधिकृत किया हुआ है। उक्त स्कूल को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

(2) उक्त स्कूल के भवन की सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमानित कीमत रुपये 16,15,330/– आंकी गई है।

(3) विद्यालय को राज्याधीन लिये जाने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

**फव्वारों हेतु अनुदान**

836. **श्री नारायण सिंह** (दातारामगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पिछले दो तीन सालों में फव्वारों पर राज्य सरकार ने अनुदान स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों को अनुदान दिया गया तथा किस-किस डीलर द्वारा कितने-कितने काश्तकारों को अनुदान दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किसानों की शिकायतों पर विभाग द्वारा कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

**उत्तर**

(1) जी, हां। वर्ष 1990–91 से फव्वारा संयंत्रों पर अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है। वर्ष 1990-91 से 1993-94 में 10 मार्च, '94 तक कुल 17619 कृषकों को अनुदान दिया जा चुका है। फव्वारा संयंत्र क्रय करने पर अनुदान का भुगतान कृषि विभाग के उप निदेशक/सहायक निदेशक द्वारा किया जाता है, डीलर द्वारा नहीं। बिना बैंक ऋण के स्वयं के साधन से फव्वारा संयंत्र खरीदने पर अनुदान राशि का ड्राफ्ट कृषक हिस्सा राशि के ड्राफ्ट के साथ फव्वारा संयंत्र का खेत पर भौतिक सत्यापन करने के बाद डीलर को दिया जाता है। इसके लिए कृषक की लिखित सहमति

(कृषि राज्य मन्त्री)

भी प्राप्त की जाती है। जिलेवार-डीलर-वार सूचना तालिका (क) पर संलग्न है।

(2) जी, हां। सीकर जिले के कृषकों की शिकायत पर नकद पर फव्वारा सैट खरीदने पर अनुदान स्वीकृत किये जाने वाले कृषकों के सम्बन्ध में कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से प्राथमिक जांच कराई गई। अब विस्तृत जांच कार्य प्रगति पर है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट की प्रति-लिपि परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) प्राथमिक जांच में दोषी पाये जाने पर तत्कालीन उप निदेशक कृषि, सीकर, सहायक निदेशक, कृषि, श्रीमाधोपुर, सहायक कृषि अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया था। विस्तृत जांच हेतु सीकर जिले में स्वयं के साधन से खरीदे गये फव्वारा संयंत्रों पर स्वीकृत अनुदान के क्रम में जांच कार्य हेतु जांच दल गठित कर समस्त फव्वारा संयंत्रों का भौतिक सत्यापन करवाया जा रहा है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।).

**विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के ग्रामों हेतु पेयजल**

**837. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे कितने ग्राम आते हैं जिनका पानी पीने योग्य नहीं हैं एवं फ्लोराइड युक्त हैं? सूची ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति-वार सदन की मेज पर रखें।

(2) फ्लोराइड युक्त पानी वाले ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र की कौन-कौनसी पेयजल योजनाएं विभाग के पास विचाराधीन है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) पिछले पांच वर्षों में केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों की पेयजल योजनाओं को स्वीकृत कर पूरी कर दी गयी एवं कितनी योजनायें लम्बित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सन्दर्भित विधान सभा क्षेत्र के उन 105 ग्रामों की वांछित सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है, जिनमें भूजल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से अधिक है।

(2) अजमेर जिले के केकड़ी एवं सरवाड़ तहसीलों के फ्लोराइड की समस्या से ग्रस्त 94 गांवों हेतु 18.59 करोड़ रुपये की एक योजना बनाकर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय को प्रस्तुत की गई थी। इस योजना पर भारत सरकार द्वारा इस योजना हेतु 15.25 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर हाल ही में 6.176 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन की स्वीकृति भी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अजमेर जिले के फ्लोराइड की समस्या से ग्रस्त 644 ग्रामों हेतु पूर्व में

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

ही एक वृहद् प्रारम्भिक योजना प्रारूप बनाया जाकर भारत सरकार को बाह्यय सहायता हेतु प्रेषित कर दिया गया था।

(3) उक्त क्षेत्र की एक क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना इरनिया-ताजपुरा वर्तमान में बनाके, स्वीकृति हेतु प्रक्रिया में है।

(4) सन्दर्भित विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षो में 13 ग्रामों हेतु स्वीकृत पेयजल योजनाओं का वान्छित विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखीं गयी।)

**मुख्य अभियन्ता, सिंचाई संभाग जोधपुर द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक एवं तकनीकी तखमीनें**

**838. श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई सम्भाग जोधपुर ने कितने प्रशासनिक एवं तकनीकी तखमीनें स्वीकृत किये ? वर्ष 1990 से 1993 तक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर सिंचाई डिवीजन के अन्तर्गत कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं, कितने चल रहे हैं ? इन कार्यो पर कितना-कितना धन आवंटित है एवं कितना व्यय किया गया।

(3) वर्तमान अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग जोधपुर ने जब से पद भार ग्रहण किया तब से आज तक कितने प्रशासनिक एवं तकनीकी तखमीनें स्वीकृत किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने सिंचाई सम्भाग जोधपुर द्वारा वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक स्वीकृत किये गये प्रशासनिक एवं तकनीकी तखमीना ब्यौरा निम्नानुसार है :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| वर्ष 1990–91 | प्रशासनिक | 91 | 11 |
| वर्ष 1991–92 | प्रशासनिक | 16 | 24 |
| वर्ष 1992–93 | प्रशासनिक | 2 | – |
| वर्ष 1993–94 | प्रशासनिक | 1 | 4 |

(2) सिंचाई खण्ड जोधपुर के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो, चल रहे कार्यो व उन पर आवंटित धनराशि एवं खर्च का ब्यौरा संलग्न है।

(3) वर्तमान अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने दिनांक 3.2.93 को कार्यभार सम्भाला था। इसके द्वारा 1992–93 एवं 1993–94 में स्वीकृत किये गये प्रशासनिक एवं तकनीकी तखमीनों का ब्यौरा निम्नानुसार है।

वर्ष 1992-93 प्रशासनिक 2 तकनीकी–
वर्ष 1993-94 प्रशासनिक 1 तकनीकी-4

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

**मातृकुण्डियां (चित्तौड़गढ़) स्थित शिव मन्दिर का विकास**

**839. श्री शान्तिलाल चपलोत** (मावली) : क्या देव स्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या चित्तौड़गढ़ जिले में मातृकुण्डियां नामक स्थान पर शिवजी का मन्दिर है ? यदि हां, तो क्या देवस्थान विभाग के पास इस मन्दिर के विकास के

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

लिए कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि मातृकुण्डिया स्थान धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व का है ?

**उत्तर**

(1) जी, हां । मन्दिर स्थित है लेकिन इस मन्दिर के लिए देवस्थान विभाग के पास वर्तमान में कोई विकास योजना विचाराधीन नहीं है ।

(2) जी, हां । मातृकुण्डिया स्थान के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट–"क" सदन के पटल पर रख दिया है ।

मंदिर श्री मंगलेश्वरजी, मातृकुण्डिया ग्राम
गुरजनिया तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़

मन्दिर श्री मंगलेश्वरजी (महादेवजी) मातृकुण्डिया ग्राम गुरजनिया तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़ बनास नदी के किनारे एक धार्मिक पवित्र तीर्थ स्थल हैं । मेवाड़ में इस स्थान की महत्वता भारत के त्रिवेणी, हरिद्वार, गया, पुष्कर जैसे पवित्र स्थानों के समकक्ष हैं । ऐसा कहते हैं कि मातृघाती ऋषि परशुरामजी को अपने समाज ने च्युत कर दिया । इससे क्षुब्ध होकर ये सभी तीर्थ स्थलों पर पापों का प्रायश्चित करने गये और उन्होंने मातृ कल्याण हेतु तर्पण किया, गंगा स्नान किया ऐसा ही एक तर्पण उन्होंने यहां भी किया जिससे उनकी माता का कल्याण हुआ इस कारण यह स्थान मातृकुण्डिया के नाम से विख्यात हैं । यह स्थान महात्माओं, ऋषियों, और साधु-सन्यासियों की तपो-भूमि रही थी । यहीं पास में एक छोटी कच्ची देवरी थी जिसमें शिवलिंग स्थापित था, इस शिवलिंग को मंगलेश्वर महादेव के नाम से सम्बोधित किया जाता था जो आज शैव सम्प्रदाय का राजस्थान व मालवा क्षेत्र का पवित्र धाम हैं । इस मन्दिर की सेवा पूजा आदि करने के सम्बन्ध में तत्कालीन रियासत द्वारा कृषि भूमि पुजारियों को दी गयी थी । मन्दिर की सेवा-पूजा अर्चना पुजारी अपने-अपने ओसरे की बारी-बारी शैव मतावलम्बानुसार करते हैं । यहां आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु विभिन्न समाजों द्वारा धर्मशालाओं का निर्माण किया हुआ है । यहां हिन्दू धर्म के सभी देवी-देवताओं की मूर्तियां/मन्दिर हैं ।

इस पवित्र एवं धार्मिक स्थल पर हरिद्वार, गया, त्रिवेणी, कोलायत, पुष्कर की तरह यहां पर भी श्रद्धालुगण अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करते एवं तर्पण करते हैं । नदी के किनारे पर स्नान घाट बने हुए हैं, वैशाख शुक्ला पूर्णिमा को विशाल मेला लगता हैं । जिसमें हजारों तीर्थ यात्री यहां आकर अपने पूर्वजों की मृत-आत्माओं के मोक्ष हेतु तर्पण करते हैं । भस्मी फूल (हड्डियां) प्रवाहित करते हैं । शिवरात्रि पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है । ऋषिकेश की तरह यहां पर भी लक्ष्मण झूला बना हुआ है ।

# Page No.185



**धनिये की उपज बढ़ाने हेतु अनुसंधान**

**840. श्री भरत सिंह** (खानपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या धनिये की उपज के विकास हेतु किसी प्रकार का अनुसंधान कार्य राज्य में चल रहा है ? यदि हां, तो कहां व कितने वर्षों से ?

(2) धनिये के अनुसंधान के बाद कितनी किस्में विकसित की गयी ?

(3) कृषकों को इसका लाभ मिला या नहीं ? यदि हां, तो कौन से जिले में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी, हां । धनिये की उपज में विकास हेतु अनुसंधान कार्य श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में सन् 1976 से चल रहा है ।

(2) अनुसंधान के बाद धनिये की निम्न 2 किस्में विकसित की गयी :–

1–आर. सी. आर. 41

2–यू. डी. 20

(3) जी, हां । कोटा, बांरा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, चितौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिलों में कृषकों को इसका लाभ मिला है ।

**बाड़ी मानसरोवर बांध से छोटी सादड़ी कस्बे हेतु पेयजल व्यवस्था**

**841. श्री उदयलाल आंजना** (निम्बाहेड़ा) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार की बाड़ी मानसरोवर बांध से छोटी सादड़ी कस्बे को पीने का पानी देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह योजना कितनी लागत की है व इस पर कब से कार्य आरम्भ करने का विचार है ?

(2) क्या सरकार छोटी सादड़ी कस्बे की जनता की वर्तमान विकट पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए तुरन्त वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

(1) जी, हां । "हुड़को' से सहायता हेतु बनायी गई इस योजना की अनुमानित राशि 448.07 लाख रुपये है । योजना हेतु हुड़को से 309.00 लाख रुपयों के ऋण की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है तथा योजना का क्रियान्वयन ऋण की राशि प्राप्त होने पर प्रारम्भ करना प्रस्तावित है ।

(2) तात्कालिक समाधान की दृष्टि से वर्तमान कन्टिजैन्सी कार्यक्रम के अन्तर्गत एक नलकूप का निर्माण कराया जा चुका है एवं इसे पाइप लाईन से जोड़कर शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं । कस्बे में आवश्यकतानुसार हैण्ड पम्प भी लगाये जायेंगे ।

**चवली एवं पिपलाद (पिड़ावा) बांध परियोजनायें**

**842. श्री कन्हैयालाल पाटीदार** (पिड़ावा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

क्या पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में चंवली बांध एवं पिपलाद बांध परियोजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

जी, नहीं। चंवली योजना केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित की जा चुकी है, तथा टेक्नीकली एडवाइजरी कमेटी द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है तथा राज्य वित्त विभाग द्वारा वित्तीय सहमति भी दी जा चुकी है, परन्तु योजना आयोग का अनुमोदन अपेक्षित है।

पिपलाद मध्यम सिंचाई परियोजना का संशोधित प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग में विचाराधीन है।

**तारांकित प्रश्न संख्या 843**

(स्थगित)

**शैलवाड़ा-सूकली (रेवदर) बांध का निर्माण**

844. **श्री जयन्तीलाल कोली** (रेवदर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र में शैलवाड़ा-सूकली बांध बनाने हेतु स्वीकृति जारी की गयी थी ? यदि हां, तो कब तथा कितनी धनराशि स्वीकृति की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उस बांध का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के तुरन्त बाद ही बन्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय की गई तथा कार्य बन्द क्यों किया गया ?

(3) क्या सरकार उक्त बांध का निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) उक्त बांध की प्रस्तावित भराव क्षमता, सिंचाई क्षमता तथा लागत क्या है ?

**उत्तर**

(1) जिला कलक्टर, सिरोही के द्वारा इस योजना के लिए अकाल राहत मद में संवत 2044 में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रुपये 2.00 लाख की स्वीकृति दी गयी थी।

(2) इस योजना का कार्य केवल अकाल राहत मद में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही संवत् 2044 में शुरू किया गया था। अकाल राहत कार्य की अवधि के दौरान उक्त कार्य पर 1,29,204/– का व्यय किया गया। अकाल राहत कार्यों की अवधि समाप्त होने पर कार्य बन्द कर दिया गया।

(3) जी, हां। इस बांध का योजना का प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित किया है। योजना की प्रशासनिक स्वीकृति होने तक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया जा सकेगा।

(4) उपरोक्त बांध की अनुमानित लागत रुपये 1540.76 लाख रुपये आंकी

((सिंचाई मंत्री)

गयी है। इस बांध की कुल भराव क्षमता 914.00 मिलियन घन फीट है। इस परियोजना की वार्षिक सिंचाई क्षमता 10437 एकड़ है।

**सूरसागर जोधपुर का ईदगाह निर्माण प्रकरण**

845. **श्री जुबेर खां** (रामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सूरसागर जोधपुर में ईदगाह के निर्माण हेतु नक्शा पास करवाने का प्रकरण नगर सुधार न्यास जोधपुर में लम्बे समय से विचाराधीन है? यदि हां तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी भूमि के एक भाग का नक्शा व्यक्ति विशेष के लिए पास कर दिया गया है? यदि हां, तो ईदगाह के नक्शों को सरकार कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है?

**उत्तर**

(1) जी, नहीं। ईदगाह भूमि के स्वामित्व के बारे में प्रार्थी द्वारा पूर्ण सूचना बावजूद नोटिसों के प्रस्तुत नहीं करने पर न्यास द्वारा यह प्रकरण निरस्त कर दिया गया है। अब कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(2) जी, नहीं। इस भूमि के एक भाग का नक्शा किसी व्यक्ति विशेष के लिए पास नहीं किया गया है।

**बीसलपुर बांध परियोजना से जिला टोंक के किसानों को सिंचाई सुविधा**

846. **श्री जगदीश प्रसाद मीणा** (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बीसलपुर बांध परियोजना से टोंक जिले के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी? यदि हां, तो कहां-कहां? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम बन्थली के नीचे के खेत, सरोली, दूनी, धाड, गुराई व नगर जिला टोंक तहसील देवली के किसानों को भी नहरों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी? यदि हां, तो नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्ष 1965 में जो नहर का सर्वे हुआ था उसी के अनुसार नहरों का निर्माण किया जायेगा?

**उत्तर**

(1) जी, हां। टोंक जिले की तहसील देवली के 24 गांव, तहसील टोंक के 106 गांव, तहसील उनियारा के 73 गांव में सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध होगी। गांवों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट–अ)

(2) बन्थली, सरोली व दूनी के खेतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। धाड, गुराई व नगर के किसानों को नहरों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकेगी। नक्शे की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट–ब)

(3) वर्ष 1965 में कोई सर्वेक्षण नहर का नहीं हुआ।

(सूची एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

**नगर परिषद, अलवर की आय**

**847. श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अलवर नगर परिषद् की पिछले पांच वर्षों में चुंगी से व अन्य मदों से कितनी आय हुई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चुंगी की सालाना आमद में कमी हुई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी? क्या चुंगी आमद के घटने के कारणों की जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ?

(3) अलवर नगर परिषद् में आग बुझाने के कुल कितने वाहन हैं ? इनमें से कितने चालू हालत में हैं तथा कितने वाहन खराब पड़े हैं और कब से ?

**उत्तर**

(1) गत पांच वर्षों में चुंगी व अन्य मदों से हुई आय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जी, नहीं ।

(3) नगर परिषद् अलवर में आग बुझाने के कुल चार वाहन हैं । दो वाहन चालू हालत में है तथा दो वाहन खराब पड़े हैं । इसमें से एक वाहन गत काफी वर्षों से पार्ट्स न मिलने के कारण कन्डेम हैं । दूसरा वाहन वर्ष 1993–94 में ही खराब हुआ है ।

कार्यालय नगर परिषद, अलवर

आय–विवरण

| क. सं. | आय मद | 1988–89 | 1989–90 | 1990–91 | 1991–92 | 1992–93 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | चुंगीकर | 11965808.00 | 12614816.00 | 13854462.00 | 16234020.00 | 17856676.00 |
| 2. | गृहकर | 1078390.00 | 1416409.00 | 1081646.00 | 1510627.00 | 2264122.00 |
| 3. | विज्ञापन बोर्ड व लाइसेंस फीस | 249453.00 | 256851.00 | 199822.00 | 274935.00 | 281218.00 |
| 4. | तहबाजारी किराया एवं गन्दे नालों का ठेका | 936573.00 | 1125495.00 | 927720.00 | 1145803.00 | 1294287.00 |
| 5. | जुर्माना (पेनल्टी व फाईन्स) | 177788.00 | 148313.00 | 164050.00 | 283010.00 | 272134.00 |
| 6. | वार्षिक सहायता | 1457950.00 | 1457950.00 | 1457950.00 | 1457950.00 | 1457950.00 |
| 7. | विविध आय | 774869.00 | 1555119.00 | 910825.00 | 1638161.00 | 5093516.00 |
| 8. | भूमि विक्रय (यू.आई.टी. विनियोग भूमि लीज) | 1107388.00 | 6311566.00 | 3565926.00 | 2720967.00 | 2053130 00 |

ह०
सहायक लेखाधिकारी
नगर परिषद, अलवर

ह०
आयुक्त
नगर परिषद, अलवर

**जिला डूंगरपुर में माही बजाज सागर से उप नहर**

**848. श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले के माही बजाज सागर बांध से एक उप नहर डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा, ग्रासपुर तहसीलों के लिये निकाली गयी है? यदि हां, तो कब तक तथा अब तक कितना कार्य उस पर किया गया है ?

(2) इस नहर का कार्य कब प्रारम्भ किया गया था ? उक्त नहर की लम्बाई चौड़ाई तथा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा ? सम्भावित अवधि बताते हुये नहर के मानचित्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी, हां। माही सागवाड़ा नहर डूंगरपुर जिले की आसपुर, सागवाड़ा एवं सीमलवाड़ा तहसीलों के क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्माणाधीन है। वर्ष 1986 से 1988 के बीच अकाल राहत एवं सूखा संभावित रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 6.09 लाख घनमीटर तथा वर्ष 1993–94 में नहर की आर. डी. 0 से 15 कि.मी. के बीच 1.87 लाख घनमीटर (कुल 7.96 लाख घन मीटर) खुदाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा आर. डी, 0 से 15 कि.मी. के बीच मिट्टी खुदाई एवं कुछ पक्के कार्य प्रगति पर है।

(2) माही सागवाड़ा नहर की खुदाई का आंशिक कार्य वर्ष 1986 से 1988 एवं 1993–94 में करवाया गया था। इस नहर की कुल लम्बाई 124 कि. मी. है एवं प्रारम्भिक बिन्दु पर नहर के तल की चौड़ाई 3.80 मीटर है।

पर्याप्त बजट की उपलब्धता पर उक्त नहर का कार्य नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण होना संभव हो सकेगा। मानचित्र सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

**तहसील रूपवास के ग्रामों हेतु पेयजल व्यवस्था**

**849. श्री मोतीलाल** (रूपवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या रूपवास तहसील का पानी भरतपुर को दिया जा रहा है ?

(2) रूपवास तहसील के ग्रामों को गर्मी के मौसम में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी, नहीं।

(2) रूपवास तहसील के पेयजल से समस्याग्रस्त ग्रामों हेतु अतिरिक्त पेयजल व्यवस्था के लिये ग्रीष्म कालीन कन्टिजेन्सी कार्यक्रम 1994 में 2 हैण्ड पम्पों को लगाये जाने का कार्य प्रगति पर है। भरतपुर

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों, जिनमें रूपवास तहसील भी सम्मिलित है, हेतु 74 लाख रुपये की राशि ग्रीष्म काल में पेयजल समस्या से निपटने हेतु आवंटित की गयी है तथा विभागीय अधिकारियों को जिला प्रशासन एवं क्षेत्र के विधायकों से विचार विमर्श कर कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

**विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्रामों हेतु पेयजल व्यवस्था**

850. **श्री सुन्दर लाल** (सूरजगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले के ग्राम पालोता एवं निहालपुरा में ग्राम जनता के लिए पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसमें ग्रामीण जनता को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं ? यदि हां, तो पेयजल आपूर्ति की क्या सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

(2) क्या सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कई ग्रामों में पूर्व वर्षों में ओवर हैड टैंक बनाये गये थे ? क्या इन्हें जलापूर्ति के लिए काम में लिया जा रहा है, यदि नहीं, तो क्यों ? इन टैंकों में पानी डलवाने की व्यवस्था के साथ-साथ सम्बन्धित ग्रामों में जलापूर्ति सुचारू रूप से चल सके, इस हेतु सरकार की क्या योजना है तथा इस योजना को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

**उत्तर**

(1) ग्राम पालोता को विभाग द्वारा पनघट योजना से लाभान्वित किया गया था, परन्तु जल स्रोत के सूख जाने के कारण योजना बन्द हो गयी एवं वर्तमान में ग्रामवासी कृषि के कुओं से पानी प्राप्त कर रहे हैं। समस्या के निदान हेतु वैकल्पिक प्रस्ताव स्वीकृत किये जाकर कार्य आरंम्भ कर दिया गया है। क्षेत्रीय योजना सोहली कलोठरा के अन्तर्गत स्रोत ग्राम सोहली में भूजल स्तर में गिरावट के कारण व स्रोत में पेयजल उत्पादन में कमी से अन्तिम छोर पर स्थित ग्राम निहालपुरा को पेयजल आपूर्ति सम्भव नहीं हो पा रही है। कंटिन्जेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत एक कुएं को गहरा करवाये जाने का कार्य प्रगति पर है एवं एक नलकूप व एक कुएं में बोरिंग बनाये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है इन कार्यों के पूर्ण होने पर समस्या का निदान हो सकेगा।

(2) जी, हां। सन्दर्भित विधान सभा क्षेत्र में निर्मित पांच उच्च जलाशयों को अभी तक नहीं जोड़ा जा सका था। इन्हें जोड़ने हेतु कार्यवाही जारी है।

**परिशिष्ट–3**

**अतारांकित प्रश्न संख्या–1259 की सूची**

कंटिन्जेंसी प्लान ग्रीष्म ऋतु–1994
(अप्रेल, 1994 से जून, 1994)

ग्रामीण क्षेत्र
रुपये लाखों में

| क्र.सं. | जिले का नाम | अनुमानित लागत |
|---|---|---|
| 1. | अजमेर | 100.00 |
| 2. | अलवर | 60.00 |
| 3. | बांसवाड़ा | 30.00 |
| 4. | ब्यावर | 90.00 |
| 5. | भीलवाड़ा | 100.00 |
| 6. | बीकानेर | 60.00 |
| 7. | बूंदी | 35.00 |
| 8. | चित्तौड़गढ़ | 90.00 |
| 9. | चूरू | 90.00 |
| 10. | दौसा | 40.00 |
| 11. | धौलपुर | 50.00 |
| 12. | डूंगरपुर | 30.00 |
| 13. | गंगानगर | 30.00 |
| 14. | जयपुर | 160.00 |
| 15. | जैसलमेर | 70.00 |
| 16. | जालौर | 55.00 |
| 17. | झुन्झुनूं | 75.00 |
| 18. | जोधपुर | 155.00 |
| 19. | नागौर | 110.00 |
| 20. | पाली | 75.00 |
| 21. | राजसमन्द | 60.00 |

| क्र.सं. | जिले का नाम | अनुमानित लागत |
|---|---|---|
| 22. | सिरोही | 35.00 |
| 23. | सवाईमाधोपुर | 75.00 |
| 24. | टौंक | 65.00 |
| 25. | उदयपुर | 60.00 |
| 26. | बारां | 70.00 |
| 27. | भरतपुर | 74.00 |
| 28. | झालावाड़ | 35.00 |
| 29. | कोटा | 40.00 |
| 30. | सीकर | 70.00 |
| | योग : | 2089.00 |

**परिशिष्ट–4**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1262 की सूची**

उपखण्ड गंगापुर सिटी के अधीन नल (पाइप्ड) योजनाओं से लाभान्वित ग्राम एवं शहर

**(क) संधारित ग्रामीण नल योजनायें :–**

1. वजीरपुर
2. खण्डीप
3. मह्रू कलां
4. उदयकलां

**(ख) संधारित नगरीय जल प्रदाय योजनायें :–**

1. गंगापुर सिटी

स्वीकृत एवं प्रगतिरत कोई नल योजना नहीं है।

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 1273 की सूचना

विगत (सम्वत् 2039 से 2044) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड प्रथम द्वारा एनीकट एवं तालाबों के निर्माण कार्य की सूची :–

| क्र.सं. | एनीकट का नाम | तहसील | सम्वत् 2039 से 2044 तक | व्यय की गयी राशि अब तक | कार्य की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **(अ) एनीकट के निर्माण कार्य :–** | | | | |
| 1– | खजुरियां | सहाड़ा | 2039 | 2.11 | पूर्ण |
| 2– | डियास | ,, | ,, | 0.43 | अपूर्ण |
| 3– | मदुनिया | ,, | ,, | 0.42 | पूर्ण |
| 4– | पोटला का गोल एनीकट | ,, | ,, | 0.11 | ,, |
| 5– | अधकली | ,, | ,, | 2.41 | ,, |
| 6– | मामादेव | ,, | ,, | 4.92 | ,, |
| 7– | सातलियास | ,, | ,, | 20.10 | अपूर्ण |
| 8– | खाकला | ,, | ,, | 7.14 | अपूर्ण |
| 9– | नेगड़िया | ,, | ,, | 6.86 | पूर्ण |
| 10– | झामरा | ,, | ,, | 3.23 | अपूर्ण |
| 11– | बाघपुरा | ,, | ,, | 0.95 | ,, |
| 12– | बकान | ,, | ,, | 9.85 | ,, |
| 13– | थला | ,, | ,, | 11.73 | पूर्ण |
| 14– | बागोलिया | ,, | ,, | 7.35 | ,, |
| 15– | सुरास | रायपुर | 2041 | 4.48 | ,, |
| 16– | उल्लेलाई | सहाड़ा | 2042 | 6.14 | ,, |
| 17– | धुलखेड़ा | रायपुर | 2042 | 8.68 | अपूर्ण |
| 18– | झाडोल | रायपुर | ,, | 2.75 | अपूर्ण |
| 19– | टापरिया खेड़ी | सहाड़ा | 2043 | 3.64 | पूर्ण |
| 20– | पालखेड़ा | ,, | ,, | 5.39 | अपूर्ण |
| 21– | गोवलिया | ,, | ,, | 4.19 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22– | पोटला | सहाड़ा | 2043 | 7.28 | अपूर्ण |
| 23– | सल्यावड़ी | ,, | ,, | 3.53 | पूर्ण |
| 24– | नाथड़ियास | रायपुर | ,, | 19.70 | ,, |
| 25– | मटेवर | ,, | ,, | 8.70 | अपूर्ण |
| 26– | पांटिया खेड़ा | ,, | ,, | 6.40 | पूर्ण |
| 27– | आसपुर | ,, | ,, | 10.12 | अपूर्ण |
| 28– | देवरिया | ,, | ,, | 5.54 | अपूर्ण |
| 29– | पालरा | ,, | ,, | 6.68 | ,, |
| 30– | राली खेड़ा | ,, | ,, | 3.44 | ,, |
| 31– | छापरिया | सहाड़ा | 2044 | 0.86 | ,, |
| 32– | कालाघोड़ा | रायपुर | ,, | 8.03 | पूर्ण |
| 33– | रायपुर बोराना | ,, | ,, | 0.36 | अपूर्ण |
| 34– | नान्दुड़ा (डेम का एनीकट) | ,, | ,, | 2.50 | ,, |
| 35– | आशा होली | ,, | एन.आर.ई.पी. | 5.18 | ,, |
| 36– | भूरा माटा | ,, | | 0.18 | ,, |
| 37– | मासींगपुर | ,, | | 0.45 | ,, |
| 38– | कोशीथल | सहाड़ा | | 6.53 | ,, |
| 39– | लाटिया खेड़ा | रायपुर | | 0.68 | ,, |
| 40– | दुल्लेपुरा रंजन | ,, | | 3.19 | ,, |
| | **(ब) तालाब एवं बांध के निर्माण कार्य :–** | | | | |
| 1– | ग्रोरियापुरा | रायपुर | | 28.57 | ,, |
| | **(स) ग्रन्य निर्माण कार्य :–** | | | | |
| 1– | रामा सप्लाई चैनल | रायपुर | | 14.42 | ,, |

## परिशिष्ट–6

### अतारांकित प्रश्न संख्या 1276 का विवरण

**बिन्दु संख्या–1 की सूची**

| 2000 या उससे अधिक | 4000 या उससे अधिक |
|---|---|
| 1– रा.उ.प्रा.वि., धामनिया | रा.उ.प्रा.वि., तरहरी माण्डलगढ़ |
| 2– रा.उ.प्रा.वि., खटवाड़ा | ,, ,, होज माण्डलगढ़ |
| 3– रा.बा.उ.प्रा.वि., लाड़पुरा | ,, ,, गेनोली माण्डलगढ़ |
| 4– रा.बा.उ.प्रा.वि., खटवाड़ा | ,, ,, छोटा दरवाजा, विजोलिया |
| 5– रा.बा.उ.प्रा.वि., सिगोली | रा.बा.उ.प्रा.वि., विगोद |
| 6– रा.बा.उ.प्रा.वि., महुआ | ,, ,, काछोला |
| 7– रा.बा.उ.प्रा.वि., मानपुरा | ,, ,, बल्दनी |
| 8– रा.बा.उ.प्रा.वि., जोजवा | ,, ,, तलहटी माण्डलगढ़ |

**बिन्दु संख्या–2 की सूची**

| क्र.सं. | नाम विद्यालय | छात्र संख्या |
|---|---|---|
| 1– | रा.उ.प्रा.वि., माण्डलगढ़ तलहटी | 40 |
| 2– | रा.उ.प्रा.वि., होड़ा माण्डलगढ़ | 31 |
| 3– | रा.उ.प्रा.वि., छोटा दरवाजा, विजोलिया | 56 |
| 4– | रा.उ.प्रा.वि., सलाकटिया | 38 |
| 5– | रा.बा.उ.प्रा.वि., विगोद | 21 |
| 6– | रा.बा.उ.प्रा.वि., काछोला | 21 |

**बिन्दु संख्या–3 की सूची**

10 किलोमीटर की परिधी में आने वाले उ.प्रा.वि. की सूची–

| | |
|---|---|
| 1– रा.उ.प्रा.वि., तलहटी माण्डलगढ़ | 1– खाचरोल<br>2– होड़ा<br>3– गेणोली |
| 2– रा.उ.प्रा.वि., होड़ा माण्डलगढ़ | 1– तलहटी माण्डलगढ़<br>2– गेणोली<br>3– खाचरोल |

# Page No.197



| | | |
|---|---|---|
| 3– | रा.उ.प्रा.वि., छोटा दरवाजा, बिजोलिया | 1– विक्रमपुर |
| | | 2– मांजीसा का खेड़ा |
| | | 3– गणेशपुरा |
| 4– | रा.उ.प्रा.वि., सलावटिया | 1– तिलस्वी |
| | | 2– गोपालपुरा |
| 5– | रा.बा.उ.प्रा.वि., बिगोद | 1– खटवाड़ा |
| | | 2– जोजवा |
| | | 3– नदराय |
| 6– | रा.बा.उ.प्रा.वि., लाड़पुरा | 1– तलहटी |
| | | 2– माण्डलगढ़ |
| 7– | रा.बा.उ.प्रा.वि., काछोला | 1– मानपुरा |
| 8– | रा.बा.उ.प्रा.वि., खटवाड़ा | 1– बिगोद |
| | | 2– आकोला |
| | | 3– जोजवा |
| 9– | रा.बा.उ.प्रा.वि., सिगोली | 1– बरूदनी |
| | | 2– जोजवा |
| 10– | रा.बा.उ.प्रा.वि., बरूदनी | 1– सिगोली |
| 11– | रा.बा.उ.प्रा.वि., महुआ | 1– मानपुरा |
| 12– | रा.बा.उ.प्रा.वि., मानपुरा | 1– महुआ |
| 13– | रा.बा.उ.प्रा.वि., जोजवा | 1– सिगोली |
| | | 2– खटवाड़ा |
| 14– | रा.बा.उ.प्रा.वि , तलहटी माण्डलगढ़ | 1– लाडपुरा |
| 15– | रा.बा.उ.प्रा.वि., खोराड़िया | — |
| 16– | रा.बा.उ.प्रा.वि., चांदजी की खेड़ी | — |

## परिशिष्ट-7

### अतारांकित प्रश्न संख्या 1280 का विवरण

| वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 1982-83 | 88,719.67 | 88,788.20 |
| 1983-84 | 1,17,701.95 | 1,11,701.21 |
| 1984-85 | 1,59,729.64 | 1,52,476.63 |
| 1985-86 | 1,11,095.42 | 1,20,619.29 |
| 1986-87 | 1,68,311.96 | 1,48,931.09 |
| 1987-88 | 1,68,920.76 | 1,75,149.88 |
| 1988-89 | 1,55,747.58 | 1,61,005.85 |
| 1989-90 | 1,62,569.01 | 1,04,988.00 |
| 1990-91 | 2,48,888.62 | 2,44,399.37 |
| 1991-92 | 3,18,513.47 | 3,27,098.87 |

## परिशिष्ट-8

### अतारांकित प्रश्न संख्या 1291 की सूची

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाए

(1) भोजन, नाश्ता, कपड़ा, बिजली, पानी, बाल कटाई, तेल, साबुन, जूते की सुविधा हेतु 250/- रुपये प्रति छात्र प्रति माह की दर से साढ़े नौ माह के लिये राशि उपलब्ध करायी जाती है।

(2) प्रत्येक सत्र में कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों को 60/- रुपये प्रति छात्र एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40/- रुपये प्रति छात्र पुस्तकें/स्टेशनरी तथा फीस हेतु दिये जाते हैं।

(3) प्रति छात्र को उपयोग हेतु निम्न सामान उपलब्ध कराया जाता है :-

(1) दरी

(2) दो कम्बल

(3) एक तकिया मय दो गिलाफ

(4) दो चादर

(5) एक गद्दा (8) दो कटोरी

(6) एक थाली (9) चारपाई या तख्ता

(7) एक प्लास्टिक मग (बड़ा) (10) अलमारी या लोहे का बक्सा ।

(4) प्रत्येक छात्रावास में कठिन विषयों जैसे–गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को पढ़ाने हेतु विशेष कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है । जिसके लिये प्रत्येक विषय हेतु 200/– रुपये प्रतिमाह नवम्बर से फरवरी माह तक की राशि उपलब्ध करवायी जाती है ।

## परिशिष्ट–9

### अतारांकित प्रश्न संख्या 1294 की सूची

विषय :–पिछले छः माह में नियमित किये गये सरकारी जमीन की सूची

| क्र.सं.<br>1 | पत्रावली संख्या<br>2 | नाम व पता<br>3 | चौकड़ी<br>4 |
|---|---|---|---|
| 1. | 65/2045 सरण | रसीद खां व सईद खां पुत्र श्री कालू खां म.नं. 4103 मो. पैकान् रास्ता जगन्नाथ शाह | रामचन्द्र जी (हवा. पूर्व) |
| 2. | 1/2050 विनि. | मोता पत्नि श्री चंदीराम मो. जुलाहों का रास्ता जगन्नाथ शाह | रामचन्द्र जी ,, |
| 3. | 7/2050 सरण | श्री कल्लन पुत्र श्री छोटे खां | तोपखाना हजूरी ,, |
| 4. | 5/2049/वि. | श्री अतीउल्ला पुत्र श्री अफीबउल्ला | तोपखाना हजूरी ,, |
| 5. | 51/2050/सरण | श्री कयूम अली पुत्र श्री इकराम अली | तोपखाना हजूरी ,, |
| 6. | 2/2049/वि. | श्री प्रभात पुत्र श्री गोविन्दराम | तोपखाना हजूरी ,, |

# Page No.200



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 7. | 12/2042/वि. | श्री अब्दुल अकीम पुत्र श्री अ. रहमान | तोपखाना हजूरी (हवा. पूर्व) |
| 8. | 9/2050/वि. | श्री हाजी रहीमुदीन पुत्र श्री गफूर खां | तोपखाना हजूरी ,, |
| 9. | 20/2045/वि. | श्री इकबाल पुत्र श्री नूरमोहम्मद | तोपखाना हजूरी ,, |
| 10. | | श्री फरीद भाई आंकल खाना का रास्ता | तोपखाना हजूरी ,, |
| 1. | 37/2023 ई. | श्री यासीन खां पुत्र श्री नन्हें खां | मोदीखाना (हवा. पश्चिम) |
| 2. | 45/2050/सरण/वि. | श्री महादेव प्रसाद म.नं. 3854 रास्ता कल्याण जी | तोपखाना देश (हवा. पश्चिम) |
| 3. | 1/2050/वि. | श्री जगदीश प्रसाद शर्मा म.नं. 2465 रास्ता भिन्डान् | तोपखाना देश ,, |
| 4. | 2/2046 ख.ज. | श्री हरिनारायण पुत्र श्री मोठीलाल नगर परिषद् कॉलोनी प्लाट नं. 1 | सरहद ,, ,, |
| 5. | 92/2039 अला.भू. | श्री दामोदर पुत्र श्री जयलाल, शीतला माता के मन्दिर के पास | ब्रह्मपुरी ,, ,, |
| 6. | 21/2047/वि.नि. | श्री ओम खुराना पुत्र श्री स्व. चेतनदास, छोटा अखाड़ा | ब्रह्मपुरी ,, ,, |

## परिशिष्ट-10

### अतारांकित प्रश्न संख्या 842 की सूची

वर्ष 1981 एवं 1985 की बाढ़ में पीड़ित व्यास कालोनी के निवासियों को विद्याधर नगर में क्वार्टर आवंटित किये गये थे।

| क्र.सं. | नाम/पिता का नाम | व्यास कालोनी का प्लाट नम्बर | भूखण्ड संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री रमेशचन्द/मूलचन्द | 105 | ए–26 |
| 2. | ,, प्रभूदयाल/बद्रीनारायण | 107 | ए–27 |
| 3. | ,, नारायणलाल/उदयराम | 124 | ए–28 |
| 4. | ,, रमेशचन्द/नारायणलाल | 125 | ए–29 |
| 5. | ,, राजेन्द्रप्रसाद/रामचन्द्र | 34 | ए–30 |
| 6. | ,, श्यामसुन्दर/घासीराम | 94 | ए–31 |
| 7. | ,, दोलीराम/फूलसिंह | 40 | ए–32 |
| 8. | ,, भूरीसिंह/कमलाप्रसाद | 47 | ए–33 |
| 9. | ,, सूरतसिंह/नेतराम | 130 | ए–34 |
| 10. | ,, नरपतसिंह/सूरतसिंह | 131 | ए–35 |
| 11. | ,, हरीशचन्द्र शर्मा/लालचन्द शर्मा | 6 | ए–36 |
| 12. | ,, हरीलाल/घासीलाल | 3 | ए–42 |
| 13. | ,, राधेश्याम/बनवारीलाल | B-8 | ए–43 |
| 14. | ,, बाबूलाल/कन्हैयालाल | 8 | ए–46 |
| 15. | ,, चन्द्रशेखर/गणपतराम | 111 | ए–47 |
| 16. | श्रीमती किशनबाई वेवा/विजयसिंह | 14 | ए–48 |
| 17. | श्री चन्द्रसिंह/विजय सिंह | 65 | ए–49 |
| 18. | ,, भवानी सिंह/ईश्वर सिंह | 45 | ए–50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 19. | श्री चतर सिह/गोविन्द सिंह | 44 | ए–51 |
| 20. | ,, लक्ष्मण/कुन्दन सिह | 97 | ए–52 |
| 21. | ,, दिलीप सिंह/लक्ष्मण सिंह | 98 | ए–53 |
| 22. | ,, गुलाबचन्द/कन्हैयालाल | 9 | ए–54 |
| 23. | ,, बनवारीलाल/कन्हैयालाल | 10 | ए–55 |
| 24. | ,, गजानन्द/मक्खनलाल | C-88 | ए–56 |
| 25. | ,, फूलचन्द/मक्खनलाल | 89 | ए–57 |
| 26. | ,, मोहन सिंह/लादूसिंह | 18 | ए–58 |
| 27. | ,, जगदीश प्रसाद/चतर भुज | 56 | ए–59 |
| 28. | ,, रामसिंह/हेतराम | 35 | ए–60 |
| 29. | ,, रमेश/जीवनराम | 37 | ए–64 |
| 30. | ,, बाबूलाल/जीवनराम | 38 | ए–65 |
| 31. | ,, महेश प्रसाद/नाथूलाल | 16 | ए–66 |
| 32. | ,, मोहनलाल/रामचन्द्र | 69 | ए–67 |
| 33. | ,, हनुमान प्रसाद/फूलचन्द | 80 | ए–71 |
| 34. | ,, ओमप्रकाश/किशोरीलाल | 114 | ए–72 |
| 35. | ,, युसुफ खां/उमराव खां | 60 | ए–73 |
| 36. | ,, मुन्नालाल/किशोरीलाल | 74 | ए–74 |
| 37. | ,, दामोदर प्रसाद/नानगराम | 127 | ए–75 |
| 38. | ,, हनुमानसहाय/भूराराम | 2 | ए–76 |
| 39. | ,, कुसुम शर्मा/कृष्णा शर्मा | 30 | ए–77 |
| 40. | ,, नेतराम/कन्हैयालाल | 129 | ए–78 |
| 41. | ,, कन्हैयालाल/भैरवराम | 106 | ए–79 |
| 42. | ,, मुन्शी/नंदा खां | 46 | ए–80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 43. | श्रीमती कमलेश/रामबाबू | 93 | ए–81 |
| 44. | श्री मोहम्मद यामीन/मोहम्मद हुसैन | 118 | ए–82 |
| 45. | ,, मनोहरलाल/लक्ष्मीचन्द | 24 | ए–83 |
| 46. | ,, राजेन्द्र कुमार/जेठमल | 66 | ए–87 |
| 47. | ,, किशनलाल/पोखरमल | 37 | ए–88 |
| 48. | ,, भगवान सहाय/श्योदान | 67 | ए–90 |
| 49. | ,, ओमप्रकाश/सांवलराम | 1 | ए–92 |
| 50. | ,, महेन्द्रकुमार/रामदास | 102 | ए–93 |
| 51. | श्रीमती भौंरी बाई/नन्द सिंह | 110 | ए–94 |
| 52. | श्री किशनलाल/गिरधारीलाल | 91 | ए–95 |
| 53. | ,, सीताराम/नानगराम | 58 | ए–97 |
| 54. | ,, रामगोपाल/नारायण | 19 | ए–100 |
| 55. | ,, दिलीप कुमार/बृजमोहन | 12 | ए–101 |
| 56. | श्रीमती नाथी देवी/बंशीधर | 101 | ए–102 |
| 57. | श्री लियाकत अली/मुन्शी खां | 117 | ए–103 |
| 58. | ,, हनुमानराम/जानकीलाल | 93 | ए–104 |
| 59. | श्रीमती गीतादेवी/स्व. रामनारायण | 84 | ए–105 |
| 60. | श्री बनवारीलाल/किशोरीलाल | 41 | ए–106 |
| 61. | ,, नाथूसिंह/भंवरसिंह | 33 | ए–107 |
| 62. | ,, गुनाबुद्दीन/मुनीरुद्दीन | 119 | ए–108 |
| 63. | ,, गोरधनलाल/किशोरीलाल | 85 | ए–109 |
| 64. | ,, सुल्तानराम/रामलाल | 13 | ए–110 |
| 65. | ,, विद्यानन्द/चिरंजीलाल | 49 | ए–111 |
| 66. | ,, केशरसिंह/नानगराम | 62 | ए–113 |
| 67. | ,, मनोहरलाल/दौलतराम | 50 | ए–114 |
| 68. | ,, छोगालाल/अमरचन्द | 4 | ए–115 |
| 69. | ,, नारायण सिंह/मदन सिंह | 86 | ए–116 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 70. | श्रीमती दुर्गा देवी/प्रहलाद सिंह | 122 | ए–117 |
| 71. | श्री राधेश्याम/बंशीधर | 107 | ए–119 |
| 72. | ,, जगदीश/स्वरूपराज | 100 | ए–120 |
| 73. | श्रीमती मनभर देवी/किशोरीलाल | 83 | ए–121 |
| 74. | ,, चांद खां/घूले खां | 79 | ए–123 |
| 75. | ,, सत्यनारायण/छगनलाल | 4 | ए–124 |
| 76. | ,, हदी खांन/रमजान खां | 125 | बी–466 |
| 77. | श्रीमती सरस्वती देवी/नारायण | 21 | सी–324 |

मुरलीपुरा

| क्र.सं. | भूखण्ड संख्या | नाम |
|---|---|---|
| 1. | बी-230 | कमला देवी पत्नि देवीनारायण 133 |
| 2. | बी-232 | श्री रामेश्वर लाल पुत्र राधामोहन 149 |
| 3. | बी-233 | मेना राम पुत्र प्रसादीलाल 150 |
| 4. | बी-234 | कालूराम पुत्र गेंदी लाल 153 |
| 5. | बी-235 | सीताराम पुत्र गिरधारीलाल 139 |
| 6. | बी-236 | कैलाशचन्द पुत्र गोरधन दास 141 |
| 7. | बी-239 | जमीर खां पुत्र गफूर खां 137 |
| 8. | बी-240 | डाली देवी पत्नि आनन्दी लाल 144 |
| 9. | बी-241 | ताराचन्द पुत्र प्रहलादराय 156 |
| 10. | बी-242 | रज्जाक खां पुत्र माला बक्श 138 |
| 11. | बी-243 | महेश कुमार पुत्र मुरलीधर 152 |
| 12. | बी-247 | रामस्वरूप पुत्र लादूराम 132 |
| 13. | बी-248 | वीनादेवी पत्नि मोतीलाल 154 |
| 14. | बी-250 | सेडू राम पुत्र सुन्दर 148 |
| 15. | बी-251 | रामहेतु पुत्र रामशरण 151 |

## परिशिष्ट-11

### नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

[ श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) ]

### राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सिरोही में मकान आवंटन में विलम्ब

राजस्थान की जनता को उचित दरों पर रिहायशी सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना की गयी थी और इसी उद्देश्य को लेकर राजस्थान आवासन मंडल ने राजस्थान के अनेक जिलों में आवासीय योजनाएं बनायी।

सिरोही जिले में भी सिरोही की जनता को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1980 में वहां की जनता से आवेदन लिये गये, परन्तु आज 13 वर्ष बाद भी उन आवेदकों को हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकानों का आवंटन नहीं किया जा रहा तथा ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने 12, 13 वर्ष पहले सस्ती दरों एवं आसान किश्तों के आधार पर मकान मिलने की आशा में पंजीयन कराया था उन गरीबों की आशा अब सपना बन कर रह गयी है। इतना ही नहीं पंजीयन के समय मकानों की जो संभावित कीमतें बतायी गयी थीं वह कीमतें भी आज कई गुना बढ़ा दी गयी हैं। इस सम्बन्ध में कुछ बिन्दुओं पर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(1) आवासन मण्डल द्वारा निर्माण कार्य में की गयी देरी के कारण जो कीमतें बढ़ गयीं तथा लागत ज्यादा आ रही है उस सम्बन्ध में मण्डल का कोई उत्तरदायित्व नहीं ठहराया गया जबकि इस बढ़ी हुई लागत का दण्ड उपभोक्ता को चुकाना पड़ रहा है।

(2) पंजीयन के समय बतायी गयी अनुमानित राशि के आधार पर जो मकान बनाकर दिये जाने थे उसके विपरीत मण्डल द्वारा अब अपनी मनमर्जी से अधिक लागत एवं घटिया निर्माण कर मकान आवंटित किये जा रहे हैं।

(3) आवेदकों को आसान किश्तों पर मकान देने का मण्डल द्वारा सपना दिखाया गया था परन्तु अब 12, 13 वर्ष बीत जाने पर मण्डल एक मुश्त राशि की मांग कर उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है।

(4) मण्डल सस्ती दरों पर जमीन खरीद कर उपभोक्ताओं के मकानों पर जमीन की ऊंची दर लगाकर लाभ कमा रहा है।

(5) मण्डल उपभोक्ता द्वारा देरी से रकम जमा करवाने पर 18 प्रतिशत ब्याज की राशि वसूलता हैं जबकि उपभोक्ताओं की जमा राशि पर 6 प्रतिशत ही ब्याज देता है।

(6) मण्डल द्वारा उपभोक्ताओं की जमा राशि का न तो विवरण दिया जाता है और न ही समय पर प्रत्युत्तर दिया जाता है। आवासन मण्डल द्वारा अपने वास्तविक उद्देश्यों से अलग हटकर जिस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है इससे लगता है कि राजस्थान आवासन मंडल मात्र एक लाभ कमाने वाली संस्था रह गयी है।

अतः मैं उपरोक्त समस्याओं पर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करना चाहती हूं कि आवासन मण्डल द्वारा अनावश्यक रूप से बढ़ायी गयी दरों को कम करने तथा पूर्व की तरह किश्तों के आधार पर ही मकान आवंटित करने के लिए निर्देश प्रदान करें साथ ही आबंटन में किये जा रहे विलम्ब को समाप्त कर शीघ्रता करके सिरोही की जनता को मकान आवंटित कर राहत प्रदान करें।

— × —

**[ श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) **]**

**राजस्थान राज्य होटल निगम द्वारा खरीद में भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति**

राजस्थान राज्य होटल निगम द्वारा की जा रही खरीद में वहां कार्यरत मैनेजर (वित्त) द्वारा भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिसका एक ज्वलन्त उदाहरण हाल ही में लगवायी गयी डिश एन्टीना है। खासा कोठी में जो डिश एन्टीना लगवायी गयी है उस पर एक लाख पचास हजार का खर्च आया है। इसी डिश व अन्य सारी सामग्री को खुले बाजार मे खरीदा जाए तो अस्सी हजार में ही उपलब्ध हो सकती है। उसी प्रकार "आनन्द भवन" उदयपुर में जो एक लाख तीस हजार में डिश तथा सामग्री खरीदी गयी वह 70 हजार रुपये में मिल रही है। इस डिश एन्टीना के रख-रखाव का ठेका भी इसी पार्टी को पांच हजार रुपये प्रति माह में दे रखा है जबकि 1000 रुपये प्रति माह में कई अच्छे प्रशिक्षित व्यक्ति करने को तैयार है। जो मोटर कारें विभिन्न अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी हैं उनका भी भयंकर रूप से दुरुपयोग हो रहा है वह इनकी लॉग बुक देख कर जाना जा सकता है।

जिस निगम को करोडों रुपयों की सम्पत्ति दी हुई हो उससे राज्य कोष में काफी आमदनी होनी चाहिये, पर सही रूप से मैनेजमेंट न होने के कारण तथा राज्य कोष को हानि होने से बचाने हेतु यह मांग है कि इस निगम की व्यवस्था सुधारने हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित कर जांच करायी जाए तथा इसके कार्यक्रम में सुधार हेतु कदम उठाये जाए।

— × —

[ श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) ]

**राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा**

मेरे विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवासीय कालोनी बनाने हेतु 157 बीघा 15 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई जिसे लगभग तीन वर्ष हो गये हैं और अवाप्त करने की दिनांक से 15 प्रतिशत ब्याज देय है मूल मुआवजा रकम लगभग 1.25 करोड़ है और तीन वर्ष में 0.75 लाख रुपये के करीब ब्याज कुल 2 करोड़ रुपये की राशि राजस्थान आवासन मण्डल को भूमि मालिकों और काश्तकारों को देनी है काश्तकार और भूमि मालिक परेशान हैं पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही अवाप्त 157 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर आज तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। एवं अवाप्त भूमि मे 15 बीघा भूमि भूमि मालिक ने अपनी ऊंची पहुंच से वापस निकाली गई है। फिर भी 142 बीघा भूमि आवासन मण्डल के पास आज उपलब्ध है उसके बावजूद मण्डल 96 बीघा भूमि और अवाप्त करने की कार्यवाही कर रहा है जो गलत है एवं आवासन मण्डल को नुकसान पहुंचाने या फिर भूमि धारियों से अनुचित लाभ उठाने की साजिश है।

अतः निवेदन है कि जब तक आवासन मण्डल के पास भूमि है उसके ऊपर निर्माण पूरा होने के बाद ही अन्य भूमि अवाप्त की जानी चाहिये।

—×—

[ श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) ]

**गंगापुर सिटी में बाइपास (सड़क) का निर्माण**

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 विशेष उल्लेख के अन्तर्गत मान्य सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करते हुए विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अत्यधिक छोटे-बड़े वाहनों के आवागमन के कारण गंगापुर सिटी में बाइपास बनाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। बाइपास नहीं होने के कारण आम रास्ता कई-कई घंटों तक अवरुद्ध हो जाता है।

गंगापुर सिटी जिसकी आबादी आज लगभग 1 लाख से अधिक हो चुकी है, हजारों की तादाद में ऊंट गाड़ी, बैल गाड़ी, ट्रेक्टर, जीप, मोटर साइकिल, ट्रक व बसें इस विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध हैं।

"ए" क्लास कृषि उपज मण्डी, रेलवे वृत, वस्त्र व्यापार, सवाईमाधोपुर जिले का सबसे बड़ा नगर, दिन-प्रतिदिन बढ़ता हुआ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित बसें, पशुओं के चारों को लाते हुए ट्रक इन सभी कारणों से पूर्व में बने

हुए सकरे रास्ते सभी लोगों को आज अखरने लग गये हैं। कभी-कभी तो ऐसी स्थिति बन जाती है कई-कई घंटों के लिये रास्ता जाम हो जाता है। जनता जनार्दन नगर-पालिका व जनप्रतिनिधियों को कोसती है। कभी-कभी तो चारे से भरी ट्रक में आग लगने की नौबत तक आ जाती है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी, आप तो समस्याओं के प्रति उदार प्रवृत्ति के हैं। आपको याद होगा कि एक बार आप वजीरपुर से करौली जा रहे थे। तब रेलवे की घुमटी सानोदा का फाटक बंद था। इंतजार के बाद फाटक खुला तो गंगापुर—करौली मोड़ पर करौली रेलवे का फाटक बंद मिला। काफी इंतजार किया। आपने अधिकारियों से पूछा था कि इन दोनों रेलवे फाटकों के बीच में से क्या बायीपास बन सकता है। अधिकारियों ने बताया कि ग्राम खानपुर बड़ौदा में होकर बायीपास निकल सकता है। तुरन्त आपने आदेश प्रदान कर दिये कि कार्य प्रारम्भ करवा दो स्वीकृति आ जाएगी। आज वह बायीपास बन चुका है।

श्रीमन्, आपको याद होगा कि जब आप दिनांक 28 जनवरी, 1994 को मिनि सचिवालय का उद्घाटन करने हेतु गंगापुर पधारे थे तब आपकी पार्टी के पूर्व विधायक श्री गोविन्दसहाय जी, सांसद श्री कुंजीलाल जी, नगर भा.ज.पा. के अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं तथा सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने ज्ञापनों के माध्यम से गंगापुर के प्रमुख मार्गों पर बायी पास हेतु मांग रखी थी। आपके आगमन की मुझे किसी भी प्रकार की सूचना नहीं थी। प्रोटोकॉल के अनुसार जन प्रतिनिधि के हैसियत से मुझे आपके आने की सूचना मिलनी चाहिये थी लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक था, शायद इसी कारण आपके प्रोग्राम की सूचना मुझे देना उचित नहीं समझा गया। खैर आपकी उदार प्रवृति को जानकर तथा गंगापुर की समस्याओं को मध्य नजर रखते हुए अपने सैंकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कैलाश टाकीज के पास आपका स्वागत के साथ बायी पास बनवाने हेतु ज्ञापन दिया जिसका भी आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया।

श्रीमन्, मुझे अत्यन्त दुःख तो तब हुआ जब आप अपनी गाड़ी में बैठने लगे आपने कर्टसी के नाते मुझसे यह तक नहीं कहा कि विधायक महोदय, समारोह स्थल तक चल रहे हैं क्या? जबकि आपने अन्य लोगों को जो कि आपकी पार्टी के थे उन्हें बैठाकर चल दिये। श्रीमन्, बायी पास की समस्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है। समस्त गंगापुर की जनता, जिसमें आपकी पार्टी के लोग भी है, उनकी भी है। बायी पास की समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया है। समस्या का समाधान होना अत्यन्त आवश्यक है। वैसे तो मेरे तारांकित प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट कर दिया है कि बजट में बायी पासों के लिये प्रावधान नहीं रखा है। इसलिए बायी पास बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मैं पुनः आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि गंगापुर सिटी में बायी पास बनवाने की कृपा करें। अगर आपका विभाग बनवाने में असमर्थ है तो विशिष्ट योजना के मद से इसे बनाने की विशेष कृपा करें।

—X—

[श्री भीमराज भाटी (पाली)]

**ग्राम सेवक द्वारा की अनियमितताओं की जांच**

निवेदन है कि पंचायत समिति-रानी (पाली) के ग्राम पंचायत सिवाड़ा में लम्बे समय से कार्यरत ग्राम सेवक पदेन सचिव (प्रशासन) श्री गिरधारी सिंह ने अपने कार्यकाल में सभी कानून कायदों को ताक में रखकर ग्राम सिवाडा में भूखण्डों के पट्टे जारी कर कब्जे कराने एवं भवन निर्माण की मौखिक स्वीकृतियां देकर लाखों रुपये हड़पे हैं। विशेषकर नयी आबादी तालाब एवं गजनीपुरा रोड की सड़क पर बसी ढाणी में भवन निर्माण की लिखित मौखिक स्वीकृति में न तो सड़क सीमा का और न ही बिल्डिंग लेन या कोई मास्टर, प्लान/साइड प्लान आदि का ध्यान रखा गया है। इस तरह श्री गिरधारी सिंह ने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत सिवाडा में काफी अनियमितताएं एवं ग्राम पंचायत सिवाड़ा के साथ अति चार्ज ग्राम पंचायत गजनीपुरा में सरकारी भवनों के निर्माण में लाखों रुपये के फर्जी बिल व नियमों को ताक में रखकर कमाये हैं।

पूर्व में राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 28 (16) ग्रा. वि. पं./प्रशासक 2/88 पार्ट की 1973 दिनांक 7.9.88 के द्वारा श्री गिरधारी सिंह ग्राम सेवक पदेन सचिव का स्थानान्तरण पंचायत समिति रानी (पाली) से पंचायत समिति रोहट (पाली) कर दिया था। मगर उस आदेश के विरुद्ध श्री गिरधारी सिंह ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से स्थगन आदेश कराकर लाखों रुपये हड़पने का सहारा प्राप्त कर लिया।

उक्त प्रकरण लोक महत्व का है अतः माननीय ग्रामीण एवं पंचायत राज मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि श्री गिरधारी सिंह ग्राम सेवक पदेन सचिव का स्थानान्तरण शीघ्र ग्राम पंचायत सिवाड़ा से अन्यत्र करा कर उनके कार्य काल की अनियमितताओं की जांच कराकर दोषी पाये जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त करावे ताकि ग्रामीण जनता को राहत मिल सके।

—x—

[श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)]

**राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन**

गुजरात परिवहन निगम द्वारा राजस्थान के विभिन्न भागों में अत्यधिक राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस द्वारा यात्री भार उठाने राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसों की वृद्धि नहीं करने तथा अनेक मार्गों पर बसें नहीं चलाने

से गुजरात परिवहन निगम का एकाधिकार बढ़ता जा रहा है । साथ ही गुजरात राज्य पथ परिवहन निगम की आरक्षण व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को बसों की छतों पर बैठकर यात्रा करने को विवश होना पड़ रहा है ।

अतः राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें भी गुजरात पथ परिहन निगम की संख्या के बराबर चलायी जाए ताकि गुजरात पथ परिवहन निगम का एकाधिकार समाप्त होने के साथ-साथ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को बसों में वृद्धि के साथ यात्रियों को पर्याप्त सुविधा मिले तथा गुजरात परिवहन निगम की बसों की छतों पर बड़ी मात्रा में बैठने एवं सम्भावित दुर्घटना से यात्रियों को बचाया जा सके और साथ ही राजस्थान परिवहन निगम को लाखों रुपये का घाटा हो रहा है । उससे बचा जा सके ।

मैं राज्य सरकार का इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये ध्यान आकृष्ट कर आशा करता हूं कि राज्य सरकार तत्काल इस दिशा में प्रभावी कदम उठाकर गुजरात परिवहन निगम के समान ही बसों का परिचालन करवायेगी ।

—×—

[श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)]

**ग्राम पचार (सीकर) की पेयजल समस्या**

मैं, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव पचार में व्याप्त पेयजल के गम्भीर संकट के बारे में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

ग्राम पचार मेरे विधान सभा क्षेत्र का प्रमुख गांव है । यहां की जनसंख्या लगभग 7 हजार है । वर्तमान में यहां पी. एण्ड टी. योजना संचालित है जिसमें लगभग 300 कनेक्शन हैं । लेकिन मुश्किल से 100 कनेक्शनों में ही पानी आता है और वह भी बिना प्रेशर के मात्र 15–20 मिनट के लिए आता है जबकि गांव में डिमाण्ड लगभग 700 कनेक्शनों की है । गांव में जो 7–8 सार्वजनिक कुएं हैं उनमें अधिकांश में या तो पानी सूख चुका है या फिर कुछ कुएं विभाग ने अधिग्रहण कर रखे हैं । परिणामस्वरूप पेयजल की गम्भीर समस्या से जनता त्रस्त है ।

विभाग ने इस गांव में पेयजल के सुधार के लिये ए. आर. पी. मद के अन्तर्गत 9.97 लाख रुपए की योजना की तकनीकी स्वीकृति भी जारी कर रखी है किन्तु अभी तक भी यह धनराशि न तो पंचायत को आवंटित की गयी है और न ही विभाग ने इस राशि में से कोई काम प्रारम्भ कराया है ।

अतः इस विशेष उल्लेख के माध्यम से मेरा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी से अनुरोध है कि पचार गांव की गम्भीर पेयजल समस्या के निराकरण के लिए इस गांव की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए दीर्घकालीन योजना बनायी जाये और ए. आर. पी. मद के अन्तर्गत स्वीकृत 9.97 लाख रुपये तत्काल ग्राम पंचायत या विभाग को उपलब्ध कराकर पेयजल समस्या का इसी वर्ष गर्मियों से पहले-पहले समाधान कराया जाए। चूंकि इस योजना को पंचायत चलाने में असमर्थ है इसलिये इस योजना को विभाग अपने अधीन लेकर ग्राम की जल समस्या का समाधान करवायें।

—x—

[श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर)]

**डी. डी. पी. एवं जीवन धारा के अन्तर्गत निर्मित टांकों एवं कूपों के निर्माताओं को बकाया राशि का भुगतान**

1988-89 व 1989-90 में सांचौर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जालौर द्वारा पंचायत समिति सांचौर के माध्यम से डी. डी. पी योजना और जीवन धारा योजना टांका/निर्माण कराया गया था जिनकी संख्या सैंकड़ों में है।

उक्त निर्माण कार्यों में निर्माण कर्ताओं ने पूरी राशि खर्च करके इनका निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया था, परन्तु इतना समय व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक इन कार्यों का भुगतान नहीं किया जा कर, केवल आंशिक भुगतान ही किया गया है। अतः पंचायत समिति के माध्यम से किये जा रहे भुगतान में अकारण हुए विलम्ब की जांच कराकर पंचायत समिति सांचौर के अधिकारीगण एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे और डी. डी. पी. एवं जीवन धारा के अन्तर्गत बनाये गये टांकों और कूप निर्माण कर्ताओं का बकाया भुगतान शीघ्र करवाने की व्यवस्था की जाये।

इस भुगतान में विलम्ब का प्रमुख कारण पंचायत समिनि के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा निरन्तर किया जा रहा भ्रष्टाचार एवं अनियमितताऐं रहा है। उनकी इच्छानुमार टांकों एवं कूप निर्माताओं ने उनको रिश्वत का भुगतान नहीं किया अतः मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि उपरोक्त बकाया का भुगतान शीघ्र करवाया जा कर टांका निर्माताओं को राहत पहुंचायी जाए।

—x—

[ **श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम) ]

**ओलावृष्टि से किसानों को हुई हानि की क्षति पूर्ति**

सर्वविदित है कि कल राजस्थान के विभिन्न जिलों में असमय की वर्षा और भयंकर ओलावृष्टि हुई। इसके कारण प्रदेश के कई जिलों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मुख्य रूप से प्रभावित जिले हैं—धौलपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमन्द, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा आदि। इन जिलों में किसानों की गेहूं, जौ अरहर तथा चने की खड़ी व कटी हुई फसलों को काफी क्षति हुई है। पहले से ही प्रदेश का किसान अकाल से पीड़ित है। ऊपर से इस ओलावृष्टि तथा वर्षा से उस पर भयंकर वज्रपात हुआ है। सरकार को इस कठिनाई के समय में राजस्थान के किसानों की सहायता करनी चाहिये।

मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि—(1) अविलम्ब प्रदेश के सभी जिलों से किसानों की फसल को हुई क्षति की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की जाय (2) जिन लोगों की जान-माल मकान पशु आदि को नुकसान पहुंचा हैं उनकी भी जानकारी प्राप्त की जावे। (3) किसानों की फसल जान-माल पशु झोपड़ियों व मकानों को हुई क्षति की पूर्ती करने के लिये उन्हें अविलम्ब आर्थिक सहायता प्रदान की जाय। (4) मृतकों व घायलों को क्रमशः एक लाख व 10 हजार रुपये देवें।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार इस गम्भीर समस्या पर सदन में कल वक्तव्य देगी तथा प्रदेश के किसानों को हुई हानि की क्षति पूर्ती करेगी।

—×—

[ **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) ]

**ग्राम नारदपुरा (बस्सी–जयपुर) में कृषक की भूमि पर जबरन कब्जा**

मैं सरकार का ध्यान प्रक्रिया के नियम 295 के जरिये ध्यान आकर्षित कर, निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम नारदपुरा तहसील बस्सी के श्री कैलाश आयु 60 वर्ष अपने पूरे परिवार के साथ वर्षों से खेती कर पूरे परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है। इस भूमि पर श्री कैलाश ब्राह्मण एवं इसके पूर्वजों का पहले से ही कब्जा चला आ रहा है व इस भूमि में पक्के मकान, तीन कच्चे घर कुआ मय विद्युत पम्प सैट लगाकर पूरे परिवार का गुजर-बसर करते आ रहे हैं। यह है कि भूमि जो 15 बीघा 11 बिस्वा में है। इसी गांव के रहने वाले श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री गोपीलाल शर्मा व श्रीमती विमला देवी पत्नि श्री कन्हैयालाल शर्मा के बुजुर्गों के नाम होने के कारण इन लोगों ने अपने नाम नामान्तरण खुलाने व इसको यहां सक्रिय एक भूमि

माफिया गिरोह जो इन लोगों को बम्बई से जाकर लाना व इन्हें मालूम नहीं होते हुए भी लालच देकर भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 11–3–94 को तह. बस्सी में कराली तथा 16–3–94 को बिना कब्जा सम्भलाएं ही नामान्तरण भी खुलवा लिया जबकि रेवेन्यू एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि रजिस्ट्री हो जाने के बाद नामान्तरण तब ही खोला जायेगा जब क्रेता का खरीदी गयी भूमि पर कब्जा नहीं हो जाए। जब कि क्रेता का आज तक भी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं हुआ है। बल्कि कब्जा प्राप्त करने हेतु माफिया गिरोह के लोग जीपों में भरकर श्री कैलाश ब्राह्मण व उसके परिवार को धमकी दे रहे रहे हैं कि राजी-खुशी भूमि, मकान, कच्चे घर, कुआ मय विद्युत पम्प सैट खाली करदें, अन्यथा जबरन खाली कराकर कब्जा करेंगे। इसमें जान-माल को भी हानि हो सकती है तथा श्री कैलाश ब्राह्मण को तो दिनांक 27–3–94 को धुलण्डी के दिन नारदपुरा माध्यमिक संस्कृत विद्यालय में गोठ कर भूमि माफिया गिरोह के सदस्य जिन्होंने गले में बन्दूकें, पिस्तोलें डाल रखी थी, धमकी दी है कि राजी-खुशी खाली कर दो अन्यथा जान से मार दिया जाएगा। इस प्रकार ये पूरा परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहा है। संबंधित अधिकारियों के भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन इस गिरोह के सामने इस व्यक्ति की कोई भी नहीं सुन रहा है, हो सकता है कि जबरन कब्जा हो जाए तथा खून खराबा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बस्सी में ही नहीं राजस्थान में और भी गांवों में ऐसे हजारों कृषक है जो सैकड़ों वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। लेकिन रिकार्ड की गलती से दूसरों के नाम से है जो लालच में आकर या तो भूमि लगान वसूल कर रजिस्ट्री करवाते हैं या ऐसे भूमि माफिया गिरोह जिनका काम ही तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर से मिल कर ऐसे रिकार्ड देखते हैं तथा जिनके नाम भूमि है उन्हें पता भी नहीं है कि भूमि हमारे नाम भी है या नहीं। ऐसी सूरत में गिरोह उन लोगों को जमाबन्दी, नामान्तरण की नकलों के जरिये विश्वास दिलाकर भूमि के मालिक होने का लालच देकर कम राशि में भूमि खो देते हैं तथा गुण्डागर्दी से जबरन कब्जा कर लेते हैं।

ऐसे उदाहरण बस्सी में भी अनेक हो चुके हैं जिनके खिलाफ पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से वे लोग कब्जा प्राप्त करने में सफल हो गये हैं। यदि समय रहते सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो इस भूमि पर भी पूरे परिवार को बेदखल कर कब्जा करने पर उतारू हो जायेंगे तथा किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घट सकती हैं। सरकार इसकी गम्भीरता को देखते हुए सारे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर वस्तु स्थिति को मध्य नजर रखते हुए कैलाश ब्राह्मण व परिवार की जान-माल की रक्षा करने की कृपा करें।

—x—

[ श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) ]

**जोधपुर शहर में कृत्रिम पेयजल समस्या**

(1) जोधपुर शहर की पेयजल वितरण व्यवस्था एवं कृत्रिम पेयजल बनाएं रखने बाबत सदन का ध्यान आकृषित करना चाहती हूं।

(2) राजस्थान में 1989–90 जो कि भयंकर अकाल का वर्ष था, बावजूद जलदाय विभाग ने तख्तसागर में एकत्रित जल का लेवल 31 दिसम्बर, 1989 को 43.50 फीट रखा था, जबकि जवाई बांध में पानी की मात्रा नगण्य थी। तत्कालिन परिस्थितियों में जवाई के डेडस्टेरोज जल का उपयोग कर पेयजल वितरत किया गया था। परन्तु वर्तमान में वर्ष 1993–94 में अच्छी वर्षा होने के बावजूद तख्तसागर का लेवल 31 दिसम्बर, 93 को 24.30 फीट ही रहा, इसका क्या कारण है? समुचित मात्रा में पेयजल एकत्रित नहीं होने के कारण, जनता को प्यासा रखा गया है, ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की अनुशंषा करती हूं।

(3) आंकड़ों से ज्ञात होता है कि वर्ष 1993–94 में 1 सितम्बर को तख्तसागर का लेवल 28.10 फीट था जो कि वर्ष 1992–93 के सितम्बर माह के लेवल 21.80 फीट से ज्यादा था। वर्ष 1993–94 में पूर्व वर्ष की भांति जवाई बांध के फाटक पर्याप्त वर्षा होने के कारण खोले गये थे, बावजूद इसको वर्ष 1993–94 में 31 दिसम्बर को तख्तसागर का लेवल मार्च 24.30 फीट ही रहा जो कि वर्ष 92–93 के दिसम्बर माह के केवल 43.74 फीट से बहुत कम है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही से वर्ष 93–94 में जवाई बांध का उपलब्ध पानी नहर द्वारा पूर्ण क्षमता से जोधपुर नहीं लाया गया, जबकि इस वर्ष नहर की मरम्मत आदि कार्यों पर लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इससे ऐसा लगता है कि इस राशि का जमकर दुरुपयोग हुआ है।

(4) उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जवाई बांध नहर की मरम्मत दिनांक 21.9.93 से 1.10.93 के बीच करवाई गई। जबकि मरम्मत के पूर्व अगस्त, 93 में जब नहर अवरुद्ध थी व 22 क्यूसेक पानी की आपूर्ति कर रही थी। जोधपुर स्थित फील्टर हाउस में माह अगस्त, 93 में 120.35 लाख गैलन पेयजल उत्पादित किया जबकि मरम्मत पूर्ण होने के उपरान्त माह अक्टूबर, 1993 में नहर द्वारा पूर्ण क्षमता 32 क्यूसेक पानी की आपूर्ति किये जाने के बावजूद उक्त फिल्टर हाउस में 108.06 लाख गैलन पेयजल उत्पादित किया जो निरन्तर घटकर जनवरी, 1994 में मात्र 86.30 लाख गैलन रह गया।

(5) दिनांक 21.9.93 से 1.10.93 के बीच किए गये क्लोजर में विभाग ने लाखों रुपये खर्च कर नहर को दुरुस्त करवाया था, मात्र पांच माह में ही उक्त नहर

पुनः क्षतिग्रस्त हो गई जिसकी पुनः मरम्मत एवं सफाई हेतु 10 मार्च, 94 से 18 मार्च, 94 के बीच क्लोजर लिया जाकर लाखों रुपये खर्चा किया गया। यह प्रमाणित करता है कि पूर्व में घटिया सामग्री व पैसों का दुरुपयोग हुआ है।

(6) इससे स्पष्ट होता है कि पेयजल समुचित मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद कुछ जिम्मेदार विभागीय अधिकारी जो पेयजल उत्पादन करने के लिए तैनात किए गये हैं अपने निजी स्वार्थों के कारण कृत्रिम पेयजल समस्याएं बनाए रखते हैं, ताकि मजबूरन राज्य सरकार को जनहित में आपात योजनाएं बनानी पड़े, जिससे वे अधिकारी ऐशो-आराम आसानी से कर सके।

(7) मैं यहां पर भी ध्यान में लाना चाहूंगी कि राज्य सरकार के प्रयासों से अक्टूबर, 93 से 40 लाख गैलन पानी जोधपुर लिफ्ट कैनाल की आपात कालीन योजना से जोधपुर को प्राप्त होना चालू हो गया है एवम् सरकार को झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत कर जनता में सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं।

(8) राज्य सरकार ने जोधपुर में पेयजल सुधार हेतु 127 लाख के कार्य ...कृत किए जिसमें अधिकारियों ने जानबूझ कर ऐसे कार्य प्रस्तावित किए हैं, ...समें अनुपयोगी सामान को पूर्व में क्रय किया गया है एवं विभाग के स्टोर में ... खण्डों में पाइप की मांग पत्र पर पूर्ति की जा सकती थी, बावजूद विभाग ...गये क्रय आदेश देकर न केवल अनावश्यक खरीद की है बल्कि केन्द्रीयकृत आइटम ... मुख्यालय स्तर पर क्रय होते हैं, को निचले स्तर पर खरीद किया जाकर नियमों ... धज्जियां उड़ाई है। ऐसे स्थानों पर नए नलकूपों का निर्माण कराया जा रहा है ...ां पर पूर्व में खोदे गये नलकूपों का जल स्तर गिर जाने पर नकारा घोषित किया जा चुका है। ऐसे स्थानों पर वर्तमान में आवश्यक जल उपलब्ध होगा, परन्तु कुछ ...मय पश्चात् यह नलकूप भी नकारा घोषित हो जाएंगे तो फिर ऐसे कार्यों पर अना...श्यक खर्चा क्यों किया जा रहा है। उक्त कार्य अन्य स्थानों पर जहां प्रचुर मात्रा में ...जल उपलब्ध है। वहां पर नए नलकूप खोदे जाने चाहिए।

(9) अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करती हूं कि जनता को ...त्रिम पेयजल समस्या प्रकट कर अनावश्यक राशि व्यर्थ में खर्चा करने वाले ...धिकारियों के विरुद्ध जांच करवायी जाए।

—×—

[ श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) ]

**बरसिंगसर में विद्युत प्रोजेक्ट की स्वीकृति**

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.) ने बरसिंगसर ...ला बीकानेर) क्षेत्र में लिग्नाइट भण्डार के खनन हेतु 302 करोड़ रुपये की एक

परियोजना प्रस्तुत की है । साथ ही उत्पादित लिग्नाइट की ईंधन के रूप में प्रयोग करते हुए एक ताप बिजलीघर लगाने का प्रस्ताव भी किया है ।

ताप बिजलीघर पर दो चरणों में स्थापित किया जाएगा । प्रथम चरण में 250 मेगा वाट क्षमता का संयंत्र लगाया जाएगा एवं द्वितीय चरण में एक और 250 मेगा वाट क्षमता का ताप बिजलीघर लगाना प्रस्तावित है । प्रथम चरण में संयंत्र एवं विकास हेतु 1180 करोड़ रुपये खर्च करना प्रस्तावित है ।

बरसिंगसर क्षेत्र में उपलब्ध लिग्नाइट पर आधारित ताप बिजली पर लगाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास 1978 से पूर्व से विचाराधीन है । शुरू में राज्य सरकार नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन (एन.एल.सी.) के माध्यम से बिजली संयंत्र लगाना चाहती थी । एन.एल.सी. अब इस संयंत्र को लगाने में सक्षम नहीं है क्योंकि इसके लिए लागत की राशि उनके पास उपलब्ध नहीं है । राज्य सरकार एक आस्ट्रेलियाई कम्पनी कॉलमैन एसोसिएट से भी चर्चा कर चुकी है, परन्तु इसमें भी कामयाबी नहीं मिली है । इसी दरमियानसात साल गुजर चुके हैं ।

इतने लम्बे समय तक राज्य की जनता को न केवल बिजली व लिग्नाइट ईंधन से वंचित रहना पड़ा बल्कि संयंत्र लगाने की कीमत में भी कई गुना वृद्धि हो चुकी है । इसमें जितनी देरी होगी, लागत उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी । आज भी यदि निर्णय लिया जाता है तो बिजली उत्पादन होने में चार से पांच साल लग जाएंगे । सन् 2000 तक राजस्थान में बिजली आपूर्ति मांग के केवल 50 प्रतिशत ही रह जाएगी ।

आर.एस.एम.एम. खनिज दोहन में देश भर में एक अग्रणी संस्थान है झामरकोटड़ा खदान, जो यह संस्थान चलाता है, समूचे देश की वृहतम खानों में से एक है । बरसिंगसर क्षेत्र में से लिग्नाइट उत्पादन करने में यह संस्थान पूर्णतया सक्षम है । यह राज्य सरकार का ही एक संस्थान है अतः इस पर नियंत्रण रखना भी आसान है ।

आर.एस.एम.एम. के प्रस्तावानुसार लिग्नाइट उत्पादन का व्यय केवल 594 रुपये प्रति टन है जो अब तक प्राप्त प्रस्तावों में से सबसे कम है । आर.एस.एम.एम. दावा करता है कि 225 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति कर सकता है । यह भी अब तक प्राप्त दरों में न्यूनतम है । आर.एस.एम.एम. के प्रस्ताव का समर्थन सैन्ट्रल इलैक्ट्रिकल्स ऑथोरिटी भी कर चुकी है । इसलिए आर.एस.एम.एम. के इस प्रोजेक्ट को स्वीकार कर राजस्थान में बिजली की कमी को पूरा कराया जाए ।

—x—